

जेल में

कुलदीप नय्यर

अनुवाद
देवेशचन्द्र



साधाकृष्ण

Originally published by
VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD
5, Ansari Road, New Delhi-110002
in the English language under the title
IN JAIL

अंग्रेजी मूल का
©
कुलदीप नय्यर, नई दिल्ली
1978

हिन्दी अनुवाद
©
राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
1978

प्रथम हिंदी संस्करण : जून 1978

मूल्य
सजिल्द संस्करण : 20 रुपये

प्रकाशक
राधाकृष्ण प्रकाशन,
2 अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

मुद्रक
भारती प्रिंटर्स
दिल्ली-110032

मेरे श्वसुर
श्री श्रीमन्सेन सच्चर
की स्मृति को—

जिनके साथ मुझे जेल में एक दिन
बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

भूमिका

मैंने खामोशी को चुपचाप घंटों सुना है। मैंने दिन को जगता और धीतता हुआ अनुभव किया है। मैंने खुलते और बन्द होते समय दरवाजे की आवाज हर बार सुनी है। मुझे हर चीज की अनुभूति हो गयी है और यह कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक बनी रहेगी। जेल भी एक ऐसी जगह है, जहाँ समय ठहर जाता है।

मैंने जितना समय जेल में बिताया, वह ज्यादातर पढ़ने या सिर्फ सोचने में बिताया। मैंने क्या किया, इसका असल में कोई मतलब नहीं है। हर दिन एक जैसा था। कभी-कभी कुछ काम न होने से सिर्फ खाली यँ ही बँटे रहने से वक़्त पहाड़-जैसा दीखने लगता था। और मैं अपने साथ के कैदियों को कोठरियों में आते-जाते देखता रहता था; मैं काँटेदार दरवाजे से बाहर की तरफ घास की कुछ पत्तियों को हरी होते देखता था। जैसे-जैसे दिन बीतते गये, एक घुँघली-सी अटूट आशा रह गयी थी कि मैं—और मेरे साथ और लोग भी एक दिन आजाद होंगे। यह बेड़ियाँ टूटेंगी और फिर आजादी होगी।

और मेरी रिहाई, जब यह आयी, तब मेरे लिए यह बहुत बड़ा निजी अनुभव था। मैंने आजादी की कीमत समझी, जो पहले नहीं समझी थी। यह एक स्वाद था जिसे समूचे राष्ट्र को बाद में अनुभव करना था, जब चुनाव के नतीजे आये, क्योंकि तब तक सारा भारत एक जेलघाना था।

यह इमरजेंसी पर लिखी किताब नहीं है, हालाँकि तैयारी उन्ही दिनों हुई थी, क्योंकि उस समय मैं 'मीसा' के तहत नजरबन्द था। और यह उस डायरी के आधार पर है, जिसमें अपने दो महीने की नजरबन्दी में 24 जुलाई 1975 से जो कुछ सोचता था, जो कुछ देखा था या सुना था, लिखता गया; क्योंकि मैं जानता था कि मैं यह किताब लिखूँगा। जर्नलिस्ट होने के नाते मैं यह जानना चाहता था कि जेल की जिन्दगी कैसी होती है। असल में मैंने अपने साले, राजिन्दर सच्चर से, जो जेल में कैद थे, उनसे जेल के बारे में बहुत कुछ जाना-सुनाया—दिखा सकते हैं तब यह

चूँकि यह मेरी नजरबन्दी की कहानी है, इस किताब में जगह-जगह मैं अपने बारे में ही ज्यादा कहता गया हूँ। मेरी सिर्फ यही उम्मीद है कि जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है, उसमें जेल के भीतर की हालत को सुधारने की कोशिश को कुछ रोशनी मिलेगी और कम-से-कम वहाँ गुलामों का लेन-देन बन्द हो जायेगा—वहाँ पुलिस

कुछ भी आरोग्य लगा लड़कों को पकड़ जाती थी और स्टाफ के इन 'हेल्परों' को कोई भी मजदूरी नहीं दी जाती थी।

यह सच है कि जेल राजा की जगह है। बोलने, आने-जाने, दोस्तों में मिलने पर रोक, उनसे और परिवार के लोगों से खबरदस्ती अलग किया जाना—इतनी सजा

ज़िन्दगी को जितना दुभर बनाया जा सकता है, बनाया जाये। जब नयी दिल्ली की तिहाड़ जेल में, जहाँ मैं नज़रबन्द था, कैदियों की संख्या 4000 से ऊपर पहुँच गयी, मैंने जेल के अधिकारियों से पूछा कि वह इतनी भीड़ क्यों भर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यह जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है; जो जेल 1200 आदमियों के लिए थी, अगर वहाँ चौगुने ज़्यादा आदमी भर दिये जायें तो यह नरक ही हो जायेगी।

मैं एक बार फिर स्टेट्समैन के अपने पुराने साथियों—प्रकाश राव, वी० ए० मेनन और टी० एन० एन्ना को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ।

कुलदोष नम्यर

क्रम

गिरफ्तारी	11
जेल में	29
...और बाद में	82
उपसंहार	104
परिशिष्ट	
I	109
II	120
III	134
अनुक्रमणिका	141

गिरफ्तारी

भारती ने जगाया तो मुझे लगा कि अभी आधी रात भी नहीं बीती है। उसने कहा, "पुलिस के दो आदमी आये हैं।" वह कुछ घबरायी हुई थी, लेकिन उसने यह खबर इतने कामकाजी ढंग से बतलायी कि उसका मतलब समझने में मुझे कुछ समय लगा। कांग्रेस के एक नेता की लड़की होने के कारण, जो विदेशी राज्य के दिनों में कई बार जेल गये थे, पुलिस वालों का समय-असमय आ-घमकना मेरी पत्नी के लिए कोई नयी बात नहीं थी। लेकिन मेरे लिए यह अनुभव अपूर्व था। मैं झट से विस्तर छोड़कर उठ बैठा, हालाँकि जो कुछ हो रहा था उस पर मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं था। एक ही दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, प्रोप्राइटर रामनाथ गोयनका ने मुझे यह चेतावनी दी थी कि अगर सरकार किसी पत्रकार के खिलाफ एक राय से कोई कार्रवाई करने पर आमादा है तो वह कार्रवाई सबसे पहले मेरे खिलाफ ही होगी। जैसा कि उन्होंने कहा, "देवीजी" बहुत नाराज़ है, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकान्त बरुआ ने खुल्लम-खुल्ला कहा है कि हम 'तुमको सबक' सिखाएंगे।

फिर भी मन कहता था कि यह संभव नहीं कि वे मुझे गिरफ्तार करने आये हैं। शायद मेरे घर की तलाशी-भर लेना चाहते हों—क्योंकि भले ही मेरी कोई अहमियत न हो, लेकिन यह पता लगाना अहमियत रखता था कि मुझ तक खबरें पहुँचाने वाले स्रोत कौन और कहाँ हैं। कोई दो दिन पहले मेनस्ट्रीम के सम्पादक निखिल चक्रवर्ती ने मुझे घर से सारे कागज़-पत्रों को 'हटा देने को' कहा था। हम-लोग संघ लोक सेवा आयोग में एक सेलेक्शन बोर्ड के सदस्य के रूप में मिले थे और वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने सुना था कि मेरे घर पुलिस का छापा पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं डरता। मैं गुप्त कागज़ों को घर में न रखने के बारे में सावधान था। और मेरे छोटे लड़के राजू ने पहले ही अपने एक दोस्त के घर उन सारी फाइलों को दो बोरों में भरकर रख दिया था, जिनको मैंने बड़े वृत्त से दस साल प्रेस-अधिकारी के रूप में पहले गोविन्दवल्लभ पन्त और उसके बाद लालबहादुर शास्त्री के साथ, जब वे लोग गृहमंत्री थे, रखा करता था।

मैंने दीवाल पर लगी घड़ी की तरफ देखा। मुश्किल से सवरे के पाँच बजे होंगे। मैंने एयरकंडीशनर बन्द कर दिया, भारती से चिन्ता न करने को कहा और वठक में चला आया जहाँ पुलिस के आदमी बैठे थे। ज्यों ही मैं आया, वे उठ कर

खड हो गये। दोनों वर्दी में थे और कन्धों पर लगे बैंब से मुझे लगा कि इनमें से एक पुलिस-इंस्पेक्टर है। "मुझे अफसोस है, हम आपको गिरफ्तार करने आये हैं," सीनियर आदमी ने कहा। उसने अपने को चाणक्यपुरी पुलिस-स्टेशन का स्टेपान-हाउस-ऑफिसर बताया। इंस्पेक्टर के मुँह से 'गिरफ्तार' शब्द बड़ी मुश्किल से निकला—और उसके बाद प्रामोशी छा गयी।

संवी प्रामोशी के बाद मैंने कहा, "क्या मैं वारंट देय सकता हूँ?"

उसने साइक्लोस्टाइल किया हुआ एक कागज दिखाया जिस पर प्राली लाइन पर मेरा नाम और वल्लिदयत के आगे मेरे पिता का नाम टाइप किया हुआ था। मैंने 'आन्तरिक सुरक्षा कानून' और 'सार्वजनिक हित में' शब्दों को देखा। सन्देह की कोई गुजाइश नहीं थी; मैं गिरफ्तार था। उस दिन तारीख 24 जुलाई 1975 थी।

मैं अपने को निस्सहाय महसूस कर रहा था। मुझ डर भी महसूस हो रहा था—अज्ञात का डर और जो कुछ पता था उसका भी डर। मेरे दिमाग में पुलिस के अत्याचार की खबरें तुरन्त छा गयीं, जो हम लोगों को मिलती थी, लेकिन जिनको हम सेंसरशिप के कारण छाप नहीं सकते थे। लेकिन मेरे मन में गवँ का भाव भी था, जो हजारों आदमियों के मन में तब रहा होगा जब वे आजादी की लड़ाई के दौरान गिरफ्तार हुए होंगे और जो भारती के पिता भीमसेन सच्चर ने भी महसूस किया होगा। एक तरह से मैं अपने बहुत-से उन सहयोगी पत्रकारों के पाप का प्रायश्चित्त कर रहा था जिन्होंने तानाशाही के सामने अपने घुटने टेकना या राष्ट्र के फिर से गुलाम होने पर चुप रहना श्रेयस्कर मान लिया था।

मैंने पुलिस-अधिकारी से पूछा, "क्या मुझे कुछ समय मिलेगा?" एस० एच० ओ० ने कहा, "दो-एक घंटे। आप नहा-धो सकते हैं, अपने साथ कपड़े वगैरह रख सकते हैं और अगर इच्छा हो तो कुछ खा भी सकते हैं।" मुझे एकदम से आर्मों का खयाल आया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे और जो, मैं जानता था, जेल में नहीं मिलेंगे।

"क्या मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को टेलीफोन कर सकता हूँ?" पुलिस वालों ने सिर हिला कर सहमति दे दी।

मैंने अपनी बहन, राज को बुलाया। मेरे माँ-बाप और भारती के माँ-बाप उसके यहाँ ठहरे हुए थे। टेलीफोन मेरे पिता ने उठाया। सिर्फ 'गिरफ्तार' शब्द को सुनते ही वह सिसकने लगे। मैं टेलीफोन पर पास में खड़ी माँ की आवाज को सुन रहा था, वह 'वाह गुरु' का जाप कर रही थी। मेरी बहन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि वे सब जल्दी ही आ रहे हैं।

मेरी आँखों में आँसू छलक आये। मैं यह नहीं जानता था कि मैं कितने दिन जेल में रहूँगा और क्या जब मैं लौटूँगा तब मेरे माँ-बाप जिन्दा मिलेंगे। दोनों बहुत ही बूढ़े थे और मेरी माँ तो रोग से बिलकुल ही जर्जर थी। एकाएक मैं अपने को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करने लगा, जो डर कर माँ-बाप की गोद में छिप जाना चाहता है।

मैंने अपने प्रतिभाशाली कार्टूनिस्ट दोस्त, राजिन्दर पुरी को फोन मिलाया। मैंने बलराज वाउरी को टेलीफोन किया जो श्रीमती गांधी के प्रचार-निदेशक थे और जिन्होंने मुझे खुफिया-विभाग के एक सर्वोच्च अधिकारी की यह टिप्पणी बताया थी कि "अगर हम लोग कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों को तीन-चार साल के लिए गिरफ्तार कर लें तो सारा काम क्यादा आसान हो जाये।" पुरी ने मुझे तीन हफ्ते

मुझे विश्वास है कि इस तरह की कुछ टिप्पणियाँ आपको जरूर दिखायी गयी होंगी ।

इसी तरह प्रेस-कौंसिल के खिलाफ यह आरोप भी गलत है कि उसने गाली-गलौज भरे लेखों का विरोध नहीं किया है । कौंसिल के सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि आर्गनाइजर (के सम्पादक) की आपके और आपके परिवार के बारे में गैर-जिम्मेदाराना लेख लिखने पर निंदा की गयी है । दुर्भाग्य से इस निषेध की घोषणा लम्बी और पँचदार प्रक्रियाओं के कारण देर से हुई ।

आप शायद स्वीकार करेंगी कि प्रमुख पत्रों ने फिरफापूरस्ती के खिलाफ सरकार के अभियान का बेनाम समर्थन किया है । पत्रों की शिकायत है कि साम्प्रदायिक तत्वों के बारे में प्रशासन का रवैया कड़ा नहीं है । प्रेस-कौंसिल ने भी बहुत-से समाचारपत्रों को 'साम्प्रदायिक' और 'संकीर्णतावादी' लेख लिखने के लिए चेतावनी भी दी है ।

लिए, प्रशासन के बारे में आपने पत्र लिखे हैं, लेकिन उनको प्रकाशन के लिए कभी जारी नहीं किया गया । आपके पत्रों के बारे में जो कुछ छपा है वह झर-उधर से मुना-मुनाया हुआ है ।

महोदया, पत्रकार के लिए यह छोटना हमेशा मुश्किल रहता है कि वह क्या छापे, क्या न छापे ! उसे हमेशा किसी-न-किसी के नाराज होने का खतरा रहता है । व्यक्ति की अपेक्षा सरकार में यह प्रवृत्ति ज्यादा रहती है कि सत्य को छुपाया जाये—और सत्य प्रगट हो जाये तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं । प्रशासन में जो लोग ऊँचे पदों पर होते हैं वह इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि वे—केवल वे ही—जानते हैं कि कौन-सी चीज राष्ट्र को कब और कैसे बतायी जाये । और ऐसी बात जो उन्हें पसन्द नहीं है समाचारपत्रों में प्रकाशित हो जाये तो वे नाराज हो जाते हैं ।

लेकिन यह कोई नहीं समझ पाता कि इन तरीकों से सरकारी खबरों पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है । और, लोग सरकार की सही खबर पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं । लोकतंत्र में, जहाँ जनता का विश्वास ही सब-कुछ होता है, सरकार के लिए हितकर नहीं कि उसकी कयती या करती में जनता को जरा भी सन्देह हो ।

स्वतंत्र समाज में—इमरजेसी के वाद आपने बार-बार यह कहा है कि आप स्वतंत्र समाज की धारणा में विश्वास रखती हैं—जनता को सूचित करना समाचारपत्रों का कर्तव्य है । कभी-कभी यह काम अप्रिय हो जाता है, लेकिन यह करना पड़ता है क्योंकि स्वतंत्र समाज की बुनियाद बेरोक सूचना पर खड़ी होती है । अगर समाचारपत्रों का काम सरकारी घोषणाओं या वक्तव्यों को छापना ही रह जाये, जैसा कि आजकल हो रहा है, तब भूलो, कमियों और गलतियों को कौन बतायेगा ?

मैं अक्सर नेहरूजी के उन वचनों को पढ़ता हूँ जो उन्होंने तीन दिसम्बर 1950 को अखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन में

कहे थे : "समाचारपत्रों की आजादी के बारे में सरकार चाहे जितना नाक-भौह सिकोड़े और उसे खतरनाक समझे, लेकिन मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी आजादी में दखलन्दाजी करना गलत है। पाबन्दी लगाकर आप किसी चीज को नहीं बदल सकते। आप कुछ चीजों को बाहर आने से रोक-थर सकते हैं और ऐसा करने से जो बात या विचार इन चीजों के पीछे छिपे हुए है उनको और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाचारपत्रों पर कोई भी पाबन्दी न रहे, उनको दबाया न जाये या उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जाये, चाहे आजादी का गलत तरीके से इस्तेमाल किये जाने का खतरा भले ही हो।"

जिस तरह की सेंसरशिप आज लगायी गयी है उससे पहले करने की प्रवृत्ति, बेरोक जाँच और अन्ततः आजाद होकर सोचने की प्रवृत्ति मर जायेगी। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं होने देना चाहती हैं।

आपका
कुलवीप नैयर

उनका जवाब जो उनके डाइरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी के मार्फत मिला, इस प्रकार था :

प्रिय श्री नैयर,

प्रधानमंत्री को आपका 16 जुलाई का पत्र मिला। पिछले साठे नौ साल में प्रधानमंत्री ने अपने बारे में झूठी और भ्रष्ट खबरें छपने पर भी कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इससे आलोचना के बारे में उनकी विलक्षण सहनशीलता का पता चलता है। पिछले हफ्तों में जो सेंसरशिप शुरू की गयी है वह किसी व्यक्ति या सरकार के प्रति संवेदनशील होने के कारण नहीं शुरू की गयी है, बल्कि इसलिए की गयी है कि कुछ समाचार-पत्र विपक्षीय मोर्चे के अभिन्न अंग बन गये हैं। जब इन दलों को राष्ट्रीय जीवन को तहस-नहस करने के अपने कार्यक्रम को चलाने से रोकना है तो यह स्वाभाविक है कि उनके प्रचार के प्रमुख साधनों पर भी रोक लगायी जाये जिससे वे उत्पात न करा सकें। समाचार-पत्रों पर रोक लगाने से निश्चय ही पिछले कुछ दिनों में स्थिति पर काबू पाया जा सका है। समाचारपत्रों की आजादी व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा है, जो हर मुल्क में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अस्थायी तौर पर कम कर दी जाती है।

इसके अलावा, कुल मिला कर हमारे समाचारपत्र अपनी आजादी के दुरुपयोग को रोकने में बहुत कारगर साबित नहीं हुए हैं और वे न गाली-गलौज भरे लेख रोक सके हैं, न झूठी खबरें फैलाना। आपने प्रेस-कौंसिल के और कुछ समाचारपत्रों के इसके-दुक्के काम गिनाये हैं। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि उनका दूसरा कारगर हुआ ?

जहाँ तक इसका संबंध है कि समाचारपत्र वालों को क्या छापना चाहिए जिसके बारे में आपने कहा कि यह निर्णय करना कठिन है, प्रधान-मंत्रीजी यही कहना चाहेंगी कि हर पत्रकार जिम्मेदारी से या तथ्यों को दृष्टि में रखकर इस बारे में फैसला नहीं करता।

आपका
एच० वाई० शारदा प्रसाद

शायद मेरे पत्र से आग भडक उठी थी जो पहले से ही सुलग रही थी। मैं इमरजेंसी

जाने पर अपना दुखड़ा रो चुके थे। हाल में मंत्रालय बदले जाने पर उन्होंने टेलीफोन पर मुझसे शिकायत के तौर पर कहा था कि मैं उनके सूचना और प्रसारण-मंत्री बनने पर उनको वधाई देने नहीं गया था।

श्री शुक्ल को मुझसे एक और शिकायत भी थी। मैं 29 जून को सभी स्थानीय समाचारपत्रों और न्यूज़-एजेंसियों के दफ्तरों में गया था और मैंने प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने का विरोध करने के लिए पत्रकारों से दूसरे दिन प्रेस-क्लब में इकट्ठे होने के लिए कहा था। वहाँ एक सौ से ज्यादा पत्रकार इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने मेरे रखे प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रस्ताव इस प्रकार था :

हम यहाँ एकत्र सभी पत्रकार सेंसरशिप लगाये जाने पर अपना खेद प्रकट करते हैं और सरकार से इसके तुरंत हटाये जाने की माँग करते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो भी पत्रकार नज़रबन्द किये जा चुके हैं उनको तुरंत रिहा कर दिया जायें।

मैंने इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण-मंत्री के पास भेज दिया था।

बाद में जब मैं श्री शुक्ल से मिला तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यह किया "वह प्रेम-पत्र कहाँ है, जिस पर कुछ पत्रकारों ने दस्तख़त किये हैं?" मैंने मज़ाक में

गार्धी के हरफनमौला
उनकी बदतमीजी से मु
में शिष्टता होती थी।
पर रोक लगा दी थी,
मंबंध मधुर बने रहे।

श्री शुक्ल ने मुझसे कहा कि मैं विदेशी पत्रकारों के साथ मेल-जोल रखता हूँ और उन्होंने लन्दन से निकालने वाले पत्र टाइम्स के पीटर हेज़लहूस्ट का खास तौर से नाम लिया। मैं आठ साल से टाइम्स का संवाददाता होने के नाते हेज़लहूस्ट को नज़दीक से जानता था। वह भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में हैं। उन्होंने 1971 में बांग्ला देश की सड़ाई में भारत का पक्ष लिया था। 26 जून को नयी दिल्ली पहुँचने ही वह मेरे घर आये और हम दोनों ने स्वतंत्र भारतीय पत्रकारिता की मोत पर दो-दो आँसू बहाये। शुक्लजी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा कि मैं पीटर से दोस्ती रखूँ। मैंने उनसे कहा था कि उनकी बात मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा।

1. बार में पीटर को भारत से बाहर निकाल दिया गया, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया और हवाई तर्के पर उनके सामान भी तलाशी ली गयी, जहाँ उन्हें टोकियो के लिए हवाई तहज़ीब पकड़ने के लिए सोनहू पटे इन्तबार करना पड़ा।

श्री शुक्ल ने तेज बोलते हुए कहा, "हम इन विदेशी पत्रकारों को ठिकाने लगाने जा रहे हैं; इन्हें बहुत लाड-प्यार मिल चुका है।" मुझे अनुमान था कि यू० एस० ए०, ब्रिटेन और यूरोप में इमरजेंसी के वारे में खराब प्रतिक्रिया होने से सरकार चिढ़ गयी है। विदेशी समाचारपत्रों ने ठीक ही भांप लिया था कि भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और श्रीमती गांधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आदेशों और संवैधानिक संशोधनों के कूड़े की टोकरी में फेंक रही है।

श्री शुक्ल की मेज पर विदेशी पत्र-पत्रिकाओं की बहुत-सी कतरनें पड़ी थीं। इनमें एक का शीर्षक, जो मैं पढ़ सकता था, इस प्रकार था : द एम्प्रेस टर्न्ट इम्पीरियस (महारानी मदान्ध हो गयी)। उसके नीचे पहली दो लाइनें इस प्रकार थी :

श्रीमती गांधी को हटाने के लिए अब एक और बहुत अच्छी वजह पैदा हो गयी है : इस वजह में वह सभी उपाय शामिल है जो वह अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिए अपना रही है। बृहस्पतिवार को उच्च कोर्ट के सैंकड़ों राजनीतिज्ञों और अपनी ही पार्टी के कुछ विरोधी सदस्यों को जेल में बन्द कर और समाचारपत्रों पर पाबन्दी लगाकर उन्होंने उन सभी कायदों को तोड़ डाला जिन पर भारत पिछले अट्ठाइस साल से चल रहा था।

जिस दिन मैं श्री शुक्ल से मिला था, उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस में मेरा साप्ताहिक लेख (तीन जुलाई को) प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक था : नाट एनफ्र मि० भुट्टो¹ (महाशय भुट्टो, अभी बाकी है)। यह भुट्टो और पाकिस्तान के वारे में था, जिसमें उनके शासन की तुलना फ्रील्ड मार्शल अय्यूब ख़ाँ के शासन से की गयी थी। मैंने लिखा था : "सबसे खराब बात यह है कि जनता का दमन बढ़ गया है। समाचारपत्रों की जवानों पर ताले लगाये जा रहे हैं और विपक्ष के वक्तव्यों को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि थोड़ी-सी भी आलोचना वर्दाशत नहीं की जाती।"

श्री शुक्ल का कहना था कि सरकार में वेदकूफ लोग नहीं हैं, कोई भी यह समझ सकता है कि यह लेख श्रीमती गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ लिखा गया है। निश्चय ही मेरा आशय भी यही था और सेंसरशिप से बचने का इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता मैं सोच भी नहीं सकता था।

मैंने अगले हफ्तो में दो और लेख लिखे। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वि-शत-वर्षीय समारोह के अवसर पर अमेरिका के इतिहास का सिंहावलोकन किया था और लिखा था : "जो लोकतंत्र का उपदेश देते थे उनके हाथ खून से सने हुए हैं। राष्ट्रपति निक्सन का निष्कासन मुक्त समाचारपत्रों और जन-भावना के प्रचार के कारण हुआ, हालाँकि उन्हें अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों की अपेक्षा अधिक संख्या में बहुमत मिला हुआ था।"

सत्रह जुलाई को छपे एक लेख का शीर्षक था : 'विद्यार्थियों के सामने च्नोतियाँ'। मैंने वाल्तेयर के इस कथन को उद्धृत करते हुए फिर अनयोक्ति की शैली अपनायी थी : "अभी कुछ ही दिन हुए कुछ प्रतिष्ठित लोगों में एक बहुत ही धिसे-पिटे और हलके विषय पर बहस हो रही थी कि कैसर, सिकन्दर, तैमूरलंग

1. प्रेस के साधनों के दुरुपयोग पर तैयार एक श्वेत-पत्र के अनुसार सरकार के प्रमुख सूचना अधिकारी को इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि "क्या इस प्रकार की टिप्पणियाँ छिपे धीरे से देश में मौजूदा हातात पर सरकार की आलोचना नहीं है?"

और फ्रामवेल में सबसे बड़ा आदमी कौन था ? किसी ने जवाब दिया कि निश्चय ही आइज़क न्यूटन सबसे बड़ा आदमी था, और उसका यह कहना ठीक ही था कि हम लोग उनकी ही आदर देते हैं जो तक से हमारे दिमाग को जीत लेते हैं, न कि उनको जो बल के आधार पर हमको गुलाम बना डालते हैं।" मैंने विद्यार्थियों को सलाह दी थी वह डॉक्टर बनें, इंजीनियर या प्रोफेसर बनें, लेकिन वह पत्रकार कभी भी न बनें।

मुझे इस स्तम्भ के लिए लिखना बन्द करना पड़ा था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के मालिकों को बताया गया था कि "कुलदीप नैयर का कोई भी लेख जिसे वह अपने नाम से या किसी छद्म नाम से लिखें आपके समाचारपत्र में सेंसर को जांच के लिए भेजे बिना प्रकाशित नहीं होना चाहिए।"

मैंने प्रेस-कौंसिल में एक सदस्य के नाते जो भाषण दिया था, उससे भी सरकार नाराज हो गयी थी। मैं प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने के खिलाफ कौंसिल से एक प्रस्ताव पास करवाना चाहता था। इस बैठक में सभी स्थानीय सदस्य शामिल हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि सेंसरशिप की आलोचना की जाये, हालांकि कुछ लोग सेंसरशिप से असंतुष्ट थे। मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हमारी भावी पीढ़ी प्रेस-कौंसिल की स्पष्ट बात न कहने के लिए निन्दा करेगी, क्योंकि उसकी स्थापना इसीलिए हुई है कि समाचार-पत्रों की आजादी की रक्षा की जाये। यह तक दिया जा रहा था कि प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी समाचारपत्र इसे नहीं छापेगा। मैंने उनसे कहा कि यहाँ सवाल प्रचार का नहीं, हम सबके विवेक का सवाल है। मेरे सारे भाषण की अक्षरशः सूचना सरकार को दे दी गयी थी।

मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि किसी वेरहम सरकार के हथियारखाने में 'आमुका' जैसा हथियार कितना शक्तिशाली होता है। मुझे याद आया कि किस प्रकार केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद ने निवारक नजरबन्दी कानून की अवधि के, जो खत्म होने वाली थी, बढ़ाये जाने का विरोध किया था, पर वह असफल रहा था। तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्दवल्लभ पंत के निवास-स्थान पर मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में सिर्फ ई० एम० एस० ने इसका विरोध किया था। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री विधानचन्द्र राय ने तो यहाँ तक कहा था कि ई० एम० एस० बरूचा है जो प्रशासन की जरूरतों को नहीं समझता, लेकिन नम्बूदिरिपाद अपनी बात पर श्री राय के उठकर चले जाने पर भी अड़े रहे। निवारक नजरबन्दी कानून की अवधि बढ़ाने का निर्णय तो ले लिया गया लेकिन ई० एम० एस० ने वहीं और उसी वक्त यह आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टी इस कठोर कानून का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी और उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं ही किया।

आमुका इससे भी ज्यादा खराब था। इसके तहत कोई आदमी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके खिलाफ जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो

1. मुझे बाद में पता चला कि प्रेस-कौंसिल के अध्यक्ष ग्यायमति आयर ने श्री मुवल को 13 अगस्त 1975 को लिखा था : "आपको याद होगा कि मैंने आपको यह बताया था कि कुछ सदस्य इमरजेंसी और सेंसरशिप पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाना चाहते हैं। मैंने दिल्ली-स्थित सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से बैठक की और मैंने उन्हें समझाया है कि यह न बरूरी है और न उचित ही है। वह लोग मेरी बात मान गये हैं। इसलिए जो बैठक बुलायी जा रही है, वह विषय-सूची में शामिल नहीं रहेगी।"

सकती थी वह संशोधन विधेयक लाकर ख़त्म कर दी गयी थी। कोई भी आदमी नज़रबन्दी को चुनौती नहीं दे सकता था। इस संशोधन के बारे में बहुत-से मंत्रियों को तब मालूम हुआ जब उसे संसद में पेश किया गया।

इस विधेयक का अनुमोदन मंत्रिमंडल की राजनीति विषयक समिति कर चुकी थी, जिसके सदस्य श्रीमती गांधी, जगजीवनराम, चह्लान, स्वर्णसिंह और ब्रह्मानन्द रेड्डी थे। राज्यों से, जिनका इस विषय से सीधा संबंध था, कोई भी राय नहीं ली गयी थी (कानून और व्यवस्था राज्यों की विषय सूची में आती है)। पहले ऐसे सभी मामलों में, तिवारक नज़रबन्दी कानून और 'आंसुका' के मामले में भी, मुख्यमंत्रियों से पहले ही सलाह-मशविरा कर लिया जाता था।

विरोधी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। उनका शक वेवुनियाने नही था, क्योंकि आंसुका को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। जब इस विधेयक को पहले-महल कानून का रूप दिया गया था तब यह दलील दी गयी थी कि मामूली कानूनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि रेल के डिब्बों को लूटने वालों या छाने-पीने की ज़रूरी चीज़ों की जमाखोरी करने वालों की ठीक तरीके से धर-पकड़ की जा सके और उन्हें दंड दिया जा सके। बहुत-से लोगों ने विशेषाधिकार द्वारा शासन करने की सरकार की प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज़ उठायी थी, लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इसका इस्तेमाल चोरों, उचककों और काला बाज़ार करने वालों के खिलाफ ही किया जायेगा।

यह आश्वासन कि इसका बुरी नीयत से इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, झूठा था। मैं उस समय संसद में प्रेस गैलरी में था जब गृह-राज्य-मंत्री ने यह कहा था कि आंसुका तस्करों और समाज-विरोधी तत्वों के लिए है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया जायेगा। और आज यहाँ मैं गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा हूँ कि मैंने प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ जो विरोध किया उसमें मैं नाकामयाब रहा।

एक बेचैनी-सी हो रही थी कि असहनशीलता दिन-भर-दिन बढ़ती जा रही है। जो लोग सहमत नहीं ब्यक्त करते उनको गिरफ्तार किया जा रहा था और विरोधी पार्टियों को सताया जा रहा था। ऐसी घटनाएँ बराबर होती जा रही थी जहाँ हमारी आज़ादी को कुचला जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि संसद में

पढ़ने की आज़ादी आदि। इन अधिकारों की बुनियाद सार्वजनिक सिद्धांत होते हैं, जिनको कोई भी सरकार, कोई भी बहुमत नहीं भंग कर सकता। इनमें कोई भी फेर-बदल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मनुष्य के ऐसे अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बिना मुकदमा चलाये आदमियों को नज़रबन्द करना, जिसके खिलाफ़ खुद कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों के शासनकाल में लड़ाई लड़ी थी, इन अधिकारों की जड़ पर कुठाराघात था। इस दक्ति के मिलने से नादिर-शाही के लिए जैसे दरवाज़े खुल गये।

मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रीमती गांधी इमरजेसी लागू करने जैसा कोई कठोर कदम उठायेगी। असल में, दौरे पर आया हुआ एक अंग्रेज़ पत्रकार मुझसे मेरे दफ्तर में दो दिन ही पहले मिला था और उसने पूछा था कि अगर श्रीमती गांधी यह ताकत ले ले तो इस पर लोगो की प्रतिक्रिया क्या होगी।

मैंने पूछा कि 'ताकत लेने' से उसका आशय क्या है तो उसने कहा, "यही शासन-व्यवस्था में एक तरह से अचानक परिवर्तन।" मैंने उसकी बात मानने से इकार कर दिया। मेरी दलील यह थी कि भारत के निवासी तानाशाही को किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, अगर किसी ने तानाशाही लाने की कोशिश की तो विद्रोह हो जायेगा। जिस जनता ने आजादी के आंदोलन के दौरान बड़ी-से-बड़ी कुर्बानियाँ की हैं उसमें एक-दलीय शासन-पद्धति के खिलाफ भी लड़ने की ताकत है और साहस भी। कांग्रेस ने एक ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भंडा बुलन्द किया था; अगर किसी ने अन्दर से ही भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की तो कांग्रेस और अधिक जोश और ताकत से उसके खिलाफ भंडा उठायेगी।

मुझे यह विलकुल भी अन्दाज़ नहीं था कि चार दिन के अंदर मेरे शब्द भूटे साबित हो जायेंगे। इमरजेंसी लागू होने के दो दिन बाद वही अंग्रेज पत्रकार कमेरे में आया और खड़ा हो मेरी ओर निहारता रहा। वह कुछ नहीं बोला, उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। अंत में उसने पूछा, "तुम्हारे पास इसके लिए क्या जवाब है?" मैंने कहा "सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम।" वह मुझे अब ज्यादा लज्जित नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चला गया। लेकिन वह वाज़ी जीत गया था। लोकतंत्र के प्रति मुझे अपने देश और देशवासियों के विश्वास के बारे में जरूरत से ज्यादा गर्व था।

निश्चय ही जिन संस्थाओं ने लोकतंत्र को बनाये रखा है उन्हें काफ़ी असें से कमज़ोर किया जा रहा था। लोगों को पहले तो डर महसूस हुआ, लेकिन बाद में वे सरकार के मनमाने कार्यों और सनक के आदी हो गये थे। शुरू में विरोध था, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये यह विरोध हलका होता गया। "जब कोई नहीं बोलता तो मैं ही क्यों बोलूँ" ही एक सामान्य नीति बन गयी। हर आदमी ने अपना बचाव करना ज्यादा ठीक समझा, हालाँकि हम सब जानते थे कि बुरा हो रहा है। आलोचकों का मुँह बंद करने के लिए सरकार ने एक शब्द गढ़ लिया था—प्रति-बद्धता। इसकी कमी समाज के हरक्षेत्र में—जहाँ, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों, व्यापारियों और उन सब में पायी जाने लगी जो प्रशासन से सहमत नहीं थे।

इसका असली आशय यह था कि अगर कोई श्रीमती गांधी का समर्थन नहीं करता, चाहे भले ही वह गलती पर हो, तो वह प्रतिबद्ध नहीं था। हालाँकि प्रतिबद्धता की प्रमुख कसौटी 'प्रगतिशीलता' और 'धर्मनिरपेक्षता' होनी चाहिए थी, लेकिन यह बात गौण हो गयी। कोई चाहे जैसा भी हो उसे श्रीमती गांधी का समर्थक होना ही चाहिए था।

बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। हाँ में हाँ मिलाने का एक अजीब वातावरण पैदा किया गया। अगर आप प्रतिबद्ध नहीं हैं तो आपको अपने पद से हटाया जाना चाहिए या आपको "फालतू" बना देना चाहिए।

जब गुप्तरीम कोर्ट के तीन सीनियर जजों—डेल्ट, हेगडे और प्रोवर का अधिलंघन कर ए० एन० रे को भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया तब यही दलील दी गयी कि ये जज पर्याप्त रूप से 'प्रतिबद्ध' नहीं हैं। इसका मतलब यह था कि ये जज पर्याप्त रूप से पक्षपात-पूर्ण नहीं थे और जब कभी श्रीमती गांधी की चुनाव-याचिका सुप्रीम कोर्ट में आयेगी तब ये जज उनका पक्ष नहीं लेंगे। जब इन जजों का अधिलंघन किया गया तब कुछ विरोध जरूर हुआ था, लेकिन बहुत ही हलका-सा। बहुत-से पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों ने यह सोच कर सतोप

कर लिया कि इन जजों का अधिलंघन देश की प्रगति के लिए किया गया है।

जजों की तरह सरकारी कर्मचारियों को भी "प्रतिबद्ध" करना था। उनको कोठी (श्रीमती गांधी की कोठी) का हुक्म मानना जरूरी था, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि जिसने हुक्म दिया वह संजय गांधी है या आर० के० धवन। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को खुश करने की नीयत से आलोचकों को सताने के लिए ऐसे बहुत-से काम करने शुरू कर दिये जो उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर थे। कुछ ने इसका फायदा बिना पारी की पदोन्नति या वेतन-वृद्धि लेकर उठ या और कुछ को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्ति मिल गयी।

श्रीमती गांधी ने खुद कहा था कि मुझे 'प्रतिबद्ध' कर्मचारी चाहिए; इस टिप्पणी को बड़े-से-बड़े सरकारी अधिकारी ने बुद्धिसंगत समझा और इसका कोई विरोध नहीं किया।

पत्रकार भी अपवाद नहीं थे। उनकी व्यावसायिक योग्यता इस बात से ना तो जाती थी कि वह किस हद तक 'प्रतिबद्ध' है। जो इस आदर्श को मानकर नहीं चले रहे थे उनके प्रति भेदभाव किया जाता था। श्रीमती गांधी के सचिव पी० एन० हक्सर 'प्रतिबद्ध' पत्रकारों की विशेष बैठक बुलाते थे। वकील पत्रकार इसका विरोध करने के बजाय 'इन चूनीदा पत्रकारों' से मिलना पसन्द करते थे।

स्वाभाविक है कि जब न्यायतंत्र, सरकारी कर्मचारी और समाचारपत्र 'प्रतिबद्ध' बनना चाहते हों तब न कोई आजादी थी, न असहमति और न कोई विरोध। लोकतंत्र मुरझाना शुरू हो गया था। हर मुल्क में विशिष्ट वर्ग रास्ता दिखाता है—और विशिष्ट वर्ग इन्हीं तीन वर्ग के लोगों से बनता है। लोगों के विचार बदल गये थे, वे अपने को समय के अनुकूल बनाने लगे थे।

कोई सिर उठाता तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, यहाँ तक कि भला-बुरा भी कहा जाता था। ऐसे में मूल्यांकी चर्चा करना बेवकूफी का काम था और मूल्यांकी से चिपके रहना तो उससे भी बड़ी बेवकूफी थी।

स्थिति का मूल्यांकन करने में मैंने गलती यह की थी मैंने सोचा था कि जनता विरोध करेगी, जब जनता यह देखेगी कि वह संस्थाएँ, जिन्हें उसने पाला-पोसा है, नष्ट की जा रही है तो वह उठ खड़े होगी।

बहरहाल अब तो मैं इन दो पुलिस वालों के साथ, जो मेरे पास खड़े थे, घर छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन मेरी वहनों और दूसरे लोग देर लगा रहे थे। मैंने अपने पहली मंजिल वाले घर से बाहर उस सड़क की ओर देखा, जो उस अर्ध-चन्द्राकार स्थान तक आती थी जहाँ हम लोग रहते थे। चारों तरफ खामोशी थी। एक भारी-भरकम पुलिस का सिपाही हाथ में लाठी लिये रास्ता रोककर खड़ा था और वहाँ पर कुछ और लोग भी जमा थे जो स्पष्ट ही साधारण पोशाक में पुलिस बाने थे। इनमें से एक को तो मैंने पहचान लिया था—इसे पिछली रात मैंने गेट की धुंधली रोशनी में कोई अखबार पढ़ते देखा था।

मेरे 'पापो' की सरकारी फेडरिस्त लम्बी और ब्योरेवार थी : "श्री कुलदीप नैयर ने गैर-कम्यूनिस्ट पार्टियों के आंदोलनों को, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, लगातार समर्थन दिया है। इन आंदोलनों का उद्देश्य कानूनी और संवैधानिक तौर से स्थापित सरकार को उलटना है। इन्होंने इस आंदोलन के लिए छिपे तौर पर अनेक कार्यकर्ताओं में पर्याप्त भाग लिया है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है :

(1) श्री कुलदीप नैयर जामा मस्जिद के इमाम श्री सयद अब्दुल्ला बुखारी

से 28 फरवरी 1975 को मिले और उनसे गैर-सी० पी० आई० पार्टियों द्वारा वोट वनब पर 6 मार्च 1975 को आयोजित रैली में मुसलमान वास्तविकियों को ज्यादा-से-ब्यादा तादाद में भेजने को कहा, ताकि जामा मस्जिद के इमामत के मसले में जो मुसलमानों से संबंधित सिर्फ एक धार्मिक समस्या थी, सरकार द्वारा तथाकथित दखलन्दाजी किये जाने पर मुसलमानों की शिकायतों और असन्तोष को विशेष रूप से व्यक्त किया जा सके।

(2) श्री कुलदीप नैयर ने कांग्रेस (संगठन) की कार्य-समिति की 3 अप्रैल 1975 को जन्तर-मन्तर में हुई बैठक (15/16) में चर्चा में भाग लिया, जो वह पत्रकार की हैसियत से नहीं कर सकते थे। इस समिति ने गुजरात विधान-सभा के चुनाव कराने पर और देश में इमरजेंसी को उठा लेने पर जोर देने के लिए अनिश्चित काल के लिए मोरारजी देसाई द्वारा 7 अप्रैल 1975 से अनशन शुरू करने के निर्णय का पुरजोर समर्थन किया।

(3) उन्होंने कांग्रेस (संगठन), अकाली दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जन संघ और सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों में भाग लिया जो 21 और 22 जून 1975 को हुई थी। इस बैठक में इलाहाबाद हाई-कोर्ट का फैसला होने पर प्रधानमंत्री के रवैये और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों पर चिन्ता व्यक्त की थी। वह निर्णय लिया गया था कि इस मसले पर जनता से एकजुट हो आंदोलन और सत्याग्रह करने की अपील की जाये और जनमत को आर्जित किया जाये। श्री कुलदीप नैयर के बारे में यह सूचना मिली है कि उन्होंने समिति को यह विश्वास दिलाया था कि वह पत्रकारों में अपने प्रभाव के द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अपील का प्रेस द्वारा अधिकाधिक प्रचार हो।

(4) उन्होंने यू० पी०-निवास में 22 जून 1975 को आयोजित गैर-सी० पी० आई० विरोधी पार्टियों की (20/22) बैठक में दुबारा भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर करने और मौजूदा सरकार को उलटने के लिए देश-ब्यापी, सविनय, अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाये और इस काम के लिए मोरारजी की अध्यक्षता में लोक संघर्ष समिति की स्थापना की जाये, जिसके कोषाध्यक्ष और मंत्री क्रमशः अशोक मेहता और नानाजी देशमुख होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की सशस्त्र सेनाओं से विद्रोह करने की अपील की जाये। गृहमंत्री को खलकर चुनौती दी जायेगी कि वह वग़ावत के लिए जे० पी० पर मुकदमा चलायें। छात्रों से यह कहा जायेगा कि वह अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाये। श्री कुलदीप नैयर के बारे में यह सूचना मिली है कि उन्होंने इस बैठक में भाग लेने वालों को फिर यह विश्वास दिलाया कि वह पत्रकारों में अपने प्रभाव का पूरा-पूरा उपयोग कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्णयों तथा रैली में किये गये संबोधन का व्यापक रूप में प्रचार हो

1. पार्लियामेंट में भारत के राजदूत त्रिनिकोनाथ शीत ने कहा कि उन्हें इन आरोपों के ध्योरो की कोई जानकारी नहीं है। राजदूत ने कहा, "मैं नैयर को जानता हूँ। वह मेरे दोस्त हैं। उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने कुछ खबरे विदेशों में छिपा कर भेजी हैं जो कानून का उल्लंघन हैं।"

(श्रीमती गांधी को भेजे गये एक बेल में सदन के 'ट्रांसक्रिप्ट' ने बताया कि "नैयर ने ट्रांसक्रिप्ट को कोई ऐसी खबरें नहीं भेजी हैं जो भारतीय संसद-सिप का पालन नहीं करती हैं; हमने भी उनसे नहीं कहा है कि वह ऐसा करें।")

सके और राष्ट्र के सभी पक्षों में अपने पत्रकार साथियों से अनुकूल सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखवायेंगे।

“जब से इमरजेंसी की घोषणा हुई है तभी से श्री कुलदीप नैयर गुप्त सूत्रों के द्वारा भूमिगत नेताओं, जैसे नानाजी देशमुख, एम० एल० सोंधी, एम० एल० खुराना आदि, से सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे मौजूदा सरकार के खिलाफ भूमिगत आंदोलन का संगठन होता रहे। यह पता चला है कि उन्होंने शहरों और गाँवों में हर मुहल्ले में गुप्त समितियाँ बनाने, आकाशवाणी और टी० वी० की खबरों को झूठा ठहराने के लिए अफवाह उड़ाने और नजरबन्द राजनीतिक नेताओं पर अत्याचार की कहानियों और देश के विभिन्न भागों में जोरदार प्रदर्शनों की खबरों का प्रचार करने के लिए छिपे-तौर पर पैम्फलेट निकालने की राय दी थी।”¹

मुझे बताया गया कि इस बात के लिए खास तौर से एह्तियात बरतने का आदेश दिया गया था कि मैं भूमिगत न हो जाऊँ। लगता है, सरकार को मेरी क्षमता के बारे में मुझसे ज्यादा पता था।

मैं अपनी बहन की पुरानी परिचित नीले रंग की फ़ायट कार का इंतज़ार कर रहा था। वह चन्द्राकार सड़क पर मोड़ लेकर आती दिखायी दी। मैंने अपना हैंड-बैग उठाया और पुलिस की निगरानी में सीढ़ियों से उतर कर सड़क पर आ गया।

मेरी माँ बीमारी से हाथ-पैरों के बराबर हिलते रहने के कारण गाड़ी में रह गयीं, लेकिन मेरी बहन, पिता और ससुर मेरे पास आ गये और उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। मेरे पिता रो रहे थे, लेकिन मेरे ससुर, जो अंग्रेज़ों के ब्रह्माने में वर्षों तक जेलो में रहे थे, शान्त थे। उन्होंने मज़ाक करते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि मैं ही सबसे पहले गिरफ्तार होऊँगा। उन्होंने कहा, “मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आता हूँ, क्योंकि मैंने भी उनको एक बिट्टी लिखी है।”²

मेरी माँ की आँखों में कोई भी आँसू नहीं था। उन्होंने कहा, “मैं क्यों रोऊँ?” उन्हें इस बात का गर्व था कि उनका बेटा एक उसूल के लिए जेल जा रहा है। मैं अपने को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे ढाँड़स दिलाया, “हम लोगों की फ़िक्र मत करो। हम विलकुल ठीक रहेंगे और तेरी वापसी का इन्तज़ार करेंगे।” मेरी बहन राज ने कहा, “तुम अब नेता हो।” उसकी आँखें गीली थी। भारती ने अपना मुँह छिपा लिया। जैसे ही मैं पुलिस की जीप में बैठा, राजू धाड़

1. शाह कमीशन के सामने जिला-मैजिस्ट्रेट मुशीलकुमार ने बताया कि नैयर को गिरफ्तार करने के आदेश प्रधानमंत्री के निवास-स्वान से उन्हें उप-राज्यपाल के सचिव नवीन चावला की भाषण मिले। जिस पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने मुझे गिरफ्तार किया उसने यह बताया कि नैयर को गिरफ्तार करने के लिए आरोप उनको गिरफ्तार करने के दो या तीन दिन बाद तैयार किये गये थे। यह आरोप के० एस० बाजवा, एस० पी० (सी० आई० डी०) की सूचना के आधार पर तैयार किये गये थे जो उन्होंने उसे दी थी। बाजवा ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई सूचना दी थी। पी० एस० भिडर ने गवाही देते हुए बताया कि उन्हें नैयर को गिरफ्तारी का पता के० डी० नैयर. एस० पी० से चला। उन्होंने एक यही काम किया कि उन्होंने अफसरों से कहा कि वह कुलदीप नैयर को ‘उचित सम्मान’ दें, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ पत्रकार हैं।

इस मामले में भी किशनचन्द ने ‘महान प्रधानमंत्री’ के हुकुम का ‘सिर्फ पालन’ किया। किशनचन्द ने कहा कि वह मेरी गिरफ्तारी से खुश नहीं थे, क्योंकि वह मुझे जानते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हें बताया कि श्रीमती गांधी “उन्हें (नैयर को) गिरफ्तार किये जाने पर तुली हुई हैं।”

2. इन पत्र में जो कुछ लिखा गया था वह इस पुस्तक में आगे उद्धृत है।

मार कर रो पड़ा। लेकिन इस चरम सीमा के बाद इसके उतार जैसी स्थिति भी आयी। जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसकी बैटरी कमजोर थी और इंजन में जान डालने के लिए इसे धक्का लगाना पड़ा।

मुहब्बत करता था और जिनको मुझे डूबते चाँद की पृष्ठभूमि में मकान पर छोड़ना पड़ा था। मेरी आँखों में आँसू छलछला रहे थे। बहुत-से हाथों ने मुझे विदाई दी और जैसे ही जीप ने मोड़ लिया, मेरी आँखों से वह सब ओझल हो गये।

मुहल्ले में सब लोग अभी भी सोये हुए थे। बहुत-से गेटों पर चौकीदार घूमते हुए नजर आ रहे थे। तड़का होकर ही चुका था। जो लोग सड़को पर थे वह कौतुकवश जीप को देखने लगे। पिजरानुमा एक बस पास से निकल गयी जिसमें बच्चे शोर कर रहे थे। कुछ देर के बाद जीप डिप्लोमेटिक पुलिस-स्टेशन में आ गयी। मैंने इसे सड़क से अपनी गाड़ी से कई बार देखा था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ क़ैदी बनकर आऊँगा।

एस० एच० ओ० ने मुझसे कहा कि अब मुझे तिहाड़ जेल ले जायेगा, जिसमें अभी कुछ देर लगेगी और इसलिए मैं उसके कमरे में ही रहूँ। मैं दर्शक के रूप में इस जेल में एक बार गया था, नहीं आ रहा था कि यह जेल कै-

...ते हुए अपना नाम बरार एकेडमी से आया था। इमजैसी लागू होते ही इन सबको जल्दी-जल्दी नियुक्ति दे दी गयी थी और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ करने के लिए छास-छास पुलिस-स्टेशनों का चार्ज दे दिया गया था।

“आप जानते है है।” बरार ने कहा, भी नहीं किया था कि यह भेंट इस तरह से होगी।” मैंने यह कहकर उसको और ज्यादा बोलने से रोक दिया, “ठीक है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है चाहे वह कितना ही अप्रिय क्यों न हो।”

“नहीं, यह मेरे विवेक को कचोटता रहेगा,” वह बोला, “मैंने एक बेगुनाह आदमी को गिरफ्तार किया है।” वह आगे और कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसको आँखें डबडबा आयी थीं और वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया।

मैं उससे मिलकर उदास हो गया। पुलिस में काम करने के लिए वह बहुत सुकोमल और मानवीय था। या हो सकता है कि मेरी यह धारणा कि पुलिस का लाठीधारी आदमी दयाशून्य होता है, गलत रही हो।

मैं बहुत देर तक अकेला बैठा रहा और कटिदार छिड़की से जितना देखा सकता था, बाहर की दुनिया देखता रहा। मैंने एक स्त्री को देखा जो एक लड़की के बाल सँवार रही थी, शामद वह माँ-बेटी थी। वह लोग कितने निश्चिन्त और खुश थे! मैं कैंद में होने के कारण यह महमूम करने लगा था कि मैं सताया जा रहा हूँ। पास में किसी का तेज़ रेडियो बज रहा था और मैं सोचने लगा कि अब हफ्तों, महीनों और कई साल तक संगीत सुनने को नहीं मिलेगा।

वरार मुझे यह बताने आया कि अब चलना चाहिए। मैं उसके साथ हो लिया। वह बोला कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकार में ऊँचे अधिकारियों ने मेरे बारे में यह सोचा था कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश करूँगा। किसी नैयर नाम के पुलिस-मुपरिटेडेड को, जिसे मुझे वारंट देने का काम सौपा गया था, यह बतावनी दी गयी थी कि अगर मैं गिरफ्तारी से बच निकला तो उसकी जिम्मेदारी होगी। यह शक किया गया था कि एक नैयर दूसरे नैयर को पेशगी खबर भिजवा देगा। मैंने उसे कभी देखा नहीं था और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उससे मिला भी नहीं था।

वरार ने मुझे गले मिलकर विदा किया। उसने एक बार फिर कहा कि सारी जिन्दगी उसका विवेक उसे कचोटता रहेगा कि उसने मुझ जैसे आदमी को गिरफ्तार किया है और मैंने फिर देखा कि वह अपने आँसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। एस०एच०ओ० पुराना पका हुआ आदमी था। जब वह मुझे देख रहा था तब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।

जीप फिर ठंडी पड़ गयी थी। इस बार थाने के आदमियों ने धक्का देने में मदद की और जल्दी ही हम लोग चल पड़े। तिहाड़ जाने वाली सड़क पर लोगों का आना-जाना शुरू हो रहा था। सरदार पटेल मार्ग पर खुले और बड़े-बड़े बँगलों में लोग जाग गये थे और पार्कों में कुछ बच्चे अपनी 'आयाओ' के साथ खेल रहे थे। हम इस रईस मुहल्ले को छोड़ ज्यों ही आगे बढ़े, हमने आगे काफी चहल-पहल देखी। गरीब लोगों के लिए दिन जल्दी शुरू हो जाता है। सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी।

जीप रेल के फाटक के पास आकर फिर रुक गयी। जेल अब बहुत दूर नहीं थी। इस बार धक्का लगाने पर भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। हमने सोचा कि अब बाक़ी रास्ता पैदल चलकर पूरा करना पड़ेगा। तभी कँदियों की एक गाड़ी, जिसमें कुछ अपराधी बन्द थे, पास से निकली। हमको देखकर वह रुक गयी। मेरे साथ जो सिपाही थे, वह मुझे उसमें ले गये। मेरे सामने एक कँदी बैठा था, उसके हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में बड़ी पड़ी हुई थी। वह पहले तो मुझे नजर बचाकर देखने लगा जैसे वह मुझे लज्जित नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में वह सीधी नजरों से देखने लगा। सारे रास्ते हम एक-दूसरे से कुछ भी नहीं बोले, लेकिन हम दोनों एक अजीब संबंध से बँधे जा रहे थे; हम लोग दोनों कँदी थे।

जेल की गाड़ी भारी पत्थरों की दीवाल के पास एक विशालकाय लोहे के दरवाजे पर आकर रुक गयी। इस किलानुमा इमारत के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। मैं ताज्जुब करने लगा। सभी सरकारी इमारतों पर तो यह नहीं फहराता, फिर यहाँ ही क्यों? यह झंडा शायद सत्ता का प्रतीक था। जो लोग इस जेल में

1. मेरी गिरफ्तारी के बारे में जो रिपोर्ट उसने तैयार की थी उसमें लिखा था : "श्री कुलदीप नैयर एस० डी० एम० नई दिल्ली से मिले वारंट के आधार पर 24 जुलाई 1975 को मीठा के तहत तजरबन्द किये गये। उनको तजरबन्द करने के लिए आरोपी को बाद में स्पेशल थ्रॉ से मिली सूचना के आधार पर तैयार किया गया और उन पर पुरानी तारीख डालकर ए० डी० एम० : करने के आदेश डी० आ : पहले श्री कुलदीप नैयर : आई० डी० और स्थानीय पुलिस द्वारा निगरानी रखी गयी। श्री कुलदीप नैयर को गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी करते समय मुझे यह बताया गया कि प्रधानमंत्री को कोठी में लाना यही चाहते हैं।"

बन्द है उन्हें तो कैद में रोजाना, महीनों और सालों हर घड़ी सत्ता का बोझ झेलना होगा, फिर भी उनको सत्ता के अस्तित्व की याद दिलाना जरूरी है।

पुलिस के जो सिपाही मुझे अपने साथ लाये थे उन्होंने फाटक खटखटाया। उस फाटक में एक छोटा-सा दरवाजा खुला और किसी ने बाहर झाँक कर देखा।

दस्तखत किये गये। मुझमें और अन्य कैदियों में कोई फर्क नहीं था—हम सभी 'सिपुर्द' कर दिये गये। मैं इस छोटे दरवाजे में झुककर घुसा जिससे मेरा सिर न टकरा जाये। मुझे बताया गया कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी या अफसर यहाँ दौरा करने आता है तभी यह फाटक पूरा खुलता है; बाकी लोगो को इसी छोटे और तंग दरवाजे से आना-जाना होता है, ताकि अपराधियों को यह जानकारी ही जाये कि इसमें घुसना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल इससे बाहर निकलना है।

मैं एक मैले-कुचैले आदमी को सौंप दिया गया। इस आदमी ने धारीदार पाजामा और कमीज पहनी हुई थी और इसके सिर पर एक सूती टोपी थी। मुझे बाद में पता चला कि इसे कई साल की कैद मिली हुई है और कैद के कुछ साल काटने के बाद उसमें अब 'अदेली' का काम लिया जा रहा है। कैदियों को उनके काम और व्यवहार के आधार पर जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है। आम तौर पर यह 'पदोन्नति' जेल में तीन साल बिताने के बाद होती है।

जेल-सुपरिंटेंडेंट मुझसे मिलना चाहता था। मुझे यह बताया गया कि कैदी के लिए यह बड़ी इज्जत की बात होती है। मुझे उसके दफ्तर के बाहर लकड़ी के एक स्टूल पर बैठने को कहा गया। लेकिन उसने मुझे तुरंत अन्दर बुला लिया—मुझे एक कुर्सी दी गयी; वह भी कैदी के लिए इज्जत की बात थी।

"मैं जानता था कि आप जल्दी ही यहाँ आयेंगे।" उसने मुझे बताया। "मैं आप के लेखों को पढ़ता रहता हूँ। मुझे आपके नज़रबन्द किये जाने की खबर कल टेलीफोन पर मिली थी।" ऐसा लगता था कि उसको इस तरह के कई टेलीफोन आते रहते थे। उसकी मेज़ पर टेलीफोन की घंटी अक्सर बज उठती थी। मैं इससे यह जान रहा था कि उसे इस तरह उन लोगों के बारे में बताया जाता था जो उसके यहाँ भेजे जायेंगे। जेल-सुपरिंटेंडेंट परेशान-सा नज़र आता था—वह यात्रियों की भीड़ आने पर फाइव स्टार होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह परेशान था। "मैं इतने आदमियों को कहाँ रखूँगा? सारी जगह भर गयी है।" वह चिढ़कर मुझसे बोला। लेकिन होटल पर रिजर्वेशन के काउंटर पर बैठे आदमी की तरह वह यह नहीं कह सकता था कि 'जगह नहीं है'।

मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन वह मुझसे ऐसे मिला जैसे वह मेरा वर्षों पुराना दोस्त हो। वह मुझसे यह बताना चाह रहा था कि वह सहानुभूति रखता है और वह, अगर उसके वश में हो तो, नागरिक अधिकारों के खतम किये जाने के लिए विरोध भी कर सकता है।

जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें वह मेरे प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण महसूस कर रहा था और लग रहा था कि ज्यादाती हुई है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या मैं टेलीफोन कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार को टेलीफोन कर उन्हें बचपने में डाल दूँगा कि मैं बच गया हूँ। लेकिन उसने मुझे समझाया कि यह

कानून के खिलाफ है कि कोई कैदी टेलीफोन का इस्तेमाल करे। पहले तो वह नरमी से और उसके बाद सख्ती से बोला : “आज से बगैर हमारी इजाजत आप बाहर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे।” मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। जाहिरा तौर पर बराबरी की बातचीत के बाद वह मुझे मेरी हैसियत बता देना चाहता था—मैं एक कैदी था और वह मेरा जेलर।

मैंने अपनी हैसियत स्वीकार कर ली, यह देखकर वह खुश लग रहा था ! लेकिन इसके बाद के दो घंटे बड़ी मुश्किल से बीते। मुझे उसकी उर्दू की कुछ नज़मों को दाद देते हुए सुनना पड़ा। उसने बताया कि यह नज़मों उसकी खुद की लिखी हुई है।

तब तक एक टेलीफोन आ गया, जो ज्यादा महत्वपूर्ण था और मुझे इस जेल-सुपरिटेण्डेंट से छुटकारा मिला। उसने एक दूसरे अर्दली को बुलाया जो घारीदार पाजामा-कमीज़ पहने था और मुझे वाई में ले जाने को कहा। उसने डपट कर कहा, “देखो, नय़र साहब को कोई तकलीफ नहीं होने पाये।”¹

इस आदमी ने मेरा हैडबैग उठाया और सीधा चल पड़ा, वह कैदियों की भीड़ को छांटता हुआ मेरे लिए रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। उनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी और जिस तरह से वे हथकड़ियों को देख रहे थे उससे लगता था कि यह उनके लिए एक नयी बात थी—जैसे मेरे लिए मेरी गिरफ्तारी।

जेल के भीतरी भाग की सुरक्षा के लिए एक और भारी और बड़ा दरवाज़ा था। इस अर्दली ने इस पर दस्तक देते हुए कहा, “कोई आदमी यहाँ से बचकर नहीं निकल सका है।”

मुझे एक बार फिर इस तंग दरवाज़े में झुककर निकलना पड़ा। और उसके बाद अन्दर जाने पर मैंने कई वाई देखे, जिनके अलग-अलग तोहे के दरवाज़े थे। “यहाँ अठारह वाई है,” अर्दली ने कहा। मैंने देखा कि अन्दर कई बुजियाँ हैं। जब मैं इन बुजियों की ओर देख रहा था तो मेरे इस साथी ने बताया कि इन बुजियों पर चौबीसों घंटे पुलिस के सिपाही मशीनगन लिये हुए पहरा देते रहते हैं। “कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सका है,” उसने फिर दुहराया, जैसे उसे यह शक हो रहा था कि मैं जेल तोड़कर भाग निकलने की सोच रहा हूँ।

कुछ और आगे चलने के बाद अर्दली रुक गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, “यह जनानियो का वाई है... यहाँ चन्द्रेश शर्मा रहती है,” और उसकी हँसी फूट पड़ी। यह नाम तो जाना-पहचाना था; इसके बारे में यह आरोप था कि इसने आंखों के मशहूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एन० एस० जैन की बीबी को मरवाने की साज़िश की थी और डॉक्टर के बारे में यह कहा गया था कि इसने अपनी बीबी का खून किया था जिससे वह श्रीमती शर्मा के साथ रह सके। “वह देखने में कैसी है ?” मैंने पूछा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह मुझसे कुछ सुनना चाहता था—शायद वह हर नये कैदी से, जिसे यहाँ लाता था, यही बात करता था। “मैं उसके लिए किसी का खून नहीं करूँगा,” उसने हँसकर जवाब दिया—शायद यही जवाब वह हमेशा देता था।

यह अर्दली मुझे लोहे के एक दूसरे दरवाज़े की ओर ले गया और बोला, “यह आपका वाई है।”

1. बाद में जब मैंने दूसरे नज़रबंदों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि उसने ऐसी ही बात हर किसी से कही थी।

मैं खाकी कपड़े पहने एक वार्डर को सौंप दिया गया। वह कामकाजी लगता था, उसने पहले तो मेरी ओर बाद मे मेरे हैंडबैग की तलाशी ली। उसने पाजामो में लगे कमरबन्दो को जब्त करना चाहा, लेकिन वह बाद में नरम पड़ गया— शायद वह यह समझ गया कि मैं इन कमरबन्दों का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए नहीं करूँगा।

जेल में

मुझे टीन की एक चम्मच और टीन का एक कटोरा और छोटी-छोटी दरियों के कुछ टुकड़े विस्तर के लिए दिये गये और बैरकों की ओर ले जाया गया।

वहाँ पर लगभग पन्द्रह-बीस आदमी थे। मुझे आते ही उन्होंने घेर लिया। इनमें से बहुत-से लोग मुझे मेरी रचनाओं की वजह से जानते थे और उन्हें यह जानने की लालसा थी कि बाहर दुनिया में—उस दुनिया में जिससे वह अलग कर दिये गये हैं—क्या हो रहा है। किस तरह का आंदोलन चल रहा है? क्या बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए हैं?

वह इस बात पर आश्वस्त-से लगते थे कि विद्रोह का झंडा ऊँचा है। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि बाहर सिर्फ श्मशान की शान्ति है—आजादी खून का एक वूँद भी गिराये बिना मर चुकी है। बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं? जब मैंने यह स्पष्ट बताया कि वे तो पहले ही मर चुके हैं तो सन्नाटा छा गया।

तभी किसी ने गुस्से में भर कर कहा कि यह सब जयप्रकाश नारायण की गलती से हुआ। जब राष्ट्र संघर्ष के लिए तैयार नहीं था तब उन्होंने इसका आह्वान ही क्यों किया? किसी ने कहा कि यह तो नेहरू-जैसी बात हुई जिन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी किये बिना बड़े गवं से पत्रकारों से कहा था, "मैंने सेना से कह दिया है कि तुम चीनियों को बाहर खदेड़ दो," और यही ऐलान हार का कारण बना।

भूमिगत आंदोलन का क्या हाल है? मैंने कहा कि चूंकि नेताओं को गिरफ्तारी का पहले से कोई पता नहीं था, इसलिए सारी चीजों को संगठित होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन नानाजी देशमुख और जार्ज फर्नानडीज पुलिस की आँखों से बच निकले हैं और संघर्ष को जारी रखने में कुछ-न-कुछ जरूर कर रहे होंगे।

यह सुनकर जेल के मेरे साथी खुश नजर आये। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि जनता इस बात से असन्तुष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार होने के लिए आगे बढ़कर नहीं आया है। नजरबन्दों में से कुछ लोगों ने जो संघ के लगते थे यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के लिए आगे आना संघ की नीति नहीं है। उन्होंने कहा, "श्रीमती गांधी हम लोगों को उत्तेजित करना और समाप्त करना चाहती हैं। लेकिन हम उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देंगे। हम अपने मोठे का इन्तजार कर रहे हैं।"

हम अभी बात ही कर रहे थे कि करछी से थाली बजाये जाने की आवाज

मुनायी पड़ी। मैं भौंचक-सा रह गया, लेकिन सभी नज़रबन्द आदमी जल्दी से अपनी-अपनी दरियाँ, थाली और चम्मच लेकर दौड़ पड़े और एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गये। मैं भी उनके पीछे-पीछे हो लिया। सामने कुछ खुली जगह थी। यहाँ पर बनी दो अन्य बैरकों से कुछ और आदमी भी आ गये—तीन बैरकों को मिलाकर एक वाडं बनता है। दो दिन पहले पानी बरसने से जमीन अभी भी गीली थी। हम लोगों ने दरियाँ खोलकर बिछा दी और तादन बनाकर बैठ गये। तभी कुछ साथ के कंदी रोटियाँ ले आये और उन्होंने हमारे सामने परोस दी। वहाँ मक्खियाँ भिन्नभिन्ना रही थीं—हर एक को बात करते समय मुँह पर हाथ रखता पड़ता था कि कहीं कोई मुँह में न चली जाये। जब मैं खाने के लिए पहुँचा तो खाना इतना गरम था कि मक्खियाँ उस पर नहीं बैठ सकती थीं।

तभी कोई चिल्लाया, 'ठहरिये, पहले हम लोग मंत्र पढ़ लें।' यह ईश्वर की एक छोटी-सी प्रार्थना थी। इसके बाद लोगों ने खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिये। इसी समय मैंने उन्हें रोक दिया। वहाँ नज़रबन्द लोगों में मैंने तीन मुसलमानों—राव शमशाद अली, अब्दुल रऊफ और सकाब—को पहचान लिया था, जिनको मैं जानता था। ये वह लोग थे जिनके साथ मैं एक साल पहले दिल्ली के किसानगंज इलाके में हिन्दू-मुसलिम दंगे के बाद एक हफ्ते तक रहा था।

मैंने एक से कहा, "क्या आप विस्मिल्ला नहीं कहेंगे।" वह बोला, "हाँ, लेकिन अपने ही मन में।" मैंने कहा, "जोर से कहिये।" और हमारे खाना शुरू करने से पहले, हिन्दू-मंत्र के बाद विस्मिल्ला पढ़ा गया।

दाल बहुत पतली और रोटियाँ आधी सिकीं थी। जब दुबारा दाल दी गयी तब मैंने देखा कि उसमें कुछ मक्खियाँ उतरा रही है। मैं घबरा गया। लेकिन पाम में बैठे आदमी ने कहा, "चिन्ता मत कीजिये, आप इनके आदी हो जायेंगे।" वह सही था। कुछ दिनों के बाद मैं खाने में मकयी देखता-देखता इतना आदी हो गया कि मैं उनको बड़े आराम से निकाल देता था, बगैर मतली आये मैं खाना शुरू कर

ही,

थी,
 खोल दी गयी थी। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेता मेरे साथी थे। अन्य बैरकों की तुलना में इस बैरक की खिड़कियों में लोहे की छड़े कम लगी हुई थी और यहाँ सोने के लिए ईंटों के चबूतरों के बजाय बान की चारपाइयाँ थीं। लेकिन यहाँ छत में एक ही पखा था, जिसकी हवा कुछ ही दूर जाती थी। हममें से बहुतों ने ऐसी स्थिति को देखा तो था, लेकिन इसका कभी अनुभव नहीं किया था। गर्मी थी, लेकिन गर्मी से ज्यादा मच्छरों का प्रकोप था जिससे हम सभी परेशान थे। मैं अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचने लगा, जिन्हें मैं बाहर छोड़ आया था कि अब तक बहुत-से लोगों को मेरी गिरफ्तारी का पता चल गया होगा। एक नज़रबन्द आदमी ने, जो शाम को आया था, मुझे बताया कि उसने मेरी गिरफ्तारी की खबर पुरानी दिल्ली में सुनी थी।

शाम रात में बदल गयी। रात में खाना (फिर वही रोटियाँ और दाल) खाने के बाद हम में से कुछ लोग बातें करते रहे। यहाँ छोटी से भी छोटी खबर महत्वपूर्ण थी। इन खबरों को सुन कर वे लोग यह अनुभव करते थे कि बाहर की दुनिया से उनका संबंध अभी तक बना हुआ है, जिससे वे लोग एक महीने से

भी ज्यादा समय से अलग थे।

मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन रात के दो बजे तक भी आँख न लग सकी (जेल का गजर एक-एक घंटे के बाद दिन-रात बजता रहता था)। सारी रात मच्छर भनभनाते रहे और

आदमी के लिए छोटी थी :

दरियाँ कुछ भी नहीं थीं।

मैंने सिर को सहारा देने के लिए अपनी बाँह का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, मेरी चारपाई पंखे से दूरी पर थी। इस बैरक में सिर्फ़ एक ही पंखा था। हम सभी अट्टाइस आदमी एक पंखे के नीचे नहीं आ सकते थे।

दूसरे दिन चारपाई के एक किनारे पर बैठकर मैं छड़ों से बाहर देखने लगा। सारी रात मेरा वीर्य सहकर भी चारपाई अपने पैरों पर टिक नहीं सकी थी। बाहर, हाल की बरसात से एक तालाब-सा बन गया था। मैंने देखा कि इस बरसाती पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यह यँ ही सूखता रहेगा। हम लोगों को कई दिनों तक इन्तज़ार करना पड़ेगा कि जमीन अच्छी तरह सूख जाये और हम लोग यहाँ रिग टैनिंस खेल सकें।

अचानक इस तालाब में दो सफ़ेद परछाइयाँ चमक उठीं और मैंने देखा कि इनमें से एक तो मेरे समुद्र है। हमेशा की तरह वह स्वच्छ खादी पहने हुए थे; उनके पीछे एक कँदी था, जो अपने सिर पर एक सूटकेस और विस्तरबंद लिये हुए था।

मैंने सोचा कि मेरे समुद्र मुझसे मिलने और विस्तर देने आये है, जो मैं अपने साथ नहीं लाया था। उन्होंने मुझे इसी खुशफहमी में रहने दिया। जब मैंने उन्हें विस्तर के लिए धन्यवाद दिया तब वह थोड़ा मुसकरा कर बोले, "तुम बहुत-सी चीज़ें छोड़ आये थे, मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूँगा और उन्हे तुम्हें दे दूँगा।" मैं तब यह बिलकुल नहीं जानता था कि ऐसी मुकालात सिर्फ़ फाटक पर ही होती है और स्टाफ़ के अलावा कोई भी 'बाहरी आदमी' जेल के अन्दर नहीं आ सकता है।

लेकिन मेरे साथी कँदी मुझसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने पूछा कि उन्हें क्यों भेजा गया है, तब मैंने जाना कि वह भी एक कँदी थे। मेरी बैरक के एक साथी ने कहा कि अब गांधीवादियों के गिरफ्तार होने की बारी आयी है। मेरे समुद्र भीमसेन मन्चर 1919 से गांधीवादी थे, जब उन्होंने अंग्रेज़ों से असहयोग करने की गांधीजी की अपील पर अपनी पढाई छोड़ दी थी। एक कँदी ने कहा कि अगर श्रीमती गांधी एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकती है जो पंजाब का मुख्यमंत्री, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल और श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त रहा हो तो वह कुछ भी कर सकती हैं।

मेरे समुद्र ने हमें बताया कि उन्होंने और सात अन्य आदमियों ने (महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलान ने आखिरी वक़्त हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया) बिना मुकदमा चलाये लोगों को नज़रबन्द करने और समाचारपत्रों पर पाबन्दी लगाने के खिलाफ विरोध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। वह पत्र¹ इस प्रकार था :

1. मुझे बाद में पता चला कि अधिकारियों ने यह समझा था कि यह पत्र मैंने लिखा था। उन्होंने यह निष्कर्ष इस बात से निकाला कि मेरे समुद्र और उनके पाँच दोस्तों ने अपने पत्र में समाचारपत्रों की भूमिका पर नेहरू के उसी वक़्त की उद्धृत किया, जिसे मैंने पहले श्रीमती गांधी को लिखे अपने पत्र में उद्धृत किया था। इन लोगों ने यह उद्धरण मेरी पुस्तक 'इंडिया आपुटर नेहरू' से लिया था।

माननीया प्रधानमंत्री,

आमतौर पर प्रधानमंत्री का समय बहुत ही बहुमूल्य होता है, उसे छोटी-छोटी बातों के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले कुछ दिनों से आप मुक्त रूप से सभी तरह के विचारों वाले लोगों से निकट निजी-सम्पर्क के लिए मिलती रही हैं, हमारे मन में भी यह उत्साह हुआ कि हम आपका बहुमूल्य समय लें।

2. हम आपके सह-देशवासियों में से अत्यन्त वित्त्र देशवासी और सामान्य नागरिक हैं, जो मुख्यतः रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। हममें से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबन्धित नहीं है। हमारा कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है और न किसी राजनीतिक पद या सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। हमारी मुख्य रुचि व्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा को बनाये रखने में है।
3. हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोकतंत्र का एक प्रधान निर्माता मानते हैं। वह कहा करते थे : "किसी भी व्यक्ति को आलोचना से परे नहीं होना चाहिए चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो।" पंडितजी ने ही समाचार-पत्रों की आजादी के बारे में कहा था :

"मेरे विचार में उदारतापूर्वक समाचारपत्रों की आजादी सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि लोकतंत्रीय पद्धति का अभिन्न अंग है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकार समाचारपत्रों द्वारा अपनी आजादी के इस्तेमाल को पसन्द न करे और खतरनाक समझे तो भी समाचारपत्रों की आजादी में दखल देना गलत होगा। पाबन्दियाँ लगाने से आप किसी चीज को बदल

समाचारपत्रों के बजाय मैं चाहता हूँ कि समाचारपत्र पूरी तरह से आजाद रहे, चाहे इस आजादी के गलत इस्तेमाल किये जाने से कितना ही बड़ा खतरा क्यों न उठाना पड़े।"

उन्होंने हमें यह अविस्मरणीय नारा तब दिया था, जब आजादी की लड़ाई में जैजैजै हम पर जुल्म बरसा रहे थे— "आजादी खतरे में है; इसकी जी-जान से रक्षा करो।" उनकी याद कर हमारा गला भर आता है, क्योंकि अगर आज वह जीवित होते तो वह हमें आह्वान करते कि "लोकतंत्र खतरे में है, जी-जान से उसकी रक्षा करो।"

4. हम सरकार के इस अधिकार पर विवाद नहीं उठा रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत आपातकालीन व्यवस्था की वह महायत्ना ले सकती है और इसके लिए पहल भी उसी को करनी है। लेकिन यही काफी नहीं है। इसके बाद

5. अनियाये हो गया है। यह मौजूदा समस्या पर मुक्त और सांबन्धित रूप से चर्चा के बिना संभव नहीं है। हम समय तो सामान्य जनता को इस बात की आजादी प्राप्त नहीं है कि वह इस विषय पर चर्चा कर सके। इसके विपरीत कुछ विनिष्ट वर्ग के लोगों को, जो सरकार को घुस कर लाभ उठा रहे हैं

या उठाना चाहते हैं, पूरी आजादी मिली हुई है कि सरकार के निर्णय के समर्थन में प्रदर्शन आदि करें। क्या यह सामान्य जनता के हित में है? इस स्थिति का दुष्परिणाम यह है कि उन समाचारपत्रों को छोड़कर सभी समाचारपत्रों का गला घोट दिया गया है, जो सरकार की नीति और सरकार द्वारा अपनाये जा रहे उपायों का समर्थन कर रहे हैं और जो सरकारी पार्टी के प्रचार में सहायक हो रहे हैं। जन-प्रिय सरकार को चाहिए कि वह समान भाव से समाज के सभी वर्गों की बातों को सुने।

6. हम यह घोहराते हैं कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति होते हुए भी और अधिक शक्ति प्राप्त करने के आपके अधिकार को हम चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आता कि जनता को—जनता के सभी वर्गों को—खुलकर सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के गुणावगुण पर चर्चा करने के लिए सामान्य रूप से प्राप्य अवसर का क्यों निषेध किया जा रहा है!
7. ऐसे समाचारपत्रों के खिलाफ, जो सिर्फ सनसनीखेज खबरें छापते हैं या राजनीतिक नेताओं पर सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालते हैं, चाहे वे नेता आपकी पार्टी के हों या विरोधी पार्टी के, कार्रवाई करने के बजाय हर समाचार और टिप्पणी को छपने से पहले सेंसर किया जाता है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र पर कुठाराघात है कि हमारी संसद की कार्रवाई भी बिना सेंसर हुए समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकती। अखिल-भारतीय समाचारपत्रों के सम्पादक ससरशिव के विरोध-स्वरूप सम्पादकीय कालम को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें आपके सूचना और प्रसारण-मंत्री द्वारा बदला लिये जाने का डर है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वह लिखें तो आपके समर्थन में, अन्यथा विलकुल ही न लिखें। जनता की नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों और राजनीतिक चर्चा करने और समाचारपत्रों या जनसम्पर्क के अन्य स्रोतों से निष्पक्ष समाचार प्राप्त करने के उनके अनतिक्रम्य अधिकारों का बिना खेद व्यक्त किये हनन कर दिया गया है।
8. विरोधी नेताओं और स्वयं आपकी पार्टी के असन्तुष्ट लोगों को कानून की अदालत में मुकदमा चलाये बिना जेलों में बन्द कर दिया गया है। हमें पूरी आशा है कि जो संसद-सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें संसद के चालू सत्र में अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। क्या यह सचमुच जरूरी था कि जिन राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपने गिरफ्तार किया है उनके नाम जनता को न बताये जायें और उनके निकट संबंधियों को उनसे मिलने या उनके लिए कानून के तहत बचाव करने का मौक़ा नहीं दिया जायें, चाहे वह मौजूदा अध्यादेशों के अधीन संभव हो। गिरफ्तार हुए लोगों में कुछ लोग तो अभी हाल तक आपके मंत्रिमंडल में मंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री रहे हैं। क्या ये सचमुच रातोंरात ऐसे देशद्रोही हो गये कि ये इस लायक भी नहीं रहे कि इनके नाम और इनके पते-ठिकाने जनता को या उनके निकट संबंधियों को बताये जायें?
9. आपके राजनीतिक समर्थकों के अलावा दिल्ली में आम आदमी अब डरा हुआ-सा बात करता है जैसा कि कम्युनिस्ट देशों के लोग करते हैं, वह अब कॉफी हाउस या बस-स्टैंड पर राजनीतिक चर्चा नहीं करता और कोई भी राय व्यक्त करते समय अगल-बगल देख लेता है। डर और राजनीतिक दमन का

वातावरण छाया हुआ है और आपके दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले राजनीतिक प्रयुद्ध तोग बड़ी सावधानी से चुप रहना पसन्द करते हैं और इनमें से कुछ को हमेशा यह डर बना रहता है कि उनका भी दरवाजा रात में खटखटाया जायेगा।

10. क्या भय का यह दैत्य हमें दुबारा निगल जायेगा, जिसे समूल नष्ट करने के लिए हमारे प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सर्वस्व—अपनी धन-दौलत, ऐशो-आराम, अपने माँ-बाप और यहाँ तक कि अपनी पत्नी का—बलिदान कर दिया था? वह भय को भारत का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। अच्छा ही कि हम उनके इन स्मरणीय शब्दों से नेंगना लें।

“हमारे प्राचीन ग्रंथों में

‘अभय’ सबसे बड़ा वरदान है, ... से भय का निकल जाना है। हमारे इतिहास के आरंभ में जनक और याज्ञवल्क्य ने कहा था कि राष्ट्र के नेताओं का काम वहाँ के निवासियों को निर्भय बनाना है। लेकिन अंग्रेजों के शासन के अधीन भारत में भय, आतंक, दमन, और दम घोटने वाला भय प्रधान रूप से व्याप्त रहा—यह भय सेना से भय, पुलिस से भय और देशव्यापी गुप्तचर सेवा से भय और कुचल देने के लिए बनाये गये कानून का भय था। इसी सर्वव्यापी भय के खिलाफ गांधीजी ने अपनी गंभीर और संकल्प भरी आवाज को बुलन्द किया था कि ‘डरो मत’।”

11. मौजूदा परिस्थितियों को देखकर हर नागरिक और खास कर स्वतंत्रता-सेनानियों की बची हुई बूढ़ी पीढ़ी हैरान है। हमें इस पुकार के अनुसार काम करना है। इसलिए हमारा यह इरादा है कि इस बात की चिन्ता किये बिना कि इसका हमें क्या नतीजा भोगना पड़ेगा, विशेषाधिकारों द्वारा स्वयं की रक्षा करने वाली सरकार के गुण-दोषों पर चर्चा करने के लिए हम 9 अगस्त 1975 से सार्वजनिक भाषण और सार्वजनिक सम्मेलन करने और समाचार-पत्रों की आजादी के अधिकारों का खुलकर समर्थन करेंगे। इसका उद्देश्य अधिकारियों को परेशानी में डालना या अनावश्यक आंदोलन करना नहीं है। हमारी यह आत्म-तपस्या मातृभूमि के चरणों में एक तुच्छ भेंट होगी, जिसकी वेड़ियों को काटने में हमें राष्ट्रपिता के महान नेतृत्व में अपना अकिंचन भोगदान करने का गौरव प्राप्त हुआ था।

भवदीय

- | | |
|-----------------------|--|
| ह० (1) भीमसेन सच्चर | 20, तुगलक फ्रीसेंट, नई दिल्ली-11 |
| ह० (2) एस० डी० शर्मा | ए-312 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-24 |
| ह० (3) जे० आर० साहनी | आध्यात्म साधना केन्द्र, छतरपुर रोड
(महरोली), नई दिल्ली-30 |
| ह० (4) विष्णुदत्त | डब्ल्यू० जेड, 1282, नंगल राया,
नई दिल्ली-56 |
| ह० (5) किशनलाल बेंच | नजफगढ़, नई दिल्ली-43 |
| ह० (6) सेवकराम | लाजपत भवन, लाजपतनगर,
नई दिल्ली-24 |
| ह० (7) जे० के० शर्मा | बी-999, शास्त्रीनगर, दिल्ली-52 |
| ह० (8) के० के० मिश्रा | बी-97, नीति वाग, नई दिल्ली-49 |

उन लोगों को सीमेंट के चबूतरों पर अपना विस्तर बिछाने, अपना सामान ऋरीने के साथ लगाने और रोजाना का काम शुरू करने में देर नहीं लगी। ऐसा लगा, जैसे वह यहाँ महीनों से रह रहे हैं। कोई चर्खा कातने लगा, जिसे वह अपने साथ लाया था, कोई जग लगे हैडपम्प पर जाकर अपने कपड़े साफ करने लगा और कोई गीता का पाठ करने लगा।

“आपने कितनी जल्दी इसे अपना घर बना लिया,” मैं अपने समुर से बोला। उन्होंने जवाब दिया—“तुम पहली बार जेल आये हो, तुम जल्दी ही इसके आदी हो जाओगे।”

वे हमारे साथ सिर्फ एक दिन रहे। कुछ कारणों से, जिन्हें जेल के अधिकारी ही जानते थे, एक को छोड़कर बाकी सभी अम्बाला जेल ले जाये गये। जो हमारे साथ रह गये थे उन्हें हम बैच जो कहते थे। उनके पास आयुर्वेद की दवाइयाँ थी और जब कभी कोई बीमार पड़ता वह उसका इलाज करते। जो लोग निराश थे, वह उनको सांत्वना भी देते थे।

हम लोग उनके चले जाने पर उदास थे, वह हम लोगो को प्यार करते थे। मेरे समुर की उम्र 82 साल थी और दो व्यक्ति 75 साल से ऊपर के थे। चूँकि वह उर्दू और फ़ारसी अच्छी जानते थे—वह पश्चिमी पंजाब के थे—इसलिए हममें जो मुसलमान थे उन्हें उनके साथ बात करने के लिए काफी मसाला मिल जाता था।

हमारी रसोई का इंचार्ज देविंदर जैन नाम का क़दी, जिसने यह कसम खा रखी थी कि जब तक श्रीमती गांधी हटा नहीं दी जाती है तब तक मैं दाढी नहीं बनाऊँगा, इन लोगों को विदाई-भोज देने के लिए उस दूध की खीर बना लाया, जो हम अपनी सवेरे की चाय में डालते। इन लोगो को सवेरे जाना था, लेकिन इनको अपने साथ ले जाने वाला पुलिस का दस्ता दोपहर के बाद आया।

हम लोग उन्हें विदा देने के लिए लोहे के फाटक तक गये जो हमारी लक्ष्मण-रेना थी। मेरे समुर की आँखे गीली हो आयी और मेरी भी। मझे उनकी चिन्ता

ह,

या
... .. ने
उन्हें जेल में डाल दिया है। किसी ने कहा कि श्रीमती गांधी अब काफी हताश हो चुकी है, नहीं तो वह ऐसे बड़े और बूढ़े नेताओं को जेल न भेजती। यह भी हो सकता है कि वह सबके दिमाग में यह आतंक पैदा करना चाहती है कि जो उनका विरोध करेगा वह बचकर कहीं नहीं जा सकता।

जब तत्कालीन गृह-मंत्री ब्रह्मानन्द रेड्डी आंध्र प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे तब मेरे समुर वहाँ के राज्यपाल थे। मैं सोच रहा था कि वह उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर सकते थे, हालाँकि मैं पूरी तरह समझता था यह मुमकिन नहीं था।

मुझे याद आया कि जगजीवनराम भी 26 जून 1975 की सुबह को इमरजेसी की खबर सुनकर कितने धवरा गये थे। उस दिन हम दस पत्रकार उनसे मिलने के लिए उनके बरामदे में उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने डेढ़ घंटे के बाद हम लोगो को बुलाया और सिर्फ यह कहा : “मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।” यह सुनकर हम लोग भौचक रह गये। उनके बारे में यह कहा गया था कि उन्होंने चन्द्रशेखर, कृष्णकान्त और कुछ अन्य लोगो को श्रीमती गांधी से इलाहाबाद हाई-कोर्ट के फ़ैसले के बाद इस्तीफ़े की माँग करने के लिए उकसाया था।

टेलीफोन के रिसेवर को नीचे रखते हुए कहा ; वह सोचते थे कि अगर रिसेवर रखा रहा तो उनकी यह बातचीत टप हो सकती है ।

मैं जब उठने लगा तब उन्होंने मुझसे कहा, "मेरे स्टेनो से सम्पर्क बनाये रखियेगा और अगर आप मेरे बारे में कुछ सुनें तो उसे बतना दीजियेगा ।" ये सब कितने कमजोर थे !

जेल में जब किसी को यह कहना होता कि सभी नेताओं ने कुछ निजी स्वार्थों के लिए सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पर रख दिया है तब जगजीवनराम का नाम खास तौर से लिया जाता था । कोई बड़ा मंत्री या कांग्रेस का नेता विरोध क्यों नहीं करता ?

मैं जल्दी ही इन चर्चाओं का, जिनका कोई अन्त ही नहीं था, आदी हो गया, जैसे मैं जेल की जिन्दगी का आदी हो गया, हालाँकि तिहाड़ में परिस्थितियाँ बड़ी ही कठोर और घिनावनी थीं । हमारी 'डॉरमीटरी' में अट्टाईस साथियों¹ के लिए सिर्फ तीन सूखे पाखाने थे और हम लोगों को बड़े तबके से ही लाइन लगानी पड़ती थी । लम्बी सजा पाया हुआ एक कैंदी हमारा जमादार था और उसे इस काम के लिए तनख्वाह के रूप में हर महीने कुल दस रुपये मिलते थे । वह पाखाने को दिन में सिर्फ एक बार साफ करता था । शाम को जब कभी उधर से होती हुई हवा का भौंका हमारी डॉरमीटरी में आता तो बदबू-ही-बदबू भर जाती, जो अगरबत्तियाँ, जिन्हें हमारे कुछ नजरबन्द साथी अपने साथ ले आये थे, जलाने पर भी दूर नहीं होती थी ।

लगता था, इस जमादार की मेरे ऊपर खास मेहरबानी रहती थी । वह जैसे ही मुझे जाता देखता, सफाई कर देता । मुझे बाद में पता चला कि यह मेहरबानी हम लोगों का एक ही नाम, कुलदीप, होने की वजह से थी । वह चंडीगढ़ का था और पंजाबी अच्छी तरह जानता था ।

हम लोगों के नहाने के लिए कोई गुसलखाना नहीं था और खुले में नहाना पड़ता था । वहाँ एक ही नल था और वह सबेरे 9 बजे ही बन्द हो जाता था । इसलिए हम लोगों को हैण्ड-पम्प पर निर्भर रहना पड़ता था । यह इतना पुराना और टूटा-फूटा था कि एक-एक बूँद पानी लेने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती थी ।

हम इसी पम्प पर नहाते-धोते थे । जो साबुन की बट्टियाँ हममें से कुछ लोग लाये थे वह एक-दूसरे को दे देते थे, लेकिन हम कपड़े साबुन की बजाय रसादातर अपनी ताकत से धोते थे । गीले कपड़े सुखाने के लिए बहुत थोड़ी जगह थी, क्योंकि जमीन या तो गीली रहती या उसमें पानी भरा रहता था ।

गीली लकड़ियों का धुआँ भरा होता था, जो हमारी आँखों में भर जाता था ।

1. यह सच्चा एक पक्षबाड़े में बढ़कर छिपाने हो गयी ।

इस धुआँ-भरे रसोईघर का मालिक जैन यह देखकर बहुत ही घबरा गया कि मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ, हालाँकि मैंने उसे विश्वास दिलाया कि इससे उसके खाने बनाने का कोई संबंध नहीं है। सवेरे और शाम को खाने में चपाती और मक्खियाँ पड़ी दाल देखते-देखते मेरी भूख खत्म हो गयी थी। मेरे संगी-साथियों को मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता सताने लगी। वह मिचं डालकर मेरी भूख जगाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे खाना निगलना मुश्किल होता था।

एक रात को जैन मेरे लिए एक गिलास दूध ले आया। उसने कहा, "इसको पी लीजिये, मैंने सवेरे की चाय के लिए काफ़ी वचा लिया है।" जैन के साथ ही एक नौजवान ने भी एक पैकेट से कुछ मिठाई निकालकर मुझे दी, जो वह अपने साथ कपड़ों में छिपाकर अन्दर ले आया था। सभी को यह तुरंत पता लग गया कि मुझे मिठाई पसन्द है और वह मेरे लिए कुछ मीठा, चाहे वह लेमनचूस ही क्यों न हो, लाने की हर संभव कोशिश करने लगे। वह मुझको मीठे बिस्कुट भी देते थे। उनकी यह मेहरबानी कुछ ऐसी थी जिसे मैं भूला नहीं सकूँगा।

एक आदमी हर वार्ड के लिए लकड़ी की पेटियों में मीठे बिस्कुट और साबुन, सिगरेट और ट्यूबेस्ट लाता था। वह कैंटीन का आदमी था और उससे मीठे बिस्कुट मिल सकते थे। इसका भुगतान नक़द करना मना था। कूपनों का ही इस्तेमाल हो सकता था, जो जेल-अधिकारियों द्वारा हर महीने के शुरू में दिये जाते थे। हर कूपन पच्चीस पैसे का होता था और कोई भी आदमी तीस रुपये से ज्यादा के कूपन नहीं खरीद सकता था। लेकिन अगर कोई घूस देने को राज़ी हो तब वह जितने कूपन चाहता, चोरी-छुपे ले सकता था—इन अतिरिक्त कूपनों की कीमत लगभग तीस प्रतिशत ज्यादा होती।

एक महीने के लिए तीस रुपये की यह पावन्दी इसलिए थी कि हर आदमी इतना रुपया ही घर से मँगा सकता था। इससे ज्यादा जितना रुपया मेरे पास था उसे मैं जेल में अन्दर आते समय सुपरिटेण्डेंट के पास जमा कर आया था। लेकिन कुछ कमीशन देने पर जितना रुपया भी कोई चाहता, बाहर से मँगा सकता था। वहाँ मनीआर्डर और चिट्ठियाँ भेजने व मँगाने की भी एक व्यवस्था थी जो शायद डाक-विभाग की व्यवस्था से ज्यादा विश्वसनीय थी। उदाहरण के लिए, मेरे वार्ड में एक कैदी को दो सौ रुपयों की जरूरत थी, इसके लिए उसने वार्डर के मार्फत पुरानी दिल्ली में अपने आदमियों को एक चिट्ठी भिजवायी और चौबीस घंटे से भी कम समय में उसे रुपये मिल गये। उसने उसके लिए लाने-ले आने पर खर्च के लिए छियासठ रुपये दिये—ऐसे कामों के लिए 'मनीआर्डर के चार्ज' के रूप में तैतीस प्रतिशत कमीशन बँधा हुआ था। मुझे यह बताया गया कि चाहे जितना रुपया मँगाया जाये, कभी भी कोई घोखाधड़ी नहीं होती है—और इससे ज्यादा कमीशन भी नहीं लिया जाता। कैदी इस गुप्त मनीआर्डर-सेवा द्वारा बड़ी रकम मँगाया करते थे। हम लोगों को बताया गया कि जहाज़ी कम्पनियों के मालिक धर्म तेजा ने हजारों रुपये इसी तरह मँगवाये थे। और अगर कोई जैन-कर्मचारियों की जेब गर्म कर सकता हो तो उसे हर तरह का आराम—जो भी वह चाहे—मिल सकता था। तेजा को सभी तरह के आराम मिले हुए थे—उसकी सेल में एअर-कूलर लगा हुआ था, उसे रेडियो व रेकर्ड-प्लेअर का सेट मिल गया था और उसे टेलीफोन करने की सुविधा भी मिली हुई थी। घनाहूय होने के अलावा तेजा को एक सुविधा यह भी थी कि उस समय सरकार में ऊँची जगहों पर काम करने वालों में उसके दोस्त थे। इन्दिरा गांधी के दोनों लड़के विदेशों में उसी के यहाँ

ठहरते थे। एक भूतपूर्व विदेश-सचिव टी० एन० कौल के वारे में कहा जाता था कि वह उससे जेल में मिलने अवसर आया करते थे।

हरिदास मूँधडा नामक व्यापारी, जिसे धोखाघड़ी के अपराध में सजा मिली थी, एक दूसरा धनी आदमी था जिसने कुछ दिन तिहाड़ में बिताये थे। उसे जेल में सब तरह का आराम ही नहीं मिला हुआ था, बल्कि वह जब चाहता जेल के बाहर भी जा सकता था; वह कई बार कई दिनों तक जेल के बाहर रहा और उसने कलकत्ता तक यात्रा भी की थी। लेकिन इस सबके लिए बहुत खर्चा चाहिए था। इससे ज्यादा धनी कँदी था रामकृष्ण डालमिया; उसने अपनी जेल की अधिकांश अवधि अस्पताल में बितायी थी। वह जेल के अधिकारियों में अपनी उदारता के लिए मशहूर था, एक डॉक्टर को तो उपहार के रूप में एक गाड़ी मिल गयी थी।

तिहाड़ में व्यापारियों से अधिक तस्करों को रखा जाता था, जो पानी की तरह खर्चा करते थे। उनके लिए खाना मोती-महल से और हिस्की कनाट-प्लेस से आती थी। उनको शराब ही नहीं बल्कि औरतें भी मिल जाती थीं। एक वाइंडर ने कहा, "बाबूजी, ये औरतें बेश्याएँ नहीं बल्कि असली सोसायटी-गर्ल होती थीं।" यह औरतें तब लाम्य जाती थीं जब 'साहब लोग' खाना खाने घर चले जाते थे और उनके खाली कमरों में 'मन बहलाव' होता था। वाइंडरों के साथ बातचीत कर लंच-इंटरवल का समय बढ़कर तीन घंटे हो जाता था और इससे इन तस्करों को मनबहलाव के बाद अपने-अपने सेल और औरतों को शहर लौटने के लिए काफी समय मिल जाता था। इन कामों में बहुत खतरा रहता था और इसमें कई लोग शामिल होते थे। इसलिए इसके लिए बहुत खर्चा लिया जाता था।

एक दिन हम चार आदमियों ने यह पता लगाने का निर्णय किया कि क्या राजनीतिक 'अपराधियों' को भी उतना अच्छा खाना मिल सकता है जो आर्थिक अपराधियों को मिल जाता है? हमने वाइंडर से पूछा कि क्या वह हम लोगों के लिए चिकन करी और तन्दूरी रोटी ला सकता है? उसने सहमति में सिर हिला दिया। हमने पन्द्रह-ग्यन्द्रह रुपये दे दिये। हमको जो हमने चाहा था, मिल गया—चिकन करी और गरम-गरम तन्दूरी रोटी। हमको बताया गया कि हमने वाइंडर को जो साठ रुपये दिये थे, उसमें से सबने, जो यह सामान लाये, अपना-अपना कमीशन ले लिया है।

जेल में भ्रष्टाचार इतना सुगठित और टनना व्यवस्थित था कि एक बार कीमत देने पर सब काम पडी की तरह होने लगते थे। इसमें सभी स्तर के जेल-कर्मचारियों का हाथ था और हर एक का अपना हिस्सा बँधा हुआ था। कभी कोई भगड़ा नहीं होता था। चोरों में भी एक अनोखी ईमानदारी होती है!

हर आदमी या तो जेल के बड़े रमोईघर से बना-बनाया खाना ले सकता था या खुद बनाने के लिए राशन ले सकता था। मैंने बड़े रमोईघर का खाना खाया तो वह खाने लायक नहीं लगा। दाल और रोटियों में, जो जेल का स्थायी खाना था, बहुत ज्यादा रेत भरी रहती थी।

हमारे वाइंडर ने हमने यह चाहा कि हम खुद ही खाना पकायेंगे। हमने सफ़ाई भी रहेगी और श्री आदमी दवाई रुपये के दैनिक भत्ते से धोक में खरीद करने में सामान भी ज्यादा मिलेगा; दाल के अनावा कभी-कभी कुछ सब्जी भी लेनी ज़रूरी करेगी। हममें ने कई ऐसे थे, "घाम तौर से आर० एम० एस० और जन मंत्र के नबरबन्द लोग", जो थोड़ा-बहुत खाना पका सकते थे—उन लोगों ने अपने

संगठनों द्वारा लगाये गये कम्पों में संकड़ों आदमियों के लिए खाना बनाया था। आपस में बातचीत कर सभी लोगों ने यह स्वीकार किया कि हममें देविन्दर जैन ही सबसे अच्छा खाना बना सकता है।

कँदियों को जो गेहूँ और चावल मिलता था उसमें मिलावट रहती थी। वजन बढ़ाने के लिए उसमें मिट्टी, कंकड़ और कूड़ा-करकट मिला रहता था। जलाने के लिए जो लकड़ियाँ हमें दी जाती थी वह भी इसी उद्देश्य से पानी में भीगी रहती थीं। और तौलने की मशीन भी तोड़ दी गयी थी। जेल-सुपरिटेण्डेंट से शिकायत करने पर एक-सा जवाब मिलता कि चूँकि क़ैदी अपने-आप राशन खरीद रहे हैं, इसलिए जेल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग जेल में एक दूकान से ही खरीदारी कर सकते थे और जेल-सुपरिटेण्डेंट तौलने वाली मशीन की जाँच करने पर भी राजी नहीं हुआ।

जेल में हर-एक का अपना हिस्सा होता है। दूध थोक में फाटक पर आता था। वहाँ डिब्बों में से ऊँचे अधिकारियों के लिए काफी मात्रा में दूध निकाल लिया जाता था और उतना ही पानी डाल दिया जाता था। ज्यों-ज्यों यह डिब्बे वाडों की तरफ ले जाये जाते, त्यों-त्यों जो भी उनको उठाते-रखते अपने-अपने शेयर के मुताबिक दूध निकालते और बदले में उतना ही पानी डाल देते थे। एक वार जब हम लोगों ने वाडों से यह शिकायत की कि दूध में पानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिला होता है तब वह हँसकर बोला कि सुपरिटेण्डेंट से लेकर नीचे तक हर आदमी का इसमें हिस्सा होता है। "जब वह मेरे वाड तक पहुँचता है तब मैं भी अपने शेयर वाला दूध निकाल लेता हूँ और कमी को पानी डालकर पूरा कर देता हूँ," उसने कहा। हम इतनी ही आशा कर सकते थे कि इसमें जो पानी मिलाया जाये वह ज्यादा गन्दा न हो।

इस भ्रष्टाचार से ज्यादा दहलाने वाली विलक्षण 'दास-प्रथा' थी, जो हमने जेल में देखी। ये दास दस से अठारह साल के लड़के होते थे, जिनको 'सहायक' के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और ये बीसियों थे। वे खाना पकाते, बर्तन साफ करते, कमरों की सफाई करते, पानी लाते और कमर-तोड़ काम उन आदमियों के ब्रिए करते जिन्हे इसके लिए तनख्वाह मिलती थी। इन्हें सुबह की चाय तैयार करने के लिए छह बजे से पहले उठा दिया जाता था और बरतन साफ करने पर रात को लगभग दस बजे के बाद सोने दिया जाता था—इनको भेड़ों की तरह एक वाडों में भर दिया जाता था, जहाँ न कोई पंखा था और न सफाई की उचित व्यवस्था। लेकिन रोशनी खूब रहती थी, सारी रात बहुत-से बल्ब जलते रहते थे, जिससे नींद में ऊँघता हुआ वाडों एक ही नज़र में यह जाँच कर सके कि सभी मौजूद हैं।

इन लड़कों पर मुक़दमा चल रहा होता था, बहुत से घण्टों आठ महीने से थे और एक लड़का तो दो साल से रह रहा था। इनको किसी-न-किसी अभियोग के आधार पर मुक़दमा चलाने के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जाता और जेल में ही रखा जाता। ऐसा करने का उद्देश्य इनको जब तक हो सके जेल में डाले रखना था, क्योंकि इनके बग़ैर उन लोगों को जो बरतन बग़ैरह की सफाई आदि कामों के लिए नियुक्त किये जाते थे, आराम करने का मौका नहीं मिल सकता था।

एक दिन एक लड़के के रोने से सबेरे-सबेरे मेरी नींद टूट गयी और मैंने देखा कि बाकी "सहायक" लोग उसे समझा-बुझा रहे हैं और एक वाडों चुपचाप खड़ा

देख रहा है। मैं उसके पास गया, उसके घुंघराले वालों को देखकर मुझे अपने छांटे लडके राजू की याद हो आयी। यह लड़का पिछली शाम को नयी दिल्ली में डिफेंस कालोनी में पकड़ा गया था और रात-भर पुलिस चौकी में रखे जाने के बाद सबरे जेल में लाया गया था।

मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया है जो जेल में आना पड़ा। उसकी हिचकियाँ बन्द नहीं हो रही थी कि वह कुछ भी जवाब देता। वार्डर ने हँसकर कहा "इमरजेसी।" मैंने ज्यादा जानने के लिए पूछा तो वार्डर ने बताया कि जब कभी जेल में क़ैदियों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ के नौकरों की मदद के लिए पुलिस से लडके लाने के लिए कहा जाता है। वार्डर ने बताया कि पिछले कई दिन से जेल के अधिकारी पुलिस पर दबाव डालते रहे थे कि नज़रबंदों की संख्या बढ़ गयी है, इसलिए और ज्यादा "सहायक" लाये। पिछली शाम को जब यह लड़का डिफेंस कालोनी की एक दूकान पर पान खरीद रहा था, पुलिस द्वारा आवारा समझ कर पकड़ लिया गया था, पुलिस वाले जेल-अधिकारियों की इस अपील पर कि और ज्यादा "हेल्पर" लाये जायें, इन लडकों को पकड़ते रहे।

"यह कोई नयी बात नहीं है ऐसा हमेशा से होता रहा है," वार्डर ने समझाया। ऐसे कई लडके ने जेल में मुझे अपनी दुख-भरी कहानी सुनायी कि किस तरह उन्हें झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और फिर किसी-न-किसी बहाने से उन्हें जेल में बन्द रखा गया है।

इन लडकों के अजीब से नाम होते। वहाँ एक था रायनू। वह मालिश का काम करता था। नज़रबन्द क़ैदी उससे अक्सर मालिश करने के लिए कहते थे। उसे दो घंटे काम करने के बाद सिर्फ पच्चीस पैसे का एक कूपन मिलता था। हर आदमी चाहे वह नज़रबन्द हो या जेल-अधिकारी, उससे काम लेता था। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कुछ ही दिन पहले दो लडकों को कुछ नज़रबन्दों की शिकायत पर दूसरे वार्ड में भेज दिया गया था। "ये लडके बड़े लापरवाह हो गये हैं," उन्होंने शिकायत की थी। राजनीतिक वार्ड में काम अन्य वार्डों की अपेक्षा हलका कहा जाता था और इसलिए अधिकतर लडके उन्हीं वार्डों में बने रहना पसन्द करते थे।

रायनू जेल में सोलह महीने से था। उसके खिलाफ़ चोरी का इल्जाम था। उसने स्वीकार किया कि उसके पास दो दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने एक घर में घुसकर यह कोशिश की कि जो भी मिले चुरा लिया जाये। उसने बताया कि जब भी उसका केस अदालत में सुनवाई के लिए आता है, पुलिस किसी-न-किसी बहाने से मुल्तवी करा देती है। जाहिर था कि वह इस लडके को अपने चंगुल से नहीं निकलने देना चाहती थी।

मुझे बताया गया कि अभी हाल में जेल में एक ऐसा लडका था जो एक साल से ज्यादा समय से यहाँ किसी भूटे अभियोग के कारण बन्द था। उस पर बहुत दिनों से कोई मुक़दमा भी नहीं चल रहा था और न अदालत में उसकी कोई पेशी ही की जाती थी। वह इस तरह जेल में ही सड़ जाता, लेकिन सेना के एक मेजर ने उसकी जान बचा ली। वह लड़का उसका नौकर होता था। जब से वह लड़का गायब हुआ तभी से मेजर उसकी तलाश में लग गया और उसके बाद जेल के अधिकारी उसे यहाँ बन्द नहीं रख सके।

मैं एक नये लडके के प्रति आकृष्ट हो गया। उसका नाम था वेद। वह अनाथ था। इसे मशक़ती कहते थे। मशक़ती उनको कहा जाता है जिनको जबरदस्ती

काम करना पड़ता है। जब मैंने इससे बात की तब इसकी आँखों से आँसू वह निकले। यह लड़का चोरी का इल्जाम लगा कर जेल में लाया गया था, लेकिन इसने कसम खाकर कहा कि उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। मैंने उसे पुचकारा और कहा कि जब वह छूट जायेगा तब उसे यह वेगार नहीं करनी पड़ेगी। इससे उसको सन्तोष हुआ। और तब मुझे अचानक लगा कि जैसे अधिकारियों ने मेरे लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, वह उसे सता रहे है और उसको मेरी ही कोठरी में ले आये हैं। मैंने इस लड़के से कहा कि वह मेरे ही साथ रहे, मैंने उसका विस्तर अपने विस्तर के पास लगा लिया और अपने हाथों से उसे खिलाता था। मैंने उसको पढ़ना भी सिखाया, जो काम मैंने कभी नहीं किया था। वेद का बिसूरना देख मेरी कल्पना हुवा हो गयी। मैंने वार्डर से निवेदन कर कहा कि वह उसे रसोईघर में रखे—बहुत कम मशक़ती रसोईघर में रखे जाते थे, यहाँ उनको बहुत कम काम करना पड़ता था।

मुझे ताज्जुब था कि लड़कों को सुधार-गृह में क्यों नहीं रखा जाता, चाहे उन्होंने कोई अपराध ही किया हो। जेल-अधिकारी यह मानते तो थे कि यही होना चाहिए और यह लिखा हुआ भी था। जिन वरकों में मैं अपने सत्ताइस साथियों के साथ रह रहा था, वह असल में पढाने का कमरा था। मैंने देखा कि दीवाल पर ब्लैक-बोर्ड लगा हुआ है। अधिकारियों ने मुझे बताया कि इमरजेंसी लगने के बाद जगह की कमी के कारण इसे बाडं बना दिया गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब कभी बाहर आन्दोलन होते है, जेल में वे ऐसा ही करते हैं।

कुछ लड़के जेल की जिन्दगी के आदी हो गये थे। वह हँसी-खुशी से रहते और हम लोगों के पास सिगरेट या मिठाई खरीदने के लिए कूपन मांगने आ जाया करते थे। कुछ कैदियों को ये लड़के उपयोगी लगते थे—वे खाली समय में इनसे कपड़े धोने का या ऐसा ही कुछ और काम कराते थे। बदले में उनको साबुन की एक बट्टी या विस्कुट का एक पैकेट मिल जाता था।

हमें लगा कि उनकी जिन्दगी उन कैदियों की तुलना में अधिक कठोर थी जिन्हें कठोर कारावास की सज़ा दी जाती थी। उन्हें मुकदमा चलाये जाने की कोई सुविधा भी नहीं मिली हुई थी। जेल-अधिकारी उन्हें सिर्फ़ खाना देते थे, वह भी अक्सर बधा-खुचा। उन्हें जेल के तोशाख़ाने से कपड़े भी नहीं मिलते थे, क्योंकि उन पर मुकदमा चलते रहने से वह कैदी नहीं माने जाते थे। जब ज्यादा कैदी लाये जाते और सहायकों को सोने के लिए कोई फ़ालतू बाडं नहीं बचता तो उन्हें काल-कोठरियों में रख दिया जाता—छह फ़ीट लम्बी और तीन फ़ीट चौड़ी इन कोठरियों में हवा के आने-जाने के लिए सिर्फ़ एक ही छोटी-सी खिड़की होती और सोने के लिए सीमेंट का एक चबूतरा। चार-पाँच लड़के उन कोठरियों में भर दिये जाते थे।

यह यकीन नहीं होता कि बीसवीं शताब्दी में भी ऐसा हो सकता है। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं यह जानूँ कि ये असहाय लड़के खुश कैसे रहते हैं? मेहनत, मंघर्ष और सपनों में पल कर भी यह बरसों इसी तरह जियेंगे और शायद ये जिन्दगी के आखिर तक भी इसी तरह रहेंगे। उनका कोई नहीं है, उन्हें उनके संबंधियों ने छोड़ दिया है और फिर भी वे ऐसी जिन्दगी बिता रहे हैं—सिर्फ़ बने रहने के लिए, जिन्दा रहने के लिए। अगर मनुष्य ईश्वर का अपना ही प्रति-बिम्ब है तो यह सबसे निकृष्ट बिम्ब था जो किसी ने देखा होगा। भूख से तपे इन चेहरों पर खुशी का कोई भी निशान नहीं था और जब रात में देर तक ये लड़के

गाते रहते तब मैं ताज्जुब करता था कि इनको कहाँ से प्रेरणा मिल रही है। और जब उनका गाना बन्द हो जाता और वे सो जाते तब भी लगता कि मैं उनको गाते सुन रहा हूँ :

... अहरह सुनता हूँ
नियशब्द विपण्ण संगीत मनुजता का...!

शायद जनता के लिए धर्म से ज्यादा संगीत अफीम का काम करता है। संगीत एक कल्पना है जिसका आकर्षण ऊपरी सतह पर नहीं रहता, बल्कि दिल के किसी गहरे कोने में रहता है जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच सकती। इस कल्पना में हम अपने को भूल जाते हैं, कम-से-कम तब तक के लिए जब तक इसमें हम डूबे रहते हैं। जब यह संसार बिछर जाता था तो अकेलापन हमें बड़ी तेजी से काटने दौड़ता था और हमारा मन उचाट हो जाता था।

असंभव का सपना देखने और जिन्दगी के उचाटपन और थकान को भूलने के लिए कल्पना की उड़ानें जरूरी थी। मैं अक्सर अपने को गुनगुनाता हुआ पाता था, हालाँकि ईश्वर साक्षी था कि मैं कोई संगीतज्ञ नहीं था—और कोठरी में मेरी गुनगुनाहट कभी तेज नहीं होती थी कि दूसरे सुन सकें। यह ताज्जुब की बात थी कि कभी तो उस वातावरण में कष्टों को सहने में सहायता मिलती थी, क्योंकि हर ध्वनि की मवेदनशीलता मर जाती थी; लेकिन कभी इस वातावरण से निराशा छा जाती थी। तब इन ऊँची दीवारों से बाहर सुन्दर-सा चेहरा देखने के लिए, फूलों की बगारियों की मुग्ध प्राप्त करने के लिए, संगीत की लय सुनने के लिए, मन को कविता के पंखों पर उड़ना पड़ता था।

मैंने अपने में पूछा कि जेलों को दण्ड का स्थान क्यों बनाया जाता है, मुधार-पर क्यों नहीं! जब कभी कोई आदमी जेल में होता है तो भौतिक परिस्थितियों के जलाया मनोवैज्ञानिक कारणों से भी उसमें और अधिक आजादी पाने और पूमाने-फिरने की लालगाजम उठती है। मेरा विचार था कि जेल के बहुत-से बाईर और अधिकारियों को अपेक्षित पूष्टभूमि का न तो कोई ज्ञान था और न उनको आवश्यक प्रतिक्षण ही मिला हुआ था। लगता था, जैसे ये लोग विश्राम करते हों कि ऊँदी को लाठी से ही ठीक किया जा सकता है। मैंने अपनी आठ हफ्तों की नजरबन्दी की अवधि में जेलों के इंसपेक्टर-जनरल या डिप्टी-कमिश्नर को अपने बाईं में कभी नहीं देखा।

जब मैं 1960 में गृह-मंत्रालय में था तब मारे भारत के जेलों के इंसपेक्टर-जनरलों के महयोग ने उनके मुभाव के आधार पर 'एक आदमी' जेल-मैनुअल तैयार किया गया था। अपराधों को रोकने पर और अपराधियों के माप किये जाने वाले व्यवहार के बारे में मुभाव दुरुद्धे करने के लिए एक केन्द्रीय मुधार-मेवा ध्युरो भी स्थापित किया गया था। लेकिन जेलों में रहने-गहने की दना और मनो-वैज्ञानिक परिस्थितियों में मुधार नाने पर थोडा-बहुत ध्यान दिया गया था।

एक या दो बार जब कोई रात्रनीतिक हैदियों का चिक करता तब यह जवाब दिया जाता कि उनका वर्ग अज्ञान होता है और उन्हें 'ए' कनाम या 'बी' कनाम या 'सी' कनाम देना होता है। मैं नहीं जानता था कि यह 'अज्ञान' क्या होता है। जाचद 'सीमा' के हैदियों को एक ही कनाम मिलना था, या कभी कोई कनाम नहीं मिलता था। उनको एक ही प्रगह भर दिया जाता था। कम-से-कम यह एक ऐसी उपह थी जहाँ मरकार ने समारसाद लागू कर रखा था; यह मचमुच एक समतावादी मयात्र था। विगी को वे अग्यार भी नहीं मिल मरने थे जो यह पाहता। हम

लोगों को एक दैनिक समाचारपत्र की एक ही प्रति दी जाती थी। चूंकि हम सभी बाहरी दुनिया की खबरों के लिए भूखे रहते थे, कभी-कभी इस अखबार को लेकर या इस अखबार के एक खास पेज को लेकर झगड़ा हो जाता था, क्योंकि इसके पन्ने हम लोगों में बँट जाते थे। वहाँ कोई रेडियो नहीं था जिसे हम सुन लेते। हम लोगों ने जेल-मुपरिटेंडेंट से पूछा कि क्या वह हम लोगों को कम-से-कम एक मोडियम वेव का ऐसा रेडियो दे सकता है जिस पर बी० बी० सी० या किसी

हालाँकि यह अखबार फीका होता था तो भी मैं इसे पढ़ता था—चूंकि समाचार-पत्रों पर पावन्दियाँ लगी हुई थी, इसलिए यह फीका होने के अलावा कुछ और ही नहीं सकता था। मैं मुख्य पृष्ठ पर लगभग रोजाना श्रीमती गांधी और उनके लोगों द्वारा इमरजेंसी की बड़ाई पढ़ते-पढ़ते थक गया था। एक दिन वह कहती थीं कि लोग इमरजेंसी चाहते थे, दूसरे दिन वह कहतीं कि इमरजेंसी ने राष्ट्र की सेवा की है और तीसरे दिन यह कि जब से इमरजेंसी लगी है तब से देश में धी-दूध की नदियाँ वह निकली है।

इस अखबार में किसी ने शोक-समाचार के कालम में लोकतंत्र के मृत्यु की सूचना बड़ी ही चतुराई से छपवायी थी। यह विज्ञापन इस प्रकार था :

डि' आक्रेसी—डी० इ० एम० विलव्ड हसबैंड ऑफ टी० रथ, लविग फाँदर ऑफ एल० आई० वर्टी, व्रदर ऑफ फेथ, होप, जस्टीशिया एक्सपायर्ड ऑन टवेन्टी-सिक्सथ जून।

[डि' आक्रेसी (अर्थात् डिमोक्रेसी या लोकतंत्र)—टी० रथ (अर्थात् द्रुथ या सत्य) के प्रिय पति, एल० आई० वर्टी (लिवर्टी अर्थात् स्वतंत्रता) के पिता, फेथ (विश्वास) होप (आशा), जस्टीशिया (न्याय) के भाई का 26 जून को देहावमान।]

मुझे याद है कि जब सेंसरशिप लागू हुई थी, हमने भी नियमों से बचने के लिए अपने समाचारपत्र में टैगोर की निम्नलिखित प्रार्थना छापी थी :

जहाँ चित्त अभय है, शीश है उच्च जहाँ पर
जहाँ मुक्त है ज्ञान
जहाँ विश्व विच्छिन्न नहीं है छोटे-छोटे घर की दीवारों से
जहाँ वचन के स्रोत हृदय से फूटा करते
जहाँ अज्ञ कर्म के हाथ निपुण हो जाते हैं
जहाँ तर्क की स्वच्छ-धारा रुद्धि-मरुस्थल में सूख नहीं जाती है
जहाँ चित्त को तुम ने जाते हो विस्तीर्ण भाव और कार्य-क्षेत्र में
ऐसे मुक्त गगन में प्रभु मेरा देश जमे !

सौ नजरबंदों में एक अखबार की एक प्रति को लेकर झगड़ा होना स्वाभाविक

था। एक दिन हमारे बाड़े का एकमात्र मार्क्सवादी—कम-से-कम वह अपने को यही कहता था—सबेरे जल्दी जग गया और दरवाजे पर चिपककर खड़ा हो गया। अखबार वाँटने वाले से उसने अखबार को ले लिया। जो लोग रोजाना अखबार पढ़ा करते थे, चिढ़ गये और जब उसने अखबार पर कब्जा ही कर लिया तब और ज्यादा चिढ़ गये। इस पर भगड़ा शुरू हुआ। कई लोगों ने शांत करने की कोशिश की।

लेकिन मैं नहीं समझता कि वह मार्क्सवाद जानता भी था या उसमें कोई गहरी आस्था रखता था। वह केवल ऐसे नारे दोहराता रहता था : "पूँजीवाद की काली दैत्याकार मिले", "इतिहास केवल वर्ग-संघर्ष का दस्तावेज" आदि-आदि।

वह पश्चिमी पाकिस्तान से आया हुआ एक शरणार्थी था जो दिल्ली में बस गया था। 1947 की घटनाओं ने उसके विचारों को पराभूत कर रखा था। उसका सब-कुछ छिन गया था और उसके मन में उस समाज के लिए विद्रोह पैदा हो गया था। उसका विचार था कि उसे समाज द्वारा पनपने नहीं देगा।

यह मार्क्सवादी एक हरिजन से हमेशा लड़ता रहता था, जो अपने को जनसंघी कहता था। दोनों ही गरीब थे और दोनों के पास लड़ने की कोई बात नहीं थी। लेकिन मार्क्सवादी यह नहीं भूल पाता था कि दिल्ली में जन संघ के शासन-काल में वह अपनी दो गायों से हाथ धो चुका था। उसने हमें बताया कि उसे पहले तो अपनी भोंपड़ी के बाहर दो गाँवें रखने की इजाजत दे दी गयी और बाद में मना कर दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे इन गायों को, जो पहला खरीदार मिला उसके हाथ कौड़ियों के मोल बेचना पड़ा, ताकि वे कहीं पकड़कर काँजी-हाउस में न भेज दी जायें।

मार्क्सवादी और जनसंघी अक्सर आपस में भिड़ जाते, गरीबी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनको आपस में मिलाकर रखती। ताज्जुब की बात यह थी कि उस मार्क्सवादी का ऐसा व्यवहार हमारे सेल में अन्य किसी जनसंघी या आर० एस० एस० के आदमी के साथ नहीं था। इस मार्क्सवादी से अक्सर साम्यवाद के आदर्शों पर नहीं, बल्कि भारत में मार्क्सवाद की उपयोगिता के बारे में चर्चा होने लगती थी।

हमारे दिमाग पर श्रीमती गांधी का प्रभुत्वावाद छाया हुआ था और हम लोग तानाशाही के नाम मात्र जाते थे। हमारे बाड़े सूचना के साधन और समाचारपत्रों की आज्ञा.

कि अगर किसी उचित मामले को हम सही ढंग से पेश करें तो लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, श्रीमती गांधी को सन् 1971 में भारी सफलता मिली, क्योंकि उन्होंने जनता को यह वचन दिया था कि सत्ता में आने पर गरीबी हटा देंगी। इन लोकतंत्रवादियों का कहना था कि अगर उन्होंने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया तो इसमें पद्धति की कोई श्रुति नहीं थी, श्रुति श्रीमती गांधी की थी जिन्होंने इस पद्धति का पालन नहीं किया।

तानाशाही में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, वह मशीन का पुर्जा बनकर

रह जाता है। उसकी सारी आजादी खत्म हो जाती है, वह न तो सोच सकता है और न खुद कुछ कर सकता है। वह मशीनी आदमी हो जाता है। उसको चलाया जाता और बन्द किया जाता है, वह खुद नहीं चलता, बल्कि मशीन है जो उसे चलाती है।

लोकतंत्रवादियों की एक और दलील यह थी कि भौतिक सम्पन्नता लाने की कोशिशों में साम्यवाद मनुष्य की प्रकृति में निहित आध्यात्मिक तत्व को भूल जाता है। जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य के बुनियादी तत्व है। साम्यवाद मानवीय व्यवहार के आदर्शों और मूल्यों की उपेक्षा ही नहीं करता, बल्कि उनको विलग भी कर देता है। उसकी भाषा हिंसा की भाषा है और दमन, किसी भी प्रकार हो, मनुष्य में जो कुछ भी अच्छाई है, उसे कुचल देता है।

श्रीमती गांधी अक्सर पूछती थी : आजादी किसके लिए ? जैसा कि कम्युनिस्ट कहते हैं, क्या यह "पूँजीपतियों, प्रतिष्ठातिकारियों" के लिए या "धनी-मानी लोगों" के लिए ? "क्या व्यक्ति समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है ?"

मैं सोचता था कि समाज व व्यक्ति में विरोध कहाँ है, क्योंकि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के हित के लिए है। जब हम समाज के हित की चर्चा करते हैं तब यह हित कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति के, जो समाज का अंग होता है, हित से अलग हो, असल में व्यक्ति ही समाज बनाता है। साम्यवाद, समाजवाद या पूँजीवाद—लक्ष्य तक जाने के लिए साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। हम कल्याणकारी राज्य की बात करते थे, लेकिन यह कैसा राज्य होगा ? क्या इसमें उन कामों के लिए जो समाज के हित में समझे जायेंगे, व्यक्ति की उपेक्षा की जायेगी या उसकी बलि दे दी जायेगी ? नेहरू अक्सर कहा करते थे और उन्होंने लिखा था : व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

हमारे बाड़ें में कुछ गांधीवादी थे जो हमेशा कहा करते थे कि बुरे साधनों से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। उनकी धारणा थी कि हिंसा से कोई स्थायी हल नहीं निकलता है, यह हमको अनुचित दिशा की ओर ले जाती है। समाज में कोई भी परिवर्तन संवैधानिक तरीकों से लाया जाना चाहिए और इसके लिए शक्ति बंदूक से नहीं बल्कि जनमत से हासिल की जानी चाहिए। वे प्रायः बहुत जोरों से कहते थे कि समय-समय पर सरकार को अपनी नीतियों की पुष्टि मतदाताओं से करानी चाहिए। किसी भी आदमी या पार्टी को खुद यह दम्भ नहीं करना चाहिए कि उसे यह तय करने का अधिकार है कि देश के हित में क्या है, क्या नहीं।

बहुत चाहे जितनी गर्म होती, अंत में हम लोग इस बात पर सहमत हो जाते कि ऐसी पद्धति जो हमारी निजी स्वतंत्रता पर हावी हो जाये या उसे छीन ले, अपनाये जाने लायक नहीं हो सकती। भविष्य के बारे में बात करते समय हम सहमत थे कि एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए जो हमें आजादी दे और रोटी भी। नजरबंदों ने यह प्रतिज्ञा की कि जब कभी वे जेल से छूटेंगे, ऐसे ही तंत्र की स्थापना के लिए कोशिश करेंगे जो लोकतंत्र के सिद्धांतों की क्षति पहुँचाये बिना आर्थिक खुशहाली ला सके।

हम लोगों में थोड़े-बहुत ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि इस का एकमात्र उपाय अपनी आवश्यकताओं को कम करना, सादा जीवन बिताना और सहनशील बनना ही है। लेकिन हम लोगों में से एक उग्रवादी ने यह कहा कि सहनशील होने से हम यथा-स्थिति को बनाये रखेंगे और जो व्यवस्था पहले से ही स्थापित है उसकी रक्षा करेंगे। उसका विश्वास था कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया

जा सकता कि क्या विरोध को पनपने दिया जाये। वह विरोध का औचित्य तो मानता था, लेकिन यह भी मानता था कि विरोध किसी भी कार्यक्रम को पूरा करने में रुकावट बन जाता है।

जन संघ और आर० एस० एस० दोनों के आदमी मुझ पर वेहद मंहरवान थे। इनमें से अधिकतर लोगों ने मेरे लेखों को पढा था, इसलिए ये लोग अपने संगठनों के वारे में मेरे विचार जानते थे। शायद इसी वजह से ये लोग कुछ आम बातों को छोडकर राजनीति पर मुझसे कोई ख़ास बहस नहीं करते थे। मुझे शंका है कि इन लोगों ने आपस में यह तय कर लिया था कि मुझसे अगर कोई राजनीति पर चर्चा करेगा तो केवल दो आदमी ही करेंगे। इनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था।

उसके साथ बात करने में एक बात स्पष्ट हुई, जो मैं सोचता भी था, वह यह कि जन संघ और आर० एस० एस० एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह इसे छिपाते भी नहीं थे और कहते थे कि जन संघ का जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है, जिसे वह एक सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन बताते थे और यह इसी की एक राजनीतिक संस्था है। हर क्षेत्र के लिए उनका अलग-अलग संगठन था—जैसे, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ आदि-आदि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इन संस्थाओं के सदस्य होते थे।

बंगाल के श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जो हिन्दू महासभा के नेता थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जो आर० एस० एस० से जन संघ में प्रवेश किया था। मैं यह जानना चाहता था कि जो लोग जन संघ में भेजे जाते हैं उन पर आर० एस० एस० का कितना नियंत्रण रहता है। मुझे बताया गया कि वे हमेशा आर० एस० एस० के अधीन रहते हैं। आम तौर पर वे अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन जब कभी जरूरी या नीति-विषयक मामलों को सुलभाना होता है तब उन्हें निर्देश दिये जाते हैं। उन्हें इन निर्देशों के अनुसार चलना पडता है। उदाहरण के लिए, चुनावों के लिए अभ्यर्थियों को छानना 'हमारे परामर्श से' होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी ने कहा और हम लोग चुनावों में जन संघ के अभ्यर्थियों का प्रचार करने, धन आदि इकट्ठा करने में सहायता करते थे। आर० एस० एस० ही यह निर्णय करता था कि इस काम पर कौन लगाया जाये और कौन नहीं।

इस बात में कोई सन्देह नहीं था कि जन संघ और आर० एस० एस० के लोग निष्ठावान और राष्ट्रभक्त थे। मुझे विश्वास हो गया था कि ये लोग कभी भी राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन जिस बात पर मुझे हैरत होती थी वह यह थी कि उनका झुकाव स्वयं को ही सच्चा देशभक्त मानने की ओर ज्यादा था। अन्य लोगों के प्रति, खास तौर से मुसलमानों के प्रति, वह शक की नज़र से देखते थे। मुसलमानों के वारे में वह यह सोचते थे कि उनका ध्यान पश्चिमी एशिया की ओर रहता है और इनका 'दिल' भारत में नहीं लगता। यह दोनों प्रवक्ता कहते थे कि जिसे हिन्दू संस्कृति कहा जाता है वही भारतीय संस्कृति है और मुसलमानों को भारतीय होने के नाते इसे अपनाने में कोई क्तिभक्त नहीं होनी चाहिए। गीता, वेद, पुराण और पूजा-विधि भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति है, हिन्दू संस्कृति की नहीं। एक-आध वार वह बहस के दौरान धर्म-परिवर्तन में मुसलमानों की 'आस्था' और काफ़िरो का सफ़ाया करने में उनके

‘विश्वास’ की भी चर्चा करते। वह चाहते थे कि भारत में मुसलमान सच्चे मुसलमान बनें।

मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जन संघ और आर०एस०एस० के लोग इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते थे और भारतीय मुसलमानों के बारे में तो उससे भी कम। मुसलमान भी नयी दुनिया के प्रभाव में अपने को ढाल रहे थे। दुनिया के बहुत-से मुसलमान नेताओं ने कहा था कि इस्लाम को अपने समाज में भीतर से सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत-से मुसलमान देशों में यह हुआ भी है। ऐसा लगता था कि जन संघ और आर० एस० एस० के ये हमारे दोस्त इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे मुसलमानों से यह कहकर कि उन्हें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, उन पर अपना बड़प्पन जताते हैं। ऐसा लगता था कि वे यह अनुभव नहीं करते कि मुसलमानों के प्रति दया की भावना का प्रदर्शन करने से मुसलमान और भी निराश होते हैं और समझते हैं कि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता; नौकरी ढूँढ़ने, व्यापार करने या रोज़गार शुरू करने में उनके साथ भेद-भाव किया जाता है; उन्हें जान-बूझकर अलग रख दिया जाता है। और सरकार भी उनको समान अवसर दिलाने के लिए कुछ नहीं करती। प्राइवेट कम्पनियाँ तो उनको पूर्वाग्रहों के कारण नौकरी देने में हिचकिचाती थी। और फिर, हर तरफ से उनको यह उपदेश सुनने को मिलता था कि उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ मिल जाना चाहिए। यह भारतीयकरण के पुराने सिद्धान्त का नया रूप-जैसा लगता था। लेकिन भारतीय होने के योग्य बनने के लिए उनसे क्या करने की आशा की जाती थी? उन्होंने सभी राजनीतिक सभाओं में तो भाग लिया था जिसमें जन संघ भी शामिल था, मुसीबत के दिनों में उन्होंने तकलीफें भी भेली थी और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। इससे क्यादा उनसे और किस बात की आशा की जाती है? वह और किस तरीके से राष्ट्रीय जीवन की अवधारणा में अपना योगदान कर सकते हैं?

मैंने जन संघ के अपने इन दोस्तों को बताया कि आज़ादी के अट्ठाइस साल बीतने के बाद भी बहुत-से मुसलमान सोचते हैं कि उन्हें अपना बफादारी और देशभक्ति का सबूत देना होगा। जब से विभाजन हुआ तब से उनको ही सबसे ज्यादा तकलीफ भेलनी पड़ी। वह अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं, राष्ट्रीय मुसलमान भी कभी-कभी अपने को अमुरक्षित समझते हैं। नेहरू के शब्दों में, “हिन्दुओं को चाहिए था कि मुसलमानों के दिमाग में सुरक्षा का भाव जगाते, अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों की यही जिम्मेदारी होती है।”

लेकिन जन संघ के मेरे दोस्त इस बात पर सहमत नहीं होते थे। वे कहते थे कि मुसलमानों के प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं है—हो सकता है कि एक दिन मुसलमान जन संघ में शामिल भी हो जायें। लेकिन इससे पूर्व, उन्हें भारतीय पहले और तब मुसलमान होना पड़ेगा।

मेरे इस सवाल का कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन संघ के लोग पहले भारतीय और तब हिन्दू हैं, उनका जवाब था कि हाँ। लेकिन तब उनके मत में हिन्दू होना भारतीय होना था। और वहस वहीं पर खत्म हो जाती जहाँ से शुरू हुई थी।

वाडें में किसी ने कहा कि मुसलमान इस भावना से ही, कि उन्हें किसी भी क्षेत्र में उचित स्थान नहीं मिला है, या तो दकियानूसी हो जाते हैं या किसी शुद्ध साम्प्रदायिक संगठन में जा मिलते हैं। वे समझते लगते हैं कि साम्प्रदायिक

आश्रय पर अपने को संगठित करके अब से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। वेरोज़गार होने के कारण नौजवानों को निराशा का ज्यादा एहसास होता है और वे लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि वह यह जानते हैं कि ऐसे कामों से हिन्दुओं में खराब प्रतिक्रिया होगी तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं होती।

इसलिए मुसलमान किसी तरह की तब्दीली यहाँ तक कि अपने विवाह कानून में भी किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तरह उनका विवाह कानून भी उनके घर्म का एक आखिरी गढ़ बन गया है। उनको डर है कि वह अपनी विशेषता, या जिसको वह अपनी संस्कृति कहते हैं, खो देंगे। अन्यथा यह बड़े ताज्जुब की बात है कि उन्होंने ऐसी तब्दीलियों को भी स्वीकार नहीं किया जो अधिकांश मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ की हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी की लिखित सहमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में मुसलमानों ने चार-चार बीवियाँ रखने के अपने अधिकार को बनाये रखा है।

मुसलमानों के उत्तराधिकार कानून के अनुसार लड़के अपने पिता की सम्पत्ति के वारिस होते हैं लेकिन इस पिता के मरने के बाद उसके लड़कों के लड़के उत्तराधिकारी नहीं होते। बहुत वर्षों पहले, जब डॉ० ज़ाकिर हुसैन जीवित थे, इस बात की कोशिश की गयी कि मुसलमानों के विवाह कानून को 'नया' रूप दिया जाये। लेकिन केन्द्रीय मंत्रियों और संसद-सदस्यों ने इसका विरोध किया और इस दलील के वावजूद कि जब संसद हिन्दुओं, सिखों और ईसाइयों के लिए कानून बना सकती है तब वह मुसलमानों के लिए भी बना सकती है, यह कोशिश छोड़ दी गयी थी।

मुसलमान बिना किसी कारण विवाह-कानून के बारे में अड़ गये थे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार का दृष्टिकोण संकीर्ण था। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था का रूप दे दिया जाता, जो मुसलमान बुरी तरह चाहते हैं, तो आसमान नहीं फट जाता। अगर अधिनियम से तो ऐसा ही अधिनियम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन सरकार बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में 'हिन्दू भावना' के कारण कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। सन् 1971 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विधेयक का बनना शुरू हुआ तब यह मुभाव रखा गया कि इसी तरह का विधेयक बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी बनाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस विचार को छोड़ दिया, क्योंकि वह हिन्दू मतदाताओं को 1972 के विधान-सभा-चुनाव के पहले नाराज नहीं करना चाहती थी।

उर्दू की समस्या भी है, जिसे साइं छह करोड़ भारतीय मुसलमान अपनी भाषा कहते हैं। उर्दू के खिलाफ निश्चित द्वेष रहा है और सबके मन में यह बात ब्रँसे, पर कर गयी है कि वह पाकिस्तान की भाषा है। इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा जाता कि उर्दू का जन्म दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में हुआ था। इस भाषा के साथ जो सौतेला ब्यवहार होता है उससे मुसलमानों में यह भावना और उग्र होती गयी कि उनके प्रति अन्याय हो रहा है। यह सुना गया कि उर्दू को उचित दर्जा दिलाने के लिए स्थापित इन्दर गुजराल-कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उर्दू उस कसौटी को पूरा नहीं करती है जिसके आधार पर उसे किसी भी राज्य में दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाये। जब छठी अनुसूची

में दी गयी हर भाषा को देश के किसी-न-किसी भाग में सरकारी दर्जा मिला हुआ था, तब उर्दू को क्यों नहीं दिया जाता ? यह अधिकांश भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और इसके साहित्य की बराबरी कुछ भाषाओं के साहित्य के साथ ही हो सकती है। जमात-ए-इस्लामी के सभी तीनों नज़रबंदों ने अपनी विनम्रता के अलावा उर्दू के मलीक़ेदार इस्तेमाल से हम लोगों का दिल जीत लिया था। हुकूमत-ए-इलाही की उनकी धारणा राम-राज्य या (ईसाई धर्म मानने वालों के लिए) किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ (पृथ्वी पर ईश्वर का शासन) जैसी है। लेकिन मनुष्य-निर्मित कानूनों के प्रति उनका विरोध और कुरान के सदियों पुराने कानून के प्रति उनका झुकाव इतना कट्टर है कि जन संघ के सदस्य कभी-कभी उसकी तीव्र आलोचना करते थे। मुझे याद आया कि गृह-मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जमात का "दूसरे लोगों के साथ गठबंधन है।"

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, आर० एस० एस० और जन संघ के लोग और जमात के सदस्य एक-दूसरे के नज़दीक आते गये। वे अपना अधिकांश समय आपस में बातचीत करने और खेलने में बिताते थे। एक-दूसरे के प्रति दोनों के सन्देह दूर होते गये और उनमें से अधिकांश लोगों ने यह स्वीकार किया कि वे एक-दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे। वे तानाशाही के खिलाफ़ लड़ाई में एक-दूसरे का हाथ बँटाने की बात अक्सर करते थे। एक बात निश्चित हो गयी थी कि जब कभी वे छूटेंगे तो उनके आपसी संबंध पूर्वाग्रहों से अधिक मजबूत साबित होंगे।

जहाँ तक जमात की कट्टरता का संबंध है, यह एक तथ्य है। मुझे याद है, हाल ही में गृह-मंत्रालय की एक अध्ययन-रिपोर्ट¹ में इसे "आधुनिकता के प्रति प्रतिरोध" कहा गया था। इस अध्ययन-रिपोर्ट में यह कहा गया था कि चूंकि मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हैं जो अपनी विशेषता को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आधुनिकता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सदिग्ध है और जो रूढ़िवादी है वे तो स्पष्ट रूप से आधुनिकता के विरोधी हैं। इस अध्ययन-रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो लोग आधुनिकता से प्रभावित हैं वही परिवर्तन के विरोध में अगुआ रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस्लामी विशेषता के लिए आधुनिकता से पैदा होने वाला खतरा ज्यादा साफ़ दिखायी देता है। वह साम्प्रदायिक राजनीतिक आन्दोलनों को छेड़ने में, इस्लामा भाषाओं का विकास करने में और सुधार का विरोध करने में अगुआई करते हैं। रूढ़िवादी मुसलमान समुदाय की एकता के बारे में चिन्तित रहता था, जिसे वह आधुनिकता की प्रक्रिया में निहित विखरने वाली मभावनाओं के प्रसंग में विशेष ज़रूरी समझता है। इस अध्ययन के अनुसार जैके वर्ग के ऐसे लोग जो आधुनिकता में रगे होते थे उनमें धार्मिक भावनाओं की कमी रहती थी, वे सामुदायिक एकात्मता को विकसित करने के लिए राजनीति और समानता की चर्चा को मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे।

मेरा अनुमान था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाजन के पूर्व की घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह पाकिस्तान बनने पर हिन्दुओं और सिक्खों के कत्ल किये जाने के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराता रहता था और यह भूल जाता था कि लगभग इतने ही ज्यादा मुसलमान भी मारे गये थे। मुझे याद है कि जब मैं सरहद पार कर भारत में शरणार्थी के रूप में आया था तब वही खून-बूरावे

1. 'कटम्पोरेरी मुस्लिम एटिट्यूड्स ऑन देयर प्लेस इन इंडियन सोसाइटी'

की घटनाएँ यहाँ भी हो रही थी, सिर्फ आदमी बदल गये थे। पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम मारे जा रहे थे और भाग्न में मुसलमान।

लेकिन दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो अपने को और दूसरों को पहले मनुष्य और बाद में हिन्दू, मुसलमान या सिख समझते थे। हमने पाकिस्तान बनने से दो दिन पहले 12 अगस्त को अपना घर छोड़ा और हम कैटोनमेंट में चले आये, जो फौज की निगरानी के कारण ज्यादा सुरक्षित था। यहाँ हमें एक ऐसे घर में पनाह मिली जो मुसलमान का था। एक दूसरे मुसलमान ने हमें खाना और दूध दिया था। एक बार हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों की संख्या, जो इस मकान में रहते थे, सौ से भी ज्यादा हो गयी। मेरे पिता के मुसलमान दोस्त ने हम सबको खाना खिलाया। एक बार मेरे पिता ने उनको रुपये देने चाहे तो इसका उन्होंने बेहद बुरा माना। उन्होंने कहा कि खिन्दगी में एक बार उन्हें यह भौका मिला कि वह अपने दोस्त की सेवा करें, ऐसे दोस्त की जिसने डॉक्टर होकर बहुत लोगों की सेन न रोका जाये।

मैं आर० एस० एस० के अपने दोस्तों की वातचीत को सुनता हुआ यह याद कर रहा था कि किस प्रकार मैंने अपना वतन सियालकोट छोड़ा और किस तरह अमृतसर पहुँचा। डॉक्टर होने के नाते मेरे पिता सेना के बहुत-से गैर-मुस्लिम अफसरों को जानते थे जो सड़क के रास्ते भारत आने की तैयारी कर रहे थे। हमने पूछा : क्या कोई हमको भी साथ ले चलेगा ? लगभग सभी ने इंकार कर दिया। हर एक की अपनी कार या ट्रक भरी हुई थी। लेकिन एक मेजर ने, जो मेरे पिता का बड़ा उपकार मानता था, हमें अपने ट्रक में एक सीट दी। हमारे परिवार में से कौन जाये ? कोई भी दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था। आखिर में लाटरी निकाली गयी और मैं बे-मन से जीता हुआ ट्रक में घँस कर बैठ गया जो जल्दी ही एक काफिले में जा मिला। ट्रक में सामान ठसाठस भरा हुआ था और मैं एक एक पुरानी जर्जर कोच के नीचे सिमटा बैठा था। लेकिन कभी-कभी भारतीय नेताओं पर किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। सभी लोग डरे हुए थे। कोई लोग उबल पड़ते थे कि उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को धोखा दिया था। सियालकोट से लगभग बत्तीस किलोमीटर दूर सत्रियाल तक कोई घटना नहीं हुई। लेकिन उसके बाद यह काफ़िला रुक गया। एक भीड़ ने हमें रोक लिया। हमारे सैनिक रक्षकों के पास जो स्टेनगनों, राइफ्ले और मशीनगन थीं-वह तन गयीं। लेकिन यह झूठा अलार्म था। यह गैर-मुसलिम आदमियों का जर्था था जो दूर के शहरों से भारत पैदल आ रहा था। एक दर्दनाक दृश्य था। वे सब फटेहाल थे, हर एक के चेहरे पर तकलीफों की रेखाएँ उभर आयी थी। उनका सब-कुछ लुट चुका था। कुछ आदमियों के शरीर पर घाव थे जिससे पता लगता था कि इन्हें लाठी से मारा-पीटा गया था, औरते और बच्चे हक्के-बक्के थे।

मुझे आज भी याद है कि एक सिख, जिसकी लम्बी-लम्बी दाढ़ी आधी पक चुकी थी, मुझे बार-बार रोक रहा था और एक बच्चे को, जो उसका इकलौता पोता था, मेरी गोदी में दे रहा था। उसने मुझसे अनुनय की थी, "हमारे खानदान में एक यही बच्चा है। इसे भारत लेते जाओ। कम-से-कम यह तो खिन्दा रहे।" एक नौजवान औरत ने अपना बच्चा ट्रक में फेंक दिया, "मैं तुम्हें दूँड लूंगी, मेरे बच्चे को लेते जाओ।" मैं इन लोगों के इन बच्चों को ट्रक में कैसे ले जा सकता था, जब मेरे परिवार में से अकेले मुझी को इसमें जगह दी गयी थी ? मैं किस

तरह समझाता ? किसको समझाता ? क्या समझाता ?

इन बेसहारा लोगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल था। हर आदमी को अपना चिंता खुद थी। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे ! सरहद तक पहुँचने के लिए लम्बा रास्ता तय करना बाकी था। फौजें दिन में ही सब काम पूरा कर लेना चाहती थी। गाड़ियाँ घर-घरं कर चल पड़ी। मैंने पीछे देखा, लोग हाथ उठाकर चिल्ला रहे थे और हम लोगों से कुमक जल्दी भेजने के लिए बार-बार कह रहे थे। ट्रकों के पीछे से उड़ती धूल उनके चेहरों पर छा गयी और वह हमारी आँखों से ओझल हो गये।

हम ग्रांड ट्रंक रोड से जा रहे थे। हमे रास्ते में कई और दस्ते मिले, छोटे और बड़े, कुछ रावलपिंडी की तरफ से और कुछ गुजरानवाला की तरफ से और कुछ साथ के शहरों से थे। लगता था कि पूरी आबादी ही चली आ रही है। कितनी दूर चलना है ? शायद कोई नहीं जानता था, किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी। इन बातों में क्या रखा है कि वह अपने उन घरों को छोड़ आये जहाँ उन्होंने सारी जिन्दगी काटी थी, अपने उन दोस्तों को छोड़ आये जिनको वह दिल से चाहते थे।

जब हमारा दस्ता लाहौर की सीमा पर पहुँचा तब दिन काफ़ी ढल चुका था। यह रुक गया पर पता नहीं क्यों, ख़बर मिली कि अमृतसर में मुसलमानों के एक दस्ते पर हमला हो गया है और लाहौर के मुसलमान इसका बदला लेने का इन्तज़ार कर रहे हैं। हम लोगों को ट्रक से उतर जाने का हुकुम दिया गया जो घेरा बनकर खड़ी किये गये थे, जिससे रक्षा की पहली पंक्ति-जैसी तैयार की जा सके। आदमी ट्रकों से उतरकर पीछे बैठ गये और औरतें तथा बच्चे बीच में बिठा दिये गये। हम खामोश होकर इन्तज़ार करने लगे। दूर पर कभी-कभी गाली चलने का आवाज़ सुनायी पड़ जाती थी। नज़दीक में खेतों से सड़ती हुई लाशों की बदबू आ रही थी। हम लोग 'अल्लाह ओ अकबर', 'या अली', 'पाकिस्तान जिन्दावाद' के नारे सुन रहे थे, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। देर तक इन्तज़ार करने के बाद हमारा डर ग़लत निकला।

हम फिर चल पड़े। मैंने सड़क के दोनों तरफ़ लाशों पर लाशें देखी। इधर-उधर ख़ाली ट्रक खड़े हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कत्ल करने के पहले या बाद में लूटपाट हुई थी। ज्यों-ज्यों हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँचते जाते हमारी घबराहट बढ़ती जाती।

और तब हमने 'भारतमाता की जय' सुनी। यही हमारे सफ़र का आखिरी लक्ष्य था। हम सफेद रंगे ड्रमों के पास से जल्दी से निकल गये, बाँस के खम्भे पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, जो सरहद का प्रतीक था। सब लोग खुश थे। लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे थे। यह एक बड़ी बात थी कि हम लोग जिन्दा रह गये। फ़ौज के एक अफसर की बीबी ने एक पैकेट निकाल कर मिठाई बाँटी, जो स्पष्ट ही वह अपनी सीट के नीचे छिपाये हुई थी। अब भी दिन था। मैंने देखा कि लोग ट्रकों में भरे हुए और पैदल हमारे नज़दीक से उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं। वे मुसलमान थे। मैं उनके चेहरों पर वही दर्द की भुर्रियाँ देख रहा था—आदमी और औरतें अपने सिर पर अपने-अपने सामान की गठरियाँ लिये हुए थीं। उनके बच्चे उनके पीछे चल रहे थे। वह भी अपना घर-बार अपने दोस्त और अपनी आशाओं को छोड़ आये थे।

हमारे ट्रक रुक गये, जिससे उनको रास्ता दिया जा सके। हम में से कुछ लोग

टुको से उतर गये उनको देखने—सिर्फ देखने के लिए। कोई कुछ बोना नहीं—न वे और न हम। लेकिन हम लोगों ने एक-दूसरे को पहचान लिया, यह संबंध तुरंत जुड़ गया। दोनों ने लोगों को कत्ल होते हुए और तकलीफें भेनते हुए देखा था, दोनों को अलग कर दिया गया था, दोनों शरणार्थी थे।

ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये लोग शान्त होते गये, उन्होंने अनुभव किया कि बहुत दिनों तक जेल में छूटने का कोई चारा नहीं था। कुछ लोगों ने ब्रिज का खेल सीखना शुरू कर दिया, कुछ भाषा-वैज्ञानिक बनने लगे और अपने गंभीर क्रीडियों से बंगला या उर्दू सिखाने का आग्रह करने लगे। कुछ लोग पढ़ना चाहते थे, मुझे जेल की लायब्रेरी जाकर बाईं में लोगों के लिए किताबें लाने का काम सौंपा गया। हमने जेल-अधिकारियों से इस बात के लिए इजाजत माँगी और मुझे लायब्रेरी आने जाने की इजाजत मिल गयी।

लायब्रेरी में कुछ लोग ही होते थे। मैंने वहाँ आँधों के मजदूर डॉक्टर एन० एस० जैन को भी देखा, जिन्हें अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में सजा मिली हुई थी। मैं ताज्जुब में पड़ गया। वही लायब्रेरियन भी थे। मैंने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि जब उन पर मुकदमा चल रहा था तब उनकी फोटो अखबारी में छपी थी। मैंने उनसे सारी घटना के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मसौदा तैयार हो गया है, एक दिन यह छप जायेगा। उन्होंने आगे कहा, "आप शायद मेरी इस लायब्रेरी जैसे कवूतरखान"

के पटरों पर रखी थी, वे दाना निकालना था। अधिकांश किताबें बहुत पुरानी थी, जैसी कि उन पुराने क्लर्कों में मिलती है, जो कभी सिर्फ अप्रेजों के लिए हुआ करते थे।

मेरे साथी चाहते थे कि मैं राजनीति पर कुछ किताबें लाऊँ। लेकिन वहाँ श्रीमती गांधी के भाषणों को छोड़कर राजनीति पर कोई भी किताब नहीं थी। वहाँ पर महात्मा गांधी की लिखी कोई किताब नहीं थी, लेकिन नेहरू की ग्लिम्पसेज ऑफ़ हिस्ट्री थी। हिन्दी की किताबों का संग्रह अच्छा था।

ताज्जुब था कि वहाँ लेडी चैंटर्लॉज लवर की एक प्रति आलमारी में मिल गयी। मुझे नेहरू की वह टिप्पणी याद हो आयी जो उन्होंने लेडी चैंटर्लॉज लवर पर उस समय लिखी थी जब मैं गृह-मंत्रालय में काम करता था। सीमा-मुक्त के अधिकारियों द्वारा नोबोकोव की लोलिता किताब रोक ली गयी थी और गृह-मंत्रालय की यह दलील थी कि लेडी चैंटर्लॉज लवर की तरह इस किताब पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। नेहरू ने दलील दी थी कि "लेडी चैंटर्लॉज लवर किताब पर क्यों रोक लगायी जाये और लोलिता पर क्यों नहीं?" नेहरू ने जिस बात पर आपत्ति की थी वह इस पुस्तक के मुख्य पात्रों द्वारा व्यवहृत या चर्चित शृंगार-क्रियाओं का इसमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वर्णन था। उन्होंने कहा था कि यह वर्णन भद्दा और आपत्तिजनक है, अगर इस किताब में कोई साहित्यिक गुण है तो वह घासलेटी, गन्दे परिच्छेदों और शब्दों के कारण ढक गया है। और यह किताब कुल मिला कर अश्लील है।

है। उन्होंने इसका इलाज करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि उनको जेल

में इसके लिए कोई सुविधा नहीं मिली हुई थी। लेकिन उन्होंने एक खास दवा लगाने के लिए कहा, जो मुझे जेल से मिल गयी।

मेरी आँखें उस दवा से तो ठीक नहीं हुईं जो डॉक्टर जैन ने बताया थी, बल्कि उस देखभाल से ठीक हुईं जो वार्ड में बँधजी ने की। वह दिन में दो बार आते और नीम की पत्तियों से मेरी आँखों की सिकाई करते, जिससे मेरी आँखों को आराम मिला।

जो किताबें मैं वार्ड में लाया उनमें लेडी चैटलॉज लबर भी थी। मेरे कुछ दोस्त मेरे चुनाव पर खुश थे। इस बात पर बड़ी गरम बहस हुई कि अश्लीलता क्या है और कला क्या है। इस बात पर सभी दुखी थे कि चाहे जितनी भी रोक लगाओ, किताबों में, सिनेमा में और नाटकों में अशिष्टता बड़ी तेजी से साधारण बात होती जा रही है। लेकिन कुछ का विचार था कि कला, साहित्य और मनोरंजन पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसे रोकने का तरीका सिर्फ यही था कि पावन्दी या रोक बिलकुल हटा ली जाये। एक प्रोफेसर ने कहा कि फ्रामवेल ने ज्यों ही थियेट्रों को बन्द करने का आदेश दिया था त्यों ही लोग चोरी-छिपे पिछवाड़े से निपिद्ध अभिनयों को देखने जाने लगे थे। हमारी बहस एकाएक रुक गयी, जब हमने एक भारी-भरकम आदमी को अपने वार्ड के पास से गुजरते हुए देखा और हम लोग काँटोंदार दरवाजों से उसे गौर से देखने लगे। वह राजनारायण थे, उनके पीछे-पीछे जेल का एक अदना-सा कर्मचारी चल रहा था। वह रोजाना उधर से निकलते और हम लारेल और हार्डी की इस जोड़ी के आने का इन्तज़ार करते। लेकिन कोई उनकी तरफ़ हँसता नहीं था, क्योंकि वह जन संघ के लिए भी एक हीरो बन गये थे, उन्होंने श्रीमती गांधी के खिलाफ़ चुनाव-याचिका जो जीती थी। वह दरवाजे पर अक्सर रुक जाते और मेरे वारे में पूछते। पत्रकार होने के नाते मैं उनसे अक्सर मिल चुका था, लेकिन इस समय वह मेरे पत्रकार थे जो बाहर की खबरें सुनाते। उनके संवाददाता वे वकील थे जो उनकी चुनाव-याचिका स्वीकार करने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपील की बाबत उनसे रोज़ाना मिला करते थे।

मैंने उनसे सुना कि मेरी पत्नी ने पाँच अगस्त को मेरी नजरबन्दी के खिलाफ़ संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गयी है। इस याचिका में एक दूसरे आदेश को भी चर्नीती दी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि मेरी नजरबन्दी राष्ट्रपति द्वारा घोषित इमरजेंसी को 'प्रभावी' ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक थी।

मुझे ताज्जुब हुआ कि भारती ने याचिका दायर करने के वारे में मुझे पहले से कोई संकेत नहीं दिया था और न याचिका दर्ज हो जाने के बहुत दिन के बाद भी कोई खबर भेजी थी। राजनारायण ने बताया कि मेरा केस पक्का है। लेकिन मुझे शक था। मैं देश में डर के वातावरण का अनुभव कर रहा था। सभी बुज्जदिल थे, जज भी।

राजनारायण का साथ हमेशा अच्छा था। एक दिन मैंने जेल-मुपरिटेण्डेंट से पूछा जो हर सोमवार को क़ैदियों से निजी सम्पर्क के लिए सभी वार्डों में आता था, कि हमारे मेल में राजनारायण को क्यों नहीं रख दिया जाता? हमने बताया कि उनका वार्ड, जो बहुत लम्बा-चौड़ा था, महिला नजरबंदों को दे दिया जाये। हमें मालूम हुआ था कि महिलाओं का वार्ड बहुत बुरी तरह भर गया था। जेल-मुपरिटेण्डेंट ने

वताया कि उसे यह हुकुम था कि राजनारायण को अकेला रखा जाये—उन्हें अपने जेलरों और वकीलों के सिवा किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी।

लेकिन राजनारायण उन आदेशों से विचलित होने वाले नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ही मेरे बाइंड में चले आया करो।

जेल का अदना कर्मचारी, जो उनके साथ चलता था, हमारे बाइंड में उनके आने-जाने से स्पष्ट रूप से असन्तुष्ट था। उसने मुझसे कहा कि मैं राजनारायण से बात न किया करूँ। उसे डर था कि वह झभट में पड़ जायेगा और उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता था। राजनारायण को कोई दवा नहीं सकता था। एक दिन मुझे उनके पास आने में कुछ देर हो गयी थी। वस, वह मेरा नाम लेकर इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि बाइंडर ने समझा, उसके अफसर आ धमकेंगे। वह डरता-डरता राजनारायण से बोला कि वह हम लोगों से बात न करे। राजनारायण ने शान्त होकर जवाब दिया कि उसे कुछ रुपयों के पीछे अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम जब सरकार में आयेंगे तब तुमको अच्छी नौकरी देगे।" बाइंडर परेशानी में पड़ गया—वह इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था कि राजनारायण कभी सरकार में नहीं आयेंगे।

राजनारायण ने मुझे बताया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की सुनवाई खत्म हो जायेगी वह हिसार ले जाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बंसीलाल उन्हें 'लेने' के लिए बहुत उत्सुक है। सुना गया था बसीलाल ने अपने कुछ आदमियों से कहा है, "मैंने बहन जी (श्रीमती गांधी) से कहा कि आप मुझे राजनारायण को दे दीजिये और मैं उनके पुट्टे छांट दूँगा।"

राजनारायण ने एक दिन बड़ी संजीदगी के साथ पूछा कि श्रीमती गांधी को तानाशाही के लिए क्या वे जिम्मेदार है? अगर वह अपनी चुनाव-याचिका न दाखर करते और जीतते तो क्या वह जनता से उसकी निजी आजादी छीनने के लिए यह सब भयंकर कार्य करती?

यह एक मनोरंजक विषय था। निश्चय ही एक दिन कोई ईमानदार शोधकर्ता डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए इस पर शोध करेगा। लेकिन तब यह निर्णय करना कठिन था कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तानाशाही के लिए रास्ता खोल दिया था। निर्णय से श्रीमती गांधी को उस रास्ते पर चलने में आसानी हो गयी, जिस पर वह पहले से ही चल रही थीं।

क्या वह सोचती थी कि वह ऐसी जगह पहुँच गयी हैं कि किसी-न-किसी तरह की तानाशाही जरूरी है? अगर ऐसा था तो उन्होंने इलाहाबाद के निर्णय के बाद ही इमरजेंसी लागू करने का विचार क्यों किया?

मेरा अनुमान था कि जैसे ही स्थिति विगड़ती गयी उनके दृष्टिकोण में दो तब्दीलियाँ आ गयीं। पहली यह कि उन्होंने दूर भविष्य का विचार करना छोड़ दिया, वह घटनाओं के अगले मोड़ के बारे में ही चिन्तित रहने लगी। दूसरे यह कि वह अन्तिम लक्ष्य व संस्थाओं के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ इस बात को फ़िफ्र में थीं कि किस तरह प्रधानमंत्री बनी रहे। उन्होंने इस भावना को यह दलील पेश कर न्याय-संगत बनाया कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं रहें तो देश में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो देश को उसके चमकीले लक्ष्यों की ओर ले जाना सुनिश्चित कर सकेगा।

केंद्र से क्यादा राज्यों में, शासकों ने जो मिला उसे हथियाना शुरू कर दिया, जैसे सभी को यह विश्वास हो गया था कि यह मौका है कि हर चीज जो हाथ लग

मंत्रियों का है ?

औरतों का वाडं हमारे वाडं के वाद था, बीच में सिर्फ एक दीवाल थी। जब वहाँ कोई नज़रबंद आता, हम लोगों तक ख़बर पहुँच जाती। जेल में ख़बर बड़ी तेज़ी से फैलती थी, जिसके लिए वहाँ कई साधन थे। वहाँ वाडंर थे जो हमें खबर देना पसन्द करते और कँटीन वाला सबेरे सामान के साथ खबरें भी ले आता था। लेकिन हमारा सर्वोत्तम संवाददाता था पालिश करने वाला एक लड़का—वह अपने को राजू कहता था। वह एक वाडं से दूसरे वाडं में दिन में कम-से-कम तीन बार घूम जाता था। वह जूते-चप्पलों पर पालिश करते समय बातें करता और खबरे इकट्ठी करता था। उसने किसी से भी यह बात नहीं छिपायी कि वह लड़कियों के छेड़ने के अपराध में पकड़ा गया था। हमारे जूते-चप्पलों पर पालिश की ज़रूरत तो होती नहीं थी, लेकिन हम उसका बड़ी उत्सुकता से इन्तज़ार करते थे। वह हमें गाना सुनाता था। वह हरदम कुछ-न-कुछ गाकर सुनाने के लिए तैयार रहता था। हम उसे सिगरेट या कूपन दे देते थे। वह जितनी देर हमारे पास ठहरता और सबेरे सुनाता उतने ही पुरादा कूपन उसे मिलते थे।

उसी ने हमें बताया कि जयपुर की महारानी और ग्वालियर की महारानी औरतो के वाडं में नज़रबंद थी। वाद में उसने बताया कि इन दोनों को जेल की ज़िन्दगी दूभर हो रही थी। उनको अपराधियों—हत्या करने, चोरी करने वाली औरतों और वेश्याओं—के साथ रखा गया है और उनको नल से पानी लेने, शौच के लिए और खाने के लिए इन्हीं के साथ लाइन में लगना पड़ता था। हम मर्द-नज़रबंदों को कम-से-कम इस तरह तो नहीं करना पड़ता था। जब हमने राजनीतिक औरत-नज़रबंदों की हालत के बारे में जेल-मुपरिटेण्डेंट से शिकायत की तब उसने बताया कि जेल में औरतों के लिए एक ही वाडं है और सभी कँदी औरतों को उसी में रखा गया है।

ऐसा लगता था कि इस बात के आदेश दिये गये थे कि इन दोनों महारानियों को जितनी हो सके तकलीफ दी जाये। लगता था कि औरत-वाडंरों ने कँदियों को यह इशारा कर दिया था कि इन नज़रबंदों को शौच के लिए जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक लाइन में खड़ा रखे। इस वाडं में नहाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, सभी लोगों को असल में खुले में ही नहाना पड़ता था। उन्हें या तो खुले में या अन्दर सोना पड़ता था, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। सबसे भयानक बात यह थी कि कुछ कँदी औरतें वहाँ पेशा भी करती थी। यह पुलिस, वाडंरों, जेल के अधिकारियों और कुछ मर्द-कँदियों के मिले-जुले सहयोग से होता था।

इनमें एक नज़रबंद महिला भी थी—श्रीलता, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह नक्सलवादी है। उसने दिल्ली के बाहर श्रीमती गांधी के फार्म के मजदूरों को उकसाया था कि वह कानून में निर्धारित मजदूरी की माँग करें। पता चला था कि उसने जेल में भी औरत-वाडंरों से कहा था कि वह अपने रहन-सहन के आधार पर वेतन की माँग करें। इस महिला का सभी आदर करते थे, लेकिन निराशा की बात यह थी कि नक्सलवाद भी एक विनाशकारी सिद्धांत बनकर रह गया था। नज़रबंदों ने कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए नक्सलवादी वर्षों से हिंसात्मक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मफलता नहीं मिली। भारत में शायद उनकी बात लोगों के

गले के नीचे नहीं उतरती है। हत्या तो हत्या है।

लेकिन नवमतवादीयो के लिए हिंसा व्यक्तिगत धरातल पर युद्धीकरण का एक साधन है। नये वाम मार्ग के नेता फ्रांज फ्रान्क ने भी इसी बात की शिक्षा दी थी। बार्ड में अधिकांश लोगों ने कहा कि इन हत्याओं से नमस्या का हल नहीं निकलता, इनसे मानवीय व्यवहार में आदर्श और मूल्य समाप्त हो जाते हैं।

हम लोगों में अधिकांश का यह विचार था कि पश्चिमी देशों के मजदूरों के प्रति नये वामपंथियों का असंतोष उचित ही था, क्योंकि यह मजदूर स्वयं बुर्जुआ हो गये थे और इसीलिए कोई प्रातिकारी कदम नहीं उठा सकते थे। हमारा विचार था कि नया सर्वहारा वर्ग वह था जिसमें तीसरी दुनिया के गरीब लोग, ग्रामकर किसान और यह लोग शामिल है जो यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्यत्र रंग और जाति के कारण भेद-भाव से ग्रस्त थे।

हमारी समस्या नवमतवादी कम, व्यावहारिक ज्यादा थी। पालिश वाले तडके ने जाकर घबर दी कि औरतो के बार्ड में विजली के पर्याप्त बल्व नहीं थे और वहाँ एक सर्प देखा गया था। हमने यह बात अपनी दोपहर बाद वाली बैठक में रखी—बार्ड के सभी लोग रोजाना दोपहर बाद तीन बजे इकट्ठा होते थे, इस बैठक में जेल की दिक्कतों के बारे में या राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा होती थी।

दोपहर बाद वाली इस बैठक में एक तरह की अध्ययन-गोष्ठी होती थी। वाद में रोजाना सन्ध्या होती थी। यह ताज्जुब की बात थी कि जन संघ और आर० एस० एस० के आदमी महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थना "ईश्वर अल्लाह तेरे नाम" गाते थे लेकिन वे इसमें से 'अल्लाह' शब्द छोड़ देते थे। उनके लिए यह प्रार्थना होती "ईश्वर ईश्वर तेरे नाम।" जब मैंने एक से यह पूछा कि वह 'अल्लाह' का नाम क्यों निकाल देता था तब उसने बताया कि ईश्वर और अल्लाह एक ही भगवान के दो नाम हैं। जब मैंने यह कहा कि उन्हें कम-से-कम कुछ बार इसे "अल्लाह-अल्लाह तेरे नाम" कहना चाहिए, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था।

यह लोग दिन में दो बार प्रार्थना करते थे। पहली प्रार्थना सवेरे बड़े तडके होती थी। चूंकि यह बैठक में ही होती थी, इसलिए इससे बाकी लोगों को तकलीफ होती थी। लेकिन किसी का भी यह साहस नहीं होता था कि वह इसका विरोध करे। वे मुझे अनीश्वरवादी ममभते थे। असल में, एक दिन उनमें से एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तब मैंने जवाब दिया कि मैं यह तो नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन कभी-कभी मैं अनुभव जरूर करता हूँ कि वह है, लेकिन कभी मुझे लगता है कि वह नहीं है।

उन्होंने मेरे विचार बदलने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थना में शामिल होने के लिए दो बार आग्रह करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बार्ड में सभी हिन्दुओं के लिए प्रार्थना में शामिल होना जरूरी था और कुछ ही लोग शामिल नहीं होते थे। जन संघ और आर० एस० एस० के आदमियों के लिए प्रार्थना उनके अनुशासन का एक अंग थी। जब एक आदमी उपस्थित रहने में अनियमित हो गया तब उसको यह बताया गया था कि उसने आदेशों का उल्लंघन किया था और उसे तुरंत ही दंड भी दिया गया था।

शाम को जब यह प्रार्थना होती थी तब हममें से कुछ लोग गजल सुना करते थे। बहुत-से लोगों ने भजन छोड़ दिये और हमारी गजलों को सुनना शुरू कर दिया। इस पर आर० एस० एस० के सर-संचालकों को यह हिदायत देनी पड़ी कि

उनका जो भी आदमी प्रार्थना में शामिल नहीं होगा उसे दंड दिया जायेगा। हमारे मनपसन्द शायर फँज, इकवाल और गालिव थे। लेकिन इनमें से हम फँज को ज्यादा पसन्द करते थे क्योंकि उनको भी बहुत साल जेल में रहना पड़ा था। फँज की नज़्म जो हमारी भावनाओं को दर्शाती थी और जिसे हम इसीलिए रोजाना विधिवत गाते थे, यह थी -

निसार में तिरी गनियो पे ऐ वतन, कि जहाँ
 चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले
 जो कोई चाहनेवाला तवाफ¹ को निकले
 नज़र चुरा के चले, जिस्म-ओ-जाँ बचा के चले
 है अह्ले-दिल के लिए अब यह नज़्मे-वस्त-ओ-कुसाद²
 कि सग-ओ-ख़िशत³ मुकरयद⁴ है और सग⁵ आज़ाद
 बहुत है जुल्म के दस्ते-वहान:-जू⁶ के लिए
 जो चन्द अह्ले-जुनूं तेरे नामलेवा है
 वने है अह्ले-हक्स, मुद्ई भी, मुसिफ भी
 किसे वकील करे, किससे मुसिफो चाहे
 मगर गुज़ारनेवालो के दिन गुज़रते हैं
 तिरे फिराक में यूँ मुब्ह-ओ-शाम करते हैं
 बुझा जो रोजने-ज़िदाँ तो दिल यह समझा है
 कि तेरी माँग सितारो से भर गयी होगी
 चमक उठे है सलामिल⁷ तो हमने जाना है
 कि अब सहर तिरे हल पे बिखर गयी होगी
 गरज़ तसब्बुरे-शाम-ओ-सहर में जीते हैं
 गिरफते-साय-ए-दीवार-ओ-दर में जीते हैं
 यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क
 न उनकी रस्म नयी है, न अपनी रीत नयी
 यूँ ही हमेशा खिलाये है अपने आग में फूल
 न उनकी हार नयी है, न अपनी जीत नयी
 इसी सबव से फलक का गिल: नहीं करते
 तिरे फिराक में हम दिन बुरा नहीं करते
 गर आज तुझ में जुदा है तो कल वहम⁸ होंगे
 यह रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं
 गर आज औज़⁹ पे है तालाए-रकोब¹⁰ तो क्या
 यह चार दिन की खुदाई कोई बात नहीं
 जो तुझमें अह्ल-ओ-वफा उस्तवार¹¹ रखते हैं
 इलाज-गदिशे-लैल-ओ-निहार¹² रखते हैं।

हम लोगों में राव का गला नवसे अच्छा था। वह दिल्ली में शिक्षक था और जमात-ए-इस्लामी-ए-हिन्द का मदस्य था। वह उर्दू बहुत अच्छी और साफ बोलता

1. परित्रया, 2. बंधने और गुलने की ब्यवस्था, 3. इंट-पत्थर, 4. क़ैद, 5. बुने,
6. बहाना दे देने वाले हार, 7. उज़ारे, 8. मिलने, 9. मिथर, 10. प्रतिद्वंदी या
- धाम्य, 11. पक्का, 12. रात और दिन के क्रम का इलाज।

था। वह इकबाल की नज़मे सुनाता ब्यादा पसंद करता था। उसके लिए इकबाल मर्द-ए-मुजाहिद था जबकि फ़ैज़ एक दहरिया (नास्तिक)। लेकिन वह जो भी ग़ज़ल सुनाता, दिल से सुनाता था।

यही वह मुसलमान था, जो मुम्बे जेल में पहले दिन जाना-पहचाना लगा था। मैं दिल्ली में किशनगंज में एक हफ़्तें रहा था, जहाँ कुछ दिनों पहले हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था। मैं खुद यह अनुभव करना चाहता था कि अल्प-संख्यक समुदाय का होने से कैसा लगता है, उन परिस्थितियों को जिनमें ये लोग, खास तौर से मुसलमान, एक मोहल्ले में रहते हैं, उनकी कठिनाइयों और शकाओं को जानना चाहता था। मैंने इस काम के दौरान जिन लोगों के साथ बैठकर घंटों बातचीत की उनमें यह शिक्षक भी था। इस मोहल्ले की ज़िन्दगी का सदियों से चला आ रहा अपना ही तरीका था, लेकिन हिन्दुओं ने पुलिस की मदद से इसे अब ख़त्म कर दिया था। मोहल्ले में सभी लोग डरे हुए थे और बहुत-से मुसलमान छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार थे, शर्त यह थी कि अगर गये तो एक साथ जायेंगे।

एक दिन सवेरे मैं जगा दिया गया। पुलिस एक मुसलमान को तलाश करने आयी थी, जिसने दंगे में बन्दूक का इस्तेमाल किया था। पुलिस वाले उजड़ और अक्खड़ थे और वहाँ के रहने वाले लोगों की इज़्ज़त का खयाल रखे बिना हर घर की तलाशी ले रहे थे। पुलिस नाराज़ थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यहाँ के लोगों को पता था कि बन्दूक लिये लड़का कहाँ छिपा है, लेकिन ये बता नहीं रहे थे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि बात सच थी। सारा मोहल्ला जानता था कि लड़का कहाँ छिपा था—यह लड़का उनकी नज़रो में हीरो था, क्योंकि उसकी बन्दूक की वजह से ही हिन्दुओं की भीड़ पास नहीं आ सकी थी। जब उन लोगों ने मुझे उस लड़के के 'करतब' सुनाये तब उनके चेहरों पर गर्व का भाव था। उस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि कानून अपने हाथ में ले लेने से वह अपराधी बन गया था। हमारे वार्ड में जन संघ का कैदी रामलाल भी किशनगंज का था। असल में जब मैं वहाँ रह रहा था तभी मैंने सुना था कि उसी ने मुसलमानों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया था। लेकिन उसने इस बात से इनकार किया था और अपने पक्ष की बात मुझे बतायी थी। वह बन्दूक इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराता था।

शायद उसका कहना ठीक था कि वह उस घटना के लिए दोषी नहीं था। जन संघ के सदस्यों ने कहा कि उन्हें मुसलमानों की निष्ठा पर शक था, तो भी उनकी नीति यह नहीं थी कि उन पर हमला किया जाये या उनको बाहर निकाल दिया जाये। असल में वह साम्प्रदायिक शान्ति चाहते थे जिससे यह बताया जा सके कि हिन्दुत्व का अर्थ सहनशीलता था।

वह चाहे जो कहे, असलियत यह थी कि मुसलमानों में डर था, पुलिस का रुख भी साम्प्रदायिक लगता था, जिसका एक कारण यह था कि पुलिस की नौकरी में मुसलमान थोड़े थे।

जब लालबहादुर शास्त्री गृह-मंत्री थे तब उन्होंने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश भेजे थे कि यानेदार तक की जगहों के लिए आवश्यक योग्यता में ढील देते हुए मुसलमानों को भर्ती किया जाये। लेकिन, प्रदेशों की सरकारों ने केन्द्र के इस आदेश का एक-न-एक धहाना लेकर पालन नहीं किया था। फिर भी यह खुशी की बात थी कि हमारी जेल में कोई भी साम्प्रदायिक द्वेष नहीं था—यहाँ तक कि किशनगंज के मुसलमानों और हिन्दुओं में भी नहीं।

जन संघ और आर० एस० एस० के आदमी जमात-ए-इस्लाम-ए-हिन्द के आदमियों के आत्म-विश्वास और उनकी सफाई से प्रभावित थे। वह उनके और अन्य मुसलमानों के साथ खाना खाते और यहाँ तक कि उनसे उर्दू सीखते थे। लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी अपनी शंकाएँ थी।

एक दिन हमने देखा कि हमारा एक साथी, जो आमतौर पर चुप और अकेला रहता था, एकाएक चहल-पहल करने लगा और बहुत खुश था। उसने दाढ़ी बना, नहा-धोकर धूले कपड़े पहन रखे थे। मुझे बताया गया कि यह परिवर्तन इसलिए था, क्योंकि दोपहर बाद उसकी मुलाकात होगी। वह मीसा में नज़रबन्द होकर जब से जेल में आया था तब से आज पहली बार बाहर के लोगों से मिलेगा। सरकार ने यह आदेश दिया था कि नज़रबन्दों को अपने सबसे निकट के संबंधियों (पत्नी, बच्चे या माँ-बाप) से महीने में एक बार मिलने की इजाजत रहेगी। वे सिर्फ आध घंटे के लिए मिल सकेंगे और वह भी पुलिस के सिपाही की उपस्थिति में।

रिश्तेदारों को इजाजत के लिए डिप्टी-कमिश्नर को अर्जी देनी पड़ती थी, जो बाद में जेल-अधिकारियों को सूचित कर देता था कि किस नज़रबन्द से कौन किस

असल में एक कि इमरजेंसी में इस बारे में क्या नियम थे। हो सकता है कि मीसा कानून आलोचकों को दण्ड देने, उनकी जिन्दगी को कष्टमय या वंसीलाल के शब्दों में, विरोधियों को सही रास्ते पर लाने के लिए बनाया गया था।

एक दिन मेरी मुलाकात की वारी थी, लेकिन ताज़्जुब था कि मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। वाइंडर अचानक यह खबर लेकर आया कि मेरे कुछ मुलाकाती भाये हैं। वह उनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन मेरी खुशी का पारावार नहीं था। खुश-किस्मती से यह वह दिन था जिस दिन मैंने दाढ़ी बनायी थी और धूले कपड़े पहने थे। मैं हफ्ते में एक बार दाढ़ी बनाता और धूले कपड़े पहनता था, उस दिन मैंने अपने कपड़े ज्ञान के दिये हुए साबुन से साफ किये थे, जिसका विस्तर मेरे विस्तर के पास रहता था। मैं बड़ी उम्मीदों में वाइंड के बाहर आया। मैं दूसरी बार वाइंड से बाहर निकला था। रास्ते में मुझे औरतों का वाइंड, वही पेड़-पौधे, झाड़ियाँ और वही मोटी और ऊँची दीवार मिली जो पहले देखी थी। और यह वाइंडर भी वही था जो पहले दिन मुझे यहाँ लाया था। जैसे ही मैं फाटक के पास पहुँचा मैंने एक दुबली-मतली, गेहूँ रंग की औरत को देखा जो एक वाइंडर-औरत के साथ हमारे नज़दीक आ रही थी। मेरे वाइंडर ने मुझे बताया कि यही चन्द्रेण शर्मा है। बिना कुछ जाने कि मुझे क्या कहना चाहिए मैंने उससे कहा कि मैं डॉ० जैन से मिल चुका हूँ। वह कुछ नहीं बोली और अपने रास्ते चली गयी।

वाइंडर ने फाटक पर आकर घटखटाया और बड़े जोरों से कुछ बोला। मैं सिर्फ अपना ही नाम समझ सका। एक बार फिर फाटक का छोटा-सा दरवाजा खुला। गलियारे में भीड़ थी और मैं इसी भीड़ में से होकर मुफरिटेडेंट के कमरे में ले जाया गया। मैंने वहाँ भारती और राजू को देखा। वह लोग मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एकाएक समझ गये कि हम लोग कहाँ थे। हम लोग बंधे हुए-से महमूग करने लगे, क्योंकि वहाँ कुर्सी पर मुफरिटेडेंट बैठा था और मेरे माथ पर वाइंडर था। उन्होंने बताया कि वे लोग बड़ी देर से इन्तज़ार कर रहे थे,

मुझे पता चला कि मुलाकात की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने में कम-से-कम एकाध घंटा लगा था, हालाँकि डिप्टी-कमिश्नर ने मुलाकात के लिए नज़रबंदों के रिश्तेदारों के आने की सूचना जेल-अधिकारियों को पहले भिजवा दी थी।

वे अपने साथ चीनी-खाना लेकर आये थे। उन्हें मालूम था कि यह मुझे बहुत पसन्द है। सुपरिटेण्डेंट हम लोगों को देखता रहा। कोई बात भी क्या कर सकता था, जब सबके गले भरे हुए थे ! हमने बात करने की कोशिश की। मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में पूछा। मैंने अपने सबसे बड़े लड़के सुधीर के बारे में पूछा। भारती ने बताया कि वह बाहर खड़ा है—सिर्फ दो आदमियों को अन्दर आने की इजाजत थी। मैंने कांटेदार खिड़की से बाहर देखा। वह सड़क पर खड़ा नज़र आया। मैंने उसे पुकारा, उसने मुड़कर देखा और हाथ हिलाया। वह कानपुर में काम करता था और वहाँ से ट्रेन से मुझे मिलने यहाँ आया था। वह हम लोगों के पास नहीं आ सकता था, इसलिए वह दुखी था।

भारती ने कहा कि उससे मिलने कोई नहीं आया, यहाँ तक कि घनिष्ठ दोस्त और रिश्तेदार भी दूर ही रहे। उनको डर था कि घर आने से वहाँ मुसीबत में पड़ जायेंगे। अचानक मुलाकात हो जाने पर कुछ लोग अपनी गलती महसूस करते और माफी माँगते थे। कुछ ही लोग उसे टेलीफोन करते थे, क्योंकि यह ख़बर फैल गयी थी कि हमारा टेलीफोन टैप किया जा रहा था। उसने बताया कि थोड़े-से लोगों ने ही उससे सम्पर्क बनाये रखा था, जिनकी संख्या छह या सात से ज्यादा नहीं थी।

भारती अपने साथ मेरी चेक-बुक लायी थी लेकिन सुपरिटेण्डेंट ने कहा, वह मुझे चेकों पर दस्तख़त करने की मंजूरी नहीं दे सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट इसके लिए अधिकृत न करे। भारती ने मुझे मिठाइयों का एक डिब्बा दिया, लेकिन मेरे लेने के पहले ही सुपरिटेण्डेंट फिर आड़े आ गया; उसने वह डिब्बा ले लिया। इसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत और यह भी प्रमाणित करना ज़रूरी था कि रिश्तेदारों से कितनी मिठाई—कौन-कौन-सी मिठाई—जैसे गुलाबजामुन या बर्फी एक नज़रबन्द को मिल सकती थी। इस मिठाई की संख्या का मिलान मजिस्ट्रेट की मंजूरी के आदेश में दी गयी संख्या के साथ किया जाता था। लेकिन अधिकारियों के 'सहयोग' से मिठाइयों के भाँवे जेल में लाये जा सकते थे—हमारी जेलों में भ्रष्टाचार के बारे में कोई कितना ही भला-बुरा क्यों न कहे, वहाँ नियमों की जकड़ नहीं, मानवीयता तो है।

मैं देख रहा था कि राजू बड़ा नाराज़ था, वह मिठाई लेने चाँदनी चौक गया था। सुपरिटेण्डेंट को दया आयी, "आप इसमें से जितनी चाहे मेरे सामने खा सकते हैं।" लेकिन इसके पहले कि मैं उसकी इस अचानक उदारता से लाभ उठाता उसने अपनी घड़ी की तरफ़ देखा और दृढ़तापूर्वक कहा कि समय ख़त्म हो गया। जब हम लोग अलग हो रहे थे, हमने चौधरी चरणसिंह को आते देखा। वह अपने हाथ में छड़ी लिये हुए थे जो मैंने समझा कि यह एक आम बात थी, लेकिन वह कमजोर थे और लगता था कि उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, "इस औरत ने आप जैसे पत्रकारों को भी नहीं बर्शा है।" मैंने उनसे पूछा कि क्या वह आशा करते थे कि लोग इतनी बड़ी संख्या में गिरफ़्तार किये जायेंगे, उन्होंने कहा, "हर आदमी यह समझ रहा था कि ऐसा होने वाला है।" उन्होंने आगे कहा, 'नैयर साहब, अगर मैं कभी सरकार में आया तो इन कार्यमियों को

चौराहे पर पड़ा कर छोड़े लगाऊँगा।" चौधरी की पत्नी उनगे मिनने आयी थीं अगवारों में उन दिनों एक दिन यह घर पर प्रकाशित हुई कि नागाओं ने मेना के कुछ लोगों को पकड़ लिया और छिपा दिया है। बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना पटी थी और मेरा अनुमान था कि इनमें मेना भड़क उठेगी। मैं इसी बात को लेकर सोचा करता था।

वर्षों में नागालैंड में राजनीतिक पाबन्दियों और सेना की गतिविधियों को लेकर विरोध हो रहा था। भूमिगत नागाओं को शान्ति भंग करने पर सुरक्षा दलों द्वारा कितना और कब दण्ड दिया जाना चाहिए, इस बात पर जर्मनिक और मैनिंक अधिकारियों में मतभेद था। ये मिलकर एक साथ कार्रवाई न करने के लिए एक-दूसरे को हमेशा दोगो ठहराते थे और नयी दिल्ली में उनमें आपस में तालमेल बिठाने के लिए कई बार कोणिका की गयी थी।

मैं उस लड़ाई की याद करने लगा जो कुछ दिनों पहले कोहिमा से तीस किलोमीटर दूर जोस्तोस्मा गाँव में भड़क उठी थी। मेना भूमिगत नागाओं के एक दल के खिलाफ कार्रवाई करने गयी हुई थी, जो चीन और नागालैंड के बीच राइफल-प्रशिक्षण के काम में जुटे थे और जिनको चीन में प्रशिक्षण मिला हुआ था। नागालैंड के तत्कालीन गवर्नर श्री० के० नेहरू ने नयी दिल्ली को इस आग्रह का एक विरोध-पत्र भेजा था कि इस कार्रवाई को करने के पहले उनसे सलाह लेनी चाहिए थी। चूंकि कानून और व्यवस्था गवर्नर की विशेष जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी का होना जरूरी था। रक्षा-विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरमात के कारण टेलीफोन के तार टूट गये थे, इसलिए इस बारे में शिसंग को पहले सूचना नहीं भेजी जा सकी। लेकिन कार्रवाई करने का निर्णय कार्रवाई करने से दस दिन पहले लिया था, इसलिए टेलीफोन के अलावा अन्य साधनों से भी सलाह-मशविरा किया ही जा सकता था।

इस विरोध-पत्र का कोई परिणाम नहीं निकला। इसी बीच केन्द्र का एक मंत्री दोरे पर नागालैंड गया। उसने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का ध्यान अर्भनिक और सैनिक अधिकारियों के बीच सम्पर्क न बने रहने की ओर दिलाया। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा, "आजकल एक ओर नागालैंड सरकार और दूसरी ओर सुरक्षा सेनाओं के कमांडरों के बीच वे सवध-सम्पर्क नहीं हैं जो इन दोनों के बीच होने जरूरी है और यही कारण है कि हम लोग भूमिगत नागाओं से हारते जा रहे हैं।" इस मंत्री ने उस उत्तेजक स्थिति की चर्चा की जिसका सामना सुरक्षा सेनाओं को इन निर्देशों के तहत करना पड़ता था कि वे गोली पहले नहीं चलायेंगे। उसने चेतावनी दी थी कि "हमारी सुरक्षा सेनाएँ अचानक ही भूमिगत नागाओं द्वारा की गयी गोलावारी को बरदाश्त नहीं कर सकती।" जो जहाँ मन हुआ वहाँ और जब मन हुआ तब गोलावारी करने से नहीं चूकते थे।

स्पष्ट ही भूमिगत नागाओं से किस प्रकार निवटा जाये, इस बारे में दो तरह के मत थे—एक वे लोग थे जो जैसे-को-तैसा सिद्धान्त में विश्वास रखते थे और दूसरे वे लोग थे जो एक तरफ घप्पड़ खाने पर दूसरा गाल भी सामने कर देने को तैयार थे। मध्य प्रदेश के एक सीनियर सिविल सर्विस के अधिकारी नरोना पाँचवें दशक के उत्तरार्द्ध में नागालैंड में समस्त कार्रवाइयों के अर्भनिक प्रभारी होकर लगभग नियुक्त हो गये थे। लेकिन जब तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त को यह पता चला कि वह इस सिद्धान्त को मानने वाला है कि तुमने हमारे

आदमी मारे, हम तुम्हारे आदमियों को मारेंगे, तो उनकी नियुक्ति टल गयी। सरकार ने भूलने और क्षमा करने की नीति अपना रखी थी। जे० पी०, माइकेल स्कॉट और कुछ अन्य लोगों की मदद से वहाँ शान्ति स्थापित हुई और कोडर्मा नाम के नागा गाँव में बहुत दिनों तक सफेद झंडा फहराता रहा, जहाँ सरकार और भूमिगत नागाओं के प्रतिनिधियों ने परस्पर बातचीत की थी।

लेकिन सरकार के लिए नागा उतनी बड़ी समस्या नहीं थे जितनी चीन। चीन के शासक भारत की कठिनाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और भूमिगत नागाओं को चीन में या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया करते थे। मुझे याद है कि जब रक्षा-मंत्रालय ने मंत्रिमंडल की अन्तरग समिति को यह सूचना दी थी कि नागाओं के छह दस्ते, जिसमें करीब 1000 आदमी हैं, पीकिंग गये हुए हैं तो कितनी ध्वराहट पैदा हुई थी। सबसे पहली बात जिस पर विचार हुआ, वह यह थी कि यह ख़बर राष्ट्र को न दी जाये और सरकार इस काम में बहुत दिनों तक सफल भी रही थी।

विदेश-मंत्रालय ने बताया कि चीन ने वियतनाम का उदाहरण देते हुए नागाओं से कहा है कि वह निर्भय होकर भारत का विरोध करे। यह दलील दी गयी कि जब वियतनाम-जैसा छोटा देश अमेरिका जैसी ताकत से लोहा ले सकता है तब वे क्यों नहीं ले सकते? वियतनाम जैसी लड़ाई शुरू कराने में पीकिंग को सफलता न मिलने का कारण यह था कि नागाओं में जो उदार वर्ग के लोग थे वे पीकिंग के साथ लेन-देन का कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। यह सच था कि इन उदार नागाओं में कुछ ऐसे भी थे जो नागालैंड के लिए आजादी की माँग करते थे, लेकिन यह लोग ईसाई थे और किसी कम्युनिस्ट देश से सहायता लेने के बिल्कुल खिलाफ थे।

ये सब लोग जानते थे कि जब श्रीमती गांधी वर्मा के प्रधानमंत्री से मिली थी तब रंगून की सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि भारत की सेना विद्रोही नागाओं का पीछा करती हुई वर्मा सीमा के अंदर प्रवेश कर सकती है। तब से भारतीय सेनाएँ इसके तुरंत बाद भूमिगत नागाओं को वर्मा की सीमाओं के अंदर तक खदेड़ आती थीं।

जब मैंने इस विषय पर जन संघ और आर० एस० एस० के अपने दोस्तों से चर्चा की तब उन्होंने कहा कि यह सारी समस्या नेहरू की कमजोरी और इस क्षेत्र में मिशनरियों को आने-जाने की आजादी के कारण पैदा हुई। आर० एस० एस० के लोगों ने मुझे बताया कि वे इस क्षेत्र में 'हिन्दुत्व' का प्रसार कर रहे थे, जिन लोगों ने ईसाइयत को 'ताकत' के भय या 'धन' के लोभ के कारण अपनाया था उनको यह लोग फिर से अपने धर्म में वापस ला रहे थे। मुझे बताया गया कि यह अभियान न केवल इस क्षेत्र में बल्कि मध्यप्रदेश और केरल में भी जारी था। हजारों लोगों को, जो ईसाइयत अपना चुके थे, हिन्दू-धर्म में वापस आने के लिए कहा जा रहा था।

हालांकि सभी दिन एक-जैसे होते थे, फिर भी कुछ विशेष दिन थे। इनमें एक था स्वतंत्रता-दिवस। हम लोग सबेरे जल्दी उठ बैठे, हमने दाढ़ी बनायी, नहाये और उस बैरक में इकट्ठे हो गये जिसे वी० आई० पी० बैरक कहा जाता था। ब्लैक-बोर्ड पर एक राष्ट्रीय झंडा बनाया गया और एक चादर से ढक दिया गया। हम लोगों में एक बहुत ही बुजुर्ग — हंसराज ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के

नेता हैं और दिल्ली के मेयर रह चुके थे, भंडे का 'अनावरण' किया, एक बंगाली नज़रबन्द ने 'जन-गण-मन' के सामूहिक गायन का नेतृत्व किया और राव ने 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गाया। जैन ने नारते के लिए पूरी और एक चोज, जिसे खाने में हलुए का स्वाद आया था, तैयार करायी थी। फँज की एक नज़म जो इस अवसर के लिए बड़ी ही सटीक और जिसे हमारे एक मुसलमान साथी ने पढ़ा था, यह थी :

रात बाकी थी अभी जब सर-ए-बलीं आकर
चाँद ने मुझ से कहा जाग, सहर आयी है,
जाग ! इस शव जो मय-ए-जाम उतर आयी है
अक्स-ए-जानाँ को विदा करके उठी मेरी नज़र
शव के ठहरे हुए पानी की सियाह चादर पर :
जा-व-जा रक्स में आने लगे चाँदी के भँवर;
चाँद के हाथ से तारों के कँवल गिर-गिर कर
डूबते, तैरते, मुरझाते रहे, घिलते रहे
रात और सुब्ह बहुत देर तक गले मिलते रहे।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे त्यौहार अच्छी तरह बीतते रहे। लेकिन एक बार ऐसा लगा था कि हम इनको नहीं मना पायेंगे। हममें कुछ जवादा तेज़ लोगो ने कहा कि स्वतंत्रता-दिवस के दिन उपवास कर इसे विरोध-दिवस के रूप में मनाया जाये। इसके लिए दलील यह दी गयी थी कि हम लोगों के लिए आजादी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम अपनी आजादी को गँवा चुके हैं और बिना मुकदमा चलाये नज़रबन्द कर दिये गये हैं। इस दलील को विजय प्रताप¹ नामक एक नौजवान समाजवादी ने बड़ी ईमानदारी से रखा था। लेकिन बाकी लोगों का विचार था कि स्वतंत्रता-दिवस किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति का नहीं है, यह गुलामी के खिलाफ हमारी लड़ाई की पूर्णता का प्रतीक है। अन्त में यह तय हुआ कि हमारा विरोध श्रीमती गांधी और उनके शासन के प्रति होना चाहिए और ऐसा करते समय हमें इस दिवस के महत्व को कम या नष्ट नहीं करना चाहिए। हमने तय किया कि हम 25 अगस्त को उपवास रखेंगे, जिस दिन इमरजेंसी का दूसरा महीना पूरा होगा।

कुछ कारणों से हम आशा करते थे कि श्रीमती गांधी लालकिले वाले अपने भाषण में कुछ भेल-मिलाप की बात कहेंगी। लेकिन हमें बताया गया कि उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था और नज़रबन्दियों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा था। लगता था कि दुनिया में वह सबसे परे हो गयी है।

वाद में दिन में वार्डर यह खबर लाया कि शेख मुजीबुर्रहमान को करल कर दिया गया। वार्ड में शायद ही कोई ऐसा था जो यह न सोचता हो कि अगर श्रीमती गांधी तानाशाही के रास्ते पर चली तो उन्हें भी यही दिन देखना पड़ेगा। मेरे एक क़ैदी साथी ने बताया कि उसने किस तरह खुद ही यह सोचा था कि श्रीमती गांधी को "उडा दिया जाये"² और इसके लिए दूरबीन लगी राइफल

यह बही था जिसे अयिका सोनी ने इसलिए तमाचा मारा था कि इसने इलाहाबाद निर्णय को घोषणा के बाद श्रीमती गांधी से त्याग-पत्र माँगने का साहस किया था। लेखक की पुस्तक 'फँसला' देखें।

खरीदी थी। यह नजरबन्द कैदी हरियाणा का था। इसने कहा कि उन्होंने इतना अत्याचार किया था कि अब देश के पास इन्हें उड़ा देने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है। वह सोचता था कि उसकी गलती यह थी कि वह बीजा के लिए अमेरिकी दूतावास गया था। मुझे नहीं मालूम कि क्या वह सच बोल रहा था, लेकिन दिन-पर-दिन उससे घंटों पूछताछ की जाती थी।

उसने ही मुझे बताया था कि लालकिले में एक ऐसा कमरा था, जिसमें आदमी के विचारों और स्वभाव का पता लगाने के लिए सभी तरह की मशीनें लगी हुई थीं। जिस व्यक्ति से अपना अपराध स्वीकार कराना होता था उस पर ढेर सारी रोशनी डाली जाती थी। वह न तो सोने दिया जाता था और न उसे अपनी आंखें ही बन्द करने दी जाती थीं। उसको एक ही तरह दिन-रात रखा जाता था, जब तक कि वह बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाता था। हरियाणा का यह आदमी वहाँ दो वार ले जाया गया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने वहाँ क्या कहा था। एक बार उसने बस इतना ही बताया कि उन्होंने वहाँ पर उसे मारा-पीटा तो नहीं, लेकिन सोने नहीं दिया।

मैं उन दिनों के बारे में सोचने लगा, जब गुरु-गुरु में गणतंत्र-दिवस पर पदवियाँ दी जानी शुरू हुई थीं। जब पचास के दशक के उत्तरार्द्ध में ये पदवियाँ शुरू की गयी थी तब मैं गृह-मंत्रालय में था। पहले यह सोचा गया था कि इन पदवियों को स्वतंत्रता-दिवस पर घोषित किया जाया करे, लेकिन बाद में यह तय किया गया कि गणतंत्र-दिवस ही इसके लिए उपयुक्त है। शुरू से ही इन पदवियों के वितरण के बारे में हमेशा विवाद रहा। जिन व्यक्तियों को पदवी दी जानी होती थी उनकी सूची कभी भी किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं बनायी जाती थी। इन व्यक्तियों का चुनाव उलटा-सीधा और मनमाने ढंग से होता था। किसी भी व्यक्ति के गुणों से इसका कोई संबंध नहीं था, सिर्फ यही बात देखी जाती थी कि अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, गृह-मंत्री या राष्ट्रपति स्वीकार करेगे या नहीं। यही कसौटी रहती थी। मुझे प्रशस्ति-पत्र बनाने का काम सौंपा गया था। नामों की घोषणा करने के बाद इनकी सूची मेरे पास भेज दी जाती थी। मेरा काम इन व्यक्तियों के गुणों का पता लगाना, पुस्तिका तैयार करना और प्रचार-कार्य को देखना था।

पदवी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना के अभाव की वजह से कभी-कभी मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाता था। मैं हूँज हूँ (कौन क्या है) पुस्तकें देखता या इधर-उधर से सामग्री इकट्ठा करता और बहुत-से विशेषण लगाकर गुणों का आख्यान तैयार करता था। मैं वेब्स्टर का शब्द-कोश या रोजेट का 'थेसोरस' उचित शब्दों और उनके पर्याय इकट्ठा करने के लिए अपने पास रखा करता था। विशेषणों के द्वारा इस्तेमाल से वचना एक भुषिकल काम था। पदवी प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग तरह से कहा जाना जरूरी था।

यह व्यवस्था कुछ वर्षों तक तो ठीक चली, लेकिन जब गोविन्दवल्लभ पन्त को 'भारत-रत्न' की उपाधि दी गयी तब यह नाकामयाव रही। वह उस समय गृह-मंत्री थे और उनके गुणों का आख्यान तैयार करने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत थी। तत्कालीन गृह-सचिव बी० एन० भन्ना ने यह जिम्मेदारी ली कि वह खुद प्रशस्तिपत्र और पुस्तिका तैयार करेगे। जब इसका मसौदा पन्तजी के सामने रखा गया तब हमने सोचा कि वह इसे मामूली काम समझ इस पर सहमति दे देंगे, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उस समय एक पण्डिताऊ एडीशनल-

सेक्रेटरी हरि शर्मा हुआ करते थे। उनको कहा गया कि वह प्रशस्ति-पत्र तैयार करें। उनका मसौदा भी रह कर दिया गया। इसी तरह मेरा मसौदा भी रह कर दिया गया। पन्तजी ने तब हम सबको एक साथ बुलाया और मिल-जुलकर एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने पहले तो इस मसौदे में काटने-छांटने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे भी ठीक नहीं पाया तब छोड़ दिया।

उपाधि-वितरण समारोह के लिए बहुत ही थोड़ा समय रह गया था और हम लोग परेशान थे। देश की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए क्या सचमुच किसी प्रशस्ति-पत्र की जरूरत है? 'भारत-रत्न' की उपाधि पाने वाले व्यक्ति की योग्यता का उल्लेख कर हम उसके गुणों को सीमित कर रहे थे। हमारी इस दलील को तुरन्त ही स्वीकार कर लिया गया। पन्तजी ने भी इस विचार को पसन्द किया। उस साल से 'भारत-रत्न' की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई प्रशस्ति-पत्र नहीं होता।

उन्होंने उसका नाम खुद अपने हाथ से लिखा था। जब यह सूची गृह-मंत्रालय को वापस भेजी गयी तब हर आदमी पूछने लगा कि यह मिस लाजरस कौन है? जवाब कोई भी नहीं जानता था और किसी को यह साहस भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति से पूछे। जानकारी प्राप्त करने की बेतहाशा कोशिश की गयी, क्योंकि गजट में अधिसूचना प्रकाशित करने से पहले उपाधि पाने वाले व्यक्ति की सहमति

शास्त्री नहीं बल्कि एक नर्स थी। अब तो बेहद उलझन पैदा हो गयी और फिर सभी जगह खोज शुरू हुई। पता लगा कि जब राष्ट्रपति कुरनुल से हैदराबाद मोटर से आ रहे थे तब उनको दमा का दौरा पडा था। उस समय मिस लाजरस ने उनकी परिचर्या की थी। आखिर में वह खोज निकाली गयी और उनकी सहमति प्राप्त की गयी। उस साल दो मिस लाजरसों को उपाधि मिली।

हफ्ते में डाक दो बार आती थी और हर आदमी उसके आने का इन्तज़ार करता था। जब बाईर डाक लेकर आता तब बाईर के सभी लोग उसे घेर लेते थे। वह हर चिट्ठी उठाता और पते पर लिखा नाम पुकारता था। तब वह आदमी चिट्ठी लेने उसके पास जाता था।

कुछ दिन से मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। मुझे चिन्ता होने लगी थी। जब औरों को अपनी चिट्ठियाँ मिल जाती थी तब मुझे अपनी चिट्ठी क्यों नहीं मिलती? मझे यह नहीं मालूम था कि नजरबन्दों को लिखी चिट्ठियाँ जाँच के लिए पहले

से एक ने बताया कि जिस दफ्तर में चिट्ठियों की जाँच होती थी वहाँ उर्दू जानने वाला सिर्फ एक ही आदमी था और जब बहुत-सी चिट्ठियाँ उर्दू में लिखीं जा जाती

तब वह उनको बिना पढ़े ही भेज देता था।

मुझे जो पहली चिट्ठी मिली वह मेरी भांजी का पोस्टकार्ड था। इस चिट्ठी पर सेंसर की मुहर और स्याही फंली हुई थी, इसलिए मैं यह नहीं पढ़ सका कि इसमें क्या लिखा था। लेकिन इससे मुझे एक खबर तो मिली कि घर पर सब ठीक था। लिफाफों में बन्द चिट्ठियाँ खोल ली जाती थीं और इन चिट्ठियों में जो कुछ 'आपत्तिजनक' लिखा होता वह संबंधित अधिकारियों द्वारा काट दिया जाता था। मेरी एक चिट्ठी पूरी ही कटी हुई थी और इस पर सिर्फ भेजने वाले का नाम पढ़ा जा सकता था।

यही हाल उन चिट्ठियों का होता जो हम भेजते थे। हम एक हफ्ते में दो पोस्टकार्ड भेज सकते थे। ये पहले सेंसर के लिए डिप्टी-कमिश्नर के दफ्तर ले जाये जाते थे और तब लिखे पते पर भेजे जाते थे। हमको यह साफ-साफ बताया गया था कि अगर किसी चिट्ठी में कोई आपत्तिजनक बात लिखी होगी तब वह नहीं भेजी जायेगी।

अक्सर मेरे घर के लोग अपनी चिट्ठियों में यह शिकायत लिखते थे कि मैंने बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। वे यह नहीं जानते थे कि मैं उनको नियमित रूप से हफ्ते में दो पोस्टकार्ड भेजा करता था। स्पष्ट ही इनमें से कुछ चिट्ठियाँ कभी डिलीवर नहीं की गयीं। एक बार जब मेरी पत्नी मुझसे मिली तो उसे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि मुझे कनजेक्ट्रीवाइटिस हो गयी थी। मैंने पूछा, उसे वह चिट्ठी नहीं मिली जिसमें मैंने इस बारे में लिखा था। स्पष्ट था कि यह चिट्ठी डिलीवर नहीं की गयी थी। शायद अधिकारी सोचते हों कि मुझे अपनी पत्नी को अपनी बीमारी के बारे में बताने का भी अधिकार नहीं है। वे शायद बीमारी का समाचार भी 'आपत्तिजनक' समझते थे। सरकार की नजरों में दूसरी आपत्तिजनक बात थी एक नजरबंद का अपनी बहन से मिलना। पहले कभी मैं रक्षाबंधन का इतनी उत्कठा से इन्तजार नहीं करता था और न इस बार की तरह मुझे पहले कभी निराश होना पड़ा। मैंने उस दिन जल्दी ही दाढ़ी बना ली और नहा-धो लिया। मैंने धुले कपड़े पहने थे। राज ने एक चिट्ठी में लिखा था कि उसे रक्षाबंधन वाले दिन मुझसे मिलने की इजाजत मिलने की पूरी उम्मीद है। उस दिन मैं बराबर इन्तजार करता रहा। मैंने वार्डर से कई बार पूछा कि मेरा कोई मुलाकाती आया है? मैंने उसे सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर भी यह पता लगाने के लिए भेजा कि मेरे लिए कोई खबर आयी है। शाम तक मैं आशा छोड़ बैठा। राज उन लोगों में नहीं थी जिन्हें लोग धार्मिक कहते हैं, लेकिन उसे त्योहार पसन्द थे। वह ऐसा कोई त्योहार मनाना नहीं भूलती थी जो परम्परा से चले आते थे। वह मुझे हर साल राखी के साथ एक केक देती थी। इस बार क्या हुआ? शायद उसे सरकार से इजाजत नहीं मिल सकी थी। आखिरकार सरकार मेरे साथ वैसा ही बर्ताव कर रही थी जैसा कि बाकी सब क्रैदियों के साथ किया जा रहा था। मेरे साथ कोई रियायत क्यों की जाये?

लेकिन दो दिन बाद मुझे राखी मिली। राज ने मुझे लिखा था कि वह खुद मजिस्ट्रेट के पास इजाजत के लिए गयी थी। वह ओम मेहता से भी मिली थी। सबने उससे इजाजत दिलाने का वायदा किया, लेकिन यह वायदा पूरा नहीं हुआ। बसल में उसकी चिट्ठी जो मुझे सेंसर के द्वारा मिली, सरकार के बारे में बहुत ही आलोचनापूर्ण थी। क्या श्रीमती गांधी भाई-बहन का रिश्ता मिटा सकती थीं? यह चिट्ठी गुस्से से भरी हुई थी। मुझे ताज्जुब था कि यह चिट्ठी सेंसर से

कैसे बच गयी ?

शाम की एक बैठक में बड़ी अटकलें लगायी गयी कि श्रीमती गांधी क्या तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कपगम के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करेंगी और कब ? हमको विश्वास हो गया था कि कुछ ही दिन में सब-कुछ हो जायेगा। हम लोग इससे बड़े निराश थे कि करुणानिधि अभी तक इमरजेंसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। गुलाम के रूप में काम करने के बजाय यह अच्छा था कि लड़ाई जारी रखी जाती। हम लोग तमिलनाडु के वारे में यही सोचते थे।

मैने जेल के अपने साथियों को बताया किस तरह एक वार केरल सरकार को बर्खास्त करने की स्थिति आ गयी थी। उन दिनों नम्बूदिरिपाद मुख्यमंत्री थे और वात थी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल। नयी दिल्ली की सरकार इनके कर्मचारियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी और उसने केरल की सरकार से भी कार्रवाई करने के लिए कहा था। केरल सरकार का विचार था कि कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी।

सांकेतिक हड़ताल के पांच दिन पहले गृह-मंत्रालय ने प्रदेश की सरकार को इस हड़ताल से निवटने के लिए केन्द्र द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतने के लिए तार द्वारा निर्देश भेजे थे। कुछ केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस (सी० आर० पी०) भी केरल में आ गयी थी। इसके कमानडेंट ने सी० आर० पी० के पहुँचने की सूचना मुख्य सचिव को दे दी थी लेकिन दोनों ने ही—दोनों ही अखिल भारतीय सेवा के थे—इस बात को गुप्त रखा था कि मुख्यमंत्री को इसकी सूचना देने से मामला कहीं उलझ न जाये। लेकिन मलयालम के एक दैनिक समाचारपत्र में केरल में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस के आने का समाचार छप गया। जब नम्बूदिरिपाद से इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तब उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं है। उस समय संसद-सदस्यों का एक दल केरल आया हुआ था। इस दल के सम्मान में राज्यपाल द्वारा दिये गये दिन के भोज में नम्बूदिरिपाद ने इसकी जाँच गृह-मंत्रालय के विशेष सचिव आर० प्रसाद से की, जो उस दिन त्रिवेन्द्रम में ही थे। इस अधिकारी ने सी० आर० पी० के वहाँ आने की पुष्टि की।

प्रदेश सरकार की अनुमति बिना, उसे बतायाे वगैर ही, केन्द्रीय पुलिस को प्रदेश में तैनात करना तो बुरा था ही, उससे भी बुरी बात यह थी कि वायरलैस के जरिये प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके वारे में कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए मड़काने की खबरें थीं। जब यह वायरलैस द्वारा भेजा हुआ आदेश त्रिवेन्द्रम पहुँचा तो प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी। मंत्रिमंडल केन्द्रीय पुलिस को तैनाती से रूँ ही चिढ़ा हुआ था। उसने सर्वसम्मति से केन्द्रीय आदेश को अवहेलना करना तय किया। केरल सरकार ने नयी दिल्ली को सूचित किया कि वह कानून और व्यवस्था बनाये रखेगी, केन्द्रीय सम्पत्ति की रक्षा करेगी, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी जिनके वारे में कहा गया था कि वे कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बिना उगसे पूछे केन्द्रीय पुलिस तैनात किये जाने के वारे में गृह-मंत्रालय को विरोध-पत्र भी भेजा।

नयी दिल्ली का जवाब तुरंत आ गया। प्रदेश का ध्यान संविधान की उन धाराओं की ओर आकर्षित किया गया जिनके अनुसार प्रदेश केन्द्रीय कानूनों का पालन करने को बाध्य था, और प्रदेश के लिए इस विषय में कोई विकल्प ही नहीं

था। यह दलील दी गयी थी कि जब तक अवधि न पूरी न हो जाये तब तक अध्यादेश उतना ही वैध था जितना कि संसद का कोई अन्य अधिनियम। सी० आर० पी० का भेजा जाना इस आधार पर उचित ठहराया गया कि केन्द्र को इस बात का अधिकार था कि प्रदेश से परामर्श किये बिना वहाँ पुलिस भेज दी जाये। इस पर केरल का जवाब कड़ा और दो टुक था। प्रदेश सरकार ने कहा कि उसे अपने संवैधानिक दायित्व और केन्द्र के विशेषाधिकारों का पूरा ज्ञान था। उसे आपत्ति उस तरीके पर थी जो अपनाया गया था। प्रदेश सरकार को सूचना दिये बिना सी० आर० पी० का वहाँ तैनात किया जाना निरंकुश कार्य कहा गया। प्रदेश सरकार ने यह बात दुहरायी कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखेगी, लेकिन वह उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी जो कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए कह रहे हैं। यह तय करना कि क्या कार्रवाई की जाये, प्रदेश के प्रशासन का काम था।

दिल्ली में घरेलू मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की उप-समिति की आपात् बैठक रात में ही बुलायी गयी। इस बैठक में मोरारजी देसाई को छोड़कर, जिनके बारे में कहा गया कि सोने चले गये हैं, सभी मौजूद थे। बैठक में सुझाव रखा गया कि केरल में मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाये। दलील यह दी गयी कि किसी भी प्रदेश की सरकार को केन्द्र के आदेशों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन कार्रवाई इस कारण से नहीं की गयी कि सांकेतिक हड़ताल के सवाल पर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी से श्रीमती गांधी की प्रगतिशील तसवीर को आघात पहुँचेगा। केरल की सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और उसने सांकेतिक हड़ताल वाले दिन किसी केन्द्रीय दफ्तर को काम नहीं करने दिया।

वाडें में आये एक नये नजरबन्द से हमें पता चला कि केरल भूमिगत आंदोलनों का केन्द्र था। भारत की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी उन सभी तत्वों का साथ दे रही थी जो श्रीमती गांधी का विरोध कर रहे थे। जब हमने सुना कि नानाजी देशमुख, जिन्हे जे०पी० द्वारा संघर्ष-समिति का मंत्री नियुक्त किया गया था, पहले से ही हमारी जेल में बन्द हैं तब हम निरुत्साहित हो गये। वह सभी दृष्टियों से भूमिगत आंदोलन के एक प्रधान संगठनकर्ता थे। हम यह सुनकर हताश-से हो गये, क्योंकि हमारे विरोध के किन्ने एक-एक कर ढह रहे थे। इनको किसने धोखा दिया? हम ताज्जुब में थे। वह श्रीमती गांधी के लिए एक इनामी कैदी थे।

हमारे एक दोस्त ने बताया कि नानाजी की गिरफ्तारी में एक कौतुक-सा हुआ था। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तब वह उन्हें पहचानती नहीं थी। उनकी गिरफ्तारी इस तरह हुई : नानाजी ने अकाली नेता मुरजीतसिंह वरनाला को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, क्योंकि वह चाहते थे कि अकाली अपना मत्याग्रह धीरे-धीरे चलायें। उनको डर था कि जिस तेजी से अकाली गिरफ्तारी करा रहे थे वे ज्यादा समय तक आंदोलन को नहीं चला सकेंगे।¹ नानाजी ने साउथ एक्स-टेशन की वह जगह भी बता रखी थी जहाँ वह वरनाला से मिलना चाहते थे। वरनाला ने जन सभ के दो नेताओं को—दोनों का नाम किशनलाल था—नानाजी से मिलने के लिए भेजा था और इसकी चर्चा दरवार साहेब (स्वर्ण मन्दिर) में

1. अकाली इमरजेंसी की पूरी अवधि-भर, लगभग 19 महीने तक, आंदोलन चलाते रहे और कोई 40,000 सिख जेल गये।

एक सभा में की थी, जहाँ सत्याग्रही अपनी गिरफ्तारियाँ करवा रहे थे। खुफिया-विभाग के लोगों को पता लग गया। उन्होंने दोनों जनसंघियों का दिल्ली तक पीछा किया। साथ ही दिल्ली की पुलिस को भी वायरलेस से सावधान कर दिया। चूंकि किसी का नाम नहीं बताया गया था इसलिए पुलिस को यह नहीं मालूम था कि वह किसका पीछा कर रही थी। जन संघ के दोनों नेता साउथ एक्सटेंशन गये और यह एक सयोग था कि उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए पुलिस के आदमी से उसी खास घर का पता पूछा। वह उन्हें वहाँ ले गया। नानाजी पश्चिमी कपड़े पहने हुए बड़ी-सी मूँछे रखे सिर के वालों को एकदम काला किये उम घर में घुसे (नानाजी के दाढ़ी-मूँछें साफ रखते हैं, उनके बाल सफेद हैं और वह धोती-कुर्ता पहनते हैं)। तभी पुलिस ने उस घर पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस-स्टेशन ले जाये गये और वहाँ उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। उन्होंने शिनास्त के लिए नानाजी की कुछ तसवीरे भी निकाली, लेकिन यह विश्वास नहीं किया कि यह नानाजी ही हैं। उन्होंने नानाजी को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। नानाजी ने अबसर का लाभ उठाया और शौचालय में गये। उन्होंने नाली में अपनी वह नोट-बुक वहाँ दी, जिसमें देश-भर के अपने सम्पर्कों के लोगों के टेलीफोन नम्बर लिख रखे थे। इसके बाद एक सरकारी कर्मचारी ने, जो संयुक्त विधायक दल की सरकार में जन संघ के एक मंत्री के यहाँ काम कर चुका था, नानाजी को पहचाना। अब हमारी आँखें जाँज फर्नांडीज पर लगी थीं। हमें बताया गया कि वह पुलिस से कई बार वच निकले थे और श्रीमती गांधी के खिलाफ भूमिगत आंदोलन चला रहे थे।

मैं कभी-कभी सोचा करता था कि क्या कोई व्यक्ति इस जेल से बचकर निकला है? यहाँ बड़ी ऊँची-ऊँची ठोस एक-दूसरे के बाद दो दीवारें थी। बाहर की दीवार पर बुजियों पर आदमी मशीनगन लिये हमेशा पहरा दिया करते थे। जेल-अधिकारियों को इस बात का ग्वं था कि वीस साल से जब से यह जेल बनी थी कोई भी कैदी यहाँ से भाग कर नहीं निकला था।¹ अधिकारियों ने बताया कि एक बार एक कैदी मोरी में छिप गया था, लेकिन चार दिन के बाद वह उसमें से निकल आया क्योंकि मोरी के दूसरे सिरे पर लोहे की ठोस छड़ें लगी हुई थी। तब भी जेल-अधिकारी सतर्क रहते थे। कैदियों की एक दिन में दो बार गिनती होती थी। एक बार हमारे बाइंड में भगदड़ मच गयी, क्योंकि गिनती की गयी तो एक कैदी कम निकला। कौना-कौना छान डाला गया, लेकिन कैदी का पता नहीं लग रहा था। घंटों तलाशी के बाद वह छत पर सोता हुआ मिला। चूंकि सीढियाँ नहीं थी इसलिए किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि वह छत पर चढ़ गया था। वह ऊँची दीवार पर चढ़कर छत पर किस तरह पहुँचा, इसके बारे में तरह-तरह की अटकलें लगायी गयीं। नानाजी के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान के राधाकृष्ण आये। उन्होंने भी इधर-उधर लोगों से सम्पर्क कर संगठित आंदोलन छेड़ा जा सकने की संभावना का अनुमान लगाया था। उनको बहुत ज्यादा आशा नहीं थी। उन्हें मेरी बगल में जगह दी गयी। वह अपने धुलधुल शरीर के कारण मेरे

1. कुछ महीनों बाद इस जेल से चार अपराधी मुरत से निकल कर भाग गये थे, जिसे छोड़ने में उन्हें हज़ानों लगे होये।

विस्तर पर भी जगह घेर लेते थे। मैं रात में बड़ी सावधानी से अपने को सिकोड़ता हुआ आघे विस्तर पर पड़ा रहता था जिससे उनको कोई परेशानी न हो। जब वह सोते तब वाडें में सभी लोग उनके खराटों से जग जाते थे। मैं उनकी बगल में था, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खराटे सुनने पड़ते थे। मैंने अपने कानों में रुई लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मैं सोचता था कि ऐसा मंत्र सीखा जाये जिससे शोर को दबाया जा सके। मैं रात विस्तर पर बैठे हुए काटता था। एक रात मैं उनके खराटों से जग गया और मैंने उन्हें जगाकर कहा, “अब आप सो चुके हैं, कुछ देर मुझे भी सो लेने दीजिये।” वह यह नहीं समझ सके कि मैंने उनसे क्या कहा और फिर सोने लगे।

उनके खराटों से तो चिढ़ होती थी, लेकिन उनके रहने से वह उचाटपन दूर हो जाता था जो हमें काटा करता था। और अब उन्होंने योग सीखना शुरू कर दिया था जिससे हमारा मन-बहुलाव होता था। वह जल्दी जग जाते थे। वह जिस तरह से योग-अभ्यास करते थे उससे हमें इतनी हँसी आती कि कभी-कभी आँखों में से आँसू निकलने लगते। लेकिन वह इसका बुरा नहीं मानते थे। उनकी यही सबसे बड़ी विशेषता थी जो हमें वेहद अच्छी लगती थी। हालाँकि वह जानते थे कि हम लोग उन्हीं पर हँस रहे हैं तब भी उन्होंने इसकी कोई शिकायत नहीं की।

मेरा विस्तर कोने में था, जिससे खिड़की के पास रहने का लाभ था और काफी रोशनी और हवा मिलती थी। लेकिन जब हवा बन्द हो जाती थी तब छत के पंखे से दूर होने के कारण हवा नहीं मिल पाती थी। इसका एक नुकसान भी था, जब पानी बरसता तब मेरी चारपाई गीली हो जाती। उसको खिड़की से दूर नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि खिसकाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन कई लोगों की अपेक्षा मैं काफी अच्छी जगह पर था, क्योंकि मेरी तरफ की छत नहीं टपकती थी। बाकी छत इतनी टपकती थी कि कुछ लोगों को तो नीचे वाल्टी रखनी पड़ती थी।

हमने जेल के अधिकारियों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं है। उनके अनुसार, सारी छत फिर से पड़नी थी, लेकिन कई बार याद दिलाने पर भी सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। फिर भी मैंने बरसात का स्वागत किया।

एक बार सारी रात पानी बरसता रहा। मैं वह आवाज़ सुनता रहा जिसे मैं अपने बचपन से पसंद करता था। टपटप की आवाज़ मुझे बचपन से ऐसी लगती थी कि कोई जानदार चीज़ या कोई आदमी मेरे पास है जो डरावने भूत-प्रेतों से मुझे बचा लेगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया भूत-प्रेत का डर तो दूर होता गया, लेकिन अकेलेपन की भावना मेरे मन में गहरी होती गयी। इन अट्टाईस आदमियों के बीच सोने पर, अकेला होने का कोई सवाल नहीं था। फिर भी मैं अकेला था, कहीं दूर रहता था बिना यह सोचे हुए कि मैं अपनी कल्पना में किस ओर जा रहा हूँ। बरसात से मेरे मन में यह भर जाता कि मेरे भी साथ कोई है। अपने साथियों से भी अकेलेपन की भावना दूर होने लगी। पहले दिन जब मैं यहाँ आया था, ये सब अजीब भीड़ जैसे लगते थे। मैंने अपने को एक ऐसे आदमी की तरह अनुभव किया जो अनजानी दुनिया में आ गया था, जहाँ लोगों की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, सब-कुछ अस्त-व्यस्त था, जहाँ लोग गाली-गप्पोज करते थे और ऊपर से बहुत बड़े धार्मिक बनते थे। लेकिन अब यहाँ पर

ज्ञान, भाटिया या वालेस थे। अब मैं उनको जानता था। राधाकृष्ण के आने से पहले ज्ञान की चारपाई मेरी वगल में थी। वह पे तो हलवाई था, लेकिन उन लोगों में से था जो अपने व्यवसाय के बाहर की बात सोचते हैं। उसे राजनीति पसन्द थी, और राजनीति में फँस गया था। पुरानी दिल्ली में जन सभ के टिकट पर स्थानीय निकायों का चुनाव भी लड़ा था वह दयालु था, लेकिन उन लड़कों के प्रति नहीं जो हमारा काम करते थे। दो-च सिगरेटों के बदले वह गन्दे कपड़ों की गठरी उनसे घुलवाता था। मुझे मिठाई पसन्द थी, यह जानकर उसने दो बार कश्मीरी गेट की अपनी दूकान से मिठाई के डिब्बे मँगवाये थे।

वालेस साहब, जैसा कि हम उनको पुकारते थे, ज्ञान के पड़ोसी थे। हमारे वार्ड में उसे लोग सबसे ज्यादा जानते थे, लेकिन सबसे कम इपजत देते थे। उसका किसी भी आंदोलन से, चाहे वह राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक, कोई भी संबंध नहीं था। वह शायद व्यक्तिगत द्वेष का शिकार था। लेकिन कुछ नज़रबंदों ने जो उसे जानते थे, मुझे यह बताया कि वह पुलिस वालों को छोटी-छोटी बातों पर मुकदमे कर तग किया करता था। इसलिए जब पुलिसवालों को संविधान के बाहर कुछ शक्तियाँ मिल गयीं तब उन्होंने इसको फँसा लिया। जो भी कारण रहा हो, वह जेल में सभी लोगों के बीच फिट नहीं हो रहा था। उसने अपनी रिहाई के लिए कई बार टेलीग्राम और याचिकाएँ भेजी थी। उसने लिखित रूप में माफी भी माँगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

जो थोड़ी-बहुत सहानुभूति उसे वार्ड में मिलती थी, उसने 25 अगस्त के बाद वह भी खो दी थी। उस दिन हम सब लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ, जिसे लागू हुए दो महीने हो चुके थे, विरोध प्रकट करने के लिए उपवास किया था। सारा राशन, जिसमें दूध भी था, जेल-अधिकारियों को वापस लौटा दिया गया था। सारा ने चाय तक नहीं पी थी। वालेस ने उस दिन वार्डर के साथ खाना खाया, लेकिन वह यह सबको बताता फिरा कि वह भी उपवास कर रहा था। बहुतों ने उसका विश्वास कर लिया, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उसने झूठ बोला है तब वे उससे अलग हो गये। उसके और एक नज़रबंद के बीच इस पर झगडा भी हुआ। हमने किसी तरह स्थिति बचा ली और शान्ति बनाये रखी।

मेरी नाइन में तीसरा और आखिरी आदमी भाटिया था। हर सुबह और शाम को वह आधे दर्जन नज़रबंदों को इकट्ठा कर लेता और उनसे जोरी से 'ओम्' बुलवाता था। मुझे लोगों ने बताया कि आर० एस० एस० की शाखाओं में अधिकतर लोग इसी का अभ्यास करते थे। भाटिया जेल में अच्छी तरह रहता था। वह नियमित रूप से फल और अंडे खाता था। पुरानी दिल्ली में उसकी एक दूकान थी। वह अपना व्यवसाय वार्ड से चलाता था। उसे अपनी दूकान का हाल-चाल रोजाना मिल जाता था। वह आवश्यक निर्देश लिखकर भेज देता था। एक बार मैंने उससे पूछा कि वह यह सब किस तरह कर लेता है तो उसने जवाब दिया कि उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता था। वह जन मंच के आंदोलनों के मिलविले में कई बार जेल काट चुका था, लेकिन उसने कभी पैरोल या रिहाई के लिए अर्जी नहीं दी थी। जैसा कि वह कहता था, वह एक अनुशासनवद्ध कार्यकर्ता था।

भाटिया से मुझे पता चला कि जन सभ के कार्यकर्ता कितने अनुशासनवद्ध हैं—अगर ऊपर से एक शब्द भी कहा जाता है तो वह अन्तिम आदेश समझा जाता है। इसका उल्लंघन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भाटिया ने इस

वात को कभी गुप्त नहीं रखा था कि आर० एस० एस० एक उत्तम संगठन है जिसने अपने 'सैनिक' विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर रखे हैं। वह हिन्दू-राष्ट्र में विश्वास करता था। वह इस बात को नहीं छिपाता था कि वह किसी भी मुसलमान का विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी होने के नाते, जिसने नये सिरे से अपनी जिन्दगी शुरू की थी, वह यह नहीं भूला था कि मुसलमानों ने उसे बेघरवार कर दिया था। उसकी दलील बड़ी ही स्पष्ट थी—मुसलमानों ने हमको यहाँ भेजा, उनके भाई लोगों को वहीं जाना चाहिए, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया था।

हम लोग एक-दूसरे के जाने-पहचाने हो गये थे। यही हाल डॉक्टर साहब का था, जिन्हें हम इसी तरह पुकारते थे। डॉक्टर साहब एक क़ैदी के सिर पर दवाइयों का बक्स रखे उसको साथ लेकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड घीरे-घीरे जाया करते थे।

इनके आ जाने से हमारी नित्य की जिन्दगी में रौनक आ जाती थी, इसलिए जिस दिन वह हमारे वार्ड में नहीं आते, हमें उलझन होती थी। जैसे ही वह आते थे, हम सब उनको घेर लेते थे। चाहे जिसे कोई भी बीमारी हो, वह या तो बी० कम्प्लेक्स का मिस्चर होता या ऐसी ही कोई बँधी-बँधायी दवा दे देते थे। हम लोगों को रोजाना आध घंटा उनके साथ बिताते बहुत अच्छा लगता था। वह सब लोगों के साथ हँसकर दोस्ती से बोलते थे और यही सबसे बढ़िया दवा थी। वह उन कुछ लोगों में से थे जिनके साथ काफी दूर तक टहलने से सुख मिलता था। उनकी एक चिट से हम लोग वार्ड छोड़कर जेल के अस्पताल तक जा सकते थे, जो करीब आधा किलोमीटर दूर था। वार्ड में बहुत दिनों तक बंद रहने से, बाहर जाना मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा था।

एक दिन मैंने उनसे चिट देने का आग्रह किया, जिससे मैं अस्पताल तक जा सकूँ। वहाँ एक बंगाली डॉक्टर चीफ मेडिकल आफिसर था। उसने मुझे बताया कि जब वह कलकत्ता में था तब उसने स्टेट्समैन में मेरे कुछ लेख पढ़े थे। वह जान गया कि मैं वार्ड से सिर्फ बाहर निकलने के लिए अस्पताल आया था। लेकिन मैंने उसे बताया कि मुझे नींद नहीं आती है। उसने बताया कि यह वातावरण की वजह से था। उसने मुझेसे पूछा कि क्या मैं कुछ दिन अस्पताल में रहना चाहता था। मैंने चारों ओर देखा। यह जेल में बाकी जगहों की तरह गन्दा था—बल्कि शायद ज्यादा गन्दा था। इस अस्पताल के साथ में लगा हुआ एक वार्ड था, जो दिमाग के रोगियों के लिए था। मैंने इस वार्ड से अजीब-सी आवाज़ें आती सुनी और कुछ रोगियों को अजीब-सा व्यवहार करते देखा। लेकिन इससे ज्यादा घिनावनी थी अस्पताल में फँसी बंदूक और चारों तरफ की गन्दगी। वहाँ पलंग कम रोगी ज्यादा थीं और नर्स और न कोई सहायक ही दिखायी पड़ रहा था।

मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने वार्ड में ही रहूँगा। उसने भी अस्पताल में आने के लिए कोई जोर नहीं दिया। वह वहाँ की हालत के बारे में सतर्क था। उसने कहा कि जब आवश्यक दवाइयाँ खरीदने के लिए भी फंड न हो तब वह कर ही क्या सकता था? उसने मुझे दूध और डबलरोटी और ज्यादा दिये जाने के लिए एक चिट लिख दी। उसने कहा कि वह इतना ही कर सकता था।

वह लिहाज करता था, लेकिन नियम ऐसा नहीं करते थे। यह जानते हुए भी

कि वह जेल के अस्पताल में कुछ क्यादा नहीं कर सकता है, कभी-कभी वह किसी क़दी को शहर के अस्पताल में भेज दिया करता था। नियमों के अनुसार, राजनीतिक क़दी को भी हथकड़ी पहन कर जाना होता था, उसके माथ पुलिस के छह आदमी जाते, उस पर सतत चौकसी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वह अकेले में शौच भी नहीं जा सकता था। दिल के रोगी डॉक्टरों जाँच के समय ही नहीं, बल्कि ई०सी०जी० लिये जाने के समय भी हथकड़ी पहने रहते थे। एक बार एक क़दी ने शहर के अस्पताल में जाने से इनकार कर दिया। वह अपनी छाती में दर्द की शिकायत कर रहा था, डॉक्टर कह रहा था कि इसका ई० सी० जी० जरूर होना चाहिए, लेकिन पुलिस इस बात पर जोर दे रही थी कि वह उसे हथकड़ी पहना कर ही ले जायेगी। वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह यह बेइच्छती नहीं बर्दाश्त करेगा।

अधिकारियों को कई बार प्रतिवेदन भेजे गये कि वह हथकड़ी वाले नियम से कम-से-कम रोगियों को छूट दे दें, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जेल के लोगों ने मुझे बताया कि जवाब आयेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार की यह नीति थी कि हत्यारों की अनिश्चित राजनीतिक तज़रवों के साथ क्यादा कड़ाई से व्यवहार किया जाये।

शायद यही कारण था कि निरोग रहने के लिए अक्सर विरोध प्रार्थनाएँ होती थी। बहुत-से तो घंटों 'रामायण' और 'गीता' पढा करते थे। भारती ने भी मुझे

और अटूट विश्वास था। मैं इसके लिए उससे अक्सर ईर्ष्या करता था। थ्रडा एक रूँटी है जिस पर कोई भी आदमी अपनी चिन्ताओं और समस्याओं को टाँग सकता है। यह घाबों पर मतलहम का काम करती है, वह हममें आशा जगाती है जब हमारी आशा बुझ चुकी होती है। जो थ्रडायुक्त है वे भाग्यशाली हैं।

महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब निराशा उन्हें घेर लेती और उन्हें कहीं से भी कोई किरण नहीं दिखायी देती तब वह 'भगवद्गीता' की शरण में जाते थे।

भारती को राजस्थान के एक स्वामी की यह भविष्यवाणी याद आयी होगी कि मैं एक दिन 'धार्मिक बन' जाऊँगा। उसने कहा था कि यह बान उमने मेरी हथेली में देखा थी। लेकिन दूसरे किसी हाथ देखने वाले ने मेरे हाथ में यह छाप रेखा नहीं देखी थी। मेरे पाँव में करीब आधे-दज़न ऐसे लोग थे जो अपने को हस्तरेखा-शास्त्र का ज्ञाता कहते थे। वह हाथ देखा करते थे और साथ ही उपदेश भी देते थे। जेल की उदाम जिन्दगी में समय बिताने का यह एक अच्छा साधन था। बुरी भविष्यवाणियाँ बहुत कम होती थी और यह विश्वास दिलाया जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं।

मैंने 'गीता' पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने को यही सोचता हुआ पाता कि इन पुस्तक को मेरे पास भेजने में कितना कष्ट उठाया गया था। क्या उन्हें मजिस्ट्रेट के मामले खड़ा होना पड़ा था और यह धोपणा करनी पडी थी कि इनमें क्रांतिकारिता की कोई बात नहीं थी? क्या उन्हें यह कथन तीन प्रतियों में या चार प्रतियों में प्रस्तुत करना पड़ा था? और जब यह पुस्तक आयी थी तब किसी की हर पृष्ठ उलट-पुलट कर यह निश्चय करने के लिए देयना पड़ा था कि इसमें वही कोई सूचना तो नहीं छिपी हुई थी? मैंने इसके पृष्ठों को स्वयं उलट-पुलट कर

देखा। मुझे अपने एक ईसाई दोस्त की याद हो आयी जो यही काम 'वाइवल' के साथ करता था। जब कभी उस पर कोई संकट आता या उसके सामने कोई समस्या होती थी तब वह कोई भी पृष्ठ खोल लेता और उसे पढा करता था। मैंने

“जिस प्रकार कोई आदमी पुराने
लेता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने

हर व्यक्ति को उसके सत्कार्यों का पुरस्कार अगले जीवन में मिलता है; बुरे कार्यों के लिए दण्ड इसी जीवन में मिल जाता है। इस जीवन में प्राप्त सुख-दुख की यही व्याख्या थी। इसी वाक्य में यह आशा निहित थी कि इस जीवन में जो कष्ट हम सहन कर रहे हैं उसका बदला अगले जीवन में मिल जायेगा। क्या यह ईसाई या इस्लाम के न्याय-दिवस के सिद्धान्त की अपेक्षा, जिसमें यह कहा गया है कि उस दिन जीवन का लेखा-जोखा कर यह निर्णय किया जायेगा कि किसको स्वर्ग में भेजा जाये और किसको नर्क में, ज्यादा विश्वमनीय था ?

मैंने देखा कि मेरी इस पुस्तक के कारण 'प्रार्थना वर्ग' के सदस्यों में कुछ जिज्ञासा जाग्रत हुई थी। उन्होंने शायद इस गर्व का अनुभव किया था कि पापी मुक्ति के रास्ते पर आ गया था। जब कभी वह मेरी बैरक में प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते तो मैं बाहर निकल जाना न भूलता। इसका कारण अंशतः यह था कि मैं अपने को इनके बीच अकेला-सा अनुभव करता और अंशतः यह था कि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें अपने बीच एक अविश्वासी की उपस्थिति से कोई परेशानी हो। अगर किसी कारण से मैं समय पर बाहर नहीं निकल पाता तो वह मेरे निकल जाने का इन्तज़ार करते थे। एकाध आदमी, जिन्होंने मुझे 'गीता' पढते देखा था, प्रार्थना के समय आशापूर्ण नज़रों से मुझे देखा करते थे। लेकिन मैं हमेशा की तरह बाहर निकल जाता था।

मैं जन संघ के अपने प्रार्थना करने वाले दोस्तों को चिढाता था कि वह बीरों की अपनी सूची में संजय गांधी का नाम भी शामिल कर ल, क्योंकि उसने वही कहा था जिसमें उनका विश्वास था। एक समाचारपत्र को इंटरव्यू देते समय उसने कहा था कि वह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किये जाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोधी है। वह आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए करों में कटौती और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दिये जाने का हिमायती था।

यह पूछे जाने पर कि क्या बड़े-बड़े व्यापारिक मस्थानों में कटौती की जाये और क्या वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है? संजय ने कहा था, "नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, असल में बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान ही विकसित होते हैं, क्योंकि उनके पास नियंत्रणों से बचने के लिए साधन और क्षमता होती है। छोटे-छोटे लोग नियंत्रणों का उल्लंघन नहीं कर पाते, इसीलिए छोटा उद्योग करने वाला व्यक्ति ही नुकसान उठाता है।

"अगर सभी नियंत्रणों को हटा लिया जाये तो बड़े-बड़े उद्योगपति खत्म हो जायेंगे। यही लोग नियंत्रण लगाने के लिए प्रचार करते फिरते हैं। इनमें कुछ तो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं और कुछ नौकरशाह हैं। नियंत्रणों से नौकरशाही को संरक्षण देने तथा शक्ति और धन को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है।"

"आप किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण नहीं चाहेंगे?" इंटरव्यू करने वाले व्यक्ति ने पूछा। संजय ने कहा, "नहीं, कभी नहीं।" अपनी बात की पुष्टि में उसने कोयला-खानों के राष्ट्रीयकरण के परिणामों की चर्चा की थी। कोयला-खानों का

राष्ट्रीयकरण किये जाने के पहले कोयला पैंतीस रुपया प्रति टन बिक रहा था और धानों को मुनाफा भी हो रहा था। श्री गांधी ने कहा, "कोयले का दाम नब्बे रुपये प्रति टन है और उन्हें गौ करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है।" पर नौकरशाही को हर तरह का फायदा हो रहा है, उन्होंने आगे कहा। यह पड़े जाने पर कि क्या किया जाये जिसे आर्थिक सक्षमता आ जाये, संजय ने कहा, "एक तरीका है कि काला बाजारी खत्म कर दी जाये। सबसे अच्छा उपाय यह है कि करों को कम कर दिया जाये।" कुछ लोगो का विचार था कि माँ की अपेक्षा लड़का ज्यादा बुद्धिमान था। अधिकांश लोगो को उसकी संतानी पर रोना आता था, जिसके परिणाम हम लोगो तक आने शुरू हो गये थे। कुछ ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि सड़कें चौड़ी करवा कर उसने चाँदनी चौक में कामान का काम किया था।

पूरा चाँद निकल आया था। मैंने इसे धीरे-धीरे एक पतली रेखा से पूरा गोलाकार होते देखा था। सभी चीजें—तोहे की मलापें, ऊबड़-धबड़ जमीन और धुत्राँ देता रसोईघर—रोशनी में नहायी हुई थी, हर चीज, यहाँ तक कि जेल में व्याप्त निराशा-भरी उदासी भी, सुन्दर लग रही थी। यह ताज्जुब था कि इससे डर या सत्रास के प्रति बदला लेने की नहीं बल्कि सहानुभूति की भावना पैदा हो रही थी। मैं एक ऐसे आदमी की तरह था जो दर्द के यावजूद खुशी का अनुभव कर रहा था।

मैं सोच रहा था कि अगर मैं बच्चा होता तो मैं अपनी छत पर चढ़ जाता और देखता कि क्या चाँद पूर्ण उग आया है, मैं सबसे पहले अपनी माँ को बताता कि चाँद निकल आया है। वह हर पूर्णमासी को उपवास रखा करती थी। वह पूरे चाँद को एक छलनी में देखकर उपवास तोड़ा करती थी। मुझे वह वापदा भी याद आया जो मैंने किसी से लिया था जिसे मैं प्यार करता था कि मैं पूरे चाँद को निहारा कहूँगा। उसने कहा था कि वह भी ऐसा ही करेगी। मुझे कभी नहीं मालूम हुआ कि वह देखती थी या नहीं, लेकिन यह बात सोचने में बेहद अच्छी लगती थी और मैं चाँद को देर तक अपना देखता रहता था।

मुझे जॉनसन के शब्द याद आये : "हर कहानी का मूल्य उसके सच्चे होने में है। कहानी या तो सामान्य मानव के स्वभाव का चित्रण करती है; अगर यह कहानी झूठी हो तो किमी की भी तसवीर नहीं होती।" मैंने दूर से आती संगीत की ध्वनि सुनी, लेकिन वह शोर-शराबे में डूब गयी। मैं उस लय को पकड़ने की भरसक कोशिश में था। मैं काली मोटी दीवार तक टहलता हुआ गया और उस पर कान रख सुनने लगा। यह कोई महान संगीत नहीं था, महज एक फिल्मी गीत था, लेकिन मुझमें एक अजीब उदात्त भावना भर रहा था। बहुत दिन से मैंने कोई संगीत नहीं सुना था, सुनना मुझे मयस्सर नहीं था। मैं बाहरी दुनिया से कितना अलग हो गया था! क्या बाहर कोई दुनिया थी भी? संगीत की लय, बाहर सड़को पर गाड़ियों की घरघराहट या जेल के ऊपर हवाई जहाजों के उड़ने की गूँज—सभी यह बताती थीं कि इन ऊँची मोटी और ठोस दीवारों और लोहे के फाटको के बाहर खिन्दीगी सामान्य रूप से चल रही थी। उन्हें प्यार, खाना, कपडा, काम और पूजा की वैसे ही कामना थी, उन्हें जेल के भीतर बन्द लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कभी फुरसत के

समय में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि हमें असफलता मिली और कुछ सफलता चाहते होंगे। उनका जो भी निष्कर्ष रहा हो, जितने समय मैं क्रैंड में रहा वह बेकार गया और वह वापस कभी नहीं आयेगा। उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था।

मैंने एक अजीब-सा सपना देखा। मैं अपने बाप-दादों के शहर, सियालकोट लौट आया था जो अब पाकिस्तान में है और अपने घर के पीछे छोटे-से मकबरे में एक अनजान पीर के सामने खड़ा था। यह मकबरा उजड़ा हुआ दीख रहा था, सब जगह घास उग आयी थी, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठे पीर को देख रहा था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर सफेद चादर पड़ी हुई थी।

मैं अपने स्कूल के दिनों में हर बृहस्पतिवार (जुम्मेरात—शुक्रवार से पूर्व-संध्या को जो मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाती है) को मकबरे जाता था और इम्तहान शुरू होने से पहले मिठाई चढाता था। मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ कि पीर अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना मंजूर करता है।

सपने में पीर ने मुझसे कहा कि मैं अगले बृहस्पतिवार को छूट जाऊँगा और मैं अचकचा कर उठ बैठा। मेरे कमरे में कोई प्रार्थना कर रहा था—यह लगभग तड़का था—और यह बृहस्पतिवार था।

पीर के प्रति श्रद्धा मेरे मन में बचपन से ही घर कर गयी थी। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बड़े आदर से चर्चा करती। मैंने उन्हें अपने पिता से अनवन होने पर कई बार मकबरे जाते देखा था।

जब भारती और मेरा साला राजिन्दर मुझे देखने आये तब सपने की याद मेरे दिमाग में ताज़ा थी। नज़रबन्द हुए मुझे दूसरा महीना चल रहा था और नियमों के अधीन मैं अपने निकट के रिश्तेदारों से महीने में एक बार मिल सकता था। राजिन्दर ने मेरे केस के बारे में मुझसे विचार-विमर्श किया, उसे विलकुल भी आशा नहीं थी। याचिका के गुण-दोष का सवाल नहीं था, लेकिन सारे देश में एक डर छाया हुआ था। मुझे पता चला कि कुछ ही जज सरकार की मर्जी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन जेल के मेरे एक साथी ने बताया कि रंगराजन और अग्रवाल से अच्छे जज किसी ग़लत नज़रबंद होने वाले कैदी को नहीं मिल सकते थे। दोनों अपनी स्वतंत्रता और निर्भिकता के लिए प्रसिद्ध थे।

राजिन्दर को सूचना मिली थी कि सरकार मुझे तभी छोड़ेगी जब नेता लोग छोड़े जायेंगे। इसका अर्थ यह था कि मुझे जेल में बहुत दिन के लिए रहना पड़ेगा। मैंने उनसे जाड़े के कपड़े और कुछ और ज़्यादा किताबें भेजने के लिए कहा। राजिन्दर ने कहा कि इसके लिए भी मंजूरी लेनी पड़ेगी और यह संबंधित मजिस्ट्रेट की मर्जी पर निर्भर करेगा। मैंने उसे बताया कि हमने सुना था कि मजिस्ट्रेटों पर इस बात का ओर अधिक दबाव डाला जा रहा था कि नज़रबंदों को कम-से-कम सुविधाएँ दें।

राजिन्दर का विचार था कि यह सच हो सकता है। अभी हाल में वह सच्चर साहब से मिलने अम्बाला गया था और उनसे बड़ी मुश्किल से मिल सका था। ऐसा लगता था कि सरकार तब तक यह निर्णय नहीं कर पायी थी कि क्या नज़रबंदों को अपने संबंधियों से मिलने की इजाज़त दी जाये।

राजिन्दर ने बताया कि उसने गृह-मंत्री ब्रह्मानंद रेहड़ी को टेलीफोन किया था। उन्होंने बताया कि वह 'ओम से पूछेंगे' और तब उसे बतायेंगे कि मिलने की मंजूरी मिल सकेगी या नहीं (ओम मेहता उन दिनों गृह-मंत्रालय में उनके नीचे

काम करते थे)। राजिन्दर ने कहा—कि यह तो वह खुद ही कर सकता है। और उसने ओम मेहता को टेलीफोन किया। ओम मेहता ने कुछ देर किसी से पूछने के लिए हकरर—शायद श्रीमती गांधी से—उसे इजाजत दी थी।

हमारी बातचीत मुश्किल से शुरू ही हुई थी कि पास में बैठे पुलिस के सिपाही ने कहा कि समय पूरा हो गया। मैं बेहद भुंभलाया, मैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बूढ़े माँ-बाप और अपने दोस्तों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। लेकिन पुलिस का सिपाही बेबस था, नियम तो नियम ही थे और आधे घंटे का समय मंजूर हुआ था। मैं अपनी कोठरी की तरफ लौटने लगा तो मैंने इंटरव्यू के कमरे के पास ही अपनी बहन को खड़ा देखा। मैं उसकी ओर देखने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। मैंने देखा कि वह रो रही थी, उसने अचानक सिर ऊपर उठाया और चिल्लाकर कहा : “यह लोग हमारे रिश्ते को नहीं छीन सकते, हम भाई-बहन हैं।”

मेरे पीर ने मुझे जिस वृहस्पतिवार के बारे में कहा था, वह बड़ी इन्तजार के बाद आखिरकार आ गया। वार्ड का जब भी दरवाजा खुलता मैं बाहर की तरफ बड़ी आशा से देखने लगता। मेरे एक-दो कैदी साथियों ने इसे भांप लिया, लेकिन उन्होंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। मैंने उन्हें अपने सपने की बात नहीं बतायी थी—वे मुझे निश्चय ही अन्धविश्वासी कहते, खास तौर से इसलिए कि वहाँ लगभग सभी हिन्दू थे और मैंने अपने सपने में पीर को देखा था, राम या कृष्ण को नहीं।

एक बार मैं वार्ड से मिला तो मैंने बड़े ही सहज भाव से कैदियों के छोड़े जाने की प्रक्रिया की सभी बातों के बारे में व्योरेवार पूछा। उसने बताया कि रिहाई का आदेश कभी भी सेल में नहीं आता, कैदी से अपना सामान इकट्ठा करने और सुपरिटेण्डेंट के पास जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कैदी को छोड़े जाने के समय ही नहीं बल्कि उसको एक सेल से दूसरे सेल या जेल में ले जाने के समय भी यही होता है। यह सावधानी इसलिए बरती जाती थी कि छूटने वाले के साथी उसके साथ मिलकर जेल से निकल भागने के लिए कोई पद्धत न कर सकें।

मैं अपना सामान वटोरने के लिए सारे दिन आदेश का इन्तजार करता रहा, लेकिन वह आया नहीं। रात के खाने के समय तक मुझे यह विश्वास हो गया कि जो सपना मैंने देखा था वह सिर्फ सपना था। यह नहीं हो सकता कि किसी आदमी को रात में रिहा किया जाता। मैं वार्ड से दुबारा पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे निश्चय ही उसका कौतूहल बढ़ सकता था। वह मुझसे पूछताछ करने लग सकता था। और अगर मैं उससे अपने सपने की बात बता देता तो यह चारों तरफ फैल सकती थी, जिससे मैं सबकी हँसी का पात्र बन सकता था। एक बार मैं उदास होकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने जेल की घड़ी में दस बजते सुना। और तभी अचानक वार्ड मेरी चारपाई के पास आया। मुझसे उसने अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। जेल-मुपरिटेण्डेंट मेरा इन्तजार कर रहा था।

यह असाधारण बात थी। मुझसे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा गया था। वार्ड में सब लोग उत्सुक हो गये। जो लोग चारपाइयों में लेटे थे वे उठकर बैठ गये, बाकी पहले ही मुझे घेरे खड़े थे। सभी मेरे साथ गेट तक आये लेकिन वार्ड ने उन सबको रोक दिया, सिर्फ मुझे ही बाहर आने दिया। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि कुछ को दक था कि कहीं कोई घोषा न हो।

हम लोग बहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे और एक परिवार बन गये थे, एक आदमी की खुशी हर आदमी की खुशी थी, इसी तरह एक आदमी का दुख सब लोगों का दुख था। वार्डर ने उन सबको विश्वास दिलाया।

मैंने सुपरिंटेंडेंट को बाहर घड़े देखा। उसके साथ एक और आदमी था। मुझे बताया गया कि वह दिल्ली का डिप्टी-कमिश्नर था और सुपरिंटेंडेंट हमारा एक-दूसरे से परिचय करा कर चला गया। वह बातचीत में दोस्त जैसा लगा। उसने कहा कि उसने मेरी किताबें पढ़ी थीं और वह चाहता था कि वह मुझसे कहीं अन्यत्र मिलता। उसने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में दो-तीन बार पूछा भी था।¹ उसने मुझसे मेरे बारे में और जेल में रहने-सहने की हालत के बारे में पूछा। मैं थोड़ा नाराज-सा था कि मुझे सोते से क्या सिर्फ इसी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जेले इतनी गन्दी क्यों रहती हैं, इनमें जगह से ज्यादा आदमी क्यों भरे जाते हैं? कोई भी जेल में नहीं रहना चाहता, सरकार इन कैंदियों को आवश्यक सुविधाएँ न देकर खुद उनको क्यों सताती है? उसने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने बताया कि जेल इतने सारे आदमियों को रख भी नहीं सकती, नजरबंदों की भीड़ के कारण सुविधाएँ कम पड़ गयी थी।

उसने मुझे बताया कि मेरे मामले में कुछ गलती हो गयी थी, क्योंकि फाइलों में मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं था। मेरे खिलाफ यह शिकायत गलत निकली थी कि मैंने कुछ खबरें विदेशों को भेजी थी और इसकी सूचना प्रधानमंत्री के सचिवालय को दे दी गयी थी। उसने मुझसे नजरबंदों के हौसले के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि उनका हौसला बुलन्द था। उसे यह सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने बताया कि नजरबंदों में अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग थे जो किसी-न-किसी रूप में यह व्यक्त कर चुके थे कि वह जेल से बाहर जाना चाहते थे। हमारी वाक्य चर्चा सामान्य बातों पर हुई।

आधे घंटे के बाद जब वह जाने लगा, तब वार्डर मुझे वापस ले जाने के लिए मेरे पास आया। जैसे ही मैं वार्ड के अन्दर घुसा, मुझे मेरे कैंदी साथियों ने घेर लिया। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि यह मैं नहीं जान सका कि मुझसे डिप्टी-कमिश्नर क्या चाहता था, क्योंकि उसने ज्यादा

1. शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए, डिप्टी-कमिश्नर ने कहा कि आर० के० धवन ने उसे मुझसे यह कहने के लिए फोन किया था कि प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में दो-तीन बार पूछा था।

उसने कमीशन को बताया था कि उसे मेरी गिरफ्तारी के आदेश प्रधानमंत्री-निवास

पास" किया। कृष्णचंद ने कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी पर अकसोस था, क्योंकि वह मुझे जानते थे, लेकिन बम मेहता ने उन्हें बताया था कि श्रीमती गांधी मेरी गिरफ्तारी के लिए जोर दे रही थी।

काम करते थे)। राजिन्दर ने कहा—कि यह तो वह खुद ही कर सकता है। और उसने ओम मेहता को टेलीफोन किया। ओम मेहता ने कुछ देर किसी से पूछने के लिए रुककर—शायद श्रीमती गांधी से—उसे इजाजत दी थी।

हमारी बातचीत मुश्किल से शुरू ही हुई थी कि पास में बंटे पुलिस के सिपाही ने कहा कि समय पूरा हो गया। मैं बेहद भुंभलाया, मैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बड़े माँ-बाप और अपने दोस्तों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। लेकिन पुलिस का सिपाही बेवस था, नियम तो नियम ही थे और आधे घंटे का समय मंजूर हुआ था। मैं अपनी कोठरी की तरफ लौटने लगा तो मैंने इंटरव्यू के कमरे के पास ही अपनी बहन को खड़ा देखा। मैं उसकी ओर देखने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। मैंने देखा कि वह रो रही थी, उसने अचानक सिर ऊपर उठाया और चिल्लाकर कहा : “यह लोग हमारे रिश्ते को नहीं छीन सकते, हम भाई-बहन हैं।”

मेरे पीर ने मुझे जिस बृहस्पतिवार के बारे में कहा था, वह बड़ी इन्तजार के बाद आखिरकार आ गया। बाइंड का जब भी दरवाजा खुलता मैं बाहर की तरफ बड़ी आशा से देखने लगता। मेरे एक-दो कँदी साथियों ने इसे भाँप लिया, लेकिन उन्होंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। मैंने उन्हें अपने सपने की बात नहीं बतायी थी—वे मुझे निश्चय ही अन्धविश्वासी कहते, घास तौर से इसलिए कि वहाँ लगभग सभी हिन्दू थे और मैंने अपने सपने में पीर को देखा था, राम या कृष्ण को नहीं।

एक बार मैं वाइंडर से मिला तो मैंने बड़े ही सहज भाव से कँदियों के छोड़े जाने की प्रक्रिया की सभी बातों के बारे में ब्यौरेवार पूछा। उसने बताया कि रिहाई का आदेश कभी भी सेल में नहीं आता, कँदी से अपना सामान इकट्ठा करने और सुपरिटेण्डेंट के पास जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कँदी को छोड़े जाने के समय ही नहीं बल्कि उसको एक सेल से दूसरे सेल या जेल में ले जाने के समय भी यही होता है। यह सावधानी इसलिए बरती जाती थी कि छूटने वाले के साथी उसके साथ मिलकर जेल से निकल भागने के लिए कोई षड्यंत्र न कर सकें।

मैं अपना सामान बटोरने के लिए सारे दिन आदेश का इन्तजार करता रहा, लेकिन वह आया नहीं। रात के खाने के समय तक मुझे यह विश्वास हो गया कि जो सपना मैंने देखा था वह सिर्फ सपना था। यह नहीं हो सकता कि किसी आदमी को रात में रिहा किया जाता। मैं वाइंडर से दुबारा पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे निश्चय ही उसका कौतूहल बढ़ सकता था। वह मुझसे पूछताछ करने लग सकता था। और अगर मैं उससे अपने सपने की बात बता देता तो यह चारों तरफ फैल सकती थी, जिससे मैं सबकी हँसी का पात्र बन सकता था। एक बार मैं उदास होकर सोने चला गया, लेकिन मुझे नीद नहीं आ रही थी। मैंने जेल की घड़ी में दम बजते सुना। और तभी अचानक वाइंडर मेरी चारपाई के पास आया। मुझसे उसने अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। जेल-सुपरिटेण्डेंट मेरा इन्तजार कर रहा था।

यह असाधारण बात थी। मुझसे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा गया था। बाइंड में सब लोग उत्सुक हो गये। जो लोग चारपाइयों में लेटे थे वे उठकर बैठ गये, बाकी पहले ही मुझे घेरे खड़े थे। सभी मेरे साथ गेट तक आये लेकिन वाइंडर ने उन सबको रोक दिया, सिर्फ मुझे ही बाहर आने दिया। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि कुछ को शक था कि कहीं कोई धोखा न हो।

हम लोग बहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे और एक परिवार बन गये थे, एक आदमी की खुशी हर आदमी की खुशी थी, इसी तरह एक आदमी का दुख सब लोगों का दुख था। वार्डर ने उन सबको विश्वास दिलाया।

मैंने सुपरिंटेंडेंट को बाहर खड़े देखा। उसके साथ एक और आदमी था। मुझे बताया गया कि वह दिल्ली का डिप्टी-कमिश्नर था और सुपरिंटेंडेंट हमारा एक-दूसरे से परिचय करा कर चला गया। वह बातचीत में दोस्त जैसा लगा। उसने कहा कि उसने मेरी किताबें पढ़ी थीं और वह चाहता था कि वह मुझसे कहीं अन्यत्र मिलता। उसने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में दो-तीन बार पूछा भी था।¹ उसने मुझसे मेरे बारे में और जेल में रहने-सहन की हालत के बारे में पूछा। मैं थोड़ा नाराज-सा था कि मुझे सोते से क्या सिर्फ इसी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जेलें इतनी गन्दी क्यों रहती हैं, इनमें जगह से ज्यादा आदमी क्यों भरे जाते हैं? कोई भी जेल में नहीं रहना चाहता, सरकार इन कैदियों को आवश्यक सुविधाएँ न देकर खुद उनको क्यों सताती है? उसने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने बताया कि जेल इतने सारे आदमियों को रख भी नहीं सकती, नजरबंदों की भीड़ के कारण सुविधाएँ कम पड़ गयी थी।

उसने मुझे बताया कि मेरे मामले में कुछ गलती हो गयी थी, क्योंकि फ़ाइलों में मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं था। मेरे खिलाफ़ यह शिकायत गलत निकली थी कि मैंने कुछ खबरें विदेशों को भेजी थीं और इसकी सूचना प्रधानमंत्री के सचिवालय को दे दी गयी थी। उसने मुझसे नजरबंदों के हौसले के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि उनका हौसला बुलन्द था। उसे यह सुनकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने बताया कि नजरबंदों में अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग थे जो किसी-न-किसी रूप में यह व्यक्त कर चुके थे कि वह जेल से बाहर जाना चाहते थे। हमारी बाकी चर्चा सामान्य बातों पर हुई।

आधे घंटे के बाद जब वह जाने लगा, मेरे पास आया। जैसे ही मैं वार्ड के अन्दर
 लिया। सभी जानना चाहते थे कि क्या हुआ.
 जान सका कि मुझसे डिप्टी-कमिश्नर क्या चाहता था, क्योंकि उसने ज्यादा

1. शाह कमीशन के सामने गवाही देते हुए, डिप्टी-कमिश्नर ने कहा कि बार० के० घवन ने उसे मुझसे यह कहने के लिए फोन किया था कि प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में दो-तीन बार पूछा था।

उसने कमीशन को बताया था कि उसे मेरी गिरफ्तारी के आदेश प्रधानमंत्री-निवास से उप-राज्यपाल के सचिव नवीन चावला की माफ़त मिले थे। मुझे गिरफ्तार करने वाले पुलिस-सुपरिंटेंडेंट, के० डी० नैयर ने अपने बयान में कहा कि मेरी गिरफ्तारी से दो या तीन दिन बाद ही अभियोग-पत्र तैयार किया गया था। यह अभियोग सी० आई० डी० के सुपरिंटेंडेंट, के० एस० बाजवा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर बनाये गये थे। पी० सी० मिडर ने गवाही देते हुए कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी की "जानकारी" सुपरिंटेंडेंट से मिली थी, इस गिरफ्तारी में उसका कोई हाथ नहीं था; उन्होंने केवल अपने कर्मचारियों से सिर्फ़ यही कहा कि कुलदीप नैयर के साथ "समुचित शिष्टता" का बर्ताव किया जाये, क्योंकि वह एक प्रमुख पत्रकार हैं।

कृष्णचंद ने कमीशन को बताया कि उन्होंने सुपर-प्रधानमंत्री के आदेशों का "सिर्फ पालन" किया। कृष्णचंद ने कहा कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी पर अक्रोध था, क्योंकि वह मुझे जानते थे, लेकिन ओम मेहता ने उन्हें बताया था कि श्रीमती गांधी मेरी गिरफ्तारी के लिए खोर दे रही थी।

समय मुझे जेल में रहन-सहन की स्थिति के बारे में ही बातचीत की थी। इस असामान्य घटना के बारे में तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही थी, कुछ को शक था कि मैं कुछ छिपा रहा था। रात बहुत हो गयी थी, हम सब सोने के लिए चले गये। हम इस असामान्य घटना को लेकर उलझन में पड़ गये थे; पता नहीं कब हमारी आँख लग गयी।

अभी छह नहीं बजे थे, फिर भी वार्डर ने मुझे जगा दिया। जेल-सुपरिटेण्डेंट फिर बाहर मेरा इन्तजार कर रहा था। जब मैं उससे मिला तब उसने बताया कि डिप्टी-कमिश्नर ने जाने से पहले पिछली रात—बृहस्पति की रात—को ही मेरी रिहाई के लिए आवश्यक कागजों पर दस्तखत कर दिये थे।

मुझे अपना सपना याद आ गया।

मैं वार्ड में वापस लौट आया। सभी लोग यह सुन कर कि मैं रिहा किया जा रहा था, मुझे बधाई देने लगे। सुपरिटेण्डेंट चाहता था कि मैं जल्दी चला जाऊँ, मेरे कैदी साथियों ने मुझे अपना सामान वापस देने में मदद की। उन्होंने कहा कि वह मेरी याद करेंगे। कुछ ने यह आशा व्यक्त की कि मेरी रिहाई के बाद अब लोग ज्यादा संख्या में रिहा किये जायेंगे। कुछ ने मुझे अपने-अपने टेलीफोन नम्बर दिये और अपने परिवार के लोगों को यह बताने के लिए कहा कि वे सब ठीक हैं।

विदा होने से पहले राजस्थान का एक ब्राह्मण, जिसके माथे पर तिलक की ढेर सारी रेखाएँ बनी हुई थी, मुझे अलग ले गया। वह मुझे एक पेड़ लगवाना चाहता था।

करता था। उसकी

नी बातचीत में धर्म

... ताज्जुब करता था कि यह धार्मिक व्यक्ति क्यों नजरबन्द किया गया। मैं अक्सर उसे चिढ़ाता भी था कि ईश्वर ने उसे छोड़ा दिया है। वह हमेशा शान्त रहता। वह 'गोता' में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताये गये कर्मवाद में विश्वास करता था। उसका तर्क था कि जो कुछ कोई इस समय है, वह उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है।

उसने मुझे पेड़ लगाने के महत्व को बताया। उसने इस बात पर जोर देने के लिए कि पेड़ का लगाना तीर्थयात्रा करने के समान है, संस्कृत के कुछ श्लोक भी सुनाये। उसके लम्बे-चौड़े भाषण का सार यह था कि मैं वार्ड के अन्दर एक पेड़ लगाऊँ। वार्ड में जमीन इतनी ऊँच और पथरीली थी कि मैंने अपने वार्ड के

अध्यक्ष नियम के अनुसार कोई भी तख्त धार का औजार पुरुषों को नहीं दिया जा सकता था, इस डर से कि ये लोग इन औजारों का दस्तमाला आपस में लड़ाई करने में या निकल भागने के लिए मुरंग खोदने में करेंगे। यह दलील कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ दिन-रात वार्डर रहता था, मानी नहीं गयी।

चाहे नियम ही चाहे नहीं, 'पंडितजी' पेड़ लगवाने के अपने मिशन पर दृढ़ थे। उन्होंने एक गड्ढा अपने हाथों से खोदा था। मैंने उनसे कहा कि पेड़ लगाने से मृगो यह बाद आ रहा है कि वी० आई० पी०-लोग इन समारोहों को किस प्रकार प्रचार कर माधुर्य बना सकते थे और पहले से व्यवस्था की जाती थी कि वहाँ फोटो-ग्राफर और संवाददाता उपस्थित रहे।

मैंने पंडितजी से मजाक में पूछा, "फ़ोटोग्राफर लोग कहाँ है?" जल्दी ही वहाँ और लोग भी इकट्ठे हो गये, उस काम के प्रति आदर की भावना से नहीं, जो मैं सम्पन्न कर रहा था बल्कि इसलिए कि हर किसी को जेल में समय काटना मुश्किल हो जाता था और इससे थोड़े समय के लिए मन बहल गया। वह पौधा अमरुद का था जो जल्दी ही बड़ा हो जाता है। मैंने वह पौधा धीरे-से गड्ढे में रखा, मिट्टी डाली और उसे सींच दिया। मैंने कोई भाषण नहीं दिया, हालाँकि लोग आग्रह करते रहे। मुझे टेनीसन की पंक्ति याद आ गयी : "दरार पड़ी दीवारों में फूल।" मैंने उस दिन के बारे में भी सोचा कि जब वह पौधा बढ़ कर पूरा एक पेड़ बन जायेगा। मैं तब कहाँ होऊँगा ?

हालाँकि मैं रिहा होने से खुश था, मुझे विश्वास था कि मुझे उन लोगों की याद आयेगी जिनके साथ मैं दो महीने रहा। उन लोगों ने इस अवधि में कितनी बार अपनी समस्याएँ, शंकाएँ, आशाएँ बतायीं और कितनी बार मैंने उनसे अपनी समस्याओं, शंकाओं आदि की चर्चा की। हम लोगों ने साथ-साथ तकलीफें झेलीं, हम साथ-साथ हँसे, हम आपस में झगड़े भी और हमने साथ-साथ आशाएँ भी

कि मैं उनके लिए ताना-

कि इस सबके लिए क्या

दरवाजे पर सबकी भीड़

लग गया। मैं उगता। पचास लकर सुपरिटेडेंट के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई मेरे घर कार भेजने के लिए टेलीफोन कर देगा ? सुपरिटेडेंट ने कहा कि यह नियम-विरुद्ध है, वह मुझे एक टैक्सी भेगवा सकता है।

जब तक मैं टैक्सी में नहीं बैठ गया सुपरिटेडेंट और वार्डर मेरे पास खड़े रहे। वह मुझे आज़ाद होते देख रहे थे। वार्ड के किसी आदमी ने मुझे चेतावनी दी थी कि अधिकारी एक आदमी को एक ओर रिहा करते हैं और दूसरी ओर उसी समय गिरफ्तार भी कर लेते हैं। मेरे चारों ओर पुलिस का कोई आदमी नहीं था।

मुझे उन भयानक दीवारों के बाहर आकर, बिना सीखचे लगी खिडकियों से बाहर देखते हुए अच्छा लग रहा था। मैंने देखा कि सड़कें बेहद चौड़ी हो गयी थीं और महीनों जेल में रहने के बाद, जहाँ हर चीज़ अरुचिकर थी, कैटोनमेट का भीड़-भरा बाज़ार साफ़-सुधरा था।

...और बाद में

भारती किसी मन्दिर में गयी हुई थी और घर पर सिर्फ राजू था। जब उसने मुझे देखा तब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ देर बाद मैंने उससे टैक्सी-ड्राइवर को किराया देने को कहा। उसके बाद मैंने अपने माँ-पाप को टेलीफोन किया। मैंने पहले तो उनको अचम्भे में चिल्लाते सुना, लेकिन बाद में जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी तब वह खुशी के मारे चिल्लाने लगे। मुझे पता चला कि मेरे समुर को पहले ही छोड़ा जा चुका था। तत्कालीन विधिमन्त्री गोखले ने सरकार को बताया था कि उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं था और न मेरे। श्रीमती गांधी ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिये थे, लेकिन मेरी फाइल अपनी मेज पर रख छोड़ी थी। स्पष्ट ही वह यह जानना चाहती थी कि मेरी अपील पर कोर्ट में क्या कार्रवाई होगी। जब उन्हें यह बताया गया कि कोर्ट निश्चय ही मुझे रिहा कर देगी तब वह मेरी रिहाई पर सहमत हो गयी थी।

मन्दिर से लौटने के बाद भारती को मुझे राजू के पास बैठा देख कर अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग खुश थे। बहुत-से टेलीफोन किये गये और बहुत-से टेलीफोन आये। राजू ने पूड़ों के लिए आर्डर दिया (पूड़ा एक तरह का मालपुए होता है जिसको पजाबी लोग बरसात के दिनों में खाते हैं)। यह उसकी मनपसन्द मिठाई थी। उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जेल में रहूँगा तब तक वह उसे नहीं छुयेगा। उसने दो महीने से इसे नहीं खाया था।

हालांकि मेरे परिवार के लोगों को मेरे जेल से छूटने पर ताज्जुब था, पत्रकारों को कोई भी ताज्जुब नहीं हुआ। जिस मुख्य सेंसर कार्यालय ने मेरी रिहाई की खबर न छापने के लिए उन्हें निर्देश दिया था, मैं उनका कृतज्ञ था। मेरे घर पहुँचने के एक घंटे के अन्दर कुछ विदेशी पत्रकार मेरी रिहाई का ब्योरा जानने के लिए आ गये। मैंने उन्हें डिप्टी-कमिश्नर के आने के बारे में बताया और कहा कि मैं इससे क्यादा कुछ नहीं जानता।

बहुत-से विदेशी समाचारपत्रों ने मेरी रिहाई की खबर छापी और मुझे ऐसे लोगों के टेलीफोन आये जिन्होंने इसकी खबर बी० बी० सी० के रेडियो पर सुनी थी।

जब कोर्ट में मेरे रिट-पिटिशन पर फंसला सुनाया गया था तब मैं वहाँ हाजिर था। इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर 1975 को शुरू हुई थी। इस पर फंसला सुनाने के लिए 10 सितंबर तारीख निश्चित की गयी थी। मेरे बचाव-पक्ष की ओर

से बी० एम० तारकुंडे, सोली सोराबजी और सॉलिसिटर अग्रवाल थे। इनमें से किसी ने भी फ्रीस नहीं ली थी।

सरकार ने दलील दी कि चूंकि मुझे रिहा कर दिया गया है¹, इसलिए फौसला सुनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जजों ने कहा कि वे फौसला सुनायेंगे। सीनियर जज रंगराजन ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने यह मुकदमा चलाया उससे लगता था कि वह फौसला चाहती है, लेकिन जब मुलजिम के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं बना और सरकार ने समझा कि वह छोड़ दिया जायेगा तब उसने फौसले से बचने के लिए नजरबंद को रिहा कर दिया। रंगराजन ने फौसला² पढ़ा और एक ऐसे आदमी को कैद करने के लिए सरकार की आलोचना की जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, जिसने किसी भी क़ानून को नहीं तोड़ा था और जिसने सिर्फ पत्रकार की तरह काम किया।

जजों ने यह अनुभव किया कि प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस मामले में फौसला सुनाना जरूरी है : "हमने कानूनी विचार किये जाने की संभावना को स्पष्ट करने की कोशिश की है, साथ ही यह स्पष्ट करने की कोशिश की है, मोटे तौर पर ही सही, कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस हद तक क़ानूनी विचार संभव है। हमने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कानून के तहत कोई भी नियम प्रशासक को मनमानी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देता।"

कोर्ट का कमरा भीड़ से भरा था। फौसले के बाद कुछ विदेशी पत्रकारों ने मुझे घेर लिया जो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाही। मैंने उनसे कहा, "मेरी दलील उचित ठहरायी गयी और समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की विजय हुई।"

विदेशी समाचारपत्रों ने फौसले की सराहना की। लन्दन से प्रकाशित गार्जियन को टिप्पणी अगोखी थी—

केवल कुछ कुत्ते ही भौंक रहे थे

भारत में इमरजेंसी लागू हुए लगभग तीन महीने बीत रहे हैं और विरोधियों का शायब होना एक रहस्य बनता जा रहा है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और इसी तरह के अन्य वरिष्ठजन के भाग्य के बारे में निश्चय ही अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। वे दस हजार से भी ज्यादा लोगों के साथ जेल में हैं। लेकिन देश के विशाल भू-भाग में कहीं भी विरोध का एक भी स्वर इस निस्तब्धता को नहीं भंग कर रहा है। जो विरोधी थे उन्होंने अपने सारे सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया है और श्रीमती गांधी का आश्चर्यजनक ढंग से समर्थन कर रहे हैं। समाचारपत्रों को पालतू बना दिया है या उनका गला घोट दिया गया है।

केवल न्यायपालिका ही सफलतापूर्वक स्वतंत्र है। कुलदीप नय्यर के मामले में सरकार के खिलाफ़ दिल्ली के हाई कोर्ट के फौसले से इस बात का फिर से संकेत संकेत मिलता है कि भारत के न्यायाधीशों में कम-से-कम कुछ साहसी और

1.

शुरू होने के पाँच मिनट पहले दिया गया था और उनसे उस पर दगड़त करने को कहा गया था।"

2. परिशिष्ट III में सारांश।

आजाद हैं। एमप्रेस न्यूज सर्विस के सम्पादक, श्री नय्यर उन हजारों लोगों में से थे जिन्हें कैदी बनाया गया था। लेकिन उनकी पत्नी ने इसके खिलाफ निर्भीक हो संघर्ष किया, श्री नय्यर की प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच नहीं आयी और उच्च-न्यायालय में दर्ज याचिका के कारण फ्रंसले के पहले ही उनको रिहा करना पड़ा।

लेकिन इससे हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। पहला, न्यायपालिका अपने तंत्र के कारण आजादी का दुर्गम स्रोत है। जैसा कि कुलदीप नय्यर के मामले में हुआ, वह व्यक्ति को आजाद कर सकती है लेकिन जेलों में अभी इतने लोग हैं कि अदालतों को उनके मामलों की सुनवाई के लिए इक्कीसवीं शताब्दी आने तक बंटे रहना पड़ेगा। और दूसरा यह कि, जब आजादी को चोरी-छुपे खत्म करना आसान हो तो उसे बचा सकना मुश्किल होता है।

कावसुप्त आकाशाओं की कूड़े की टोकरी में तो फेंक ही दिया है, अन्य मामलों में भी उनका पंजा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इमरजेंसी शासन कुशलता व दक्षता का शासन है। अब कहीं कोई उपद्रव नहीं हो पाता, क्योंकि जो

किया है उस सनातन रूप से नैतिकता प्राप्त हो जाये और तब शायद, उनके विदेशी आलोचक उन पर उंगली उठाना भी बन्द कर देंगे। तब हम सब-कुछ भूल जायेंगे (और यही सबसे बड़ा खतरा है) कि शान्ति सरकार द्वारा अत्याचार, बिना मुकदमा चलाये जेल भेजने और सर्वत्र सभी समाचारपत्रों पर रोक

विरोध की कोई बात नहीं सुनी जायेगी, इसलिए चुनाव में जीत-ही-जीत नजर आयेगी। और तब तक और कुछ नहीं तो न्यायाधीश भारतवासियों को सत्य की याद दिलाते रहेगे। कुलदीप नय्यर ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कोई गैर-कानूनी पार्टी की सदस्यता को नहीं स्वीकार किया। वह बस निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे जो निश्चय ही अपूर्व है। श्रीमती गांधी के दरबार का रोप उन पर फूट पड़ा। जहाँ पर बड़े-बड़े संघर्ष नहीं होते वहाँ छोटे-छोटे संघर्ष ही पदों को एक ओर हटा देते हैं।

इसके दूसरे ही दिन श्री युक्त के लिए प्रेस-क्लब में जल-पान का आयोजन था। यह संयोग था कि मैं और वह एक ही साथ वहाँ पहुँचे। मैंने उनसे हाथ मिलाया और मैं पत्रकारों की भीड़ में जा मिला। वहाँ मेरे दुबले हो जाने पर हँसी-मजाक हुआ—मेरा वजन लगभग पाँच किलोग्राम घट गया था—लेकिन मैंने कहा कि मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं था। श्री युक्त ने मुझे बुलाया और विश्वास दिलाते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी से उनका कोई संबंध नहीं था।

उन्होंने भागे कहा, "उन्होंने तुम्हारा दस लाख डालर का प्रचार किया है"। इससे निश्चय ही उनका आशय मेरी गिरफ्तारी के बारे में विदेशों में प्रकाशित समाचारों से था।

कुछ घंटों के बाद हम एक-दूसरे से उलझ गये। किसी समाचारपत्र वाले ने उनसे पूछा कि नागरिक स्वतंत्रता के मामले क्यों दबाये जा रहे थे और सरकार ने क्यों समाचारपत्रों को ऐसे आदेश दिये कि वे इस बारे में कुछ भी न छापें? श्री शुक्ल प्रसंग समझ गये। उन्होंने कहा—“कुलदीप नय्यर का मामला राजनैतिक था।” मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब न्यायालय कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और यह कि सरकार ने मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था तब मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब उन्होंने अपना आरोप दुहराया तो मैंने कहा—“या तो सिद्ध कीजिये या फिर मत कहिये। मैं आपकी या किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ।”

प्रेस-क्लब की बैठक में श्री शुक्ल के खिलाफ काफी गर्मगर्मी रही। मैं इससे उत्साहित होकर पत्रकारों से अलग-अलग इसलिए मिला, जिससे यह पता लगा सकूँ कि क्या ये लोग समाचारपत्रों पर से रोक उठा लेने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पास करने के लिए सहमत होंगे। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दो महीने पहले जो पत्रकार ऐसा करने के लिए इच्छुक थे उनमें से अब आधे दर्जन भी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे डरे हुए थे।

वहाँ भय था। सभी पत्रकार भयभीत थे। कुछ थोड़े-से पत्रकार ही मेरे पास आये और मुझसे मिले। यहाँ तक कि मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र और संबंधी भी मुझसे आँख चुराते थे। उन्हें मालूम था कि मेरे मकान पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती थी और जो भी आता उसका नाम और हुलिया, यहाँ तक कि कार का नम्बर भी, नोट किया जाता था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि इस विरोधके ढोंग को भी कैसे बनाये रखा जाये। मैं जेल के अपने साथियों की याद करने लगा। तभी मैंने शेख अब्दुल्ला से मिलने के लिए श्रीनगर जाने का इरादा बनाया।

श्रीनगर में मेरे आने की खबर सुनकर शेख मेरे होटल आये। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, “तुम भी अब हाजी हो गये हो,” अर्थात् मैं भी जेल हो आया था। वह मुझे अपने घर ले गये। उन्होंने मुझसे हालात के बारे में ब्यौरे-वार बातचीत की। वह विरोध पक्ष वालों, विशेषकर जयप्रकाश नारायण, से इस बात के लिए बहुत असन्तुष्ट थे कि उन्होंने बिना तैयारी किये आन्दोलन का आह्वान कर दिया था। अगर उनका बस चलता तो वह नज़रबंदों की सहायता के लिए सब-कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं था कि श्रीमती गांधी इस संबंध में उनकी किसी बात को सुनेगी। शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने श्रीमती गांधी को सुझाव दिया था कि समझौते का कोई रास्ता ढूँढ निकाला जाना चाहिए, लेकिन वह सुनकर आग-बबूला हो गयी थी। मैंने उनसे कहा कि इस समय जो लोग जेलों में बन्द हैं और जो बाहर हैं, सभी उनसे मदद चाहते हैं और चूँकि अब वह नज़रबंद थे तब जे० पी०-जैसे लोगों ने उनकी रिहाई की माँग की थी, इसलिए उन्हें भी नज़रबंदों को जेल से छोड़े जाने के लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। उन्होंने वचन दिया कि उनसे जो कुछ हो सकेगा, जरूर करेंगे, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शेख ने कहा, “अगर मैंने कुछ भी किया तो वह ऐसी व्यक्ति है जो मुझे भी तुरन्त जेल भेज देंगी।”

इमरजेंसी के बारे में शेख से किसी ऐसी बात को कहलवाना जिसे रिकार्ड में

आजाद हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस के सम्पादक, श्री नय्यर उन हजारों लोगों में से थे जिन्हें कैदी बनाया गया था। लेकिन उनकी पत्नी ने इसके खिलाफ निर्भीक हो संघर्ष किया, श्री नय्यर की प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच नहीं आयी और उच्च-न्यायालय में दज याचिका के कारण फ्रंसले के पहले ही उनको रिहा करना पड़ा।

लेकिन इससे हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। पहला, न्यायपालिका अपने तंत्र के कारण आजादी का दुर्गम स्रोत है। जैसा कि कलदीप नय्यर के मामले में हुआ, वह व्यक्ति को आजाद कर सकती है लेकिन जेलों में अभी इतने लोग हैं कि अदालतों को उनके मामलों की मनवाई के लिए

का वसुप्त आकाशाओं की कूड़े की टोकरी में तो फेंक ही दिया है, अन्य मामलों

किया है उस सनातन रूप से नैतिकता प्राप्त हो जाये और तब शायद, उनके विदेशी आलोचक उन पर जैंगली उठाना भी बन्द कर देंगे। तब हम सब-कुछ भूल जायेंगे (और यही सबसे बड़ा खतरा है) कि शान्ति सरकार द्वारा अत्याचार, बिना मुकदमा चलाये जेल भेजने और सर्वत्र सभी समाचारपत्रों पर रोक

प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कोई गैर-कानूनी पार्टी की सदस्यता को नहीं स्वीकार किया। वह बस निष्ठा के साथ अपना काम करते रहे जो निश्चय ही अपूर्व है। श्रीमती गांधी के दरबार का रोप उन पर फूट पड़ा। जहाँ पर बड़े-बड़े संघर्ष नहीं होते वहाँ छोटे-छोटे संघर्ष ही पदों को एक ओर हटा देते हैं।

इसके दूसरे ही दिन श्री शुक्ल के लिए प्रेस-क्लब में जल-पान का आयोजन था। यह संयोग था कि मैं और वह एक ही साथ वहाँ पहुँचे। मैंने उनसे हाथ जा मिला। वहाँ मेरे दुबले हो जाने पर पाँच किलोग्राम घट गया था—लेकिन मैं ही था। श्री शुक्ल ने मुझे बुलाया और विश्वास दिलाते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी से उनका कोई संघर्ष नहीं था।

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने तुम्हारा दस लाख डालर का प्रचार किया है”। इससे निश्चय ही उनका आशय मेरी गिरफ्तारी के बारे में विदेशों में प्रकाशित समाचारों से था।

कुछ घंटों के बाद हम एक-दूसरे से उलझ गये। किसी समाचारपत्र वाले ने उनसे पूछा कि नागरिक स्वतंत्रता के मामले क्यों दबाये जा रहे थे और सरकार ने क्यों समाचारपत्रों को ऐसे आदेश दिये कि वे इस बारे में कुछ भी न छापें? श्री शुक्ल प्रसंग समझ गये। उन्होंने कहा—“कुलदीप नय्यर का मामला राजनैतिक था।” मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब न्यायालय कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और यह कि सरकार ने मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था तब मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब उन्होंने अपना आरोप दुहराया तो मैंने कहा—“या तो सिद्ध कीजिये या फिर मत कहिये। मैं आपकी या किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ।”

प्रेस-क्लब की बैठक में श्री शुक्ल के खिलाफ़ काफी गर्मागर्मी रही। मैं इससे उत्साहित होकर पत्रकारों से अलग-अलग इसलिए मिला, जिससे यह पता लगा सकूँ कि क्या ये लोग समाचारपत्रों पर से रोक उठा लेने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पास करने के लिए सहमत होंगे। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दो महीने पहले जो पत्रकार ऐसा करने के लिए इच्छुक थे उनमें से अब आधे दर्जन भी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे डरे हुए थे।

वहाँ भय था। सभी पत्रकार भयभीत थे। कुछ थोड़े-से पत्रकार ही मेरे पास आये और मुझसे मिले। यहाँ तक कि मेरे कुछ घनिष्ठ मित्र और संबंधी भी मुझसे आँख धूराते थे। उन्हें मालूम था कि मेरे मकान पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती थी और जो भी आता उसका नाम और ढुलिया, यहाँ तक कि कार का नम्बर भी, नोट किया जाता था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि इस विरोधके ढोंग को भी कैसे बनाये रखा जाये। मैं जेल के अपने साथियों की याद करने लगा। तभी मैंने शेख अब्दुल्ला से मिलने के लिए श्रीनगर जाने का इरादा बनाया।

बात के लिए बहुत असन्तुष्ट थे कि उन्होंने बिना तैयारी किये आन्दोलन का आह्वान कर दिया था। अगर उनका बस चलता तो वह नज़रबंदों की सहायता के लिए सब-कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं था कि श्रीमती गांधी इस संबंध में उनकी किसी बात को सुनेंगी। शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने श्रीमती गांधी को सुझाव दिया था कि समझौते का कोई रास्ता ढूँढ निकाला जाना चाहिए, लेकिन वह सुनकर आग-बबूला हो गयी थीं। मैंने उनसे कहा कि इस समय जो लोग जेलों में बन्द हैं और जो बाहर हैं, सभी उनसे मदद चाहते हैं और चूँकि जब वह नज़रबंद थे तब जे० पी० जैसे लोगों ने उनकी रिहाई की माँग की थी, इसलिए उन्हें भी नज़रबंदों को जेल से छोड़े जाने के लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। उन्होंने वचन दिया कि उनसे जो कुछ हो सकेगा, जरूर करेंगे, लेकिन उन्हें कोई प्यादा उम्मीद नहीं थी। शेख ने कहा, “अगर मैंने कुछ भी किया तो वह ऐसी व्यक्ति है जो मुझे भी तुरन्त जेल भेज देगी।”

इमरजेंसी के बारे में शेख से किसी ऐसी बात को कहलवाना जिसे रिकार्ड में

लाया जा सके, बहुत ही मुश्किल काम था। उर्दू के दिलेरे सम्पादक अहमद गमीम, जो उन दिनों शेख के विश्वासपात्र हुआ करते थे, और मैंने साथ बैठकर इन्टरव्यू की रिपोर्ट तैयार की, जिसे शेख ने प्रकाशित होने पर पढ़ा। इसका कुछ अंश उस विचार-विमर्श पर आश्रित था जो मैंने उनके साथ किया था। इस रिपोर्ट का आवश्यक अंश जैसा प्रकाशित हुआ, इस प्रकार था :

शेख अब्दुल्ला ने मेरे साथ हुई एक भेंट-वार्ता में मुझसे कहा कि उन्होंने राज्य में 'समझौते और दोस्ती' का रास्ता चुना है और वह देश के सभी मामलों में इसी तरह के दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई बना-बनाया हल या फार्मूला देने को नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम ऐसा रास्ता ढूँढ सकते हैं जिससे लोकतंत्र को सही रास्ते पर वापस लाया जा सके।"

श्री अब्दुल्ला बहुत धीरे-धीरे बोल रहे थे जैसे वह हर शब्द को तौलते जा रहे थे। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे आदमी से मिला जो इस विषय पर कुछ न बोलना ही उचित समझता था।

"मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं इस मामले में कुछ करूँ। फिर भी, जो लोग समझौते को अच्छा समझते हैं उनके लिए मेरी सेवाएँ हमेशा हाजिर हैं।"

उन्होंने बहुत-से सवालो को यूँ ही टाल दिया और यह कहकर विषय बन्द कर दिया, "जो कुछ होना था, हो गया। कभी कोई दिन ऐसा आयेगा, जब इतिहासकार उसके कारणों की छानबीन करेंगे और किसी को दोषी बतायेंगे। इस समय हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी संस्थाओं को मजबूत करने में जुट जायें ताकि फिर से हम न गड़बड़ायें।"

मैं श्रीनगर से खूब होकर नहीं लौटा, लेकिन शमीम और मुझे, दोनों को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर शेख ने इमरजेंसी के खिलाफ कुछ भी खूबकर किया तो श्रीमती गांधी उनको फिर जेल भेजने का साहस नहीं करेंगी। शेख के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब होगा कि विरोध की बुझी हुई आग को फिर से सुलगाना। लेकिन शेख सोचते थे कि वह कुछ बोलें तो बिला वजह बात बढ जायेगी और जेल में रहने के बजाय बाहर रहकर ज़ादा अच्छी तरह से देश की सेवा कर रहे थे।

श्रीनगर से मैं मद्रास गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि से मिला। उन्होंने इमरजेंसी और श्रीमती गांधी की बड़ी आलोचना की। उन्होंने श्रीमती गांधी को भरा-पूरा तानाशाह बताया। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह तमिलनाडु के शासन को अपने हाथ में ले लेंगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पार्टी को हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया है और अगर श्रीमती गांधी ने तमिलनाडु पर राष्ट्रपति शासन लागू किया तो क्या वह उसे खेड़ने के लिए क्या उन्होंने सदस्य बना लिये है ? उन्होंने बताया कि वह आवश्यक तैयारियाँ कर रहे हैं।¹

1. जब तमिलनाडु का शासन केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया गया तो कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। नयी दिल्ली से तीन अफसर हवाई जहाज से गये और उन्होंने बिना किसी दृग्बल के अपना काम पूरा कर दिया।

मैंने करुणानिधि से पूछा कि क्या वह गुप्त रूप से समाचारपत्र निकालने के लिए तैयार हैं। उस समय गुप्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों से जो भी समाचारपत्र प्रकाशित और प्रसारित होते थे वह मुख्यतः भावना-प्रधान होते थे, उनमें तथ्यों और पुष्ट तर्कों का अभाव रहता था। उन्होंने कहा कि गुप्त साहित्य का प्रकाशन तमिलनाडु में तो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उसे डाक द्वारा बाहर भेजने का प्रश्न है, वह प्रदेश से बाहर किया जाना चाहिए। वह इस काम की जिम्मेदारी को स्वयं लेने या तमिलनाडु में किसी और को देने के लिए राजी नहीं हुए—वह स्वयं भी कोई झंझट नहीं मोल लेना चाहते थे।

इसके बाद मैं लोगों से मिलने कोचीन गया। मुझे वहाँ कुछ सी० पी० एम०

गया होगा। लेकिन वरार ने मुझे मेरे मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गयी आलोचना के खिलाफ अपारों का एक पिटीशन दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और पिटीशन की एक प्रति पर मुझसे दस्तखत करवाना चाहते थे। मैंने इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की।

दिल्ली में संवैधानिक संशोधनों का भूत सवार था। संविधान में पूरी तरह से संशोधन करने के लिए, जिससे वह देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी बन सके, स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति थी। श्रीमती गांधी ने कहा था कि संसदीय प्रणाली बनी रहेगी और संविधान में केवल 'कुछ ही संशोधन' किये जायेंगे, लेकिन लोगों की शंकाएँ नहीं दूर हुई थी। लोगों की, खास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की, माँग थी कि जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते हैं संविधान में कोई भी संशोधन न किया जाये। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। ग्रैंड-कम्युनिस्ट विरोधी पक्ष के लोगों और सी० पी० एम० ने संवैधानिक संशोधन विषयक कांग्रेस पार्टी की समिति के साथ विचार-विमर्श करने से इनकार कर दिया था और आवश्यक संशोधनों को पारित करने के लिए विशेष संसदीय अधिवेशन का बहिष्कार किया था।

इस बात के लिए गभीर प्रयास किये जा रहे थे कि 42वें संशोधन विधेयक को, जिसका उद्देश्य संविधान के लगभग साठ अनुच्छेदों में संशोधन करना था, दो-तिहाई का बहुमत न मिलने दिया जाये। शायद जगजीवनराम का विवेक उन्हें

सकते थे। उन्होंने अधिकांश को इस विधेयक से असन्तुष्ट देखा, लेकिन लोग खुल कर विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विरोधी दलों से सम्पर्क किया और उनसे संसद के सत्र में उपस्थित रहने के लिए कहा, जिससे कांग्रेस के कुछ

सदस्यों की सहायता से इस विधेयक को रोका जा सके। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य दिल्ली से बाहर थे। ऐसे लोगों को हवाई जहाज से दिल्ली लाने का इन्तजाम किया गया। यह दो दिन तक चला। सरकार को इन कार्रवाइयों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन श्रीमती गांधी को इसका पता चल गया। जिन कांग्रेसी सदस्यों ने इस विधेयक के खिलाफ मत देने का वचन दिया था जब उनको पता चला कि श्रीमती गांधी को यह मालम हो गया है तब इनमें से अधिकांश पीछे

पाये। जब मंशोधन विधेयक

गया कि उसे तो निर्गम मत

पर लिखा। उसका एक अंश प्रासंगिक है—“उनकी अपील दिल के प्रति है। बिन चाहे लोग भूख है—भूख भोजन की नहीं बल्कि शान्ति के लिए है, वह प्यास है—यह प्यास पानी के लिए नहीं बल्कि शान्ति के लिए है। वे नंगे हैं—उन्हे कपड़ों की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की चाह है; वे गृह-विहीन है—उन्हें घर नहीं बल्कि सद्-भाव की जरूरत है।”

कुछ हफ्ते बाद मैंने श्रीमती गांधी के इस कथन के बारे में लिखा कि वह विरोधी पार्टियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। मैंने लिखा कि उन लोगों से बातचीत करने की जरूरत है जो जेलों में बंद है। मैंने आग्रह किया कि उनसे बातचीत करनी हो तो नजरबंदों को रिहा करना जरूरी है। रिहाई से अनुकूल वातावरण बन जायेगा। इस दिशा में कुछ भी किया जाये तो जे०पी० का सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि उनका विरोधी दल पर बहुत अमर है।

बाद में पवनार आश्रम में आचार्य विनोबा भावे की विद्व-मंडली की बैठक के बारे में लिखते हुए मैंने यह दलील पेश की कि किसी भी राष्ट्र की खुशहाली के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए लोकतंत्रीय पद्धतियों व संस्थाओं की जरूरत है। नौ अगस्त को ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन की जयती के अवसर पर मैंने लिखा कि “उस मंघर्ष का इतिहास जानना तो जरूरी है ही, नौजवानों के लिए यह भी जानना चाहिए कि उसके पीछे क्या भावना काम कर रही थी। वह शासकों व सासितों के बीच टकराव-मात्र नहीं था। वह तो तानाशाही पद्धतियों व स्वतंत्र इच्छा के बीच संघर्ष था, तानाशाही व लोकतंत्र का टकराव था। आज भी नौजवानों को इस बारे में सचेत रहना चाहिए। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार रहना चाहिए। राजतंत्र या एकतंत्र की अपेक्षा जनतंत्र में स्वतंत्रता के लिए ज्यादा खतरा रहता है।”

मेरे बहुत-से ऐसे लेख मुक्त, संजय और श्रीमती गांधी को मिल चुके थे, जो उन्हें रचिकर नहीं थे और मुझे गिरफ्तार करने का एक बार फिर विचार किया जा रहा था। जन-संचार साधनों के अध्यक्षा की एक बैठक में मुक्त ने मेरा नाम भी लिया था और कहा था कि मैं “एक साँप था जिसे कुचल देना चाहिए था।”

मेरी नजरबंदी के लिए कारणों की रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक फाइट पोली गयी। लेकिन जब यह महसूस हुआ कि मेरी फिर से गिरफ्तारी से ग़राब प्रचार होना शुरू हो जायेगा तब इस विचार को यों ही छोड़ दिया गया।

दूसी बीच इंडियन एक्सप्रेस पर यह दवाब डाला गया कि वह मुझे बर्गुस्त कर दे। एक्सप्रेस प्रेस ऑफ न्यूजपेपर्स के प्रोप्राइटर, रामनाथ गोयनका से यह

दिया गया—था कि “आगे-वातचीत इस शर्त पर-शुरू की जायेगी कि आर० एन० गोयनका को चाहिए कि वह इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडीटर-इन-चीफ की ओर एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के एडीटर श्री कुलदीप नय्यर की सेवाएँ तुरन्त खत्म कर दे।”¹

सरकार एक्सप्रेस ग्रुप के सारे अखबारों को अपने “पूरे नियंत्रण” में ले लेना चाहती थी—उन्हे खरीदना नहीं चाहती थी। गोयनका को यह भी बता दिया गया था कि “अगर उन लोगों ने अपने अखबारों का नियंत्रण सरकार को नहीं दिया तब मीसा कानून के तहत उनको, उनके लड़के भगवानदास और वही सरोज को नजरबन्द करने का निश्चय कर लिया गया है।”

गोयनका राजी नहीं हुए। उन्होंने न तो मुझे ही निकाला और न अपने अखबारों पर से नियंत्रण ही हटाया। जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वह कलकत्ता में पड़े हुए थे तब सरकार ने उनके लड़के भगवानदास को धमका कर मुलगावकर को रिटायर करवा दिया। उन दिनों हिन्दुस्तान टाइम्स पब्लिकेशंस के चेयरमैन के० के० विड़ला, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ पेपर्स के भी चेयरमैन थे। गोयनका ने विड़ला को चेयरमैन बनाना तब स्वीकार किया जब उन्हें बताया गया कि अगर वह विड़ला की नियुक्ति से सहमत नहीं होते तो “प्रधानमंत्री उनकी असहमति को सद्भावना-विहीन कार्य समझेगी।”

एक्सप्रेस के बोर्ड में ग्यारह डाइरेक्टर थे। सरकार चाहती थी कि इनमें से छह उसके नामजद व्यक्ति हों। नामों पर कई दिनों तक बातचीत चलती रही। गोयनका को यह बताया गया कि “वह कम-से-कम कुलदीप नय्यर को नौकरी से बर्खास्त कर दें, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह इस बातचीत में निष्ठावान है।” उन्होंने इसका यह जवाब दिया कि चूँकि नय्यर पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट लागू होता है जिससे सेवा काल की अवधि निश्चित होती है, इसलिए उन्हें ऐसा करना असंभव है।

गोयनका ने यह भी कहा कि वह अखबारों पर से अपना नियंत्रण नहीं हटायेगा और वह इस मामले को कोर्ट में ले जायेगा। जब शुक्ल ने देखा कि गोयनका नहीं दब रहे हैं तब उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सरकार जिन छह डाइरेक्टरों को नामजद करेगी वह “निष्पक्ष व्यक्ति” होंगे।

सरकार ने नामों की जो सूची पेश की उनमें ये लोग शामिल थे : के० के० विड़ला (चेयरमैन) ; पी० आर० रामकृष्णन; विनय के० शाह; ए० के० एंथनी, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष या स्टीफेन एम० पी०; शमसुद्दीन; सत्यनारायण, एम० पी०; टी० पंचानन, एम० एल० सी०; किपिला वैकटेश्वर; राव और रामन, पहले इलस्ट्रेटेड वीकली से संबद्ध।

गोयनका ने बीस आदमियों की सूची पेश की : जगमोहन रेड्डी, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, वाइस-चेयरमैन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी; अलगिरि स्वामी, रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट; एस० रंगनाथन एम० पी०, रिटायर्ड ऑडिटर-जनरल; टी० एस० श्रीनिवासन, डाइरेक्टर, टी० वी० एस०, मद्रास; श्रेयासप्रसाद जैन, उद्योगपति, बम्बई; भरतराम, उद्योगपति, दिल्ली; आर०के० पोद्दार, एम० पी०, उद्योगपति, कलकत्ता; अरविन्द नरोत्तमलाल, लालभाई ग्रुप, अहमदाबाद;

1. यह उस हलफनामे का एक अंश है जो सरकार द्वारा मालिकों को परेशान करने व बखुबार बन्द कराने की कोशिशों के खिलाफ बंबई व दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया था।

तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं को परामर्श देते हुए एक गुप्त नोट (डी० आर०/1050/76) भेजा कि "इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रकाशित या उससे संबद्ध किसी भी समाचारपत्र को कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाये।" इस नोट के साथ समाचारपत्रों की सूची¹ भी संलग्न की गयी और इस संबंध में की गयी कार्रवाई को 'शीघ्र सूचित' करने को कहा गया था। प्राइवेट संस्थाओं को कहा गया और धमकी दी गयी कि किसी भी एक्सप्रेस प्रकाशन में कोई भी विज्ञापन न दें। इससे आमदनी बड़ी तेजी से गिरने लगी।

दिल्ली में हम लोगों को तंग करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ और कार्रवाई की गयी। तीस सितम्बर को हमारे प्रेस की बिजली बिना पूर्व-सूचना दिये काट दी गयी। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी, जिसने बिजली को पुनः चालू करने के लिए आदेश दिये। कुछ दिनों बाद, एक दूसरी मुसीबत आयी। दिल्ली नगर निगम के अफसर पुलिस को लेकर हमारे प्रेस आये और उसे जबरदस्ती सील कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी गयी। दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने प्रेस पर से सील तो हटा दी, लेकिन वह 1,82,000 रुपये की कीमत की एयरकंडीशनिंग मशीन और बूस्टर पम्पो को कुर्क करने का एक आदेश ले आये। निगम ने आरोप लगाया था कि उसका 8,00,000 रुपया बाक़ी है; इस राशि पर विवाद चल रहा था और हमारे समाचारपत्र को स्थगन का आदेश पहले ही मिल चुका था।

ऊपर से बैंकों ने कसना शुरू कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक एक्सप्रेस का मुख्य बैंकर था, लेकिन पहले तो उसने कर्ज देना कम किया और फिर विलकुल बंद कर दिया।

यह एक वेजोड़ लड़ाई थी। सरकार कठोर थी, उसकी शक्तिमाँ असीम थी जब कि एक समाचारपत्र को यह अधिकार नहीं प्राप्त था कि वह अपनी बात भी कह सकता। सेंसर के अफसर यह निर्णय करते थे कि कौन-सी चीज़ प्रकाशित की जा सकती है।

लेकिन विदेशी समाचारपत्रों में इन अत्याचारों की छोटी-से-छोटी खबर भी छर जाती थी, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों पर किये जा रहे थे। सरकार इस प्रचार से चिंतित हो उठी और कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दिया गया। उसने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जब गोयनका ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और उन सभी लोगों के नाम निकाल दिये जो सरकार द्वारा नामजद किये गये थे। शुक्ल और उनके मालिकों को यह आशा थी कि एक ओर बैंक से धन का मिलना बन्द करने और दूसरी ओर विज्ञापनों के मिलने पर रोक लगाने से अखबार का निकलना बन्द हो जायेगा।

यह एक खुला रहस्य था कि सरकार के कठोर रवैये के पीछे श्रीमती गांधी का लड़का संजय गांधी था। सरकार की ओर से जो लोग समझौते की बात कर रहे थे वे उसको "सुपर प्रधानमंत्री" कहा करते थे, जो एक्सप्रेस के मामले में बड़े-बड़े निर्णय लिया करता था। हमको मालूम था कि उसने पहले मुलगावकर को हटा उसकी जगह बंबई के एक अखबार के सहायक-संपादक को लाने की कोशिश

1. इंडियन एक्सप्रेस, सैंडे स्टैंडर्ड्स, स्क्रैन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लोकसत्ता, रविबारीय लोकसत्ता (मराठी), रविबारीय लोकसत्ता (गुजराती), दिनमणि, आंध्र प्रभा (दैनिक), आंध्र प्रभा (साप्ताहिक), कन्नड़ प्रभा, नूतन गुजरात, रण-तरंग, दिनमणि कादिर, जनसत्ता, चांदनी।

रामकृष्ण बजाज, उद्योगपति, बम्बई; जे० बी० दादाचनजी, एडवोकेट, दिल्ली; मोट्टू सत्यनारायण, भूतपूर्व एम०पी० अवकाश-प्राप्त मंत्री, हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास; धानु भाई, सॉलिसिटर, बम्बई; द्वारकानाथ रेड्डी, उद्योगपति, बित्तूर; बी० एल० दत्त, के० सो० पी० के उद्योगपति, मद्रास; इंडिया सीमेंट्स मद्रास के के० एस० नारायणन; इंडिया सीमेंट्स, मद्रास के एल० एल० नारायणन; एस० एम० रामकृष्ण राव, उद्योगपति, बेंगलूर; जी० के० सुन्दरवाडिवेलु, रिटायर्ड, वाइस-चांसलर, मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास; और रामनाथ पोद्दार, उद्योगपति, बम्बई।

बहुत विचार-विमर्श के बाद जो नाम तय हुए थे, वह थे : के० के० बिड़ला (चेयरमैन), पी० ए० रामकृष्णन, विनय के० शाह, ए० के० एंथनी, कमलनाथ और जी० डी० कोठारी।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बोर्ड द्वारा जो पहला संकल्प पारित किया गया वह यह था : "संकल्प किया गया कि चेयरमैन यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी की सम्पादकीय नीति का, जैसी कि इस बैठक में बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स द्वारा निश्चित की गयी है, कठोरता से समर्थन और पालन किया जाये और इसका कोई उल्लंघन नहीं हो। इस उद्देश्य के लिए, सम्पादक और अन्य सम्पादकीय कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर चेयरमैन को रिपोर्ट पेश किया करें और इस मामले में उनका मार्ग-दर्शन और सलाह प्राप्त करें।"

यह संकल्प हम सभी लोगों को बताया गया। मुलगावकर के न रहने पर अजित भट्टाचार्य कार्यवाहक-सम्पादक थे। नये बोर्ड के बनने के बाद सरकार को वह तरीका नहीं पसंद था जिस तरह से एक्सप्रेस का काम हो रहा था, क्योंकि सेंसरशिप के दायरे में रहकर भी हम इसे प्रशासन-विरोधी और इमरजेंसी-विरोधी समाचारपत्र के रूप में निकाल रहे थे। सरकार का रोप अब अजित भट्टाचार्य के ऊपर आ पड़ा और यह कहा गया कि इनकी गंगटोक स्थानान्तरित कर दिया जाये जो काफी दूर एक एकान्त जगह थी। गोयनका ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसमें सम्पादकीय स्टाफ के किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति, बर्खास्तगी या तबादले का प्रश्न निहित नहीं है। शुक्ल ने कहा कि चेयरमैन होने के नाते बिड़ला को इस संबंध में आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं।

जब शुक्ल ने देखा कि गोयनका नहीं मान रहे हैं तब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के सभी आठ संस्करणों पर पूर्ण सेंसरशिप लागू कर दी। इसके लिए पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गयी थी। यह आदेश एक दिन अचानक दिया गया (16 अगस्त 1976 को)। सेंसर के अधिकारी अखबार के पृष्ठों की रिलीज को सबेरे 7:30 तक रोक कर रहे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि एक्सप्रेस अन्य अखबारों के साथ न तो छप सके और न ही इसका वितरण हो सके।

गोयनका ने अपनी शिकायत को दूर करने के लिए बम्बई हाईकोर्ट में एक याचिका दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसके पृष्ठों को रिलीज करने में देरी नहीं की जानी चाहिए और यथाभव जल्दी-से-जल्दी रिलीज कर दिया जाना चाहिए। आठ गितम्बर से सभी संस्करण लगभग समय पर निकलने लगे। अब तक हम अपनी लड़ाई को काफी अच्छी तरह जीतते जा रहे थे।

जब यह मामला इम प्रकार चलता जा रहा था, एक्सप्रेस ग्रुप को केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों का दिया जाना बन्द कर दिया गया। ध्वज-दृश्य प्रचार के डाइरेक्टर ने सभी सरकारी विभागों, निगमों, औद्योगिक यूनिटों

तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं को परामर्श देते हुए एक गुप्त नोट (डी० आर०/1050/76) भेजा कि "इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रकाशित या उससे संबद्ध किसी भी समाचारपत्र को कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाये।" इस नोट के साथ समाचारपत्रों की सूची¹ भी संलग्न की गयी और इस संबंध में की गयी कार्रवाई को 'शीघ्र सूचित' करने को कहा गया था। प्राइवेट संस्थाओं को कहा गया और धमकी दी गयी कि किसी भी एक्सप्रेस प्रकाशन में कोई भी विज्ञापन न दें। इससे आमदनी बड़ी तेजी से गिरने लगी।

दिल्ली में हम लोगों को तंग करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ और कार्रवाई की गयी। तीस सितम्बर को हमारे प्रेस की बिजली बिना पूर्व-सूचना दिये काट दी गयी। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी, जिसने बिजली को पुनः चालू करने के लिए आदेश दिये। कुछ दिनों बाद, एक दूसरी मुसीबत आयी। दिल्ली नगर निगम के अफसर पुलिस को लेकर हमारे प्रेस आये और उसे जबरदस्ती सील कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में फिर एक याचिका दायर कर दी गयी। दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने प्रेस पर से सील तो हटा दी, लेकिन वह 1,82,000 रुपये की क्रीमट की एयरकंडीशनिंग मशीन और वूस्टर पम्पो को कुर्क करने का एक आदेश ले आये। निगम ने आरोप लगाया था कि उसका 8,00,000 रुपया बाकी है; इस राशि पर विवाद चल रहा था और हमारे समाचारपत्र को स्थगन का आदेश पहले ही मिल चुका था।

ऊपर से बैंकों ने कसना शुरू कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक एक्सप्रेस का मुख्य बैंकर था, लेकिन पहले तो उसने कर्ज देना कम किया और फिर विलकुल बंद कर दिया।

यह एक बेजोड़ लड़ाई थी। सरकार कठोर थी, उसकी शक्तियाँ असीम थी जब कि एक समाचारपत्र को यह अधिकार नहीं प्राप्त था कि वह अपनी बात भी कह सकता। सेंसर के अफसर यह निर्णय करते थे कि कौन-सी चीज प्रकाशित की जा सकती है।

लेकिन विदेशी समाचारपत्रों में इन अत्याचारों की छोटी-से-छोटी खबर भी छप जाती थी, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों पर किये जा रहे थे। सरकार इस प्रचार से चिंतित हो उठी और कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दिया गया। उसने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की जब गोयनका ने बोर्ड का पुनर्गठन किया और उन सभी लोगों के नाम निकाल दिये जो सरकार द्वारा नामजद किये गये थे। मुकल और उनके मालिकों को यह आशा थी कि एक ओर बैंक से धन का मिलना बन्द करने और दूसरी ओर विज्ञापनों के मिलने पर रोक लगाने से अखबार का निकलना बन्द हो जायेगा।

यह एक खुला रहस्य था कि सरकार के कठोर रवैये के पीछे श्रीमती गांधी का लड़का संजय गांधी था। सरकार की ओर से जो लोग समझौते की बात कर रहे थे वे उसको "सुपर प्रधानमंत्री" कहा करते थे, जो एक्सप्रेस के मामले में बड़े-बड़े निर्णय लिया करता था। हमको मालूम था कि उसने पहले मुलगावकर को हटा उसकी जगह बंबई के एक अखबार के सहायक-संपादक को लाने की कोशिश

1. इंडियन एक्सप्रेस, सडे स्टैंडर्ड, एन्नेन, फाइनेशियल एक्सप्रेस, लोकसत्ता, रविवारीय लोकसत्ता (मराठी), रविवारीय लोकसत्ता (गुजराती), दिनमणि, आंध्र प्रभा (दैनिक), आंध्र प्रभा (साप्ताहिक), कन्नड़ प्रभा, नूतन गुजरात, रंग-तरंग, दिनमणि कादिर, जनसत्ता, चांदनी।

की थी और फिर इंडियन एक्सप्रेस के एडीटर-इन-चीफ को हटा दिल्ली के एक रिपोर्टर को उसकी जगह नियुक्त करने की कोशिश की थी। आखिर में संजय एक दूसरे एक्सप्रेस-प्रकाशन क्राइनेसिपल एक्सप्रेस के सम्पादक वी० के० नरसिंहन की नियुक्ति पर सहमत हो गया था। लेकिन नरसिंहन को भिला लेना कोई सहज काम नहीं था।

नरसिंहन ने मुझे लिखने की पूरी आजादी दे रखी थी, लेकिन वह मेरे अग्र पितृवत् दृष्टि रखते थे कि कहीं मैं या अखबार किसी मुसीबत में न फँस जाये। उनको चौफ सेंसर ऑफिस से दो या तीन वार चेतावनी भी मिली, लेकिन वह कोई गंभीर बात नहीं थी।

मैंने नजरबंदों की रिहाई के लिए कोशिश शुरू की और कुछ बातचीत भी की। मेरा मन बार-बार उनकी तरफ चला जाता था जो तिहाड़ जेल में बन्द थे। मैं सरकार के मामूली नै कथन को चुन लेता और बातचीत के लिए ठोस सुझाव देता। ऐसा करते समय मैं लोकतंत्र पर बल देता था, जिससे मैं यह बता सकूँ कि जो कुछ व्यवहार में हो रहा था वह तानाशाही था।

नेहरू की बरसी पर मैंने लिखा था : "उन्होंने भारत के और विश्व के सामने जो समस्या रखी वह यह थी कि लोकतंत्र को समाजवाद के साथ किस प्रकार जोड़ा जाये, किस प्रकार संघर्ष के बजाय परस्पर सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के द्वारा समानता उपलब्ध की जाये। वह समाज को छोटे-छोटे खण्डों में नहीं बाँटना चाहते थे और न यही चाहते थे कि लोग छोटी-छोटी बातों में अपने को भूल जायें।"

जब ब्रह्मानंद रेड्डी ने यह कहा कि इमरजेंसी की घोषणा के पीछे जो उद्देश्य थे वे लगभग पूरे हो गये हैं, तो मैंने लिखा कि फिर नरमी लाने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जाती? मैंने दलील दी थी : "इमरजेंसी की परिस्थितियों में रहने से समाज को जो खतरा है वह यह कि नौकरशाही क्यादा-से-क्यादा शक्ति ग्रहण करती जाती है और वह मानकों, विनियमों और संस्थाओं का कम-से-कम खयाल रखने लगती है।"

बातचीत शुरू होने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। श्रीमती गांधी ने

करने में ही। श्रीमती गांधी के समर्थक कहते थे कि यह कहना मात्र काफी नहीं है। वे यह भी नहीं बताते थे कि विरोधी दल के लोग ऐसा कौन-सा काम करें जिससे प्रधानमंत्री की शक्त पूरी हो सके।

जे० पी० स्वयं श्रीमती गांधी को यह विश्वास दिलाने को तैयार थे कि वह न तो हिंसा में विश्वास करते हैं और न तोड़-फोड़ में ही। लेकिन श्रीमती गांधी की कोशिश यही रही कि हर चीज को अस्पष्ट रखा जाये जिससे वह इमरजेंसी जारी रख सकें और साथ ही लोगों के मन पर यह प्रभाव डालती रहे कि वह इमरजेंसी को उठा लेने के पक्ष में हैं, वगैरह विरोधी दल सही तरीके से अपनी भूमिका निभाने के लिए राजी हों।

हर आदमी देख रहा था कि इमरजेंसी जारी रखने के लिए या कम-से-कम

हजारों लोगों को बिना मुकदमा चलाये जेलों में बन्द रखने के लिए श्रीमती गांधी की दलीलों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेसी भी खुश नहीं थे और बहुत-से लोग निजी तौर पर आलोचक बन गये थे। उनका गुस्सा मुख्यतः संजय गांधी और बंसीलाल के प्रति था और लोगों की आम तौर पर यह धारणा बन गयी थी कि यही दोनों चलनायक हैं। कुछ यह भी कहा करते थे कि बंसीलाल एक-न-एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहता है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को भी अब इमरजेंसी जारी रहने को उचित ठहराना मुश्किल हो रहा था। जिस दिन से इमरजेंसी लागू हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी श्रीमती गांधी का समर्थन करती आ रही थी। 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े होने के बाद, पहली बार श्रीमती गांधी ने इस पार्टी का नाम लेकर आलोचना की। उन्होंने इस पर यह आरोप भी लगाया कि यह पार्टी कांग्रेस के और उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने 'भारत छोड़ो' की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से जा मिली थी।

उन्होंने यह भी कहा कि संजय की जो भी आलोचना की जाती थी वह उनकी आलोचना थी, क्योंकि वह तो "एक मामूली व्यक्ति" है।

सी० पी० आई० ने संजय, बंसीलाल या दूसरे ऐसे लोगों की जो आलोचना की थी, यह उसका जवाब था। पार्टी के महासचिव राजेश्वर राव ने कहा था कि कांग्रेस-पार्टी का दोष यह है कि उसके अन्दर ही "प्रतिक्रियावादी कॉकस" घर कर गया है। लगभग आधे दर्जन कांग्रेसी संसद-सदस्यों ने तुरंत इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सी० पी० आई० खुद एक सर्वसत्कारमक और प्रतिक्रियावादी कॉकस के सिवा कुछ नहीं है।

इन मतभेदों को दूर करने की कुछ कोशिश की गयी और राजेश्वर राव ने समझौतापूर्ण एक वक्तव्य भी दिया। लेकिन स्पष्ट ही यह कारगर नहीं हुआ।

लेकिन कांग्रेस के विभाजन के बाद की स्थिति अब नहीं रही थी। तब तो कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी को "निहित स्वार्थों" से निवटने के लिए उसे सहारा दे रहे थे। उनके अनुसार वाम-मार्ग और दक्षिण-मार्ग के बीच ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने में उन्हें कोई संकोच नहीं था।

उन दिनों में आल-इंडिया उर्दू एडिटीस कांफ्रेंस के संबंध में कलकत्ता में था। मैं इसका संस्थापक-अध्यक्ष था। चूंकि मैंने पत्रकारिता का अपना व्यवसाय एक उर्दू रिसाले से शुरू किया था, इसलिए मैं जानता था कि उर्दू के पत्रों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मुझे यह नहीं मालूम था कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थशंकर राय, जो दिन-रात इमरजेंसी लागू करने के लिए श्रीमती गांधी का गुणगान करते रहते थे, मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कांफ्रेंस का संस्थापक-अध्यक्ष होने के नाते मैं उसकी केन्द्रीय-समिति का सदस्य था।

सम्मेलन का उद्घाटन शेख अब्दुल्ला को करना था। वह अभी तक नहीं आये थे और न राय आये थे। राय आये तो उन्होंने मुझे अगली पंक्ति में न बैठने के लिए कहा। मैंने जवाब दिया कि मैं संस्थापक-अध्यक्ष हूँ। वह चुप रहे, लेकिन नाराज होकर मेरी बगल वाली कुर्सी से उठकर दूर चले गये।

खुफिया का एक आदमी मेरे पीछे बराबर लगा रहा और सरकार ने मुझ पर नज़र रखी कि मैं क्या कर रहा था और किससे मिल रहा था। मैं उद्घाटन होने के बाद वहाँ से तुरन्त चला गया।

मैं जे० पी० से मिलने गया, जो तब तक रिहा कर दिये गये थे। उन्हें श्रीमती

गांधी की तानाशाही जल्दी खत्म होती या कोई बातचीत शुरू होती नजर नहीं आ रही थी। वह एक ऐसे आदमी की तरह देख रहे थे जिसे यह नहीं मालूम था कि घटनाएँ क्या रूप ले लेगी। लेकिन उन्हें यह पूरा यकीन था कि तानाशाही किसी-न-किसी दिन खत्म जरूर होगी। और वह जनता की प्रतिक्रिया के प्रति भी ज्यादा निराश नहीं थे। उन्होंने कहा कि आखिरकार एक लाख से ज्यादा लोग जेल गये थे। 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन सहित किसी भी कांग्रेसी आंदोलन में जितने लोग जेल गये थे, उनसे यह संख्या कहीं ज्यादा थी।

उन्होंने बकीलों और न्यायपालिका को प्रथम स्थान दिया और पत्रकारों और समाचारपत्रों को सबसे निचला स्थान दिया। उन्हें आश्चर्य था कि जो लेखक हमेशा सिद्धान्त बघारते थे वह किस तरह दब गये या बिलकुल ही चुप हो गये थे।

जे० पी० ने मुझे बताया कि चरणसिंह ने उस आंदोलन को, जो श्रीमती गांधी के खिलाफ शुरू होना था, बिना शर्त वापस ले लेने के लिए कहा था। सब बात तो यह थी कि आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी नेता योजना बनाने के पहले ही नजरबंद कर लिये गये थे।

जे० पी० ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि आंदोलन शुरू हुआ या नहीं। सवाल यह है कि उसके वापस लिये जाने का असर क्या होगा। लोग इसका वापस लिया जाना कमजोरी की निशानी समझेंगे। भले ही टिमटिमाती लौ हो, उसे बुझा देने के लिए आने वाली पीड़ियाँ उनको दोपी ठहरायेंगी—और यह वह नहीं चाहते थे।

बहुत ज्यादा लोग जे० पी० से मिलने नहीं जाते थे, क्योंकि उनके नाम नोट कर लिये जाते और नयी दिल्ली को सूचित कर दिये जाते थे। कुछ लोगों को तो भेट करने के बाद तंग भी किया जाता था।

लेकिन चरणसिंह ही अकेले नहीं थे, जिन्होंने आंदोलन को वापस लेने को कहा था। उड़ीसा से हरेकृष्ण मेहताव ने जे० पी० को "बिना शर्त घोषणा" करने के लिए कहा था कि आंदोलन वापस ले लिया गया है। मैंने लिखा था, "मुख्य बात यह है कि देश में सामान्य स्थिति आ जाये, जिसका निश्चय ही अर्थ है कि इमरजेंसी वापस ली जाये, नजरबंदों की रिहाई की जाये और समाचारपत्रों पर लगी रोक हटा दी जाये। अगर यह उद्देश्य पूरे हो सकते हैं तब जे० पी० को इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वह विधिवत आंदोलन को वापस ले लें।"

सरकार चरणसिंह और मेहताव-जैस लोगों की माँग को उनकी कमजोरी के लक्षण समझ बैठी। उसे विश्वास हो गया कि विरोधी नेताओं में आपस में फूट पड़ गयी है। अधिक-से-अधिक संख्या में लोग जेलों से रिहा किये जाने लगे।

श्रीमती गांधी ने भी गौहाटी में कांग्रेस के अधिवेशन (नवम्बर 1976) में यह कहा कि सरकार विरोधी दल के लोगों से बातचीत के सवाल पर नये सिरे से विचार करने के लिए तैयार है, अगर ये लोग "देश के हित में" "उत्तरदायी तरीके से" आचरण करने के लिए तैयार हों।

डी० एम० के० द्वारा पहल करने पर गैर-कम्प्युनिस्ट विरोधी दलों के नेताओं की बैठक दिल्ली में (15 दिसंबर 1976) हुई। इस बैठक में इन नेताओं ने "देश में स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य से" सरकार के साथ किसी भी बातचीत में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जे० पी० ने कर्णानिधि को यह बताने के लिए लिखा: "मैं आपकी कोशिश का पूरा समर्थन करता हूँ और इस प्रयास में सफलता की कामना करता हूँ।" विरोधी दल अब राजनैतिक गतिरोध

को खत्म करने के लिए तैयार था।

लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार विरोधी दल वालों से तब तक कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी जब तक कि वे यह घोषणा नहीं कर देते कि वे "आंदोलनकारी राजनीति में नहीं पड़ेंगे और हिंसा तथा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे।" यह बात तो उसी तरह थी जैसे कोई पूछे कि "तुमने अपनी बीबी को कब से मारना बंद किया था?"

लेकिन बातचीत के लिए टोह लेने के लिए कुछ लोगों को विरोधी दल के कुछ नेताओं के पास भेजा गया। बीजू पटनायक के घर पर चरणसिंह, ओम मेहता और मोहम्मद यूनुस मिले। इस बात पर चर्चा की गयी कि गतिरोध को किस प्रकार भंग किया जाये। चरणसिंह और बीजू पटनायक नज़रबंदों की रिहाई चाहते थे, जो हज़ारों की संख्या में अभी तक जेलों में थे। इस बैठक में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन यह तय हुआ कि नज़रबंदों को जल्दी-जल्दी रिहा किया जाना चाहिए।

उन्हीं दिनों श्रीमती गांधी ने संगठन-कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक मेहता के 21 अक्टूबर और 23 नवम्बर के पत्रों का उत्तर देना ठीक समझा।

श्रीमती गांधी ने फिर दुहराया कि वह और उनकी पार्टी संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है और भारत जैसा देश लोकतंत्रीय प्रणाली द्वारा ही संगठित और समृद्ध रह सकता है। उन्होंने कहा कि जब एक बार संबैधानिक, आर्थिक और जनानिकी क्षेत्र में परिवर्तनों को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया जायेगा और सांप्रदायिक, अलगाव की नीतियों का स्पष्ट रूप से परित्याग कर दिया जायेगा और हिंसा की राजनीति को छोड़ दिया जायेगा तब विरोधियों और सरकार के बीच समस्याओं का हल ढूँढ़ना कठिन नहीं होगा।

उन्होंने कहा, "आपने अपने मत की पुष्टि में महात्मा गांधी की इस वाणी का उल्लेख किया है कि सत्याग्रह लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। सिद्धांतों पर विवाद करने से हमें कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। निर्णय और आत्म-परीक्षा के बारे में महात्मा गांधी के अपने मानदण्ड इतने युक्तियुक्त थे कि जब उन्होंने देखा कि लोग अहिंसा के रास्ते से भटक रहे हैं तब उन्हें सत्याग्रह को वापस लेने में देर नहीं लगी थी। हमको चाहिए कि महात्माजी के वचनों के अर्थ का अनर्थ न करे और उनके नाम को इस मामले में न घसीटें।"

विरोधी नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद मेहता ने अपने संक्षिप्त उत्तर में यह कहा था कि विरोधी दल सामान्य स्थिति को फिर से वापस लाने और लोगों को उनके अधिकार और आजादी वापस दिलाने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि प्रधानमंत्री और विरोधी दल के लोगों में सीधी बातचीत हो।

के लिए कई क़दम उठाने होंगे—जैसे इमरजेंसी का हटाया जाना, समाचारपत्रों को आजाद करना और नागरिक आजादी को वापस लौटाया जाना। इसके बाद ही बातचीत के सफल होने की गुंजाइश होगी।

"वह किस प्रकार का वातावरण होगा जब विरोधी दल के कुछ लोग तो जेलों में बंद हों या उन्हें अपनी बात कहने की आजादी न हो। सम्पूर्ण राष्ट्र को

यह बताना होगा कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने कौन-सा रास्ता अपनाया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका संबंध केवल कुछ नेताओं या कुछ पार्टियों से है; इसका संबंध सभी लोगों से है, इन सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कम-से-कम ये लोग तो जान जायेंगे कि कौन गलती पर है।

“असल में, सामान्य स्थिति लाना वातचीत के परिणाम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिये, वातचीत निष्फल हो जाती है। क्या इसका अर्थ यह होगा कि इमरजेंसी और उसके नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सब अनन्त-काल तक चलने दिया जायेगा? सरकार के जिम्मेदार नेताओं ने बार-बार कहा है कि इमरजेंसी थोड़े समय के लिए है, वह तदय तक पहुँचने का साधन है, अपने में लक्ष्य नहीं है।

“एक और संभावना पर विचार कीजिये। विरोधी दल के वर्तमान नेता एक ऐसा निर्णय करते हैं जो देश की जनता में बड़े-छोटे सभी लोगों को स्वीकार नहीं है। तब इस समझौते को कौन लागू करेगा? क्या सरकार फिर से वातचीत करेगी? यह आज भी अजीब-सा लगता है कि मोरारजी जैसे व्यक्ति इससे संबद्ध नहीं हैं? जयप्रकाश नारायण का क्या होगा? क्या ऐसी वातचीत या समझौते का कोई अर्थ होगा जिसमें उनको शामिल न किया गया हो?”

अगर वातचीत नहीं होती तो फिर क्या होगा? क्या जो लोग सत्ता में हैं वे इस तथ्य का सामना करेंगे कि तानाशाही में बीच का कोई रास्ता नहीं है? काल-चक्र को पूरा घेरा लगाना है गरीबों का तर्क था। जैसा जीज ने प्रश्न कला था,

इस अपेक्षाकृत सुलह के वातावरण में मैं पटियाला-स्थित पंजाबी विश्व-विद्यालय गया। मैं इसके सिनेट का सदस्य और विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का अवैतनिक सलाहकार था। नज़रबंद होने के पहले मैं महीने में दो या तीन क्लास पढ़ाया करता था जो अबसर इतवार को हुआ करती थी। यह सोचे बिना कि परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं, मैंने वाइस-चांसलर को टेलीफोन किया कि मैं यूनीवर्सिटी आ रहा हूँ और हमेशा की तरह इतवार को क्लास लूँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि वह विद्यार्थियों को सूचना भिजवा देगी और विभाग खुलवा देगी।

जब मैं पाँच बजे सबवेमोटर से चलकर पटियाला दस बजे दिन में पहुँचा तब विभाग के दरवाजे बन्द मिले। मैंने वाइस-चांसलर से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह 'नहीं थी'। मुझे एक-दो आदमी इधर-उधर घूमते नज़र आये जो मुझे बराबर देख रहे थे। गेस्ट-हाउस के कर्मचारियों के पास कोई जगह नहीं थी, जहाँ मैं ठहर सकता। पूरे चार घंटे इंतज़ार करने के बाद और वाइस-चांसलर को कई बार टेलीफोन करने पर मैं उनसे बात कर सका। वह काफ़ी अन्यायमन्स्क थी। उन्होंने कहा कि जब भी यूनीवर्सिटी को मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी वह बता देंगी। यह एक अजीब-सी बात थी, क्योंकि मैं पढ़ाने की कोई फ़ीस नहीं ले रहा

1. मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह से पूछा था और उन्होंने मेरी सेवाएँ खत्म करने का आदेश दिया था। सिनेट की मेरी सदस्यता भी नहीं बढ़ायी गयी।

था। उन दिनों एक किताब जो बहुत ही लोकप्रिय थी वह थी इरविन वालेस की आर डॉक्यूमेंट। सरकार ने गैर-सरकारी तौर पर इसके प्रचलन पर रोक लगा दी थी। इस किताब में एक नवयुवक वकील की कहानी दी गयी थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी-जनरल का असिस्टेंट था। एक कैदी को मारने की कोशिश की गयी तो वह वकील अमेरिकी संविधान में किये जा रहे एक विवाद-ग्रस्त संशोधन का खुलकर विरोध करने लग गया। इस संशोधन का उद्देश्य इमर-जेंसी के दौरान एफ० बी० आई० के डाइरेक्टर को बेलाग शक्तियाँ प्रदान करना था (उस समय अमेरिका में हत्या की घटनाओं का दौर-सा आया हुआ था। बाद में पता चला कि हत्याओं के आँकड़े एफ० बी० आई० ने बढ़ा-चढ़ाकर तैयार किये थे, जिससे लोगों के मन में यह बैठ जाये कि देश में एक गंभीर संकट आ गया है। असल में कोई संकट नहीं था)। अटॉर्नी-जनरल के असिस्टेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ़ जस्टिस की सहायता माँगी, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो निर्णय करने के लिए लोगों का बहुमत इधर-उधर झुका सकता था। इस संशोधन को अभिपुष्ट करने के लिए समस्त राज्यों के दो-तिहाई मत की जरूरत थी। उस समय केवल दो राज्य, कैलीफोर्निया और ओहियो रह गये थे। अगर वे इस संशोधन का अनुमोदन कर देते तब वह संविधान का अंग बन जाता।

संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ़ जस्टिस और अटॉर्नी-जनरल का असिस्टेंट—दोनों यात्रा करते-करते एक छोटे-से शहर में जा निकले, जहाँ संशोधन के लिए एक प्रयोग किया जा रहा था। इस छोटे-से शहर में इमरजेंसी लगी हुई थी, वहाँ नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे और उत्पादन के सभी साधनों आदि पर सरकार का नियंत्रण था। स्कूलों में वैसे ही इतिहास की पढाई होती जैसा सरकार ने निश्चित कर रखा था। यह देखकर चीफ़ जस्टिस आग-बबूला हो गया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही उसका क़त्ल कर दिया गया।

असिस्टेंट इस पर तनिक भी नहीं घबराया और वह अपने काम पर डटा रहा। एक बच्चे के टेप-रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई आवाज़ से सारा रहस्य आख़िर में खुल गया। यह पता चला कि संशोधन पारित हो जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या करने की योजना थी और तब एफ० बी० आई० का डाइरेक्टर राष्ट्रीय संकट की घोषणा करके अपने हाथ में असाधारण शक्तियाँ ले लेता और यह प्रयोग वाक़ी अमेरिका में करता।

पाठक इस पुस्तक में वर्णित परिस्थितियों की तुलना भारत की परिस्थितियों के साथ करते थे। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन को आर डॉक्यूमेंट में उल्लिखित संशोधन कहा जाता था।

इमरजेंसी की आलोचना बराबर बढ़ती जा रही थी। जो लोग शुरू में उसका समर्थन करते थे वे भी यह अनुभव करने लग गये थे कि उसकी उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है। श्रीमती गांधी के समर्थक भी अब यह प्रश्न करने लग गये थे कि वह जिस शेर पर सवार थी उससे कैसे उतरें? हालाँकि एक उद्घोषणा द्वारा लोक सभा की अवधि एक साल के लिए अर्थात् 1978 तक बढ़ा दी गयी थी, फिर भी चुनाव की बातचीत शुरू हो गयी थी।

चुनाव की बहुत ज्यादा चर्चा होने पर सरकार को वक्तव्य जारी करना पड़ा कि वह चुनाव कराने की जल्दी में नहीं हैं। उसने यह सोचा भी नहीं था कि चुनाव इनाम नहीं होते, इनसे जनता की इच्छा का, जो असली मालिक होती है, पता चलता है। चुनाव में मतों के द्वारा पार्टियाँ और उम्मीदवार अपनी लोका-

प्रियता और अपने कार्यक्रमों के प्रति जनता की रुचि की माया का निर्धारण करते हैं। निश्चित काल के लिए चुने गये विधायक अपनी नीतियों के लिए अनिश्चित काल के लिए समर्थन प्राप्त होने का दावा नहीं कर सकते।

सगता था कि कांग्रेस-सरकार इस तथ्य को भूल गयी थी कि पाकिस्तान भी, जहाँ इसकी कोई परम्परा नहीं थी, तभी चुनाव करा रहा था, जब कि भारतवासी लोकतंत्र की दीर्घ परम्परा के बावजूद चुनाव दो-वार टाल चुके थे। चाहे चुनाव जल्दी न भी होते तो भी इसके लिए एक निश्चित तारीख की घोषणा तो होनी ही चाहिए थी, जिससे लोगों के मन में इस बारे में जो सन्देह था वह दूर हो जाता। इसकी माँग बढ़ती जा रही थी। कुछ गद्दी-गद्दायी कहानियाँ भी समाचारपत्रों में प्रकाशित होने लगी थी।

ओम मेहता को संसद में यह कहना पड़ा कि मार्च 1977 में चुनाव कराने की तैयारी किये जाने की खबर कोरी अटकलवाजी और वेवुनियाद है। उन्होंने कहा कि चूँकि प्रधानमंत्री ने सामान्य स्थिति को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसलिए लोग अटकल लगाने लगे हैं। विरोधी दल के बहुत-से नेता रिहा कर दिये गये थे, हालाँकि इमरजेंसी से पहले छेड़ा गया आंदोलन न तो ही वापस लिया गया था और न लोक संघर्ष समिति ही भंग की गयी थी।

मैं जानता था कि चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी गयी थीं। इसकी पुष्टि मे कई तथ्य थे। श्रीमती गांधी ने घन इत्र ट्टा करने के लिए कह दिया था; उनका नड़का अमेठी से आया था, जहाँ से वह लोक-सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता था। उम्मीदवारों की सूचियाँ प्रधानमंत्री के निवास-स्थान पर तैयार की जाने लगी थीं, खुफिया ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) को यह कह दिया गया था कि वे यह पता लगायें कि अगर चुनाव हुए तो नतीजा क्या रहेगा।

श्रीमती गांधी अपने तानासाही शासन को, जिसकी विदेशों में भी उदार विचार वाले लोग भी कटु आलोचना करने लगे थे, बँध बताना चाहती थीं। उन्हें जिन स्रोतों से सूचना मिलती थी उनसे उन्हें पता चला कि जीतेंगी वही। कुछ ऐसे भी स्रोत थे जिन्होंने उनको यह बताया था कि संजय भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति है और इमरजेंसी ने लोगों के दिलों को मोह लिया है। उन पर उनके सचिव पी० एन० धर-जैसे लोगों का भी, जिन्होंने यह हिसाब लगाया था कि वहाँ जीतेंगी क्योंकि देश आधिक दृष्टि से इससे ज्यादा छुसहाल कभी नहीं रहा था, दबाव पड़ रहा था। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डी० के० वरुआ अनेक कारणों से, जो वह ही ज्यादा जानते थे, चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में थे।

श्रीमती गांधी ने अभी तक किसी काम के लिए समय निश्चित करने में कभी गलती नहीं की थी। उनका कहना था कि जीतेंगी वही तो फिर इंतज़ार क्यों करें? सरकारी घोषणा के चार दिन पहले, पंजाब के एक पुलिस-अधिकारी ने मुझे बताया था कि उन लोगों से अगले चुनावों के लिए आवश्यक बन्दोबस्त करने के लिए कह दिया गया है। एक दिन बाद मैंने यह खबर इस तरह लिखी:

एन मोके पर कुछ और तय कर लिया जाये तो दूसरी बात है, वना अभी तक निर्णय नहीं है कि लोक-सभा के लिए चुनाव मार्च के आखिरी दिनों या अप्रैल के आरंभ में होंगे।

इमरजेंसी उठायी नहीं जायेगी बल्कि उसमें ढील दे दी जायेगी। इसके

लिए तक यह है कि इमरजेंसी से, जो 1975 में लागू की गयी, न तो 1971 और न 1972 के चुनावों के निष्पक्ष सम्पन्न होने में कोई बाधा पड़ी।

चुनाव कराने की सरकारी घोषणा औपचारिक रूप से संसद का सत्र शुरू होने के दिन की जायेगी। यह सत्र 9 फ़रवरी को शुरू हो रहा है।

तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर ब्योरेवार बात-चीत कर चुकी होंगी। वे यहाँ 18 जनवरी को 25-सूत्री कार्यक्रम की—20 श्रीमती गांधी के और 5 संजय के—प्रगति पर विचार करने के लिए एकत्र हो रहे हैं।

चीफ़ सेंसर ऑफ़िसर ने मुझे बुलाया और मुझे मौखिक चेतावनी दी। मुझे बताया गया कि चुनाव की खबर 'वेबुनियाम' है।

तीन दिन बाद चुनाव की सरकारी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने ग्राइकॉस्ट में बताया कि भारत के लोग नयी लोक-सभा का चुनाव मार्च के तीसरे सप्ताह में करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में डील दे दी गयी है, लेकिन वह ख़त्म नहीं की गयी है। मेरा अनुमान सही था और जब मैंने चीफ़ सेंसर ऑफ़िसर से यह शिकायत की कि मुझे ग़लत चेतावनी दी गयी तो उसका जवाब था, "हम क्या कर सकते हैं? हमारे मंत्री ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था।"

रिहा होने पर मोरारजी देसाई ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले आधिकारिक रूप से खंडन करने के बाद इस अचानक निर्णय से चुनाव में प्रचार-कार्य के लिए बहुत थोड़ा समय बचा है, इससे विरोधियों के लिए समान अवसर नहीं दिया गया और उनके सामने एक बड़ी बाधा डाल दी गयी है।

माक्सवादी नेता, ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद ने, जो नज़रबंद नहीं किये गये थे, कहा कि इमरजेंसी के लागू रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। कुछ दिनों तक विरोधी दल के लोग इसी बात पर गंभीरतापूर्वक बहस करते रहे कि चुनाव में भाग ले या नहीं। जन संघ ने कुछ शर्तें रखी और कहा कि अगर ये मांगें अगले कुछ दिनों में स्वीकार नहीं की गयी तो वे चुनाव का वायकॉट किये जाने का सुझाव लायेंगे। इन मांगों में इमरजेंसी का ख़त्म किया जाना, नज़रबंदों की रिहाई, प्रेस सेंसरशिप का ख़त्म किया जाना आदि मांगें शामिल थीं।

सोशलिस्ट लोग अनिश्चय की स्थिति में पड़े हुए थे, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडीज, जो कलकत्ता में एक चर्च में गिरफ़्तार कर लिये गये थे, अभी तक जेल में थे और सरकार उन पर जिस मुकदमे को चलाने के लिए जोर दे रही थी उसे बड़ीदा डायनामाइट केस का नाम दिया गया था।¹

भारतीय लोक दल (भालोद) और कांग्रेस (संगठन) के लोग विलकुल स्पष्ट मत के थे कि चाहे जो भी कठिनाई आये वे चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। वे उस भय के कारण असंतुष्ट थे जो सारे देश में अट्टारह महीने तक इमरजेंसी लागू रहने के कारण छाया हुआ था। लेकिन उनको आशा थी कि जनता निर्भय होकर मत देगी।

तब तक गैर-कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपनी बैठकें कर चुकी थीं। पहले तो अलग-अलग आपस में मिल चुकी थी; फिर जन संघ, भालोद, कांग्रेस (मं०) और सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी बैठकें की व भविष्य की नीति के बारे में विचार-विमर्श

1. और अधिक जानकारी के लिए लेखक की पुस्तक 'क्रैसला' देखिये।

किया और बाद में चुनाव के लिए मिलकर एक पार्टी—जनता पार्टी—बन गयी। कांग्रेस (सं०) ने अपना विलय करने के पहले अपनी सम्पत्ति का अलग एक ट्रस्ट बनाया, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई हुए जिससे यह सम्पत्ति 'जनता' के अधिकार से अलग रहे।

हर हालत में यह विलय औपचारिकता मात्र था, इन दलों के अधिकांश नेताओं ने, जब वह रोहतक जेल में बन्द थे, मिलकर अकेली एक पार्टी बनाने का निर्णय कर लिया था। पहले छह महीनों तक उनमें आपस में कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन बाद में जब वे एक-दूसरे की अच्छी तरह जान गये और उन्होंने समझौते का आधार ढूँढ लिया तब अपने अन्तर और पृथक् अस्तित्व को समाप्त करने का फ़ैसला कर लिया। सभी को एक साथ नज़रबन्द करने के अलावा उनका एक ही जगह पर बन्द रखना श्रीमती गांधी की सबसे बड़ी शक्त थी। नज़रबंदी से ये लोग शहीद बन गये और नेता हो गये। जे० पी० ने इस विलय को अपना आशीर्वाद दिया और इस चुनाव को लोकतंत्र और तानाशाही में चुनाव का रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी की जीत का मतलब होगा "तानाशाही की जीत।" उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं से जोर देकर कहा वे लोगों को अपना दल छोड़ने के लिए न उकसायें और चुनाव के लिए नये और नौजवान लोगों को वैसे लोगों की खड़ा करें जो ईमानदार हों।

लेकिन, जब उम्मीदवारों को चुना जाने लगा तब 'जनता' के नेतागण को न तो 'ईमानदारी' और न 'नौजवान लोगो' का ही ध्यान रहा। उनका ध्यान चुनाव के बाद की 'परिस्थिति' पर लगा रहा। कसौटी यह रही कि लोक-सभा में और विधान-सभाओं में जनता पार्टी के किस घटक की कितनी संख्या हो। हर घटक ने अपने आदमियों को ब्यादा-से-ब्यादा संख्या में भरा, जिससे उनके अपने ही आदमी आये जिन पर वह निर्भर रह सकें। यह शोचनीय स्थिति थी कि जब बड़े-बड़े सिद्धांत घोषित किये जा रहे थे, उम्मीदवारों का चुनाव जल्दी-जल्दी किया गया। उनको ऐसे आदमी खड़े करने चाहिए थे जिनको लोकतंत्र, समाजवाद और सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना जैसी बुनियादी बातों में अटूट विश्वास हो और जो अपनी ईमानदारी और सार्वजनिक हित में निष्ठा के लिए जाने-माने हुए हों। बहुत-से नौजवानों को उम्मीदवार बनाने का सभी स्वागत करते।

'जनता' जगजीवनराम और बहुगुणा के आ जाने के बाद और अधिक शक्ति-शाली बन गयी। इन दोनों भूतपूर्व-कांग्रेसी नेताओं के आ जाने से वह डर निकल गया जो बहुत-से मतदाताओं के दिलों को घेरे हुए था। यह डर था कि अगर उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया तो सरकार उनसे नाराज हो जायेगी। अब इनको स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस का एक विकल्प संभव दीख रहा था।

मैं बहुगुणा से अक्सर मिला करता था। वह बहुत दिनों से श्रीमती गांधी से ऊबे हुए थे (वह उनसे मिलना भी नहीं पसन्द करती थी), लेकिन वह ऐसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जो 'कारगर' होती। वह घड़ी तब आयी जब वह जगजीवनराम को कांग्रेस छोड़ने के लिए मनाने में सफल हो गये।

इंडियन एक्सप्रेस में हम लोगों ने जनता के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, पूरी बाजी लगा दी थी। यह हमारे अस्तित्व का सवाल था, क्योंकि अगर श्रीमती गांधी आती तो हमें मालूम था कि हमारा खतबारा और हममें से कुछ लोग तो खत्म ही थे। शुक्ल ने एक वक्तव्य में कहा था कि सरकार संसद-शिप के आदेश को लागू नहीं करेगी; दूसरे शब्दों में, यह

आदेश स्यंगित कर दिया गया था, ख़त्म नहीं किया गया था। जो पत्रकार अत्यधिक उत्सुक और सावधान थे वे अधिक साहसपूर्ण क्रम उठाना चाहते थे, लेकिन उनको चेतावनी दे दी गयी थी कि ठीक ढंग से आचरण करें अन्यथा चुनाव के बाद उनको मुसीबत भेननी पड़ सकती है। लेकिन अधिकांश अख़बारों ने एक्सप्रेस के रास्ते को अपनाया। इन अख़बारों का सर्कुलेशन पहले ही गिरना शुरू हो गया था।

शुक्ल ने एक वक्तव्य में यह भी कहा कि पत्रकारों को "नीति-संहिता" का पालन करना चाहिए। आल-इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कॉन्फ़ेंस भी, जिसने यह संहिता बनायी थी, इमरजेंसी के समर्थन में एक संकल्प पारित कर चुकी थी। कुछ संपादक यह आरोप लगा चुके थे कि यह संहिता वह नहीं थी¹ जिसे उन लोगों ने पटना कॉन्फ़ेंस में स्वीकार किया था। यह कैसी संहिता थी, जिसमें "समाचारपत्रों की स्वाधीनता" वाक्यांश का कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया था, हालाँकि इसमें 2000 शब्द भरे थे।

यह एक विडम्बना थी कि चीफ़ सेंसर ऑफ़िस प्रेस-संपर्क का काम करने वाला कार्यालय बन गया था। उसके तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के उच्च अधिकारी विभिन्न प्रदेशों में इस उद्देश्य से भेजे गये कि समाचारपत्रों को यह बात बता सकें कि कांग्रेस को समर्थन देना "उनके अपने हित में है।" और समाचारपत्रों के कार्यालयों में जब वे जाते तो साफ़ बता देते थे कि आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने वाला अधिनियम² यथावत लागू है। इस अधिनियम के तहत एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह निर्णय करे कि क्या आपत्तिजनक है और वह चाहे तो प्रेस को बंद करा सकता था। इस अधिनियम के तहत कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकता था।

एक्सप्रेस में हम लोगों को किसी ने नहीं छेड़ा लेकिन अधिकारियों ने, जिनमें शुक्ल भी थे, यह खबरें भिजवायीं कि वह हमारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए है और चुनाव के बाद हमारी खबर लेंगे। मुझे मिल के "आन लिबर्टी" नामक प्रसिद्ध निबंध की वह पकितियाँ याद आयीं जो उन्होंने अंत में लिखी थीं: "उस राज्य को, जो लोगों को बौना बना देता है ताकि वे दबकर उसके उद्देश्यों के साधन बन जायें—भले ही उसके उद्देश्य जनकल्याणकारी हों—अंत में पता चलता है कि छोटे लोगों को लेकर बड़े काम नहीं किये जा सकते।"

मुझ पर सरकार का रोष कम नहीं हुआ था। उसे मेरी टिप्पणियाँ पसंद नहीं थीं, प्रास तौर से वह टिप्पणी जिसे मैंने चुनाव के मौके पर लिखा था: "अंदरूनी इमरजेंसी लागू होने के बाद सत्तावादी शासन के खिलाफ व्याप्त नाराज़ी से एक सबक सभी को सीखना चाहिए कि भारत में ऐसी कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर सकती जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ राज्य के हाथों में सिमट जायें और नागरिक इतने असहाय बन जायें कि प्रशासकीय अधिकार के मनमाने प्रयोग के खिलाफ कुछ भी न कर सकें। 26 जून 1975 को यही हुआ। और यही वह चीज़ है जिसे जनता दुबारा कभी नहीं होने देना चाहती।"

चुनाव के नतीजे आना शुरू होने और मतदान समाप्त होने के एक दिन पहले 16 मार्च को मुझे चेतावनी भेजी गयी। मुझसे कहा गया कि मैं नज़रबंद होने के

1. इसको सूचना और प्रसार मंत्रालय ने नये तिर्रे से तैयार किया था और ए० आई० एन० ई० सी० के दफ़्तर को दे दिया था।

2. जनता सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला इसमें सचोपन कर दिया।

रह रहे थे। मैंने उनसे इस धमकी का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह अकारण ही परेशान हो जाते। और कौन जानता था कि इन धमकियों को पूरा करने के लिए कोई शकल रहेगा भी !

घर जाने पर मैंने अपना बैला संभाला और विस्तर बंद किया, जिसे मैं पिछली वार जेल जाते समय छोड़ गया था। मैंने भारती को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसी चीज थी जो मुझसे कह रही थी कि श्रीमती गांधी और उनके लोग अब वापस नहीं आयेंगे।

और वह नहीं आये। लेकिन संजय के लिए यह मन-बहलावा था, उसने हम लोगों को यह खबर भिजवायी : "एक्सप्रेस को बधाई", "चयोवृद्ध रामनाथ गोयनका को बधाई"।

कांग्रेस ने भले ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन अच्छी तरह से समझ लिया कि सारे उत्तर भारत में उसका सफाया हो जाने का एक मात्र कारण था—पिछले अट्टारह महीने में इमरजेंसी के नाम पर किये गये कामों से पैदा हुआ जन-असंतोष। इन अट्टारह महीनों में ही सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ा लगा और श्रीमती गांधी के कट्टर समर्थक भी उनका विरोध करने लगे।

अगर प्रधानमंत्री ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करने के बजाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया होता तब विरोधी इतनी सफलता नहीं प्राप्त करते, जितनी उन्हें मिली।

यह बदलाव मुख्यतः सरकार के निरंकुश शासन के कारण हुआ। इसके प्रति लोगो की प्रतिक्रिया खराब रही, इमरजेंसी में डील मिलने के अबसर का उन्होंने उपयोग किया और मंत्रियों, अफसरों और अन्य लोगों द्वारा, जिनका आदेश कानून था, शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी नाराजी व्यक्त की। किसी को क्या मालूम कि कितनी घटनाएँ श्रीमती गांधी की जानकारी में लायी गयीं—हो सकता है, अधिकांश उनकी जानकारी में हों—लेकिन ऐसी असंख्य घटनाएँ थी जो अब सभी को मालूम हुईं और जिनका आधार व्यक्तिगत और राजनीति द्वेष था।

निश्चय ही यह एक बुरा सपना था। आलोचकों को रोका जा रहा था, विरोधियों की धर-पकड़ हो रही थी, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे जा रहे थे, दूकानदारों को सताया जा रहा था, सरकारी कर्मचारियों को रिटायर किया जा रहा था और लोगों के व्यक्तिगत आयकरके मामलों को फिरसे उलटा-पुनटा जा रहा था—यह सब यह सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था कि जो लोग सरकार का समर्थन नहीं करते थे उनको मुसीबत उठानी पड़ेगी। जो कुछ हो गया उसका अब कोई निदान नहीं था। लोगों को बात करते समय भी डर लगता था, विरोध करने की कौन कहे !

यहाँ तक कि सरकार को उसके सबसे ज्यादा सुविचारित कार्यक्रम का भी कोई यत्न नहीं मिला—कारण यह कि वह कार्यक्रम लागू ऐसे ढंग से किया गया कि लोग बिगड़ गये। जिस देश की जनसंख्या 61 करोड़ से भी ऊपर पहुँच चुकी हो, उसके लिए परिवार नियोजन ज़रूरी कार्यक्रम था और हर राजनीतिक पार्टी ने इसे अपने चुनाव घोषणा-पत्र में स्वीकार किया था। लेकिन अनिवार्य तसब्दी से सरकार को बदनामी मिली। ऐसे अनेक मामले थे जिनमें पुलिस लोगो को

जबरदस्ती पकड़ कर नसबंदी कैपों में ले गयी थी।

अगर समाचारपत्रों को आजादी मिली होती तो वह जबरदस्ती की इन कार्यवाहियों और ऐसी ही अन्य घटनाओं की खबरें छापते। लेकिन उन पर तो इतनी रोक लगी हुई थी कि कांग्रेस में आपसी मतभेद के बारे में या लंदन में किसी एक्ट्रेस द्वारा दूकान से सामान चोरी करने की खबर भी नहीं छाप सकते थे। संसद के एक आदेश में लिखा हुआ था : "परिवार नियोजन कार्यक्रम की कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसमें 'संपादक को पत्र' भी शामिल है।" ऐसी हालत में जबरदस्ती नसबंदी की घटनाओं के बारे में क्या कहा जा सकता था ! जब कभी संसद-सदस्य परिवार नियोजन और अन्य क्षेत्रों में हुई ज्यादतियों की घटनाएँ सरकार की जानकारी में लाते तब समाचारपत्र उनका उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाहियों को निर्दिष्ट मार्गदर्शक संकेतों के अनुसार ही छपा जा सकता था। जहाँ तक संसद-सदस्यों का संबंध था, वे यह देखकर चुप रहना पसंद करते थे कि आलोचकों को द्वेष और संदेह से देखा जाने लगा था। जब कभी वे इसकी बात भी करते तब दरवाजे बंद कर या गुपचुप तरीके से। इस तरह जनता की तकलीफों को कोई कहने वाला नहीं रह गया था।

अगर पीड़ित लोगों के पास कोई रास्ता होता तब वे उचित व्यक्तियों के पास अपनी शिकायतें लेकर जाते। अधिकारी ज्यादतियों की शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं थे, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी और अधिकांश मामलों में न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमरजेसी के तहत नागरिकों के सभी अधिकार खत्म हो गये थे। जिन एकाध जजों ने ऐसे निर्णय देने का साहस किया, जो सरकार को हचिकर नहीं हुए, उनका तबादला कर दिया गया, या उनको अधिलक्षित कर दिया गया, या उनकी पदावनति कर दी गयी।

जनता पूरी तरह से असहाय और निराश हो चुकी थी। दुख-दर्द का मार कर भी क्या सकता था ? समाचारपत्र उसकी तकलीफों को नहीं छाप सकते थे, अधिकारी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे और कचहरियाँ उसकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगा सकती थी। वोटर ने ऐसे ही वातावरण में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

उपसंहार

में आजाद हूँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि पुलिस सिर्फ़ इतनी-सी बात के लिए मुझे पकड़ने के लिए मेरा दरवाजा नहीं खटखटायेगी कि मैंने सरकार के खिलाफ़ कुछ बात लिख दी थी।

मैं ढाढ़ाडोल रहने की उस स्थिति से पीड़ित नहीं हूँ जो मुझे जेल में सताती रहती थी, क्योंकि बिना किसी मुकदमे या अनिश्चित अवधि के जेल में नज़रबन्द पड़े रहने से मन जिस भावना से सबसे ज्यादा दुखी रहता था वह यह कि मैं बाहर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से शायद न मिल पाऊँगा। नज़रबंदी एक अंधेरी सुरंग थी, जिसका छोर नज़र नहीं आता था।

निश्चय ही, आजादी के अनुभव ने मुझे मुग्ध कर दिया है। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक इस स्थिति में रहूँगा। मैं देखता हूँ कि दिन-भर-दिन लोगों का भ्रम मौजूदा सरकारों—केंद्र और प्रदेशों दोनों की सरकारों—के काम करने के तरीक़े से टूटता जा रहा है। वे सोचते हैं कि उनकी आशाएँ भूठी निकल गयी हैं और वे नये हुक्मरान पिछलों से भिन्न नहीं हैं।

यह बात तो समझ में आती है कि आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित होने और उनके नतीजे सामने आने में देर लगती है। लेकिन वे आशा करते थे कि अँग्रेजों के शासन-काल से उनमें और प्रशासकों में जो अन्तर बना हुआ था वह दूर हो जायेगा, प्रशासन ज्यादा उत्तरदायी और दक्ष बन जायेगा और उन्हें हर स्तर पर सरकार के काम करने में शामिल किया जायेगा।

लेकिन जब वे देखते हैं कि एक ज़िले में—जहाँ प्रशासन उनके निकट है—डिप्टी-कमिश्नर को वही बेलाग अधिकार मिले हुए हैं और सत्ताधारी पार्टी के इशारी पर, चाहे वह भीड़ इकट्ठा करने के लिए हो या विरोधियों को तंग करने के लिए, उन अधिकारों का प्रयोग या पुलिस द्वारा इन आदेशों को तामील किया जा रहा है तब वे पूछने लगते हैं कि पहले में और आज में क्या फर्क है? वे यह नहीं जानते कि कौन सबसे बड़ा होना चाहता है और इसके लिए क्या तरीक़े अपना रहा है। वे निराश हैं। वे पुरानी परम्परा से अलग एक नयी चीज़ चाहते हैं और उन्हें वह मिलती नहीं है। सरकारी दफ़तरों या कचहरियों में उनके साथ वही व्यवहार होता है जो पहले होता था, वे जानना चाहते हैं कि जनता राज के नारे कहाँ चले गये!

उन्हें आशा थी कि जनता के मंत्रियों का रहन-सहन भिन्न होगा और वे

सादगी और संयम से रहेंगे, लेकिन वे देखते हैं कि ये मंत्री भी उन्हीं चमक-दमक वाले बॅगलों में रह रहे हैं, चपरासियों, सिक्कुरिटी के आदमियों और पी० ए० लोगों की वही भीड़ है। वे देखते हैं कि जनता के नेतागण अफसरों को टेलीफोन पर निर्देश देने या कानून से बाहर जाने का वही पुराना तरीका अपनाये हुए हैं।

जिस जनता ने श्रीमती गांधी व उनके गुर्गों के शासन को खत्म किया, यदि वह समझने लगे कि सभी एक-से होते हैं, सत्ता में आने पर अपने वायदे भूल जाते हैं, और वर्तमान व्यवस्था में उसी तरह के लोग फल-फूल सकते हैं जो पिछले तीस वर्ष से फल-फूल रहे थे, तो मुझे अंदेशा होता है कि मेरी आजादी खतरे में है।

जब लोग देखते हैं कि मौजूदा नेता उन्हीं चालों, वैसे ही दलबंदी और अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वही पुरानी राजनीति के दावपेंचों में उलझ गये हैं तब वे अकसर सोचते हैं कि क्या लोकतंत्र एक विलास है, क्या देश को 'दुस्त' रखने के लिए 'अनुशासन' की जरूरत है? यह सोचने की एक भयानक प्रवृत्ति है, लेकिन मौजूदा वातावरण और सरकार की निष्क्रियता इसको और ज्यादा बल दे सकती है।

यह सच है कि भारत ने तानाशाही को उखाड़ फेंका है, लेकिन ऐसा भी कुछ देशों में हुआ है कि तानाशाही के अंधेरे के बाद लोकतंत्र की ज्योति कुछ देर के लिए टिमटिमायी और फिर हमेशा के लिए बुझ गयी। मुझे शंका है कि जनता सरकार के असफल हो जाने के बाद कहीं ऐसी ही स्थिति न आ जाये और पार्टी में अन्दर और बाहर ऐसे संकट आने न शुरू हो जायें जिनसे एक विशेष प्रकार का शासन आ जाये जो जैसे-जैसे दिन बीतते जायें लोकतंत्रीय कम और ज्यादा-से-ज्यादा सत्तावादी होता जाये।

कुछ लोग, खास तौर से श्रीमती गांधी के समर्थक, अब भी यह दलील देते हैं कि श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी तब लागू की जब उन्होंने यह देखा कि भारत के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था अनुकूल नहीं थी, क्योंकि यहाँ की हालत भूख और बेतहाशा बढ़ती आवादी से दिन-पर-दिन गिरती जा रही थी।

इस दलील पर थोड़ा-बहुत विश्वास किया जा सकता था, अगर श्रीमती गांधी व्यक्तिगत शासन के मोह में न पड़तीं। उन्होंने इमरजेंसी के अठारह महीनों में एक भी आर्थिक समस्या को कारगर तरीके से हल नहीं किया। असल में हालत खराब होती गयी और जो पुलिस-राज उन्होंने लागू किया था उसके वावजूद भी 1976 के मध्य में क्रीमों बढ़नी शुरू हुई थीं।

कुछ भी हो, इन्सान की जरूरतों का जवाब सत्तावाद नहीं है। जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष के प्रति सत्तावाद की उपेक्षा से उस चीज की उपेक्षा हो जाती है जो मनुष्य के लिए बुनियादी है। सत्तावाद मनुष्य से उसके आदर्शों और मूल्यों को छीन लेता है। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के नैतिक पक्ष को ही अपने विचारों में मुख्य स्थान देते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर साधन गलत हैं तो उसका परिणाम भी विकार-युक्त हो जायेगा।

मैं विश्वास करता हूँ कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लोकतंत्रीय तरीके से संभव है और ऐसा परिवर्तन उससे ज्यादा कल्याणकारी और स्थायी होता है जो बल के द्वारा किया जाये। भारतीय जनता का भी यही विश्वास है और उसने सम्पूर्ण तानाशाही शासन को निकाल कर यह सिद्ध कर दिया है।

मेरे विचार में जनता पार्टी आज भी एक ऐसे मंच की तरह है, जिस पर युवा लोगों के अलावा उसके पाँच घटक अपना-अपना आसन लिये हुए हैं—

जन संघ, भालोद, कांग्रेस (सं०), सी० एफ० डी० और सोशलिस्ट। हर एक का अपना क्षेत्र है और हर कोई एक-दूसरे को ईर्ष्या से देख रहा है। सरकार और पार्टी मे पद के लिए कोटा निश्चित है। किसी भी आदमी को उसकी योग्यता या उसकी तराग-तपस्या से नहीं, उस पर लगे लेबल से परखा जाता है। कोई किस घटक या किस नेता से संबंधित है, यही महत्वपूर्ण है। और लोक-तभा में हर घटक की सदस्य-मंख्या का हर बार उल्लेख किया जाता है।

नेतागण इस बात का स्वयं भी अनुभव नहीं करते कि उनकी विजय थीमती गांधी और उनके दल के लोगों के कुप्रशासन के कारण हुई है। उत्तर भारत में कोई भी जीत सकता था, उम्मीदवार की असली पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं था। उदाहरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश की सभी चौरासी सीटें सोशलिस्टो को दे दी जाती, जिनकी संख्या सबसे कम है, तब उनकी संख्या बढ़ जाती। यह एक ज्वार था जो अपने साथ सबको बहा ले आया। यही बात जनता-नेताओं को सोचनी चाहिए। इसके बजाय वह चुनाव के नतीजे के आधार पर अपनी या अपनी पुरानी पार्टी की लोकप्रियता को वास्तविक मान बैठे है। किसी को तो अपनी पुरानी वफादारी और राग-द्वेष से ऊपर उठना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया—न देसाई, न चरणसिंह, न जगजीवनराम और न ही चन्द्रशेखर या अन्य किसी ने, जिन पर आशाएँ लगायी गयी थी। कोई भी महान नेता पार्टी को संकुचित और संकीर्ण भावनाओं के दलदल से निकाल सकता था और उसकी शक्ति को देश के पुनर्निर्माण में लगा सकता था, लेकिन जो लोग इस वार आये है वे व्यक्तिगत स्वार्थ और द्वेष में खोये हुए हैं।

असल में नेताओं की अधिकांश शक्ति और समय पार्टी को सगठित बनाये रखने में ही लग जाता है। लेकिन पार्टी सिर्फ एक वाहन है, कुछ काम करने का एक साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। इन लोगों में काम करने की शक्ति के अभाव के कारण ही श्रीमती गांधी की विश्वसनीयता मिला रही है। लोग उनके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं और न तानाशाही के अंधेरे, भयानक और डरावने दिन वापस लाना चाहते हैं। लेकिन 'जनता' के नेता इस बात की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि लोग श्रीमती गांधी की ओर ही चले जायें।

प्रश्न यह है कि इस स्थिति के बाद अब हम कहीं जायें? हम भयंकर विगत और सभावित भविष्य के बीच फँस गये हैं। हम गंद की तरह नहीं रह सकते कि कांग्रेस धक्का दे तो जनता वालों के हाथों में चले जायें या उधर से धक्का दिया जाये फिर इधर चले जायें। इसके लिए कोई विकल्प होना चाहिए। वह क्या है? मेरा विचार ऐसा है कि भारत ही ऐसा देश है जो पूँजीवादियों और साम्यवादियों दोनों को यह दिखा सकता है कि आज़ादी और रोटी दोनों साथ-साथ अर्जित की जा सकती है। काश सिर्फ सही नेतृत्व मिलता!

दुखद स्थिति यह है कि जनता-नेताओं ने उस क्रांति के अर्थ को अभी तक नहीं समझा है जो लोगों द्वारा मार्च 1977 के माध्यम से लायी गयी। वही पुराने लोग लोट आये हैं जो उसी पुराने धिसे-पिटे दंग से पुराने जर्जर ढाँचे को फिर से पड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वह ढाँचा सड़ा-गला होने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है। सिद्धांतों के आधार पर पार्टियों के आपसी समझौते को सनी पसन्द करते। दक्षिणपंथी और वामपंथी में से किसी एक का स्पष्ट चुनाव करने से राष्ट्र को भावी कार्यक्रम समझने में आसानी रहती और तब लोग प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक विकल्पों की रयाया गहराई से छानबीन करते। लेकिन एक ऐसे देश में

जहाँ वामपंथी तो सरकार के अंग हों और जहाँ दक्षिणपंथी समाजवाद का नारा लगाते हों, ध्रुवीकरण संभव नहीं है। हो सकता है कि हमें तब तक इन्तज़ार करना पड़े जब तक नेतृत्व की मौजूदा पीढ़ी न टल जाये।

मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं चिन्तित हूँ। मुझे शंका है कि समाज का जैसा ढाँचा आज है क्या वह फलदायक हो सकता है या इसके कर्णधार—चाहे वे नेता, मंत्री, बुद्धिजीवी, नौकरशाह या पत्रकार हों—देश में सुख समृद्धि लाने में पर्याप्त रूप से समर्थ है या ऐसा करने के प्रति निष्ठावान हैं ?

लेकिन मुझे अपनी जनता—साधारण जनता, 'अशिक्षित', गृहविहीन, गरीब, मजदूर, भूमिहीन, दयापूर्ण, तिरस्कृत जनता—पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ और देखता हूँ कि तानाशाही के शासन को उखाड़ फेंकने पर उन्होंने कितनी खुशियाँ मनायी थीं, किस तरह उन्होंने यह साबित कर दिखाया था कि देश, उसके वैभव, उसके मूल्यों को जीता नहीं जा सकता।

और मैं उनकी आवाज़ को और तेज़ होती और मुझे बिना मुकदमा चलाये नज़रबन्द करने आयी पुलिस के आदमियों के पैरों की आहट को और घीमी और दूर होती सुन रहा हूँ...।

परिशिष्ट I

जेलों के सुपरिटेंडेंट और प्रवन्ध के मैनुअल से उद्धरण

अनुच्छेद II—मुकदमा चल रहे कैदी

567-बी. मुकदमा चल रहे कैदी दो श्रेणियों के होंगे अर्थात् (1) वह जो सामाजिक पद, शिक्षा या जीवन की आदत के अनुसार ऊँचे रहन-सहन के आदी रहे हैं, और (2) दूसरे कैदी, अर्थात् एक श्रेणी सजा पाये कैदियों की श्रेणी 'ए' और 'बी' के अनुरूप होगी और दूसरी श्रेणी 'सी' के अनुरूप होगी। मुकदमा चल रहे कैदी को किसी भी सक्षम कोर्ट में लाये जाने से पहले श्रेणी का निर्धारण पुलिस-स्टेशन के ऑफिसर-इंचार्ज की मर्जी पर निर्भर होगा। जब वह कोर्ट में पेश कर दिया जाये तब उसकी श्रेणी का निर्धारण उसी संबंधित कोर्ट द्वारा किया जायेगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संशोधित आदेशों के अधीन होगा।

अनुच्छेद III—श्रेणी 'ए' में प्रविष्ट कैदियों के लिए नियम

- 567-सी. 1. निवास-स्थान—जहाँ भी ऐसा निवास-स्थान उपलब्ध है, 'ए' श्रेणी के कैदी अन्य कैदियों से अलग रखे जायेंगे और उन्हें सेलों में या संबंधित बैरकों में रखा जायेगा जो उनके लिए विशेष रूप से बनी होंगी, वशतें उन्हें अलग न रखा जाये सिवा उन मामलों के जहाँ ऐसी व्यवस्था जेल-दंड के रूप में दी गयी हो।
2. फर्नीचर—इन्हें वैसा ही फर्नीचर दिया जायेगा जैसा 'बी' श्रेणी के कैदियों को दिया जाता है, लेकिन वे इस फर्नीचर के अतिरिक्त अन्य चीजें उचित सीमा के अंदर अपने खर्च पर रख सकेंगे। जहाँ इसकी सुविधा है उन्हें विजली का अपना टेबुल फैन इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी जायेगी।
3. विस्तर—वह अपना विस्तर इस्तेमाल कर सकेंगे, वशतें वह जेल में लाने से पहले विसंक्रमित किया हुआ हो।
4. रोमनी—उन्हें 10 बजे रात तक पढ़ने के लिए एक लैम्प को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जायेगी।

5. व्यायाम—वह पुली हवा में रोजाना ऐसा व्यायाम किया करेगा जैसा कि चिकित्सा-अधिकारी उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित समझेगा।
6. सफाई और नहाने का इंतजाम—उनके लिए पर्दे में नहाने, शौच

हाथ का मीथा, कंधा आदि के इस्तेमाल की इजाजत दे सकेगा, वशत इस सामान का इंतजाम कैंदी खुद करे या उसके दोस्त करें।

7. सिर के बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना—उनको सिर पर बाल रखने व दाढ़ी रखने की इजाजत दी जायेगी। जेल-सुपरिटेंडेंट उनको दिन में एक बार दाढ़ी बनाने और अपना सेप्टी रेजर इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है, वशत यह स्टोर में रखा जाये और कैंदी के पास न रखा जाये।
8. खाना पकाने का इंतजाम—जहाँ 'ए' श्रेणी के बहुत-से कैंदी एक जगह पर कूद हों वहाँ उनको एक अलग रसोई-घर देने की कोशिश की जानी चाहिए। जहाँ ऐसे कैंदी अलग-अलग रहे गये हों वहाँ उनको अपना खाना खुद पकाने की इजाजत दी जा सकती है, वशत इसके लिए उचित सावधानी और पूरे काम का उचित ध्यान रखा गया हो।

इनको वैसे ही बरतन दिये जायेंगे जैसे कि 'बी' श्रेणी के कैंदियों को दिये जाते हैं और अगर वह चाहें तो उनको खाने के अपने बरतनों का इस्तेमाल करने दिया जायेगा।

9. खुराक—इनको वही खुराक दी जायेगी जो 'बी' श्रेणी के कैंदियों को दी जाती है। जिन लोगों को अपना खाना खुद पकाने की इजाजत मिली होगी उनको निर्धारित मात्रा के अनुसार जिस दो जा सकती है।

इस खुराक के अलावा उन्हें सादा किस्म की दूसरी चीजें भी दी जा सकती है, वशत इनकी खरीद के लिए धन जेल-सुपरिटेंडेंट के पास जमा कर दिया गया हो।

अलकोहल, नशे की दवाइयाँ और विलास की चीजों की मंजूरी नहीं दी जायेगी। उन्हें अपने खर्च पर दो सिगरेट या चार बीड़ी सवरे और शाम के खाने के बाद पीने की इजाजत दी जा सकती है। सिगरेट या बीड़ी, जो भी हो, उसी समय पी ली जानी चाहिए और उसे बाद में पीने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।

10. पहनने के कपड़े—अगर वे चाहें तो उनको अपने कपड़े पहनने की इजाजत दी जा सकती है। अन्यथा उन्हें पहनने के वही कपड़े दिये जायेंगे जो 'बी' श्रेणी के कैंदियों के लिए निर्धारित हैं।

राजनीतिक निशान के कपड़े, जैसे गांधी टोपी और काली पगड़ी, पहनना सख्त मना है।

11. क़ैदियों के लिए काम—क़ैदियों की क्षमता, स्वभाव, पूर्व-जीवन के तरीके और पूर्ववृत्त पर उचित ध्यान देते हुए उन्हें काम दिया जायेगा।
12. पढ़ने की सुविधाएँ—पढ़ने के संबंध में उन पर वही नियम लागू होंगे जो 'बी' श्रेणी के क़ैदियों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि वे तीन किताबों के बजाय अपनी छह किताबें एक साथ रख सकेंगे और अपने खर्च पर ऐसे रोजाना के अख़बार रख सकेंगे जो सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित होंगे।
13. चिट्ठियाँ और इंटरव्यू—उन्हें सप्ताह में एक चिट्ठी लिखने और प्राप्त करने और एक बार भेंट करने की इजाजत दी जा सकेगी। अत्यावश्यक अवसरों पर, जैसे किसी क़ैदी के परिवार में मृत्यु होने पर या गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर, इस नियम में जेल-सुपरिटेंडेंट की मर्जी के आधार पर ढील दी जा सकेगी। जो लोग निश्चित समय में क़ैदी से मिलने आयेगे उनकी संख्या दो तक सीमित होगी। इन भेंटों में राजनीतिक प्रश्नों पर बहस करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। सभी चिट्ठियों में विषय-वस्तु बिलकुल निजी बातों के बारे में सीमित होगी और इनमें जेल के प्रशासन और व्यवस्था, अन्य क़ैदियों या राजनीतिक मामलों का कोई भी उल्लेख नहीं होगा।

इंटरव्यू में की गयी बातचीत या क़ैदियों से प्राप्त चिट्ठियों का सार प्रकाशित होने पर यह अधिकार वापस लिया या ख़त्म किया जा सकेगा।

14. सफ़ाई वगैरह का काम—उन्हें सफ़ाई वगैरह का काम नहीं करना होगा और न ऐसे काम के लिए जो उनके लिए किया गया होगा, उन्हें कोई खर्च देना होगा। यह काम जेल के नौकर-चाकर करेंगे जिनका इस्तेमाल 'ए' श्रेणी के क़ैदियों को निजी नौकरों की तरह नहीं करना चाहिए।
15. हथकड़ी और बेड़ियों का इस्तेमाल—उनको सज़ा के अलावा या निकल भागने से रोकने या जेल के किसी कर्मचारी पर हमला करने की स्थिति को छोड़ कर हथकड़ी या बेड़ी नहीं पहनायी जायेगी।
16. सज़ा—सज़ा देने के संबंध में सामान्य नियम उन पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि उनको कोई मारने की सज़ा गवर्नर और उसकी परिपद की मंजूरी लिये बिना नहीं दी जायेगी। जेल-सुपरिटेंडेंट जो भी सज़ाएँ देगा वह तुरंत इंसपेक्टर-जनरल को सूचित की जायेगी।
दुर्व्यवहार करने पर जेल-सुपरिटेंडेंट क़ैदियों के व्यक्तिगत अधिकार वापस ले सकता है। इस सज़ा की अवधि एक महीने से ज्यादा हो तब इंसपेक्टर-जनरल की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। लेकिन इस श्रेणी से हटाने का अधिकार गवर्नर और उसकी मन्त्रि-परिपद को ही होगा।
17. अनुशासन—ये हमेशा अनुशासित तरीके से आचरण करेंगे लेकिन ये लोग कतार बनाकर नहीं चलेंगे और न घाने के लिए इन्हे लाइन बनानी पड़ेगी। वे जेल-सुपरिटेंडेंट, डिप्टी-सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर और अन्य सरकारी और ग़ैर-सरकारी जेल-निरीक्षकों के

आने पर सावधान होकर चड़े हो जायेंगे। जोरों से बात करना, गाना या लड़ाई-भगड़ा करना मना है। लेकिन काम करने के समय से पहलें या बाद में कैंदियों को धीमे स्वर में बातचीत करने की इजाजत दी जा सकेगी। अन्य मामलों में इन कैंदियों पर वही नियम लागू होंगे जो साधारण कैंदियों पर लागू होते हैं।

18. तबादले—इन पर तबादले के वही नियम लागू होंगे जो 'बी' श्रेणी के कैंदियों पर लागू होते हैं।

583. (1) हर कैंदी को शीच में दस मिनट या जितनी देर तक जरूरी हो उतनी देर तक रहने दिया जायेगा। हर संडास में छह आदमियों के लिए एक सीट के हिसाब से जगह होनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करेगा और हर सडास के साथ हाथ धोने के लिए सडास की चार सीटों पर एक कमरा होना चाहिए।

(2) शीच-परेड पर इंचाजें-वांडर का नियंत्रण रहेगा और जितनी जगहें खाली होगी उतने ही कैंदियों के एक वार अंदर जाने दिया जायेगा।

584. शीच-परेड खत्म होने पर सधरे के खाने के लिए खाना मिलने वाले चबूतरे पर ले जाया जायेगा, जहाँ अनुच्छेद 591 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

585. जब कभी कैंदियों को जेल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जायेगा या वे झुड़ में बैठे या खड़े होंगे तब उन मीकों को छोड़कर जब वह खाना खा रहे होंगे या निरीक्षण के लिए लाइन बनाकर खड़े किये हुए होंगे, उनको जोड़ा बनाकर लाइन में ले जाया जायेगा और वे कमान के शब्द या संकेत के अनुसार खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे या बैठ जायेंगे। इन परेडों में जो संकेत दिये जायेंगे वे घंटा बजाकर दिये जायेंगे और इनका पालन उसी समय जेल में सभी जगह किया जायेगा।

586. कैंदियों को डिप्टी-सुपरिटेण्डेंट या उससे ऊँचे अधिकारी को उस अफसर के कमान के शब्द पर सलाम करना होगा जिसके अधीन वे होंगे, ये कमान के आदेश हैं :

“रुक जाओ”—अगर मार्च कर रहा हो तो निश्चल खड़ा हो जाना।

“उठ जाओ”—बैठे से उठ कर खड़ा होना।

“सावधान”—अगर काम कर रहा हो तो काम बन्द करना।

जब सलाम की प्रक्रिया का समापन करना होगा तब निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल किया जायेगा :

“बल्लो”—आगे बढ़ना।

“बैठ जाओ”—बैठ जाने की स्थिति में आना।

“काम करो”—काम फिर करने लगना।

587. सधरे वाला खाना खाने के बाद, कैंदियों को अपने हाथ और पाने वाले बरतन धोने की इजाजत दी जायेगी और उसके बाद टोली-रजिस्टर के अनुसार टोली में कर दिया जायेगा। हर टोली उसके लिए जिम्मेदार अफसर को सौंप दी जायेगी और काम करने की जगह पर ले जायी जायेगी।

915. (1) जो लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं उनको छोड़ कर भारतीय कैदियों के लिए निम्नानुसार खाना तीन बार दिया जायेगा :

सवेरे का खाना—आधी रोटी, आधा तेल और पूरी दाल ।

दोपहर का खाना—भुना या उबला हुआ चना ।

शाम का खाना—बाक़ी रोटी और तेल और पूरी सब्ज़ी ।

(2) सवेरे और दोपहर के खाने में मेडिकल ऑफ़िसर की मर्जी के अनुसार एक-दूसरे के साथ अदल-बदल की जा सकती है ।

996. वाडों, सेलों और अन्य कमरों में जहाँ कैदी रखे जायेंगे, रहने की जगह की नाप आम तौर पर खुली जगह व घनाकार जगह और पास में रोशनी व हवा आने-जाने की जगह के मानदंड के अनुसार होगी जैसा कि सारणी में दिखाया गया है (पृष्ठ 114 पर) ।

999. हर वार्ड और अन्य कमरों के, जो कैदियों के सोने की जगह के रूप में इस्तेमाल किये जायेंगे, दरवाजे पर निम्नलिखित बीरा लिखा रहेगा :

(क) जिन कैदियों के लिए जगह का इस्तेमाल होगा उनकी श्रेणी,

(ख) वर्ग-फुट में फ़र्श का क्षेत्रफल,

(ग) हवा आने-जाने के लिए ऊपरी जगह घन फुट में, और

(घ) वर्ग फुट या घन फुट के आधार पर—इनमें जो भी कम हो—कैदियों की संख्या जिनको वहाँ रखा जा सकता है ।

1000. हर वार्ड या दूसरे कमरों में जहाँ कैदियों को रात में रखा जायेगा, इंटों के चिने हुए चबूतरे घने होंगे, जिनकी संख्या नियत मानदंड के आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार होगी । हर बर्थ साडे छह फ़ीट लम्बी, पौने तीन फीट चौड़ी और अट्ठारह फीट ऊँची होगी और इसका ढलान सिर की तरफ़ से होगा । हर बर्थ का सिरा दूसरी बर्थ के सिरे की तरफ़ होगा । हर दो बर्थों के बीच दो फ़ीट से कम का अन्तर नहीं होगा ।

मीसा नज़रबंदों के लिए नियम

रहने की जगह—जेल में नज़रबंदों को सेलों या वाडों, अपेक्षाकृत वाडों में रखा जायेगा; लेकिन अगर इन्हे पुलिस की हिरासत में रखा जायेगा तब इन्हें दूसरे आदमियों से अलग हवालात में बंद रखा जायेगा; लेकिन अगर और भी नज़रबंद हैं तो एक-दूसरे के साथ आजादी के साथ मिलने की इजाजत रहेगी ।

जेलो का इन्स्पेक्टर-जनरल, जेल का सुपरिटेण्डेंट या पुलिस-सुपरिटेण्डेंट, जिसके अधिकार-क्षेत्र में पुलिस की हवालात है, किसी कारण से उचित समझता है तब वह किसी खास नज़रबंद या नज़रबंदों की श्रेणी को अलग रख सकता है । जहाँ नज़रबंदों को गर्मियों में बाहर खुले में सोने का इंतज़ाम है, या ऐसा इंतज़ाम हो सकता है, वहाँ उन्हें गर्मियों में बाहर खुले में सोने की इजाजत दी जा सकती है ।

हवालात—नज़रबंदों को आमतौर में रात में हवालात में नहीं बंद किया जायेगा । लेकिन अगर सुपरिटेण्डेंट नज़रबंद के संदेहास्पद आचरण के कारण ऐसा करना उचित समझता है तो वह नज़रबंद को रात में हवालात में बंद कर सकता है और अपने खाते में ऐसा करने के कारणों को दर्ज कर सकता है । जेल के अहाते

का बाहरी गेट चौबीसों घंटे बंद रहेगा।

पहनने के कपड़े और बिस्तर—हर नजरबंद खुद के कपड़े पहनेगा और उस रिश्तेदार, मगर सुपरिटेण्डेंट की इजाजत से, और अधिक कपड़े और बिस्तर भेज सकेगा। जो नजरबंद अपने लिए कपड़ों और बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सकता है उसे इस बात पर कपड़े और बिस्तर दिये जायेंगे कि वह निजी कपड़े और बिस्तर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

अनुशासन और तलाशी (1) अनुशासन के लिए नजरबंदों पर सिविल पेंशनरों से संबंधित ऐसे नियम लागू होंगे जो इस आदेश या इस संबंध में प्रशासक द्वारा दिये गये कोई अन्य विशेष आदेशों के प्रतिकूल नहीं है।

(2) जेल के डिप्टी-सुपरिटेण्डेंट या असिस्टेंट-सुपरिटेण्डेंट, जिसे भी सुपरिटेण्डेंट नियत करे, द्वारा हर नजरबंद और उसके सेल या वार्ड की कम-से-कम एक सप्ताह में एक बार तलाशी ली जाया करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यह तलाशी पूरी ली जाये और तलाशी की रिपोर्ट डिप्टी-सुपरिटेण्डेंट या असिस्टेंट-सुपरिटेण्डेंट की रिपोर्ट-बुक में दर्ज की जाये। इंटरव्यू से पहले और उसके बाद भी या किसी और समय अगर सुपरिटेण्डेंट इसे जरूरी समझे तो हर नजरबंद की तलाशी ली जायेगी।

इंटरव्यू (1) लिखित आवेदन-पत्र के सिवाय और उस पर दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट की, जिसके अधिकार-क्षेत्र में नजरबंद अमुक समय पर नजरबंद किया गया, विशिष्ट मंजूरी के सिवाय किसी भी कैदी को बाहर के किसी भी आदमी से मिलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। यह इजाजत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी, अर्थात् :

(अ) कैदी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को सप्ताह में एक बार और हर बार एक घंटे तक मिलने की इजाजत दी जायेगी।

(आ) एक बार में कोई भी दो व्यक्ति मिल सकेंगे।

(इ) यह भेंट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट, या जसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेंट के दौरान सारी बातचीत को सुन रहे होंगे।

(ई) नजरबंदी के सिलसिले में कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेंट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेंट के दौरान सारी बातचीत सुन रहे होंगे।

(उ) नजरबंदी के सिलसिले के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाइयों के बारे में (जिसमें आयकर, विक्रीकर, या अन्य करों का विवरण भरना शामिल है) कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेंट और कानूनी कार्रवाइयों की सच्चाई का पता लगाने के बाद जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो, दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था। हर बार भेंट की अवधि दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी।

बंदी की
श्रेणी और
जेल की जगह

	वानं या वकंशाप		सेल		अस्पताल	
	वर्ग फुट में	वर्ग फुट में	वर्ग फुट में	वर्ग फुट में	वर्ग फुट में	वर्ग फुट में
मंदानों में स्थित जेलें	80	1,200	120	1,800	132	1,980
	45	540	96	1,248	54	702
यूरोपीय		36		56		40
भारतीय		12		15		12
पहाड़ों पर स्थित जेलें	54	648	100	1,200	90	1,080
	36	432	75	900	36	648
यूरोपीय		10		15		15
भारतीय		6		10		10

का बाहरी गेट चौबीसो घंटे बंद रहेगा ।

पहनने के कपड़े और बिस्तर—हर नजरबंद खुद के कपड़े पहनेगा और उसे रिश्तेदार, मगर सुपरिटेण्डेंट की इजाजत से, और अधिक कपड़े और बिस्तर भेज सकेगा । जो नजरबंद अपने लिए कपड़ों और बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सकता है उसे इस शर्त पर कपड़े और बिस्तर दिये जायेंगे कि वह निजी कपड़े और बिस्तर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा ।

पेंशन
द्वारा

नियत करे, द्वारा हर नजरबंद और उसके सेल या वार्ड की कम-से-कम एक सप्ताह में एक बार तलाशी ली जाया करेगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यह तलाशी पूरी ली जाये और तलाशी की रिपोर्ट डिप्टी-सुपरिटेण्डेंट या असिस्टेंट-सुपरिटेण्डेंट की रिपोर्ट-बुक में दर्ज की जाये । इतरब्य से पहले और उसके बाद भी या किसी और समय अगर सुपरिटेण्डेंट इसे जरूरी समझे तो हर नजरबंद की तलाशी ली जायेगी ।

इंटरव्यू (1) लिखित आवेदन-पत्र के सिवाय और उस पर दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट की, जिसके अधिकार-क्षेत्र में नजरबंद अमुक समय पर नजरबंद किया गया, विशिष्ट मंजूरी के सिवाय किसी भी कैदी को बाहर के किसी भी आदमी से मिलने की इजाजत नहीं दी जायेगी । यह इजाजत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जायेगी, अर्थात् :

(अ) कैदी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को सप्ताह में एक बार और हर बार एक घंटे तक मिलने की इजाजत दी जायेगी ।

(आ) एक बार में कोई भी दो व्यक्ति मिल सकेंगे ।

(इ) यह भेट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट, या जसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बात-चीत को सुन रहे होंगे ।

(ई) नजरबंदी के सिलसिले में कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेट जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था और ये दोनों अधिकारी भेट के दौरान सारी बातचीत सुन रहे होंगे ।

(उ) नजरबंदी के सिलसिले के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाइयों के बारे में (जिसमें आयकर, विक्रीकर, या अन्य करों का विवरण भरना शामिल है) कानूनी सलाह के लिए वकीलों से भेट और कानूनी कार्रवाइयों की सच्चाई का पता लगाने के बाद जेल के एक अफसर के अलावा एक और अफसर के सामने होगी जो, दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या, जसा भी हो, उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया गया होगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था । हर बार भेट की अवधि दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी ।

(2) उप-अनुच्छेद (अ) में जो कुछ कहा गया है उसके वावजूद दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कैदी को नजरबंद किया गया था, सप्ताह में एक से अधिक बार परिवार के सदस्यों और संबंधियों से मिलने की इजाजत मानवता के आधार पर विशेष परिस्थितियों में जैसे कैदी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर या जब जिला मजिस्ट्रेट/नजरबंद

या डिप्टी-इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ़ पुलिस सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी पुलिस-अधिकारी को या तो अकेले या किसी दूसरे पुलिस-अधिकारी के साथ और अपने अधीनस्थ पुलिस-अधिकारी को साथ लेकर या अकेले ही किसी भी ऑफिसर से भेंट करने के लिए अधिकार दे सकता है, बशर्ते :

(अ) इस तरह जिस अफसर या जिन अफसरों को अधिकार दिया गया होगा वह कैदी से ऐसी जगह में मिलेंगे जो इस काम के लिए जेल-सुपरिटेंडेंट द्वारा दी गयी होगी। इस भेंट के लिए जाते समय संबंधित अफ-
के
दी

(आ) इस तरह जिस अफसर या अफसरों को अधिकार दिया गया होगा वह जेल अधिकारी की उपस्थिति के बगैर इसके लिए लिखित आवेदन-पत्र देने पर मिल सकेगा।

चिट्ठियाँ और संसरशिप—(1) विधानमंडल या मंत्रोपोलिटन कौंसिल के स्पीकर या अध्यक्ष को विधायक या मंत्रोपोलिटन-कैदी की चिट्ठी और स्पीकर या अध्यक्ष की विधायक या मंत्रोपोलिटन-कैदी को चिट्ठी और कैदी और कचहरी के बीच पत्रव्यवहार को संसर करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी चिट्ठियाँ सुपरिटेंडेंट द्वारा सीधे ही संबंधित व्यक्ति को चौबीस घंटे के अंदर भेज दी जायें। ऐसी चिट्ठियाँ किसी भी कैदी को विधानमंडल या मंत्रोपोलिटन कौंसिल से प्राप्त चिट्ठी और कचहरी की किसी भी कैदी को चिट्ठी उसी दिन दे दी जानी चाहिए जिस दिन वह प्राप्त हो।

(2) उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित को छोड़कर हर कैदी को सरकारी खर्च पर एक सप्ताह में तीन बार अपने परिवार और संबंधियों को चिट्ठी लिखने और किसी भी संस्था में चिट्ठी प्राप्त करने की इजाजत दी जायेगी। कैदी द्वारा लिखी गयी चिट्ठियाँ (फार्म बी में), जो इस आदेश के साथ संलग्न है, लिखी जायेंगी और नियत लंबाई से ज्यादा लंबी नहीं होंगी। आवश्यक फार्म जेल-सुपरिटेंडेंट द्वारा सप्ताई किया जायेगा। परिवार और संबंधियों को चिट्ठियाँ जाँच के बाद आम तौर पर भेज दी जायेंगी। अगर इन चिट्ठियों में कोई आपत्ति-जनक बात लिखी होगी तो उन्हें आगे नहीं भेजा जायेगा और कैदी को वापस दे दी जायेंगी। कैदी उस आपत्तिजनक भाग को निकालकर चिट्ठी फिर से लिख सकता है।

(3) उप-अनुच्छेद (2) में उल्लिखित संख्या की सीमा के बाहर भी अत्यावश्यक होने पर सुपरिटेंडेंट अपनी मर्जी के आधार पर कैदी को चिट्ठी लिखने की

इजाजत दे सकता है और जब कभी क़ैदी ऐसी जेल में बंद है जो उसके साधारण निवास-स्थान से दूर है तब ऐसी हालत में सुपरिटेण्डेंट अपनी मर्जी का इस्तेमाल क़ैदी के पक्ष में करेगा।

(4) वकीलों को चिट्ठियाँ जाने दी जायेगी अगर इनमें सिर्फ़ क़ानूनी सलाह की बातें लिखी होंगी। ये चिट्ठियाँ अर्ध-क़ानूनी विशेषज्ञों, जैसे आयकर के मामलों वाले वकीलों, को भी लिखी हुई हो सकती है। अगर इनमें कोई आपत्तिजनक बात लिखी होगी तो इनका निवटान भी उप-अनुच्छेद (2) के अनुसार किया जायेगा।

(5) चिट्ठियों की जाँच-पड़ताल करते समय जेल के अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि :

(क) चिट्ठियों को आगे भेजने या क़ैदियों को डिलीवर करने में कोई अनावश्यक देरी न हो।

(ख) जो चिट्ठियाँ डिलीवर की जायें या आगे भेजी जाये उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई हो जो आपत्तिजनक हो।

(6) दिल्ली प्रशासन द्वारा क़ैदी को लिखी गयी चिट्ठियाँ और उनके जवाब की संख्या को क़ैदी द्वारा लिखी गयी चिट्ठियों की संख्या को इस आदेश के अधीन निर्धारित करते समय शामिल किया जायेगा।

(7) जिस प्रदेश में क़ैदी नज़रबंद है उस प्रदेश को छोड़कर केंद्र या प्रदेश सरकार को क़ैद द्वारा लिखी गयी चिट्ठियाँ उस प्रदेश की सरकार के माध्यम से भेजी जायेगी जहाँ वह क़ैद है। इन चिट्ठियों में उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित चिट्ठियों को शामिल नहीं किया जायेगा।

(8) कोई भी चिट्ठी, अखबार या अन्य पत्रव्यवहार क़ैदी को सुपरिटेण्डेंट के माध्यम या ऐसे किसी अन्य अफसर के माध्यम के बिना, जैसे प्रशासक जो इस कार्य के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जायेगा, न तो दी जायेगी और न उसकी कोई भी चिट्ठी उक्त माध्यम के बिना आगे भेजी जायेगी।

(9) जेल में नज़रबंद क़ैदियों की सभी चिट्ठियाँ और उनको भेजी गयी चिट्ठियाँ संबंधित सुपरिटेण्डेंट द्वारा जाँच ली जायेंगी और दिल्ली प्रशासन के विशेष आदेश के अधीन सुपरिटेण्डेंट द्वारा संबंधित ज़िले के पुलिस-सुपरिटेण्डेंट को सीधे भेज दी जाया करेगा जो अपनी मर्जी के अनुसार या तो बिना कोई देर किये आगे भेज देगा या रोक लेगा। शक की स्थिति में पुलिस-सुपरिटेण्डेंट मामले को डिप्टी-इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ़ पुलिस, छफिया-विभाग या अन्य अफसर के पास जो इस काम के लिए नियत होगा, भेज देगा।

(10) अगर किसी चिट्ठी में जो क़ैदी द्वारा लिखी गयी होगी या उसे दी जाने वाली होगी, सुपरिटेण्डेंट को जेल के अनुशासन की दृष्टि से कोई आपत्तिजनक बात लिखी मिल जायेगी तो वह उसे निकाल देगा या निकाल दिये जाने के लिए लिख देगा और जो कुछ किया गया है उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को ऐसी चिट्ठी भेजते समय देगा।

(11) अप्रेषित की जाने वाली सभी चिट्ठियों पर जो क़ैदी द्वारा लिखी गयी होंगी या उसको दी जाने वाली होंगी संबंधित अधिकारी द्वारा तारीख सहित दस्तखत किये जायेंगे जिसने उनका निवटान किया हुआ होगा।

(12) हर मामले में जब चिट्ठी को रोका गया होगा, क़ैदी को चिट्ठी रोके जाने के बारे में सुपरिटेण्डेंट द्वारा सूचना दी जायेगी। रोकी गयी सभी चिट्ठियाँ

डिप्टी-इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस के पास भेजी जायेंगी। खुफिया-विभाग या अन्य अफसर जो इस काम के लिए प्रशासक द्वारा नियत होगा, दन चिट्ठियों को या तो अपने पास रोक लेगा या नष्ट कर देगा।

(13) कैंदियों को दिये जाने या उनके द्वारा भेजे जाने वाले तार के निवटान के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी : जब कभी दिल्ली प्रशासन को तार भेजा जायेगा या वहाँ से आयेगा तब उसे सीधे ही भेज दिया जायेगा, वशतें केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार में दिल्ली प्रशासन हमेशा मध्यस्थ का काम करेगा। यह सुनिश्चित करना सुपरिटेण्डेंट का कर्तव्य होगा कि कैंदी द्वारा वही तार भेजा या प्राप्त किया जायेगा जिसमें ऐसी कोई बात लिखी होगी जिसे जल्दी भेजना या प्राप्त करना उचित होगा। सुपरिटेण्डेंट कैंदी के किसी भी तार को, जिसमें तार में लिखा गया पिटीशन शामिल है, तार के बजाय डाक से भेज सकता है।

(14) कैंदी जो भी पत्र भेजेगा (जिनमें तार शामिल हैं), उनके साथ एक पर्ची पर उसका नाम और पता और संबंध, अगर कोई है, जिसे चिट्ठी भेजी जा रही है और चिट्ठी या तार में लिखे हर व्यक्ति का नाम, पता और संबंध लिखेगा, ये परिचय पुलिस-सुपरिटेण्डेंट, खुफिया-विभाग या प्रशासक द्वारा इस काम के लिए नियत अफसर को भेज दी जायेंगी जो अगर यह उचित समझता है कि चिट्ठी लिखने वाले को उसके साथ पत्र-व्यवहार करने दिया जाये तो सुपरिटेण्डेंट या संबंधित अधिकारी को उसकी जानकारी के लिए सूचित कर देगा।

(15) कैंदियों द्वारा लिखी गयी या उनको भेजी गयी चिट्ठियों में घरेलू बातें या कैंदी या उसके संबंधी के कुशल-खेम और निजी बातें ही लिखी होगी। जिन चिट्ठियों में राजनीतिक या साम्प्रदायिक बातें लिखी होंगी उनको रोक लिया जायेगा।

लिखने का सामान—(1) सभी कैंदियों को उनके खर्च पर लिखने का सामान दिया जायेगा। कागज नीचे लिखी शर्तों के आधार पर सप्लाई किया जायेगा।

(क) यह एक बार में थोड़ी मात्रा में सप्लाई किया जायेगा और क़दौ को दिये जाने के पहले इसे गिन लिया जायेगा और इस पर जेल की मुहर लगा दी जायेगी।

(ख) क्यादा कागज तब तक सप्लाई नहीं किया जायेगा जब तक पहले सप्लाई किया गया कागज दिखा न दिया जाये या वह न देख लिया जाये कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है।

(2) छात्र नजरबन्दों को जेल में अपनी पढाई जारी रखने की पूरी सुविधा दी जायेगी।

(3) जो नजरबन्द हिन्दी सीखना चाहते हैं, उनको पढाई के दौरान सरकारी खर्च पर स्लेट, पेसिल, तलती, दावात और कलम दी जायेगी।

किताबें और समाचारपत्र—(क) नीचे लिखी सुविधा सरकारी खर्च पर

(i) जहाँ भी संभव होगा कैंदी को पुस्तकालय की सुविधा दी जायेगी। पुस्तकालय में वही पुस्तकें दी जायेगी जिनको जिला-मजिस्ट्रेट ने अनुमोदित किया हुआ होगा।

(ii) बारी-बारी से हर दम नजरबन्दों को एक अंग्रेजी का या क्षेत्रीय भाषा का एक समाचारपत्र मिला करेगा। अगर किसी भाषा-विशेष को

जानने वाले नजरबन्दों की संख्या दस से कम होगी तो उनको भी उस भाषा में समाचारपत्र सरकारी खर्च पर दिया जाया करेगा। कैदी अनुसूची में अनुमोदित समाचारपत्रों की सूची से उन समाचारपत्रों का चयन कर सकेगा जिन्हें वह पढ़ना चाहता है :

अंग्रेजी : हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, रीडर्स डाइजैस्ट, इकोनॉमिक रिव्यू ।

हिंदी : हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान साप्ताहिक, नवनीत,

उर्दू : मिलाप, तेज ।

(ख) कैदी निम्नलिखित सुविधा को अपने खर्च पर प्राप्त कर सकता है :

(i) वह किसी भी संख्या में कोई भी किताब, पत्र-पत्रिकाएँ या समाचारपत्र खूद इन्तजाम कर प्राप्त कर सकता है ।

(ii) कैदियों को या उनसे सभी पुस्तकें और समाचारपत्र जिले के पुलिस-सुपरिंटेंडेंट द्वारा संबंधित सुपरिंटेंडेंट के माध्यम से दी व वापस की जायेंगी। पुलिस-सुपरिंटेंडेंट किसी भी समाचारपत्र या किताब को अपनी मर्जी के आधार पर रोक सकता है। जिन पुस्तकों के अनुवाद की जाँच-पड़ताल की जा चुकी है और जिसे अनुमोदित किया जा चुका है वह और किसी जाँच के बिना दे दिया जायेगा। ऐसे मामलों में जिनमें किताबों या समाचारपत्रों को रोक लिया गया है, उनके बारे में एक रिपोर्ट डिप्टी-इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस, खुफिया-विभाग या अन्य अधिकारी को जो इस काम के लिए सरकार द्वारा नियत किया गया होगा, भेजी जायेगी। प्रशासक द्वारा मंजूर समाचारपत्र बिना किसी पूर्व सेसर या जाँच के कैदी को दे दिये जायेंगे। जिन समाचारपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं को सरकार ने कैदियों के लिए अनुमोदित किया है उनके नाम इस आदेश के साथ संलग्न हैं।

(iii) किसी किताब, पत्र-पत्रिका के रोके जाने के बारे में अगर कोई कैदी संबंधित अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे मामलों में सुपरिंटेंडेंट के माध्यम से जिला-मजिस्ट्रेट को अपना प्रतिवेदन भेज सकता है, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट II

नयी दिल्ली में
शाह जांच आयोग के सामने

प्रदेश _____

केस फ़ाइल नं० _____
श्री कुलदीप नय्यर की नचरबंदी

_____ शिकायत

परिवादी की ओर से गवाह का वयान
प्रतिवादी

सार्वजनिक गवाही/डायरी नं०

गवाह का नाम : श्री कुलदीप नय्यर
पिता का नाम
व्यवसाय
पता

निम्नोक्त शपथ के आधार पर

मुख्य जांच-कर्ता : अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे० सी० शाह

अध्यक्ष : क्या आप शपथ लेंगे और घोषणा करेंगे कि आप सच बोलेंगे, पूरा सच बोलेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे ?

गवाह : जी हाँ, मैं शपथ लेता हूँ, संविधान के नाम में।

अध्यक्ष : आप मीसा के तहत जुलाई 1975 की 25 तारीख को गिरफ्तार किये गये थे ?

गवाह : जी हाँ।

अध्यक्ष : क्या आपको कोई ऑर्डर दिया गया था ?

- गवाह : जी, मुझे याद है कि जो दो पुलिस के आदमी आये थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई वारंट है और उन्होंने कोई वारंट दिखाया था।
- अध्यक्ष : उन्होंने मीसा के तहत, इस नियम के अनुच्छेद 3 के तहत मजिस्ट्रेट का कोई आदेश दिया था ?
- गवाह : जी, कुछ छपा हुआ कागज, मेरा नाम लिखा था। मैंने 'मीसा' या 'सार्वजनिक हित में' के अलावा कुछ नहीं पढ़ा।
- अध्यक्ष : क्या आपके पास वह छपा हुआ कागज है ?
- गवाह : जी नहीं, मेरे पास नहीं है।
- अध्यक्ष : अच्छा, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री घोष की फाइल से पता चलता है कि इसमें वह कारण दिये हुए थे जो केस के स्टेटमेंट में लिखे गये हैं।
- गवाह : नहीं, अगर मुझे ठीक याद है, उस आदेश में कोई भी कारण नहीं दिये गये थे।
- अध्यक्ष : सिर्फ यह लिखा गया था कि...
- गवाह : अमुक-अमुक धारा के तहत, और आपको नज़रबंद करना सार्वजनिक हित में है, वस।
- अध्यक्ष : आपको कारण कब बताये गये थे ?
- गवाह : जेल में, मुझे याद है, शायद 3-4 दिन बाद, मुझे कोई कागज दस्तखत करने को दिया गया था लेकिन फिर भी इसमें कोई कारण नहीं दिये गये थे, सिर्फ अमुक-अमुक धारा के तहत, और कुछ भी नहीं, कोई ब्योरा नहीं दिया गया था।
- अध्यक्ष : आप कब तक नज़रबंद रहे ?
- गवाह : कोई दो महीने तक।
- अध्यक्ष : आपकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी ?
- गवाह : जी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे बहुत देर में मालूम हुआ था।
- अध्यक्ष : अच्छा, कारणों में यह लिखा हुआ है कि श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोधी गैर-सी० पी० आई० पार्टियों के आंदोलन को आप सतत रूप से सहायता दे रहे थे ?
- गवाह : यह पहली बार है जब मैंने इन कारणों को देखा है और मैं कहता हूँ कि यह सब झूठ का जाल है।
- अध्यक्ष : आगे, यह भी लिखा है कि आप जामा मस्जिद के इमाम से 28 फरवरी 1975 को मिले थे और आपने उनसे बहुत-से मुस्लिम वालंटियरों को 6 मार्च 1975 को आयोजित रैली के लिए भेजने को कहा था ?
- गवाह : मैं इमाम से कभी नहीं मिला। मैं उनसे मार्च 1977 के चुनाव के बाद ही मिला। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था।
- अध्यक्ष : क्या आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 अप्रैल 1975 की एक बैठक में भाग लिया था ?
- गवाह : जी नहीं। यह सब झूठ है।
- अध्यक्ष : क्या आपने कांग्रेस, अकाली दल, भालोद, भारतीय जन संघ और सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों में, जो 21 और 22 जून 1975 को हुई थी, भाग लिया था ?

गवाह : यह मनगढ़न्त झूठ है ।

अध्यक्ष : क्या आप विरोधी गैर-सी० पी० आई० पार्टियों के नेताओं की संयुक्त बैठक में, जो यू० पी०-निवास में 20 और 22 जून 1975 को हुई थी, उपस्थित थे और आपने भाग लिया था ?

गवाह : जी, नहीं । मैं फिर कहूँगा कि ये सब बातें झूठ हैं ।

अध्यक्ष : क्या आपने प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, को जुलाई 1975 की, 16 जुलाई 1975 को कोई चिट्ठी लिखी थी, भेजी थी ?

गवाह : जी, मैंने एक पत्र लिखा था । शायद तारीख ठीक हो । मुझे तारीख नहीं याद है, लेकिन मैंने उनको एक पत्र लिखा था ।

अध्यक्ष : जरा इनको चिट्ठी दिखा दीजिये ।

(गवाह को चिट्ठी दिखायी गयी ।)

गवाह : जी, ...

अध्यक्ष : आपने ...

गवाह : जी, मैंने उसे डाक से भेजा था ।

अध्यक्ष : आपने इसे डाक से भेजा था ।

जरा चिट्ठी पढ़ दीजिये ।

(भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भेजी गयी चिट्ठी गवाही के तौर पढ़कर सुनायी गयी ।)

इस चिट्ठी के भेजने के एक सप्ताह के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया गया ?

गवाह : जी, श्रीमन, मैं 9 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया ।

अध्यक्ष : आप पत्रकारिता का व्यवसाय करते हैं ?

गवाह : विभाजन के बाद से, 1947 से ।

अध्यक्ष : 1947 से । आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री गोविंदवल्लभ पंत, और श्री लालबहादुर शास्त्री के जनसंपर्क-अधिकारी रहे थे ?

गवाह : यह सही है । पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैं सिर्फ कुछ दिनों तक साथ रहा, लेकिन मुख्यतः मैं...

अध्यक्ष : आप यू० एन० आई० के जनरल-मैनेजर भी थे ?

गवाह : जी, यू० एन० आई० का जनरल-मैनेजर और एडीटर ।

अध्यक्ष : प्रेम कोमिल आफ इंडिया के सदस्य ?

गवाह : जी, हाँ ।

अध्यक्ष : पंजाब यूनिवर्सिटी के सिनेट के सदस्य ?

गवाह : पंजाबी यूनिवर्सिटी ।

अध्यक्ष : पंजाबी यूनिवर्सिटी । और बंगलौर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ़ जर्नलिज्म के सलाहकार ?

गवाह : यह सही है ।

अध्यक्ष : क्या कोई चिट्ठी, जवाब प्रधानमंत्री के मन्त्रिवालय से मिला था ?

गवाह : जी, प्रधानमंत्री के प्रेम-गुडवाइजर श्री शारदाप्रसाद से ।

अध्यक्ष : जरा पढ़ दीजिये ।

(कुलदीप गव्यर को शारदाप्रसाद की चिट्ठी सूचना अधिकारी द्वारा पढ़ी गयी ।)

अध्यक्ष : आपको यह चिट्ठी कब मिली ?

गवाह : मेरा खयाल है, गिरफ्तार किये जाने के 24 घंटे पहले ।

अध्यक्ष : आपने कहा कि आपको भीसा के तहत गिरफ्तार और नज़रबंद किया गया । आप कहाँ ले जाये गये थे ?

गवाह : मैं यहाँ की स्थानीय जेल, तिहाड़ ले जाया गया था ।

अध्यक्ष : और आप सारी अवधि तिहाड़ सेल में रहे या ... ?

गवाह : जी, श्रीमन । मैं सारी अवधि तिहाड़ में एक ही सेल में रहा ।

अध्यक्ष : क्या आप जेल के अपने अनुभव और उन हालातों के बारे में बतायेंगे जिनमें आपको रखा गया था ?

गवाह : जी, श्रीमन, जब मैं अंदर गया, सबसे पहले मेरी तलाशी ली गयी और यह, मेरे पास एक छोटा बैग, कुछ कागज और किताबें थी जो पहले तो ले ली गयी क्योंकि उन्हें जेल के सुपरिटेण्डेंट को दिखाया जाना था । तब मुझे एक कम्बल और एक बट्टी साधुन दिया गया । मैं कुछ विस्तर चाहता था, क्योंकि मैं कुछ भी साथ नहीं लाया था । मुझे बताया गया कि यह नहीं मिल सकता है । मुझे सिर्फ एक कम्बल मिला और या तो मैं पत्थर के उस चबूतरे पर सो, सकता था जो कैदियों को मिलता है या मैं फर्श पर, अगर ऐसा चाहता तो सो सकता था । वहाँ कुछ चारपाइयाँ थी, लेकिन चूँकि नज़रबंदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस दिन मेरी वारी नहीं आयी, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे एक चारपाई दी गयी जो मेरी लंबाई से छोटी थी । वहाँ कोई तकिया नहीं दिया गया, मैं कभी यह नहीं जान पाया कि जेल में तकिया क्यों नहीं दिया जाता है । मैं आज भी यह नहीं समझ सका, क्योंकि मुझे एक भी नहीं दिया गया । वहाँ मच्छर बहुत थे । मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे कोई मच्छरदानी मिल सकती है । उन्होंने कहा कि नज़रबंदियों के लिए कुछ नियम-विनियम बनाये जा रहे हैं, ये अभी तय नहीं किये गये हैं, हालाँकि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब से एक महीना हो चुका था, और जब ये तय हो जायेंगे तब कुछ दिया जा सकेगा । और यह कुछ दिनों के बाद तय कर दिये गये और मुझे मच्छरदानी दी गयी । यह सच है कि मुझे वहाँ कोई यंत्रणा नहीं दी गयी, मुझे शारीरिक यातना नहीं दी गयी । लेकिन जेल में रहने की दशा बड़ी खराब थी । आप सोच सकते हैं कि उस बार्ड में जहाँ हम थे, 93 आदमियों को रखा गया था और वहाँ सिर्फ दो सूखी टट्टियाँ थी । और हर आदमी को शौच के लिए लाइन लगानी पड़ती थी । मुझे बताया गया कि पहले वहाँ कुछ प्लश की टट्टियाँ भी थी, लेकिन किसी आंदोलन में आंदोलन-कारियों ने उन्हें तोड़ डाला था । लेकिन हर हालत में तय्य यही है

पानी इकट्ठा जाये और हम पानी फिर निकाल सकें । इसलिए यह एक मुसीबत थी । और यह गर्मी का महीना था, इसलिए यह बहुत ही खराब था । जहाँ तक मच्छरों और मक्खियों का संबंध है, खास तौर से मक्खियों का, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी

सारी मक्खियाँ नहीं देखीं। वह लाखों-करोड़ों की संख्या में थीं। मुझे उन्हें देखकर एक फिल्म की याद हो आयी जिसे मैंने देखा था, यह चिड़ियों पर थी। इस फिल्म में आप हमेशा चिड़िया-ही-चिड़िया देखते हैं। इसी तरह वहाँ पर मक्खियाँ-ही-मक्खियाँ थीं, हम कुछ भी नहीं खा सकते थे। पहले तो हम इनको देखकर घबराये, हमको यह सब बुरा लगा लेकिन मुझे याद है कि दूसरी और तीसरी बार खाना खाने के बाद मैं मक्खियों को देखने का आदी हो गया था। मेरा मत-लब दाल में मक्खी पड़ी रहने से है जो हमको मिलती थी, हम उसे उसमें से निकाल देते थे और खाना शुरू कर देते थे। मैं सोचता हूँ कि इस तरह की चीजों के हम बाद में आदी हो जाते हैं। खाने में हम जितनी रोटियाँ चाहते उतनी मिलती थी, लेकिन उसके साथ खाने के लिए सिर्फ दाल मिलती थी, हम लोगों को सज्जी प्रायः नहीं मिलती थी। हम लोगों को थोड़ा-सा दूध मिलता था जो सबेरे व शाम की चाय में इस्तेमाल के लिए था। मुझे यह भी याद है कि आजादी का दिन 15 अगस्त हम लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया। हम लोगो ने अपने-अपने राशन में से हलवा बनाने के लिए कुछ बचा-कर रखा था और उसी दिन मुझे याद है कि मुझे हलवा खाने को मिला था। पहले तो कई दिनों तक हमें कोई भी चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाहर कुछ दबाव पड़ा होगा, फिर कुछ चिट्ठियाँ आने लगीं। मुझे एक पोस्ट-कार्ड मिला जिस पर कम-से-कम चार-पाँच जगहों पर मुहर लगी हुई थी, एक खुफिया-विभाग की, दूसरी प्रशासन की, और अन्य मोहरें जेल की थी। जब तक हमारे पास चिट्ठी पहुँचती हम सिर्फ यह पढ़ सकते थे कि चिट्ठी किसने भेजी है; चिट्ठी में क्या लिखा है यह नहीं पढ़ सकते थे। एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और अखबार वाला, पत्रकार, पढ़ने वाला होने के नाते, मुझे किताबें पढ़ने की आदत है, हम रात में पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि रोशनी बड़ी मद्धिम होती थी। मैंने कई बार निवेदन किया लेकिन मेरे लिए रोशनी का इंतजाम नहीं हो सका। एक महीने के बाद, मुझे अपने घर से एक टेबुल-लैप मिल गया। जहाँ तक पक्षे का संबंध है, वहाँ हम सभी के लिए छत का सिर्फ एक पंखा था जो 38 आदमियों के लिए था जो उस तेल में थे, पर हम लोग आदी हो गये थे...।

अध्यक्ष : क्या वह डॉरमोटीरी जैसी कोई जगह थी ?
 गवाह . जी, यह डॉरमोटीरी थी। यह कुछ ऐसी थी : मेरा खयाल है कि यह कैदियों या बच्चों के लिए कोई स्कूल था। मुझे और इसी तरह सभी आदमियों को हमेशा यह जगह वाँटनी पड़ती थी। रात में पहले जिस आदमी को जो जगह मिल जाती थी वह बाद में नहीं मिल पाती थी। मुझे याद है कि पानी खूब बरसता था। इसलिए हम बाहर नहीं सो सकते थे, और जो छोटा-मोटा लॉन हम लोगों के पास था उसमें हमेशा पानी भरा रहता था। मुझे सबसे ज्यादा जो बात खली वह व्यवहार था। जेल के कुछ अधिकारी यह समझते थे कि हम सचमुच पड़्यंत्रकारी थे जो वैंध सरकार को उछाड़ फेंकने की कोशिश में थे।

इसलिए हम पर निगरानी रखना जरूरी था और जैसा वह व्यवहार करते थे, उसके लिए हमें दण्ड मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ, एक या दो, अफसर अच्छे थे। मुझे खास तौर से डॉक्टर की याद है जो मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वह मेरी किताबें पढ़ता था, इसलिए वह एक दिन मेरे पास आया और बोला, 'आप यहाँ कैसे।' मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे दूध चाहिए। मैंने कहा—हाँ, अगर दिला सकते हो। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके अस्पताल में आ सकता और सो सकता हूँ, क्योंकि उसे इस तरह का अधिकार प्राप्त था। लेकिन एक बार मैं अस्पताल गया, वह दिमागी रोगियों के पास था। वहाँ कुछ पागल थे। हम वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आ रही थी और वहाँ इन सब लोगों की चीख-मुकार सुनते थे, इनको देखते थे। इसलिए हम वहाँ सो भी नहीं सकते थे। कुछ देर बाद उसने मुझे कुछ दूध दिलवाया...लेकिन हमारी कोठरी में बहुत-से आदमी थे जो इसी तरह का व्यवहार चाहते थे। इसलिए हमको उनके साथ हिस्सा बंटाना पड़ता था। आपकी इजाजत हो तो मैं एक घटना सुनाऊँ। मैंने वार्ड से पूछा कि क्या कोई तरकीब है कि यहाँ चिकन खाया जाये। उसने कहा—हाँ। आपको कुछ रुपये देने होंगे। जेल में हर महीने 30 रुपये खर्च करने की इजाजत थी। यह महीने की शुरुआत थी। इसलिए हम लोगों के पास रुपये थे। हममें से चार आदमी आपस में मिल गये। हममें से हर एक ने 15 रुपये दिये। मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे हुआ, लेकिन हमें चिकन करी और तन्दूरी रोटी मिली। इसलिए मतलब यह था कि अगर आपके पास रुपया है तो आपको शायद हर चीज मिल सकती है।

अध्यक्ष : यह जेल के खाने की सूची में शामिल नहीं था।

गवाह : नहीं। यह जेल के खाने की सूची में नहीं था। यह वे लोग नहीं थे जो हम पर निगरानी रखे हुए थे और हमको कुछ भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर आप इनकी हथेली गर्म कर देते तब ये आपको सब-कुछ ला सकते थे, वगैरह-वगैरह। मैं जेल में बहुत-से लोगों से मिला, अपनी ही कोठरी में थे जो सताये गये थे। लेकिन मैं सताया नहीं गया; यह मैं जरूर कहूँगा। लेकिन वहाँ जिन हालात में लोग रहते थे वह बड़े भयानक थे। आप देखिये कि बरसात में, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, पानी नालियों में से निकलकर बाहर बहने लगता था, चारों तरफ फैलकर भर जाता था और वहाँ मक्खियाँ-ही-मक्खियाँ थी। मैं खाना नहीं खा सकता था, लेकिन बाद में मैं उस खाने का, जो खुराक के तौर पर मिला करता था, दाल और रोटी का आदी हो गया। लेकिन वहाँ वातावरण बहुत ही खराब था और मैंने शिकायत भी लिखकर भेजी थी। एक बार मैंने जेल के सुपरिटेण्डेंट और डिप्टी-कमिश्नर सुशीलकुमार को भी लिखा था जो वहाँ आखिरी दिन, जिस दिन मैं रिहा किया जाने वाला था, आये थे। उन्होंने मुझसे जेल की खराबियों के बारे में पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि कोई आदमी यह तो समझ सकता है कि वह नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन मैं

यह नहीं जानता कि आपने उनके रहने की हालत क्यों खराब कर रखी है। एक बार यही सवाल मैंने जेल के अधिकारियों से भी किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात के आदेश हैं कि हम आपकी जिदगी को इतना कष्टपूर्ण बना दें, खासकर नज़रबंदों की। उन्होंने बताया कि सामान्य अपराधियों की जिदगी की हालत, रहन-सहन की हालत काफी अच्छी थी। असल में उनको कोठरी के बाहर भी चलने-फिरने की इजाजत थी। हम लोगों को यह इजाजत नहीं थी। हम लोगों को लोगो से नहीं मिलने दिया जाता था। मुझे याद है कि एक महीने बाद, एक बार भेंट करने का मौका मिला था और कहा गया था कि सिर्फ़ दो आदमियों से मिला जा सकता है। मेरे दो बच्चे हैं और एक पत्नी है। लेकिन सबसे बड़े बच्चे को बाहर ही रहना पड़ा, क्योंकि दो आदमियों को ही इजाजत थी। मैं उसको खिड़की से बाहर खड़ा देख सकता था, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता था, बेचारा कानपुर से आया था। मैं उससे सिर्फ़ गुड-बाई ही कह सका। जहाँ तक चिट्ठी जत दे रखी थी। मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ जेल के अन्दर मँगायी जा सकती थी, इसके लिए सरकारी इजाजत थी। अन्यथा उन्होंने हम लोगो को बिलकुल अकेला छोड़ रखा था। खेलने के लिए बहुत थोड़ी जगह थी, लेकिन चूँकि वहाँ हमेशा पानी भरा रहता था, अतः कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम अपने कमरे में या उस कोठरी में इधर-से-उधर आ जा सकते थे, हो सकता है वहाँ साथ में कोई वरामदा रहा हो। वहाँ एक वरामदा, या वरामदे जैसी कोई चीज़ थी। हम लोग अपना खाना खुद ही बनाते और खुद ही लेकर पाते थे, यह वहाँ की जिन्दगी का एक हिस्सा था। यह वहाँ के रहन-सहन की हालत थी। आपकी इजाजत हो तो मैं यह बताऊँ कि मुझे नज़रबंद क्यों किया गया था, मैं इसके बारे में क्या सोचता था? इमरजेंसी लगने के बाद कुछ क्या घटनाएँ हुईं? इमरजेंसी लगने के बाद चौबीस घंटे के अन्दर किसी भी अपवार के पास न तो विजली थी, न पाँवर। सिर्फ़ एक ही खबर थी कि सरकार इस बात से बड़ी खुश है कि इस पर कोई कुत्ता भी नहीं भूँका, जैसा कि कहा गया था। और इन समाचारपत्र वालों को देखिये। असल में किसी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को यह कहते सुना भी था, कि इन बड़े-बड़े सम्पादकों और उनके पत्रकारों को क्या हो गया है। कोई भी विरोध नहीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा था नहीं, लेकिन कम-से-कम उनके आदमियों ने यही कहा। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं कोई हीरो हूँ, नेता हूँ लेकिन इन बातों से मुझे चिढ़ हुई और 24 घंटे के बाद मैं स्थानीय समाचारपत्र के कार्यालयों में गया और मैंने पूछा कि यह इमरजेंसी ठीक लागू हुई या गलत है। यह बात बहस-मुवाहिसे की हो सकती थी, लेकिन कम-से-कम हम सब मिलकर यह तो कह सकते थे कि सेंसरशिप लगाना खराब बात है। आखिरकार, हम से आजादी ले ली गयी, इसलिए हमको प्रेस-बलव चलना चाहिए।

गवाह : इसलिए 48 घंटे के बाद, मैंने कहा कि हम लोग अमुक-अमुक दिन मिलेंगे, मैं सोचता हूँ कि दो दिन बाद, प्रेस-क्लब में। मैं यह देखकर हैरत में पड़ गया कि वहाँ 100 पत्रकार इकट्ठे हो गये और एक प्रस्ताव लाया गया, पास किया गया कि जितने भी पत्रकार यहाँ एकत्र हैं वे प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने की निन्दा करते हैं और सरकार से इसे तत्काल हटाये जाने का अनुरोध करते हैं। किसी ने यह सशोधन पेश किया कि कुछ पत्रकार गिरफ्तार किये जा चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ यह लिखना चाहिए कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो पत्रकार गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाये। तो यह प्रस्ताव था जिसे मैंने प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, को तत्कालीन राष्ट्रपति को और तत्कालीन सूचना और प्रसारण-मंत्री को वहाँ पर उपस्थित पत्रकारों की अनुमति से अपने हस्ताक्षर कर भेजा था। मुझे चिन्ता इस बात की थी कि मैं अन्य पत्रकारों को इसमें उलझने नहीं देना चाहता था, या चूँकि हम सबको अपने बारे में फ़सला करना था, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही प्रस्ताव भेज दूँगा, और लोगों को इस पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि वे लोग पिटीशन जैसी चीज़ पर दस्तखत करना चाहेंगे। मैंने इसे प्रेस-क्लब में ही छोड़ दिया, मेरे पास यह पिटीशन अब भी है, इस पर अकेले दिल्ली के 117 पत्रकारों ने दस्तखत किये थे। वहाँ कुछ खास नाम हैं; नेशनल हेराल्ड, पेट्रियट के पत्रकारों के भी नाम हैं। मैंने कहा कि यह कागज़ मेरे पास अब भी है। विद्याचरण शुक्ल उस वक़्त सूचना और प्रसारण-मंत्री थे। मैं उन्हें जानता था, क्योंकि हम पत्रकार लोग कुछ लोगों को जान जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें घनिष्ठता से जानता था, क्योंकि वह तब मेरे कंधों पर आँसू बहाया करते थे जब उन्हें रक्षा-मंत्रालय से हटाकर योजना आयोग लाया गया था। सूचना एवं प्रसारण-मंत्री बनने के बाद मैंने उन्हें टेलीफ़ोन किया। उन्होंने कहा—“कुलदीप, तुमको मेरी नयी जगह पर आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई?” मैंने कहा, “नहीं, ठीक है, बघाई।” उन्होंने कहा, “तुम कभी आओ।” तो मैंने सोचा। एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने सबसे पहले कहा, “वह प्रेम-पत्र कहाँ है?” तो मैंने कहा, “कौन-सा?” उन्होंने कहा, “तुम्हारे पास वह चिट्ठी है जिस पर बहुत-से पत्रकारों ने दस्तखत किये हैं, हम उनके नाम जानना चाहते हैं।” मैंने कहा, “वह सेफ़ डिपॉजिट में है।” उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया, हो सकता है कि उन्हें नाम मालूम हों, लेकिन जो भी हो, उन्होंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, बहुत-से लोगों ने कहा है कि तुमको चाहिए कि तुम कुलदीप नगर को गिरफ्तार कर लो। मैंने पूछा, “क्या आपको कोई बजह भी बतायी गयी है?” “हाँ, एक तो यह कि तुम विदेशी पत्रकारों से बहुत मिलते हो।” उन्होंने कहा। मैं उनके साथ आज भी मिलता हूँ। मैं टाइम्स लंदन के पत्रकार से दोस्ती रखता था, आज भी रखे हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत-से विदेशी पत्रकारों से

मिलता है इसमें कोई शक नहीं है। कुछ छूट गये हैं, लेकिन जो भी छूट गये हैं, इससे क्या। एक लुइस है जो देश से निकाल दिया गया था, मैं उसे वॉशिंगटन पोस्ट से जानता था। और पीटर, वह लंदन टाइम्स का है, वह भी मेरा दोस्त है, वह मेरे घर भी आता है। उन्होंने कहा, "तुम बहुत लोगों से मिलते हो?" मैंने कहा, "इनमें से पीटर है जलहर्ट्स है जिसने इस देश की बागला देश की लडाई में काफी मदद की थी। इसके अलावा वह मेरा दोस्त भी है, हम लोग मिलते रहते हैं।" उन्होंने कहा, "लेकिन आप इन सबसे कुछ चर्चा भी करते होंगे।" मैंने कहा, "शुक्ल साहब, आप जानते हैं कि मुझे इमरजेंसी, जो भी हो रहा है, पसन्द नहीं है, लेकिन इन चीजों को जानने के लिए उनके अपने साधन हैं।" तब उन्होंने कहा, "नहीं, आप कुछ लिखते भी रहे हैं।" उस दिन मेरा लेख छपा था, 'नो, मिस्टर भट्टो, नो।' निरचय ही मेरे दिमाग में वह सब-कुछ था जो इस देश में हो रहा था। लेकिन सेंसरशिप से बचने के लिए मैंने मिसेज गांधी के बजाय मिस्टर भट्टो तथा इंडिया के बजाय पाकिस्तान लिखा था, सब लोग देख सकते थे। उन्होंने कहा कि आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मालूम है। मैंने कहा, "मैं किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ लिखना था, लिख दिया और मुझे मालूम है कि लोग इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं।" उन्होंने कहा, "कुलदीप, तुम हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते?" मैंने कहा, "आप किसकी तरफ हैं?" और उन्होंने कहा, "ठीक है, हम वाद में बात करेंगे।" और बात वहीं खत्म हो गयी। तब कुछ दिनों के बाद मैं प्रेस कौंसिल के चेयरमैन जस्टिस आयोगर के पास गया। तो मैंने उनसे कहा, "चूंकि मैं प्रेस कौंसिल का मेम्बर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। मेरी गैरहाजिरी में मैं चाहता हूँ कि प्रेस कौंसिल कम-से-कम मेरे लिए, इस गिरफ्तारी को जान ले और मैं आशा करता हूँ कि एक प्रस्ताव पास किया जायेगा।" तो वह बहुत ही स्पष्ट थे, वह बोले, "नहीं, यह नहीं होगा, न कोई यह चाहेगा कि कम-से-कम प्रेस कौंसिल इस बात को उठाये।" तो मैंने कहा कि यह बात तो है कि सेंसरशिप लगी हुई है, हम लोग प्रेस की आजादी की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है, क्यों न प्रेस कौंसिल की एक बैठक बुला ली जाये? उन्होंने कहा, "मैं यह कर सकता हूँ।" वह इस सूचना को स्थानीय समाचारपत्रों में भेज देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। उस समय कुछ सदस्य इकट्ठे हुए। वह एक बड़ी बैठक करना चाहते थे। बड़ी बैठकमें, मैं ताज्जुब में पड़ गया, मैंने इस प्रस्ताव को पेश किया था कि प्रेस कौंसिल प्रेस सेंसरशिप लगाये जाने की निन्दा करती है... सेंसरशिप और इसको तत्काल हटा लिया जाना चाहती है। किसी भी सदस्य ने मेरा समर्थन नहीं किया। कुछ सदस्य तटस्थ थे। कुछ ने इसका विरोध किया लेकिन किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। तो, उस समय चेयरमैन ने कहा कि आप इस प्रस्ताव के बारे में आग्रह क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा। मैंने कहा और जो दलील उन्होंने पेश की कि भले ही आप प्रस्ताव पास कर दें

कोई भी समाचारपत्र इसे नहीं छापेगा, कोई इसे लेगा भी नहीं, कोई इसके बारे में जान भी नहीं सकेगा। मैंने कहा कि एक-न-एक दिन देश में सामान्य स्थिति फिर से आयेगी, एक-न-एक दिन तो समाचारपत्र आजाद होंगे। एक दिन यह कालिख नजर आ जायेगी और भविष्य की पीढ़ी हम सबका निर्णय करेगी और तब कहेगी कि देखा, यह समाचारपत्रों की सर्वोच्च संस्था थी, इस संस्था को इतना भी साहस नहीं था कि कोई प्रस्ताव तक भी पास करती। मैंने कहा, "इसे रिकार्ड कर ले जाइये, चाहे छपे या नहीं, चाहे इसका प्रसारण हो या नहीं, चाहे हम रहें या नहीं, यह मेरे लिए विवेक की बात है, प्रचार की नहीं।" और मैंने उस बैठक में श्री शुक्ल के और उनके काम करने के तरीके की और सेंसरशिप के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसकी कड़ी आलोचना की थी।

सरकार को हर बात बता दी जाती थी क्योंकि उस दिन शाम को जब मैं प्रेस इन्फ्रमेशन ब्यूरो गया तब मुझे वह सारे वाक्य मुनने को मिले जो मैंने कहे थे। जरा सोचिये कि यह भी एक वजह थी कि प्रेस-क्लब वाला प्रस्ताव, जिसे मैंने अपने दस्तखतों से भेजा था, और उसके बाद प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया में जो आग्रह किया था वह ही वजह थी, न कि प्रधानमंत्री को लिखा यह पत्र क्योंकि, जैसा आपने भी इस पर ध्यान दिया होगा, मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र में समाचारपत्रों को आजाद रखना चाहिए चाहे सरकार इसे चाहे या न चाहे, इसलिए नहीं कि हम लोग कभी-कभी उत्तरदायी हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण बात भी शायद ठीक रहती है। वह समाज ही कैसा जहाँ हम लोगों को अभिव्यक्त करने की आजादी न हो!

अध्यक्ष : प्रेस-कौंसिल और प्रेस-क्लब की यह बैठके, 16 जुलाई के पहले हुई या बाद को ?

गवाह : जी, सभी पहले हुई थी। प्रेस-क्लब की मीटिंग, मेरा खयाल है कि या तो 29 जून को या हो सकता है कि 30 जून को या उसके आसपास। और प्रेस-कौंसिल की जुलाई के पहले सप्ताह में हुई होगी।

अध्यक्ष : जेल में रहने-सहन के विषय में आयोग के पास श्रीमती गायत्रीदेवी और ग्वालियर की महारानी की गवाही हैं। दोनों ने कहा है कि जेल के अहाते में काफी बदबू थी और वहाँ उनके सेल के पास एक खुला नाली थी। क्या ऐसी ही स्थिति जेल के और इस्सों में भी थी ?

गवाह : बदबू, आप भली भाँति सोच सकते हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब 93 आदमियों को दो टट्टियाँ इस्तेमाल करनी हों तब आप बदबू के बारे में सोच सकते हैं। नजरबंद होने के कई दिनों

देवी और

रु याद है

आपको

यह सुनकर ताज्जुब होगा कि कितनी जल्दी यह खबरें सेल में मिल जाती थी, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता वह क्या तरीका था, लेकिन हर आदमी इससे वाकिफ था। नानाजी देशमुख का उदाहरण

लीजिये। जिस दिन वह गिरफ्तार हुए थे, सेल में यह एकाघ घंटे में ही हम लोगों को मालूम हो गया कि वह तिहाड़ जेल लाये जा रहे हैं। यह एक खबर थी। लेकिन हमको दूसरी तरफ से, महारानी ग्वालियर और गायत्रीदेवी से यह सूचना मिली कि उनकी कोठरी में पर्याप्त बल्ब नहीं है, वहाँ अँधेरा रहता है और कुछ साँप भी दिखायी पड़े हैं। बल्बों की माँग को लेकर हम लोग 24 घंटे के लिए भूख-हड़ताल पर चले गये। उन्हें बल्ब दिये गये, उनके यहाँ रोशनी का इंतजाम हुआ, सब चीज ठीक हो गयी। लेकिन यह सब चीजें ठीक करने का एक तरीका था। वरसात में हमारे सेल की नाली में से पानी और मूला निकलकर बाहर आ रहा था। इससे चारों ओर दुर्गन्ध का वातावरण फैल गया था। मैंने जेल के अधिकारियों से इसके बारे में कहा भी। एक बार मैंने कहा, "आप कुछ नयों नहीं करते हैं?" इस पर उनका जवाब था कि जेल में कुछ सौ आदमियों के लिए जगह थी और अब वहाँ हजारों आदमी हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जवाब शायद ठीक था, लेकिन तथ्य तो यह था ही कि वहाँ रहन-सहन की हालत बहुत खराब थी।

- अध्यक्ष : आपके श्वसुर, श्री भीमसेन सच्चर भी मीसा के तहत बंद हुए थे ?
- गवाह : जी, श्रीमन, वह हुए थे।
- अध्यक्ष : और वह भी उन्हीं दिनों नजरबंद हुए थे जब आप हुए थे ?
- गवाह : जी, मैं सोचता हूँ 24 घंटे या 48 घंटे बाद वह उसी सेल में आ गये और मैं बताऊँ कि चूँकि मैं जेल जाने का आदी नहीं था और अब मैं एक बार हो आया हूँ, अगली बार जब जाऊँगा तब और क्यादा अनुभव हो जायेगा। मैं कभी नहीं जानता था कि लोग कहाँ मिलते थे, जिसे वहाँ लोग 'मुलाक़ात' कहते थे। तो एक दिन सुबह को जब वह आये जहाँ मैं था तब शायद सबेरे के 6-30 बजे था। मैं अपने सेल में बैठा था, मैं उनको लोहे की छड़ों से आते हुए देख रहा था, वह साफ़ सफ़ेद खादी पहने हुए थे, कोई उनके पीछे-पीछे चल रहा था, शायद कोई कँदी था, मैं सोचता हूँ, वह उनका विस्तर और सूटकेस उठाये चल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह गिरफ्तार हो गये हैं। मैंने सोचा कि वह इन लोगों को काफी अच्छी तरह जानते थे, शायद उन्होंने इनको इजाजत दे दी कि वह मुझसे सेल में मिल लें। जब वह मेरे निकट आये तो मैंने कहा, "आपने तकलीफ़ क्यों की?" वह तुरंत भाँप गये और बिना मेरे भ्रम का निवारण करते वहाँ बोले, मैंने सोचा कि घूद ही चलूँ और अपने बेटे से मिल लूँ। मैंने कहा, अच्छा, आपने यह बहुत अच्छा किया कि आप विस्तर ले आये, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कुछ नहीं था। और इस तरह यह बातचीत चलती रही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक कम्बल भी लाया हूँ क्योंकि शायद तुमको जाड़ों में यही रहना पड़े। मैंने यह सब बातें जेल में अपने सभी साथियों को बतायीं। मेरे जेल के साथियों ने मुझसे जो सवाल किया उससे मैं चौक गया। उन्होंने कहा, "अच्छा, अब इन्होंने गांधीवादियों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है।" आपकी उम्र के आदमी को इन्होंने क्यों गिरफ्तार किया ?

आपको भी ?” तब मैंने कहा, “मुझे मत बताइये, आप गिरफ्तार हो गये है।” क्या तुम्हें नहीं मालूम ? मैंने कहा, “नहीं, मुझे नहीं मालूम हो सका।” और तब मुझे यह पता चला कि जब कभी हमें मुलाकात के लिए जाना होगा तब मुझे गेट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पुलिस का आदमी खड़ा होगा और उसकी मौजूदगी में अपने परिवार के लोगों से बात कर सकूँगा। मुझे अपने सारे रहस्य पुलिस को बताने पड़ेंगे चाहे मैं यह ही क्यों न पूछूँ कि तुम्हारा लड़का तो ठीक है ?, तुम्हारी माँ ठीक है ? उस समय पुलिस का आदमी सब सुन रहा होगा। और वह आधे घंटे के बाद यह बतायेगा कि ‘तुम्हारा समय हो गया।’ मुझे यह बात बाद में मालूम हुई और तब जब मेरी पत्नी मुझे कुछ खाने का सामान देने आयी थीं, इसे पुलिस के आदमी ने पहले देखा, जब उसे भरोसा हो गया तब बोला, “अच्छा खा लो” और तब जब कुछ सामान बच गया, और मैंने कहा कि मुझे मिठाई बहुत पसन्द है तो वह कुछ और ले आयीं। मैंने कहा कि अन्दर भी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मिठाई पसन्द है। तब जेल के सुपरिटेण्डेंट ने कहा, “नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। आपको किसी ए० डी० एम० की इजाजत लेनी होगी जो यह बतायेगा कि आप बर्क्री के कितने टुकड़े खा सकते हैं,” वगैरह-वगैरह।

अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

संघ सरकार का वकील : जी, माई लार्ड, सिर्फ़ दो-तीन सवाल। नम्बर साहब, आपने नज़रबंदी के आदेश के बारे में कहा है।

गवाह : जी, श्रीमन।

संघ सरकार का वकील : शायद, यह साइक्लोस्टाइल किया हुआ था, छपा हुआ नहीं था ?

गवाह : हाँ, साइक्लोस्टाइल किया हुआ था, मुझे खेद है मेरा मतलब छपे हुए से नहीं है, यह सिर्फ़ साइक्लोस्टाइल किया हुआ था। मेरा नाम उस पर टाइप किया हुआ था।

संघ सरकार का वकील : हाँ, नाम टाइप किया हुआ था। नहीं माई लॉर्ड, मैं सिर्फ़, माई लॉर्ड, क्योंकि उस समय साइक्लोस्टाइलिंग, यह एक छोटी...।

गवाह : हाँ, मुझे मालूम है, मुझे खेद है, मैंने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था।

संघ सरकार का वकील : जिस समय आपको गिरफ्तार किया गया था, उस समय क्या बज रहा था ?

गवाह : यही करीब सवेरे 5 बजे से पहले। मेरा खयाल है कि उन आदमियों ने मेरा घर एक रात पहले ही घेर लिया था। बाद में मुझे पता चला और असल में एक ने मुझे बताया कि पहले ही चेतावनी दे दी गयी थी “देखो, यह बड़ा खतरनाक आदमी है। यह शायद छिप जायेगा।” तो इन लोगों को पहले से बता दिया गया था, मुझे नहीं मालूम, उन्हें मेरी ईमानदारी पर ज्यादा भरोसा था जितना कि मुझे अपने पर था। सारी जगह पुलिस के आदमियों द्वारा घेर ली गयी थी, पहले सादी वर्दी की पुलिस के आदमियों ने हमें बताया कि उन्होंने मेरे दरवाजे को 4 बजे के आसपास खटखटाना शुरू कर दिया था और वह घंटी बजा

रहे थे। गर्मी का मौसम था और मैं सो रहा था। हम लोग एयर-कंडीशन्ड कमरे में सो रहे थे, एयरकंडीशनर चल रहा था, हम लोग सुन नहीं सके। मेरी पत्नी ने, मेरा खयाल है कि कुछ सुना, क्योंकि उन्होंने मुझे जगाया था और यह पाँच से पहले का समय रहा होगा।

संघ सरकार का वकील : आपको गिरफ्तार होने से पहले इसका कुछ आभास हो गया था, सी० आई० डी० पीछा कर...!

गवाह : मुझे एक दिन पहले शक हुआ था लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे विलकुल भी इसका शक नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई यह भी कर रहा होगा। इसलिए मुझे कोई शक नहीं था। मुझे एक दिन पहले शक हुआ।

संघ सरकार का वकील : आपने जेल के अन्दर के हालात का बयान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मालूम था कि आपको एक अच्छे वलास का बर्ताव मिलेगा। उन्होंने, कम-से-कम, जेल-अधिकारियों ने कहा है कि यह अच्छे वलास का बर्ताव था।

गवाह : ठीक, मैंने जेल के भीतर का बयान किया है, मीसा ने सभी वलास को बराबर कर दिया था, लेकिन हम लोग, चाहे वह सामान्य क्रैदी था, दूकानदार था, और एक आदमी था जो एक बहुत या उसकी कोई हैसियत थी, उन सबके साथ एक तरह ही बर्ताव किया गया। कम-से-कम वे लोग तो समाजवाद अपनाये हुए थे।

संघ सरकार का वकील : आपको एक फ्रँसले के बारे में मालूम है, शिवकान्त शुक्ल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह घर जैसा बर्ताव था।

अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि उसमें जाने की कोई जरूरत है।

गवाह : फँसला—आप मेरी किताब के बारे में जिक्र कर रहे थे या सिर्फ फँसले का।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

संघ सरकार का वकील : नहीं।

अध्यक्ष : यह कोई फँसला श्री शुक्ल के खिलाफ नहीं था। मैं ऐसा नहीं

संघ सरकार का वकील : समझता।

संघ सरकार का वकील : घर जैसा फँसला। माई लॉर्ड, मेरा कहना है।

अध्यक्ष : वह उस पर था जैसी गवाही पेश की गयी थी।

संघ सरकार का वकील : कोई गवाही नहीं दी गयी थी, लेकिन...!

अध्यक्ष : यह फँसले की आलोचना करना है जो मैं नहीं चाहता।

संघ सरकार का वकील : नहीं माई लॉर्ड, नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि इसका प्रचार खूब हुआ था कि यह घर जैसा बर्ताव था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी।

अध्यक्ष : हाँ।

संघ सरकार का वकील : बस इतना ही, माई लॉर्ड।

गवाह : मैं आपकी इजाजत से एक और बात बताना चाहता हूँ जिससे मुझे बेहद घबका लगा। एक दिन सबेरे मैं उठ बैठा। वहाँ 14 या 15 साल का एक लड़का चिल्ला रहा था, वह विलकुल मेरे सबसे छोटे लडके का एक लड़का चिल्ला रहा था, मैं उसके पास गया और पूछा : क्या तकलीफ है? जेल में कुछ लड़के भी थे, कईयों की तरह नहीं, काम करने वालों की

तरह। लोगों ने कहा, इसे इमरजेंसी में पकड़ लिया गया है। मैं बोला, इमरजेंसी! क्या आप कोई नारा लगा रहे थे या क्या आप किसी तरह का कोई साहित्य वांट रहे थे? वह बोला, नहीं। तो मैंने वार्डन से पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि जब जेल में लोग ज्यादा भर जाते हैं तब हम लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि कुछ लड़के लाओ। उसने कहा, यह लड़का एक घर से निकलकर अपने मालिक के लिए 'पान' खरीद रहा था और वहाँ कोई नहीं था। पुलिस को जेल में मदद के लिए आदमी और चाहिए थे, इसलिए इसे पकड़ लिया गया। तो मैंने कहा, क्या यह पहली बार आया है? उन्होंने मुझे करीब आधा दर्जन लड़के दिखाये, जिन पर पिछले दो-तीन सालों से मुकदमा चल रहा था और कहा कि यह तो मामूली बात है। हम इनको तब तक बाहर नहीं जाने देते जब तक इनकी जगह कोई और नहीं आ जाता, क्योंकि ये 'हेल्पर' होते हैं। यह पहला अनुभव था जो बड़ा ही दयनीय था। मैंने...।

संघ सरकार का वकील : जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे, आपको किसी इंटरव्यू में जाना था ?

गवाह : हाँ, मुझे...।

संघ सरकार का वकील : संघ लोक सेवा आयोग में ?

गवाह : जी, श्रीमान। मैं विशेषज्ञों की सूची में था। हम लोगों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए डिप्टी प्रिंसिपल इफॉर्मेशन ऑफिसर के पद के लिए एक आदमी का चुनाव करना था। यू० पी० एस० सी० ने मुझे सलाहकार के रूप में बुलाया था। इस इंटरव्यू को पाँच दिन होना था और यह हमारा तीसरा दिन था जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष : बस।

संघ सरकार का वकील : बस।

अध्यक्ष : धन्यवाद।

गवाह : श्रीमान, आपको बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भारती नथर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और, अन्य,
आई० एल० आर० (1977) II दिल्ली 23 में दिये गये केस के तथ्य।

नज़रबंदी : 24-7-1975 को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली (श्री पी० घोष) ने दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ० 2/69/75—गृह (पी०2) दिनांक 3-7-1975 के साथ पठि तमीसा की धारा एस० 3 के उप-अनुच्छेद (2) के खंड (ब) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलदीप नथर की नज़रबंदी का आदेश दिया। उसी दिन श्री घोष ने मीसा की धारा 16 (अ) (3) की तहत जो आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 1975 (बाद में उसके स्थान पर एक अधिनियम उसी दिन से लागू हुआ) द्वारा लागू हुआ था, जैसा कि अभीष्ट था एक घोषणा का आदेश दिया; यह घोषणा इस वारे में थी कि यह नज़रबंदी इमरजेसी की प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जरूरी थी जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत घोषित की गयी थी। उस आदेश के अनुसरण में गिरफ्तारी उनके मकान पर 24 जुलाई 1975 को सबेरे की गयी। घोषणा को ध्यान में रखते हुए नज़रबंदी के कोई भी कारण नहीं बताये गये थे।

पिटीशनर की पत्नी (श्रीमती भारती नथर) ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली के हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। उक्त पिटीशन में नज़रबंदी की पृष्ठभूमि में जो तथ्य थे उनको ब्योरेवार लिखा गया और यह साफ़-साफ़ बताया गया कि वह ऐसे आदमी नहीं थे जिन्हे सामान्य-रूप से यह समझा जाता कि वह कोई ऐसा काम करेंगे या ऐसा काम कर सकते हैं जो "सार्वजनिक व्यवस्था के बनाये रखने में आड़े आता हो," यह आग्रहपूर्वक कहा गया कि वह हमेशा भारत के शातिपूर्ण नागरिक रहे थे, वह कभी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं रहे, उन्होंने कभी किसी राजनीतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लिया और उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि वह कोई ऐसा काम करने वाले थे जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में आड़े आता। श्री घोष

इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे कि श्री नय्यर की नज़रबंदी आवश्यक थी, असल में वह सन्तुष्ट भी नहीं थे। यह नज़रबंदी भीसा की धारा 3 के क्षेत्र से बिलकुल बाहर थी। यह द्वेषपूर्ण थी। इसने उस फ़र्क को ध्यान में नहीं रखा जिसे क़ानून में "सर्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने" (गंभीर अव्यवस्था को या ऐसी अव्यवस्था को रोकना जो मोटे तौर पर समाज के समुदाय पर असर डालती) और (ऐसी अव्यवस्था में) जो कुछ मामलों में "क़ानून और व्यवस्था में गड़बड़ी" कर सकती थी, के बीच बनाये रखना चाहिए। पिटीशन में नज़रबन्द को निर्भीक और निष्पक्ष, विश्व ख्याति-प्राप्त प्रमुख लेखक और पत्रकार बताया गया। उच्चोच्च-सरकारी-नौकरी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इन्फ़ॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में 1952 से शुरू की। उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री, स्वर्गीय गोविन्दवल्लभ पन्त के जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में 1957 से 1961 तक काम किया, उन्होंने थोड़े समय के लिए 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन भी जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम किया, वह तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भी जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में 1961 से 1964 तक संबद्ध रहे। वह 1964 में यू० एन० आई० के जनरल-मैनेजर बने जहाँ उन्होंने रचनात्मक योगदान दिया। वह स्टेट्समैन में फरवरी 1975 तक रहे और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एडीटर बनकर चले आये, जहाँ वह नज़रबंदी के समय नियुक्त थे। उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं था, वह निष्ठावान पत्रकार थे। वह प्रेस कांसिल ऑफ इंडिया के अक्टूबर 1970 से और टेलीफोन एडवाइज़री कमेटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य तथा बंगलौर यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता-विभाग के सलाहकार थे। उन्हें प्रेस इन्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्रेस एक्क्रिडिटेशन कमेटी का सदस्य नामित किया गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा जूनियर प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती के लिए यू० पी० एस० सी० के इंटर्व्यू बोर्ड में नियुक्त किया गया था। उनका सर्व-धर्म, समभाववाद में पक्का विश्वास है। वह सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिति को सामान्य लाने के लिए शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री में बातचीत होने का सुझाव दिया था। उन्होंने साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने में विशेष रुचि ली थी। वह दुर्गा रतन एवार्ड कमेटी के जूरी थे, इस तरह नामित होने वाले तीन व्यक्तियों में वह अकेले ग़ैर-मुस्लिम थे। उनकी कृतियों में अन्य कृतियों के साथ (1) विटवीन द लाइंस (2) इंडिया इन क्रिटिकल इयर्स, और (3) इंडिया आफ्टर नेहरू—पुस्तकों की भारत में और विदेशों में बहुत सराहना हुई। वह विशिष्ट घटनाओं की तटस्थता से रिपोर्टिंग करने में ही रुचि रखते थे, जिसमें वह न किसी राजनीतिक पार्टी का और न ही किसी नेता का विरोध करते थे। लंदन के टाइम्स, स्पेक्टेटर, और वॉशिंगटन ईर्वनिंग स्टार के 1967 से भारतीय संवाददाता होने के नाते वह इनके लिए लेख भेजते रहते थे, जो उन्होंने इमरजेंसी पर भी लिखे थे। उन्होंने ये लेख तटस्थ होकर

बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखे थे। इन परिस्थितियों से किसी भी तरह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि वह सार्वजनिक व्यवस्था को पुनरा पैदा करना चाहते थे।

तत्कालीन सॉलिसिटर-जनरल श्री लालनारायणसिंह को सुनने के बाद एक सशर्त आदेश जारी किया गया।

दिल्ली प्रशासन ने जवाब में एक हलफनामा नज़रबंद करने वाले अधिकारी के हलफनामे के साथ दाखिल किया। श्री घोष ने यह आग्रहपूर्वक कहा कि उन्होंने द्वेष से कोई कार्य नहीं किया था, उन्होंने उस रिपोर्ट में दी गयी सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, जो कैदी की 'विगिण्ट कार्रवाइयो' के संबंध में उनके पास थी। ये कार्रवाइयाँ ऐसी थी जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था के बनाये रखने में उल्टा असर पड़ता था और इनका उद्देश्य इमरजेसी की प्रभावी तरीके से सरकार द्वारा लागू करने के उपायों को बेकार करना था। श्री घोष सिर्फ इतना जानते थे कि वह तीन पुस्तकों के लेखक थे जो पिटीशन में बतायी गयी हैं। श्री घोष को यह नहीं मालूम था कि नज़रबंद पत्रकार भी हैं और न ही वह उन अन्य बातों के बारे में जानते थे जो पिटीशन में लिखी गयी हैं। उन्हें प्रधानमंत्री और नज़रबंद के बीच हुए पत्र-व्यवहार का भी पता नहीं था, पहली बार इसकी जानकारी उन्हें पिटीशन के साथ संलग्नों की एक प्रति (प्रधानमंत्री को कैदी का एक पत्र और उनका उत्तर पिटीशन के साथ संलग्न किये गये) मिलने पर लगा। न केवल नज़रबंदी का आदेश बल्कि 'घोषणा' भी श्री घोष द्वारा तब की गयी जब उन्होंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया कि कैदी को सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में आड़े आने वाली कार्रवाइयों को करने से रोका जाये और इमरजेसी को प्रभावी तरीके से लागू किया जाये। ये आदेश किसी अधिकारी के आदेश देने पर, उसकी पालन करने पर नहीं किये गये थे। इस बात से खास तौर से इनकार किया गया था कि नज़रबंदी का आदेश कैदी और प्रधानमंत्री के बीच पत्र-व्यवहार के परिणाम-स्वरूप दिया गया था। उप-राज्यपाल ने श्री घोष द्वारा की गयी घोषणा पर पुनर्विचार किया था और उन्होंने इसकी पुष्टि जैसा कि कानून में अपेक्षित है, 15 दिनों के अन्दर कर दी थी।

18.8.75 को उत्तर के रूप में एक दूसरे हलफनामे में श्रीमती भारती नय्यरने बताया था कि श्री घोष ने जो मानवदंड अपनाया था वह उससे भिन्न था जो मीसा की धारा एस० 3 (1) (ए) के तहत दिया गया है। यह दुबारा कहा गया था कि 'सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखना' और केवल 'कानून और व्यवस्था को बनाये रखना' इन दोनों के अन्तर का ध्यान नहीं रखा गया है। यह टिप्पणी की गयी थी कि नज़रबंद करने वाले अधिकारी ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि वह कैदी के बारे में खुद भी जानता है या नहीं। नज़रबंदी का आदेश यून ही दिया गया और आवश्यक तथ्यों और सारी पृष्ठभूमि का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। श्री घोष द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि कैदी ने जो भी लेखादि लिखे उनमें सार्वजनिक व्यवस्था को

वनाये रखने में आड़े आने वाली बातें कौन-कौन-सी थीं। दूसरी तरफ़ श्री घोष तो उनके बारे में जानते भी नहीं थे। इन स्रोतों से नज़रबंदी के कारणों के बारे में सन्तुष्ट होने की संभावना को विलकुल ही असत्य ठहरा दिया गया। कोर्ट के सामने ऐसी सभी सामग्री को पेश करना अनिवार्य था जिससे यह पता लग सके कि श्री घोष ने अपने को सभी आवश्यक तथ्यों के आधार पर संतुष्ट कर लिया था।

प्रतिवादी की ओर से जो कुछ कहा गया उससे यह नहीं जाना जा सका कि शुरू के मुद्दे रूप में प्रमाण को सिद्ध करना और इस प्रश्न का निर्णय करना कि कोर्ट के सामने क़ानून में अपेक्षित सामग्री को पेश करना ज़रूरी नहीं है। उसने इस आधार पर इनका विरोध किया था कि कोर्ट को यह पता लगाने से रोका जा सकता है कि क्या प्रतिवादी के पास कोई ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर नज़रबंदी के आदेश को रद्द ठहराया जा सके, अगर नज़रबंदी सचमुच आवश्यक नहीं है तो आदेश को रद्द किया जाये। या तो प्रतिवादी को ऐसी सामग्री पेश करनी पड़ेगी जिसके आधार पर श्री घोष ने कार्रवाई की, या ऐसी सलाह दी जाये कि वह साक्षी अधिनियम की धारा 124 के अधीन प्रमाण प्रस्तुत करें। कोर्ट का विचार था कि प्रमाण पेश करने की ज़िम्मेदारी, या जब यह दूसरे पर डाल दी जाये, उसका खंड-खंड में या विभिन्न स्तरों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता—इससे मामले को निवटाने में देरी होगी जो यथासंभव बचायी जानी चाहिए। इसके अलावा ज़िम्मेदारी और उसके निर्वहन का प्रश्न सभी तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हल किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सशर्त आदेश जारी होने पर सरकार को 'पुष्ट' 'प्रमाण' पेश करने चाहिए। इसकी पूर्णता में 'श्रीन वनाम सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर होम अफ़ेयर्स' (1941 3 ए० ई० आर० 388, पृ० 392 (2)) में लॉर्ड मैगहाम की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को पेश किया गया, जिनमें यह ठहराया गया था कि सशर्त आदेश के वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के मामले में सरकार के लिए यह अनिवार्य था कि वह कोर्ट को संतुष्ट करे कि कैदी की आज़ादी क़ानून के तहत और अनुच्छेद 22 (5) की संवैधानिक आवश्यकता के समुचित अनुसरण में छीनी गयी है। इमरजसी के दौरान अनुच्छेद 22 के निलम्बित हो जाने पर कानून के तहत ठीक-ठीक पालन करना ही शेष रह गया था।

जस्टिस रंगराजन ने (जस्टिस अग्रवाल सहमत थे) अनेक निर्णयों पर, खास तौर से अंग्रेज़ी कोर्ट के निर्णयों पर विचार-विमर्श कर 'लिवरसीड वनाम एंडरसन' (413 ए० ई० आर० 338) में लॉर्ड एटकिन्स की प्रसिद्ध असहमति की व्याख्या करते हुए कि किस प्रकार यह अंग्रेज़ी कानून बन गयी थी, अपना मत दिया: "अगर पिटीशनर प्रत्यक्षतः सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो यह ज़िम्मेदारी प्रतिवादी की हो जाती है कि वह यह बताये कि नज़रबंदी भीसा के तहत की गयी थी। यह आगे एक और प्रश्न के अधीन है कि विधान और आदेशों के कारण क्या इस पर शुरू में ही कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता।"

शायद जस्टिस रंगराजन के तकं का, जिन्होंने वेंच के अपने सहयोगी जस्टिस अग्रवाल की ओर से भी विचार प्रकट किये थे, सबसे महत्वपूर्ण भाग यह था कि प्रतिवादी पर जिम्मेदारी डालते हुए किस प्रकार प्रत्यक्षत. यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है कि क़ैदी को नज़रबन्द करने के आधारों को प्रस्तुत न करने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता और किस तरह इस संबंध में न्यायिक पुनर्विचार विलकुल निषिद्ध नहीं है। यह स्पष्ट किया गया कि क़ैदी को नज़रबन्द करने के कारणों को पेश न किये जाने से रुकावट आने के बावजूद, जैसाकि इस मामले में है, नज़रबन्दी की वंघता गंभीर रूप से सदेहा-स्पद हो जाती है, इन संदेहों का निराकरण केवल प्रतिवादी (प्रतिवादीयों) द्वारा ही हो सकता है। ऐसा करने में सफल न होने पर नज़रबन्दी के आदेश के परिणाम का, जो केवल प्रशासक का आदेश ही नहीं है और जिसे रद्द किया जा सकता है, प्रश्न आ जाता है। हालांकि यह नहीं कहा गया था कि कारण क़ैदी द्वारा पेश किये जाने चाहिए। जस्टिस रंगराजन ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का हवाला दिया : आनन्दन नम्बियार व० यूनियन ऑफ इंडिया (1966, ए० आई० आर० एस० सी० 657); मक्कन सिंह व० स्टेट ऑफ पंजाब (1964, ए० आई० आर० एस० सी० 381); स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व० भारतसिंह (1967, ए० आई० आर० एस० सी० 1170); डिस्ट्रिक्ट कलक्टर ऑफ हैदराबाद व० मोहम्मद इब्राहीम एंड कं० (1970, ए० आई० आर० एस० सी० 1275)। वन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट के अव भी प्रभावो बने रहने से, न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति जो कोर्ट में निहित है न तो खत्म की जा सकती है, न उसमें कटौती ही की जा सकती है और न छीनी ही जा सकती है। भले ही मौसा के किसी भी अनुबंध पर ही क्यों न आश्रित रखा जाये, जिससे नज़रबन्द करने वाले अधिकारी ने यह घोषणा की कि नज़रबन्द करने के कारणों को न बताया जाये। इस घोषणा के केवल दो न्यायिक परिणाम थे : (1) क़ैदी का मामला सविधित निकाय के सामने पुनर्विचार के लिए नहीं जायेगा; (2) क़ैदी को कारण बताने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट किया गया कि नज़रबन्दी के कारणों के न बताये जाने का अर्थ यह नहीं था कि नज़रबन्दी के कारण ही भी नहीं; अगर वे नहीं है या उनके होने में संदेह है तो जब तक इन कारणों का निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोर्ट के पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वह अपना कर्तव्य पूरा न करे अर्थात् नज़रबन्दी को रद्द ठहराये, जबकि न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार प्रत्यक्षतः अभी नहीं लिया गया है। उक्त निर्णयों के सदर्थ में यह स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार यह नहीं लिया गया है।

जस्टिस रंगराजन ने संविधान के अनुच्छेद 359(1)(ए) के तहत राष्ट्रपति की घोषणा के बारे में, जिसके संबंध में कहा गया कि इस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता, यह स्पष्ट किया कि संशोधित होने के बाद भी अनुच्छेद 359(1)(ए) में ऐसा कुछ नहीं था जो ऐसी नज़रबन्दी की इजाजत देता हो जो कानून के अनुसार नहीं की गयी हो। इस विषय पर उन्होंने ख़ास तौर से यह विचार व्यक्त किये, "संविधान में

359 (1) (ए) अनुच्छेद का समावेश करने वाले संशोधन का केवल यह प्रभाव है कि अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार, जो अनुच्छेद 358 के तहत भी दिये गये हैं, भाग III में उल्लिखित अन्य अधिकार इमरजेंसी के दौरान वैधानिक या प्रशासकीय कार्रवाई को अवैध नहीं कर सकते, लेकिन इससे इमरजेंसी के दौरान वैध कानून द्वारा प्रशासकीय कार्रवाई के औचित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता का निराकरण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रतिवादी को 38वें संशोधन से कोई सहायता नहीं मिलती।” (जोर देकर कहा गया)

जस्टिस रंगराजन ने विधान-मंडल को, जब उसने मीसा की धारा 18 को अधिनियमित किया था, उक्त स्थिति की जानकारी रखना आवश्यक बताया जो यह है कि मीसा के तहत दिये गये आदेशों के कारण सहज कानूनी अधिकार और सामान्य कानूनी अधिकार भी, संविधान के भाग III के तहत अधिकारों के साथ समाप्त हो जायेंगे। मक्कनसिंह वाले निर्णय ने, जो खास तौर से रद्द नहीं हुआ है (यह तभी हो सकता था जब पाँच जजों की उस बेंच से ज्यादा जजों की बड़ी बेंच कोई दूसरा निर्णय देती जिसने मक्कनसिंह के सबध में निर्णय दिया था), इस बात को नकार दिया है कि अनुच्छेद 359 (1) (जैसा कि उस समय था) के कारण प्रशासकीय अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अधिक व्यापक हो गया है। सम्राट ब० शिवनाथ बैनर्जी (ए० आई० आर० 1943, एफ० सी० 156) का हवाला देते हुए, जिसने इस दलील को (संविधान के सामने भी) थोथा बताया है कि नजरबन्दी के आदेशों की जाँच करना कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है वल्कि सिर्फ नजरबन्दी के आदेश में कारणों को स्वीकार किया है, जस्टिस रंगराजन ने स्वीकार किया कि कारणों के न बताये जाने से कैदी पर, निश्चय ही, बड़ा ही कठिन दायित्व था गया है। लेकिन इस मामले में उन्होंने यह निर्णय किया कि कारणों के बताये जाने के बावजूद नेक-नीयती और वैधता (मीसा की सीमा में दिये गये अनुचित आदेश से संबधित) के बारे में गंभीर संदेह है। आनन्दन नम्बियार के मामले में मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर ने पाँच जजों की बेंच की ओर से बोलते हुए इस आशय को थोथा बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन नजरबन्दी के आदेश को यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह आदेश दुर्भावपूर्ण था।

जस्टिस रंगराजन ने सारी स्थिति को सार रूप में इस प्रकार कहा : “इन सब मामलों का सार यह है कि जो गैर-कानूनी कार्रवाई है वह सिर्फ इसलिए कानूनी नहीं हो जाती कि किसी भी मामले में नजरबन्दी का आदेश सिर्फ एक प्रशासकीय कार्रवाई है अर्थात् उसके लिए वैधानिक समर्थन नहीं है। इसे कानूनी होने की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, -ऐसे मामले में जहाँ चुनौती दी जा सकती है। उसे कानून की किसी वैध व्यवस्था के अधीन और उसके ठीक-ठीक अनुसरण में जारी किया जाना चाहिए। इस तरह के आदेश का जारी किया जाना शक्ति का सशर्त प्रयोग है, अगर यह दिया दिया जाये

कि जिन शर्तों में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है वह पूरी नहीं हुई है तब यह कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिसमें कोई आदेश किसी बंध कानून के तहत जारी किया गया था और वह रद्द घोषित कर दिया जायेगा।”

अनुक्रमणिका

- अकाली सत्याग्रह 69 तथा पा० टि०
 अखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्पादक
 सम्मेलन 14
 अग्रवाल (सॉलिसिटर) 83
 अपराधियों का जेल से भागना 70
 अब्दुल्ला, शेख 85, 86, 93
 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 48
- आमुका (आंतरिक सुरक्षा कानून—
 मीसा) 13, 18-19
 आदर्श जेल मैनुअल 42
 आयंगर (न्यायमूर्ति) 18 पा० टि०
 आर्पनाइजर 14
- इन्दर गुजराल कमेटी, उर्दू भाषा पर
 48
 इमरजेसी, की घोषणा 19-20; पर
 विदेशी समाचारपत्रों की प्रतिक्रिया 17
 इमरजेसी विरोध दिवस 72
 इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 35, 53
- उपाध्याय, दीनदयाल 46
 उर्दू भाषा 48-49
- एक्सप्रेस ग्रुप, से सरकार का टकराव
 88-92
- करणानिधि 68, 94; इमरजेसी के बारे
 में 86-87
- केन्द्रीय सुधार-सेवा ब्यूरो 42
 कौल, त्रिलोकीनाथ (टी० एन०) 38;
 नय्यर के अपराधों के बारे में 22
 पा० टि०
 कृष्णकान्त 35
 कृष्णचन्द्र 23 पा० टि०, 79 पा० टि०
- खाने की व्यवस्था, जेल में 29-30, 39
 खुराना, एम० एल० 23
- गांधीवादियों की गिरफ्तारी 31
 गांधी, श्रीमती इन्दिरा 19, 20, 21,
 31, 35, 54, 62, 63, 64, 69, 93,
 98, 100, 102, 106; और आर०
 एस० एस० 29; के विचार 'प्रतिबद्ध'
 सरकारी कर्मचारियों पर 21; द्वारा
 नय्यर को छोड़ने के आदेश 82
 गांधी, संजय 21, 91, 93, 102; के
 इंटरव्यू पर बर्दियों के विचार 75
 'गीता' 74-75
 गुजराल, इन्दर और कुलदीप नय्यर 16
 गुप्त, हंसराज 63
 गोखले (एच० आर०) 82
 गोयनका, रामनाथ 11, 88-91
 ग्रीवर (जस्टिस) 20
- घोष, पी० 83 पा० टि०
- चंद्रशेखर 35, 106

चक्रवर्ती, निखिल की नय्यर को लायब्रेरियन के रूप में 52
चेतावनी 11 जैन, देविंदर 35, 37, 39
चरणसिंह 55, 61, 94, 95, 106 जैलसिंह, ज्ञानी 96 पा० टि०
चह्माण, वाई० वी० 19
चावला, नवीन 23 पा० टि०
चुनाव, 1977 के 97-100

भा, वी० एन० 65

जगजीवनराम, 19, 87, 100, 106;
को गिरफ्तारी का डर 35-36

डालमिया, रामकृष्ण, को जेल में
सुविधाएँ 38

जजों का अधिलंघन 20
जनता पार्टी 100, 105, 106

तमिलनाडु, मे राष्ट्रपति-शासन 86
तस्करों, को जेल में सुविधाएँ और
आराम 38

जन संघ और आर० एस० एस०, के बारे
में लेखक के विचार 46; को

तानाशाही, पर लेखक के विचार 19;
पर बहस 44

मुसलमानों के बारे में कम जानकारी
47; के 'जमात' के साथ अच्छे संबंध

तारकुड़े, वी० एम० 83

49; द्वारा जेल में प्रार्थना 57; अनु-
शासित संगठन के रूप में 72-73

तेजा, धर्म, को जेल में सुविधाएँ और
आराम 37

जमात (जमाते-इस्लामी), के जन संघ
और आर० एस० एस० के साथ अच्छे
संबंध 49; की आधुनिकीकरण की
प्रक्रिया 49

'दास-प्रया', जेल में 39-41

जेल, की व्यवस्था 26-27; मे आवास
की समस्या 30; में टट्टियों की हालत

दिल्ली हाई कोर्ट, का कुलदीप नय्यर
की नज़रबंदी पर फ़ैसला 82-83

36; में नहाने की सुविधाओं का
अभाव 36; में खर्च की सीमा 37;

देशमुख, नानाजी 22, 23, 29, 69; की
गिरफ्तारी की कहानी 69-70

मे बड़े व्यापारियों के लिए आराम
और सुविधाएँ 37-38; में सुरा-
सुन्दरी की सप्लाई की व्यवस्था 38;

देसाई, मोरारजी 22, 55, 99

में भ्रष्टाचार 38; मे रहन-सहन की
हालत 71, 79; मे समाचारपत्र और

धर, पी० एन० 98

रेडियो की सुविधा का अभाव 43;
मे दिन में दो बार प्रार्थनाएँ 57; मे

पवन, आर० के० 21, 79 पा० टि०

गजलों और भजनों का कार्यक्रम 57-
58; मे मुलाक़ात का तरीका और

नक्सलवाद/नक्सलवादी 56-57
नम्बूदिरिपाद, ई० एम० एस० 18, 68,
87, 99

औपचारिकताएँ 60, 61; मे विट्टी
पाने-भेजने की व्यवस्था 66-67; मे

नय्यर, कुलदीप, की गिरफ्तारी 12;
की गिरफ्तारी पर परिवार के सदस्यों
की प्रतिक्रिया 12, 23; का श्रीमती

'रामायण' और गीता' का पाठ 74;
'मैनुअल' की धाराएँ 109-19

गांधी को पत्र 13-15; की शुक्ल से
भड़प 16-17, 84-85; के इन्दर

जेल-अधिकारी, का बर्ताव 26, 42

गुजराल के साथ संबंध 16; के
खिलाफ अपराधों की सरकारी सूची

जेल अस्पताल 73-74

21-23; के बारे में पुलिस की रिपोर्ट
25 पा० टि०; की नज़रबंदी के

जेल लायब्रेरी, मे पुस्तकों का संग्रह 52

खिलाफ़ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
53; की परिवार के सदस्यों से

जैन, डॉ० एन० एस० 27, 53; जेल में

- मुलाकात 60-61, 77-78; मिठाइयों के शौकीन 61; वचन की यादों का सपना 71, 76, 77; का रिहाई आदेश 80; की रिहाई पर परिवार में खूशी 82; का स्वास्थ्य जेल में गिरा 84; के घर पर निगरानी 85; की शेख अब्दुल्ला से मुलाकात 85-86; की करुणानिधि से मुलाकात 86-87
- नय्यर, राजिन्दर 102
- नागरिक अधिकारों पर रोक 84
- नागालैंड/नागा समस्या 62-63
- नारायण, जयप्रकाश (जे० पी०) 21, 22, 63, 92, 93, 94, 100
- निवारक नज़रबंदी, का विरोध 18
- नीति-संहिता, पत्रकारों के लिए 101
- नेहरू, जवाहरलाल 14, 32, 34, 52, 105
- नेहरू, बी० के० 62
- नैयर, के० डी० 23 पा० टि०, 25, 79 पा० टि०
- न्यायपालिका, प्रतिबद्ध 20; की आज़ादी 83-84
- पटनायक, बीजू 95
- पदविर्या, गणतंत्र-दिवस पर 65-66
- पन्त, गोविन्दवल्लभ 11, 62, 63; निवारक नज़रबंदी कानून को आगे बढ़ाने पर विचार 18
- पवनार सम्मेलन 88
- पुरी, राजिन्दर 12; की कुलदीप नय्यर को चेतावनी 13
- प्यारेलाल, ने सच्चर की चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया 31
- प्रताप, विजय 64
- प्रतिबद्धता 20-21
- प्रसाद, एच० वाई० शारदा 15
- प्रेस की आज़ादी 17, 103; पर नेहरू के विचार 15
- प्रेस-कौंसिल 14, 18; का प्रस्ताव 16, 18
- प्रेस-क्लब, की मीटिंग, पत्रकारों का विरोधात्मक रवैया 85
- प्रेस सेंसरशिप, के खिलाफ विरोध 16
- फर्नान्डीज, जॉर्ज 29, 55, 99; को गिरफ्तार करने पर सरकार की नज़र 70
- फ्रैंज (शायर) 58, 59, 64
- वंसीलाल 54, 93
- वयालीसर्वा संविधानसंशोधन विधेयक 87-88
- वरनाला, सुरजीतसिंह 69
- बरार (पुलिस-अफ़सर) 24, 25, 87
- बरुआ, देवकांत, 11
- बहुगुणा, हेमवतीनन्दन 87, 100
- वाउरी, बलराज 12
- बाजवा, के० एस० 23 पा० टि०, 79 पा० टि०
- विड़ला, के० के० 89, 90
- बुखारी, सय्यद अब्दुल्ला 21
- बुद्धिजीवी, के बारे में कुलदीप नय्यर की प्रतिक्रिया 20-21
- भट्टाचार्य, अजित 90
- भाटिया (अपराधी) 72
- 'भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस पर नय्यर का लेख 88
- भारतीय मुस्लिम/इस्लाम 47, 48, 49
- भावे, विनोबा 88
- भिंडर, पी० एस० 23 पा० टि०, 79 पा० टि०
- भूमिगत आंदोलन 69, साहित्य 87
- मन्त्री-गण, का रहन-सहन 104-105; के बारे में महात्मा गांधी की सलाह 55
- महिला राजनीतिक कैदियों की दयनीय परिस्थितियाँ 56, 57
- मिश्र, रमाकांत 13
- मुखर्जी, श्यामाप्रसाद 46
- मुजीबुर्रहमान, शेख, की हत्या 64
- मुरली (नौकर) 13
- मुलगावकर, एस० 13, 89, 90, 91
- मुस्लिम उत्तराधिकार क़ानून 48
- मुस्लिम विवाह क़ानून, को नया बनाने का प्रयास 48

मूँधड़ा, हरिदाग, को जेल में मुविघाएँ

38

मेहता, अणोक 22, 95

मेहता, ओम 67, 77, 78, 79 पा० टि०

मेहताय, हरेकृष्ण 94

मौलिक अधिकार 19

यूनुस, मोहम्मद 16, 95

रगराजन (जस्टिस), का नय्यर की नजरबंदी पर फैसला 83

राजनारायण 66

राजिन्दर (सच्चर) 77

राजेन्द्रप्रसाद 66

राधाकृष्ण, की गिरफ्तारी 70

राय, विधानचन्द्र 18

राय, सिद्धायसंकर 93

रे, ए० एन० 20

रेड्डी, ब्रह्मानंद 19, 35, 77, 92

लोकतंत्र, की संस्थाओं का कमजोर होना 20

लोक संघर्ष समिति 22

वालेस, दरविन 97

विदेशी समाचारपत्रों की टिप्पणी, इमरजेंसी पर 17; कुलदीप नय्यर की रिहाई पर 82; दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर 83

विरोधी दल, द्वारा संसद के विशेष अधिवेशन का यहिफकार 87

विशिष्ट वर्ग 21

विष्णुदत्त 34

वैद्य, किशनलाल 34

व्यक्ति, पर नेहरू के विचार 45

व्यापारियों, को जेल में मुविघाएँ 37-

38

वृक्षारोपण का महत्व 80

शमशाद अली, राव 30, 58

शर्मा, एस० डी० 34

शर्मा, चंद्रेश 27

शर्मा, जे० के० 34

शाह कमीशन, और कुलदीप नय्यर की गिरफ्तारी का मामला 23 पा० टि०, 79 पा० टि०, 83 पा० टि०; 120-

33

शास्त्री, लालबहादुर 59

शुक्ल, विद्याचरण 84, 90, 100, 101; से नय्यर की ऋड़ण 16-17, 85

शेलट (जस्टिस) 20

श्रीलता, के नवसलवादियों की निराशा पर विचार 56

संयुक्त राज्य अमरीका की द्विशत-वायिकी समारोह के अवसर पर नय्यर का लेख 17

सच्चर, भीमसेन 12, 35; की गिरफ्तारी 31; का श्रीमती गांधी को पत्र 32-34

साहनी, जे० आर 34

सिन्हा, के० के० 34

सुशीलकुमार 23 पा० टि०

सैवकराम 34

सैंसरशिप, के नियमों से वचाव के तरीके 43

सौधी, एम० एल० 23

सोनी, अम्बिका 64 पा० टि०

सोरावजी, सोली 83

स्कॉट, माइकेल 63

स्वतंत्रता दिवस समारोह, जेल में 63-64

स्वर्णसिंह 19, 87

स्वर्णसिंह समिति, संवैधानिक सुधारों पर 87

हक्सर, पी० एन० 21

हुसैन, डॉ० जाकिर 48

हेगडे (जस्टिस) 20

हेजलहर्ट्स, पीटर 16

